रजिस्ट्री सं० डी एल—33001/92

REGISTERED NO. DL—33001/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 19, 1992 (अग्रहायण 28, 1914)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 19, 1992 (AGRAHAYANA 28, 1914)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक
केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई-400021, दिनांक 30 नवंबर 1992

नोटिस

सं० एस० बी० डी०/002667—भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 32 के निबंधानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने श्री के० थानु पिल्लै, मुख्य महाप्रबंधक को स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के प्रबंध निदेशक के पद पर स्थानापन्न कार्य करने के लिए 1 दिसंबर 1992 से अगले आदेश तक नियुक्त किया है।

वी० महादेवन,
प्रबंध निदेशक

STATE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE

Bombay-400021, the 30th November, 1992

NOTICE

No. SBD/002667—In terms of Section 32 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India have appointed Shri K. Thanu Pillai, Chief General Manager to officiate for the Managing Director, State Bank of Hyderabad from the 1st December 1992 until further orders.

V. MAHADEVAN,
Managing Director

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

44वीं वार्षिक रिपोर्ट

1991-92

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 के अधीन निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 जुलाई 1992
सं० औ० वि० नि०/बोर्ड व समे०/44वीं वा० म० स०/92

1. परिचालन वातावरण एवं परिदृश्य

1.01 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (भाऔविनि) का निदेशक बोर्ड 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित लेखा-विवरण सहित भाऔविनि के क्रियाकलापों के बारे में 44वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है।

1.02 वर्ष 1991-92 विश्व तथा भारत के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का वर्ष रहा। 1991-92 में भाऔविनि के परिचालनों, कार्य-निष्पादनों और कार्य-परिणामों के परिप्रेक्ष्य में यह श्रेयस्कर होगा कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्य तथा भारत में विद्यमान परिचालनात्मक आर्थिक एवं औद्योगिक वातावरण और भावी संभावनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा पर विचार किया जाए।

(क) विश्वव्यापी आर्थिक स्थिति

1.03 1991 में भी लगातार तीसरे वर्ष विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति कमजोर रही। 1990 में 1.5% की साधारण वृद्धि के पश्चात् वर्ष 1991 में सभी क्षेत्रों में विश्व उत्पादन 0.3% कम हो गया। सर्वाधिक विकसित बाजार अर्थ-व्यवस्थाओं में उत्पादन या तो कम हो गया अथवा अवरुद्ध हो गया और पूर्वी यूरोप में एवं पूर्ववर्ती सोवियत संघ, जो अब रूस और 11गणराज्यों के रूप में विघटित हो गया है, तथा स्वतन्त्र राज्यों के राष्ट्रकुल के रूप में जिनका नामकरण किया गया है, में यह अचानक काफी नीचे गिर गया। विकासशील देशों, विशेषत: लेटिन अमरीका और अफ्रीका में उत्पादन की स्थिति जनसंख्या-वृद्धि की तुलना में मुश्किल से बराबर रही। जनवरी/फरवरी, 1991 में पश्चिम एशिया में हुए खाड़ी युद्ध से जान-माल का बहुत अधिक नुकसान हुआ।

1.04 हाल ही में हुए संयुक्त राष्ट्र अध्ययन के अनुसार, 1991 में, श्रीलंका और बंगलादेश में भी आर्थिक विकास की गति कम होकर 3% हो गई लेकिन पाकिस्तान में यह लगभग 5% बनी रही। समग्र रूप से, दक्षिण एवं पूर्व एशिया में विकास दर 6.3% से कम होकर 5.4% रह गई। परन्तु, कोरिया गणराज्य में 9% और थाईलैंड में 8% की विकास दर रिकार्ड की गई जबकि फिलीपीन्स में प्राकृतिक विपदाओं सहित अनेक कारणों से विकास लगभग रुक गया। चीन में आई विनाशकारी बाढ़, जिससे अवस्थापना सुविधाओं को भारी नुकसान हुआ, के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि की स्थिति 2% से भी कम रही। लेकिन, चीन में पिछले वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों में उससे पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि की तुलना में औद्योगिक उत्पादन में 14% की वृद्धि हुई जिससे इसकी समग्र आर्थिक विकास दर 6% हो गई।

1.05 संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (यू एन सी टी ए डी) ने 1991की अपनी व्यापार एवं विकास रिपोर्ट में बताया है कि 1992 में अधिकांश क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा परन्तु इस सुधार की मात्रा विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होगी। पूर्वी एशिया में बेहतर प्रगति की संभावना है जबकि उच्च व्यापारोन्मुख देश निर्यात की घटी हुई मांग और घरेलू क्षमता अवरोध की समस्याओं के कारण नुकसान उठाते रहेंगे। तेल के उच्चतर आयात बिलों, विदेशों में कार्यरत कामगारों से प्राप्त होने वाले धन में कमी तथा पर्यटकों से प्राप्त राजस्व में कमी के कारण दक्षिण एशियाई देशों में 1992 के दौरान खाड़ी संकट के पूर्ण प्रभाव महसूस किए जाएंगे। संभावना है कि चीन अपने आर्थिक विकास की गति को बनाए रखेगा लेकिन उसे तैयार माल के संचयन और सरकारी उद्यमों के बढ़ते हुए अशोध्य ऋणों से सम्बन्धित समस्याओं का सामना करना होगा।

1.06 आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) ने आशा व्यक्त की है कि यूरोप की आर्थिक विकास दर 1991 के 1.2% की तुलना में 1992 में 2% होगी। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अनुसार, विश्व की सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था, संयुक्त राज्य अमरीका में 1992 में विकास दर 2.2% होने की संभावना है किन्तु मंदी की स्थिति में वसूली कम और धीमी हो सकती है। अनुमान है कि 1992 में मुद्रा स्फीति 1991के 4% से कम होकर 3.6% हो जाएगी और चालू लेखा घाटा 1980 के दशक से कम रहेगा।

1.07 संभावना है कि जापान की विकास दर 1992 में तेजी से कम होकर 2.4% हो जाएगी, जो 1991 में इससे लगभग दुगुनी थी, लेकिन 1993 में यह पुन: बढ़ कर 3.5% हो जाएगी। इसके व्यापार एवं भुगतान-संतुलन अधिशेष में वृद्धि होने की संभावना है, जबकि 1986 से 1990 तक ये लगातार कम होते रहे। उपभोक्ता मूल्य में वृद्धि पिछले वर्ष के 3.25% की तुलना में कम होकर 1992 में 2.5% होने की आशा है।

1.08 विश्व अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद प्रतीत होता है कि वर्ष 1992 और 1993 में विकास संभावनाएं अच्छी रहेंगी। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) का पूर्वानुमान है कि अधिकांश क्षेत्रों में 1991 की तुलना में, 1992 में बेहतर आर्थिक प्रगति होगी। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अनुसार अगले दो वर्षों में विश्व भर की वाणिज्य-व्यवस्था में पुन: सुधार आएगा क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं वर्तमान मंदी से धीरे-धीरे उबर रही हैं। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (जीएटीटी) में सहमति से इस प्रक्रिया को और अधिक तेज करने का मार्ग प्रशस्त होगा, किन्तु फिलहाल तो स्थिति संदेहास्पद प्रतीत होती है।

(ख) भारतीय अर्थव्यवस्था—1991-92

1.09 भारत में, वर्ष 1991-92 की शुरूआत अभूतपूर्व आर्थिक संकट से हुई। केन्द्र में अनिश्चितता की स्थिति के परिणामस्वरूप सरकार में हुए परिवर्तन तथा खाड़ी संकट के कारण भुगतान संतुलन की शोचनीय स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे विश्व के वित्तीय बाजारों में भारत की साख में गिरावट आई। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था की विकास दर में महत्वपूर्ण कमी आई जिसका कारण अंशत: कृषि उत्पादन में कमी तथा अंशत: औद्योगिक विकास की गति कम होना है। जून 1991 के अन्त में विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां कम होकर 2,383 करोड़ रुपए (1.1 बिलियन अमरीकी डालर) रह गई तथा अगस्त, 1991 के चौथे सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 16.7% तक पहुंच गई। विभिन्न वृहत्-आर्थिक परिवर्ती आंकड़ों के अनन्तिम प्राक्कलन से ज्ञात होता है कि वर्ष 1991-92 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) में लगभग 2.5% की वृद्धि होगी जबकि 1990-91 में यह वृद्धि 5.8% थी। सारणी-1 में भारतीय अर्थ-व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकांक दिए गए है।

सारणी : 1 चुनिंदा आर्थिक सूचकांक

मद तुलना में परिवर्तन	यूनिट	(अवधि : अप्रैल-मार्च)			पिछले वर्ष की	प्रतिशत
		1989-90	1990-91*	1991-92**	1990-91	1991-92
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सकल राष्ट्रीय उत्पाद : (स्थायी लागत पर) वर्तमान मूल्यों पर	करोड़ रुपये	3,92,524	4,15,290	4,25,670	5.8	2.5
2. प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (वर्तमान मूल्य)	रुपये	4,749	4,919	4,943	3.6	0.4
3. कृषि उत्पादन त्रिवार्षिक सूचकांक-1979-82=100 के अन्त में		142.4	147.0	146.3	3.2	(—)0.5
4. औद्योगिक उत्पादन	सूचकांक-आधार 1980-8-100	196.4	213.1	211.2	8.5	(—)0.9
5. विद्युत उत्पादन (केवल उपयोग)	बिलियन किलो वाट प्रति घंटा	245.4	264.2	286.7	7.8	8.5
6. निर्यात	करोड़ रुपये	27,681	32,533	43,828	17.6	34.6
7. आयात	करोड़ रुपये	35,416	43,193	47,797	22.0	10.7
8. व्यापार घाटा	करोड़ रुपये	7,735	10,640	3,969	37.6	(—)62.7
9. प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियां	करोड़ रुपये	5,787	4,388	14,578	(—)24.2	232.2
10. थोक मूल्य सूचकांक (औसत)	आधार 1981-82=100	171.1	191.8	216.4	12.1	12.8
11. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कामगार) (मार्च)	आधार 1982=100	177.0	201.0	229.0	13.6	13.9
12. चुनिंदा उद्योगों का उत्पादन:						
(क) कोयला (भूरे कोयले को छोड़कर)	मिलियन टन	200.9	211.6	229.0	5.2	8.3
(ख) अपरिष्कृत पैट्रोलियम	मिलियन टन	34.1	33.0	30.4	(—)3.2	(—)7.8
(ग) तैयार इस्पात	मिलियन टन	13.0	13.4	14.5	3.1	8.2
(घ) उर्वरक	मिलियन टन	8.5	9.0	9.9	5.9	10.0
(ङ) सीमेंट	मिलियन टन	45.8	48.4	53.1	5.7	9.7
13. रेलवे द्वारा राजस्व-अर्जक यातायात	मिलियन टन	310.0	318.4	338.0	2.7	6.2
14. प्रमुख बन्दरगाहों पर माल का लदान-उतार	मिलियन टन	148.1	152.6	160.0	3.0	4.8
15. मुद्रा पूर्ति (मुद्रा)	करोड़ रुपए	2,30,950	2,65,436	3,17,196	14.9	19.5
16. बैंक प्रवत्त उधार	करोड़ रुपए	1,01,453	1,16,301	1,24,788	14.6	7.3
17. वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा	करोड़ रुपए	1,66,959	1,92,542	2,30,458	15.3	19.7

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण, 1991-92 सीएमआईई

* अनन्तिम आंकड़े

** अनुमान अनन्तिम

कृषि क्षेत्र

1.10. 1991-92 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 182.50 मिलियन टन निर्धारित किया गया था। हालांकि, 1991 में मानसून सामान्य रहा किन्तु जून, 1991 के मध्य से काफी समय के लिए इसकी स्थिति प्रतिकूल हो जाने तथा बाद में अगस्त, 1991 के अन्त तक इसके अनिश्चित व्यवहार के कारण विशेष रूप से भारत के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में कृषि परिचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। 1991-92 के दौरान 171 मिलियन टन के प्रत्याशित कुल खाद्यान्न उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 3% से अधिक की गिरावट परिलक्षित होगी। सामूहिक रूप से गैर-खाद्यान्नों के उत्पादन में, 1990-91 की तुलना में 1991-92 के दौरान 1.79% की मामूली वृद्धि होने की संभावना है। अतः समग्र कृषि उत्पादन में 1991-92 के दौरान 0.5% से 1% तक की कमी होने की संभावना है जबकि 1990-91 में 3.2% की वृद्धि हुई थी।

औद्योगिक क्षेत्र

(i) प्रमुख क्षेत्र

1.11 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई। अप्रैल-फरवरी, 1992 के दौरान, औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में 0.4% की कमी परिलक्षित हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में इसमें 8.5% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। इस अधोमुखी प्रवृत्ति का मुख्य कारण है—निर्माण क्षेत्र में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 9.6% की वृद्धि के विपरीत 2% की गिरावट। यद्यपि खनन एवं खदान क्षेत्र में, पूरे वर्ष के दौरान वृद्धि स्थिर रही किन्तु विद्युत क्षेत्र में, पिछले वर्ष की इसी अवधि में 7.4% की वृद्धि की तुलना में 8.3% की उच्चतर वृद्धि दर रिकार्ड की गई।

1.12 निर्माण क्षेत्र में, यद्यपि दो उद्योग समूहों अर्थात् पेय और तम्बाकू उत्पादों तथा अधातु खनिज उत्पादों में त्वरित वृद्धि रिकार्ड की गई, छः उद्योग समूहों अर्थात् खाद्य उत्पादों, सूती वस्त्रों, पटसन, हेम्प एवं मेस्ता उत्पादों, कागज एवं कागज उत्पादों, रसायन एवं रसायन उत्पादों और मूल एवं मिश्र धातुओं में घटी हुई विकास दर रिकार्ड की गई। नौ उद्योग समूहों अर्थात् वस्त्र उत्पादों, लकड़ी व लकड़ी उत्पादों, चमड़ा एवं फर उत्पादों, रबड़ प्लास्टिक, पेट्रोलियम व कोयला उत्पादों, धातु उत्पादों एवं पुर्जों, मशीनरी एवं मशीनी औजारों, विद्युत मशीनरी व उपकरणों, परिवहन उपस्करों, आदि क्षेत्रों में कमी रिकार्ड की गई।

(ii) प्रमुख उद्योग

1.13 एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा विक्रेय स्टील का उत्पादन 10.06 मिलियन टन रहा जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 9.31 लाख टन के उत्पादन से 8.1% अधिक है। सीमेंट का 53.1 मिलियन टन उत्पादन हुआ जिससे 9.7% की वृद्धि रिकार्ड की गई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि 5.7% थी। उपर्युक्त वृद्धि अधिकांशतः निजी क्षेत्र के बड़े संयंत्रों से हुई जिनका कुल सीमेंट उत्पादन में 80% से भी अधिक योगदान रहा। उर्वरकों (नाइट्रोजिनेंस एवं फास्फेट) का उत्पादन पिछले वर्ष के 9.05 मिलियन टन की तुलना में 9.87 मिलियन टन रहा जिससे 9.1% की वृद्धि परिलक्षित हुई। यद्यपि, नाइट्रोजन उर्वरकों के उत्पादन में गिरावट आई, परन्तु फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी।

1.14 यद्यपि कास्टिक सोडा का 10.18 लाख टन का उत्पादन, पिछले वर्ष के दौरान 9.83 लाख टन के उत्पादन से 3.6% अधिक रहा, लेकिन सोडा ऐश के उत्पादन की प्रवृत्ति अनिश्चित रही और इस उद्योग को अतिरिक्त क्षमता, कम मांग एवं माल संचयन की समस्याओं का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप 13.28 लाख टन सोडा ऐश का संचयी उत्पादन पिछले वर्ष के दौरान 14.16 लाख टन के उत्पादन से 6.2% कम रहा।

1.15 सूती तथा मिश्रित धागे का 1,781.6 मिलियन कि० ग्रा० का उत्पादन पिछले वर्ष के 1,795.2 मिलियन कि० ग्रा० के उत्पादन से 0.8% कम रहा। मिल-निर्मित कपड़े के उत्पादन में निरन्तर गिरावट आती रही तथा 2,370.7 मिलियन मीटर का उत्पादन पिछले वर्ष के 2,590.9 मिलियन मीटर के उत्पादन से 8.5% कम रहा। 127 लाख टन का चीनी उत्पादन पिछले वर्ष के 118.6 लाख टन के उत्पादन से 7.1% अधिक रहा। ऑटोमोटिव उद्योग पर अवमूल्यन, आयात की बढ़ी हुई लागत, ऋण संकुचन आदि पहलुओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिससे वाहनों की कीमतें बढ़ गई। परिणामस्वरूप, 1991-92 में ऑटोमोटिव वाहनों के उत्पादन में 1990-91 की तुलना में कमी परिलक्षित होगी।

1.16 जहां तक क्षमता उपयोग का सम्बन्ध है, पूंजीगत माल और उपभोक्ता टिकाऊ सामान विशेष रूप से प्रभावित हुए। पूंजीगत माल-उद्योग मुख्यतः सरकारी निवेश में कमी आने से प्रभावित हुआ। जुलाई, 1991 में विनिमय दर समायोजन के परिणामस्वरूप आयातित इनपुट की उच्च लागत तथा आयात पर कड़े दबाव के कारण आयात की अनुपलब्धता का उपभोक्ता टिकाऊ सामान उद्योग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट-I** में वर्ष 1991-92 के लिए 59 चुनिंदा औद्योगिक उत्पादों की प्रतिस्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग का प्रतिशत और उनके सम्बन्ध में भाऔविनि की 529 चित्तपोषित संस्थाओं से सम्बन्धित आंकड़े, उनसे प्राप्त निष्पादन रिपोर्टों के आधार पर दिए गए हैं।

(iii) अवस्थापना

1.17 अवस्थापना क्षेत्रों के काम-काज में मिश्रित प्रवृत्ति परिलक्षित हुई। वर्ष के दौरान, कोयले के उत्पादन एवं प्रेषण में क्रमशः 8.3% एवं 10.5% की वृद्धि हुई। परन्तु, पिटहेड स्टॉक 21% बढ़ा जिससे एक बार फिर कोयले के लदान और ढुलाई में तेजी लाने की आवश्यकता महसूस की गई। विद्युत उत्पादन में 8.5% की वृद्धि हुई। ताप एवं नाभिकीय विद्युत उत्पादन में 11.1% तथा पन बिजली उत्पादन में 1.4% की वृद्धि हुई। औसत संयंत्र भार घटक 53.8% से बढ़कर 55.3% हो गया। कच्चे तेल का उत्पादन 33.03 मिलियन टन से घटकर 30.44 मिलियन टन हो गया। कुल रिफाइनरी कच्चे तेल में समग्र रूप से 0.35 मिलियन टन की गिरावट आई तथा रिफाइनरियों की क्षमता के उपयोग में 1.8% की कमी हुई। पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.5% गिरावट आई। रेलवे द्वारा की गई माल ढुलाई में विगत वर्ष की तुलना में 6.2% की वृद्धि हुई।

(ग) नीतिगत सुधार

1.18 विश्व के अनेक भागों में व्यापक परिवर्तनों एवं नए घटनाक्रमों के फलस्वरूप नई सरकार, जिसने जून, 1991 में कार्य-भार ग्रहण किया था,

ने भुगतान सन्तुलन की व्यवहार्यता बहाल करने तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयोजन से बृहत आर्थिक स्थिरता कार्यक्रम को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपाय किए। सरकार ने संरचनात्मक सुधार के लिए एक दूरगामी कार्यक्रम आरम्भ किया जिसमें अर्थव्यवस्था की क्षमता में सुधार लाने एवं उसकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से औद्योगिक एवं व्यापारिक नीतियों में साहसिक पहल भी शामिल थी।

औद्योगिक नीति

1.19 24 जुलाई, 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति में उद्योग को मूल रूप से विनियमित करने पर बल दिया गया ताकि अपेक्षाकृत अधिक सक्षम एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। औद्योगिक नीति सम्बन्धी सुधारों के केन्द्रीय तत्व इस प्रकार हैं:—

(i) जिन 18 उद्योगों को नीति या पर्यावरण की दृष्टि से विशेष महत्व दिया गया है या जो उद्योग ऐसे सामान का उत्पादन कर रहे हों जिसमें बड़े पैमाने पर आयातित सामग्री का उपयोग किया गया हो, को छोड़कर, सभी के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया।

(ii) बड़ी कम्पनियों द्वारा क्षमता विस्तार अथवा विशाखन करने के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त करने हेतु एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम०आर०टी०पी०) अधिनियम को संशोधित किया गया।

(iii) सभी नयी परियोजनाओं के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों की अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया गया।

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों को कम करके उन 8 क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया जो समरनीति और सुरक्षा सम्बन्धी मामले से सम्बन्धित हैं तथा प्राथमिक एवं मूलभूत उद्योगों में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी के लिए अनुमति दी गई।

(v) दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले 23 नगरों को छोड़कर, परियोजनाओं के स्थान के लिए सरकार से अनुमति प्राप्त करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।

(vi) अनिवार्य संपरिवर्तनीय खण्ड, जिसके अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों को दीर्घकालीन ऋण के एक भाग को नई परियोजनाओं के लिए इक्विटी में संपरिवर्तित करने की सुविधा दी गई थी, को अगस्त, 1991 से समाप्त कर दिया गया।

(vii) रुग्ण एवं अव्यवहार्य उद्यमों के कामगारों को सुरक्षा कवच प्रदान करने तथा उनको पुनः प्रशिक्षित एवं पुनः नियोजित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उद्योग में प्रौद्योगिकी परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की लागत का वहन मजदूरों को न करना पड़े, 200 करोड़ रुपये की राशि से एक राष्ट्रीय नवीकरण कोष स्थापित किया गया है।

1.20 औद्योगिक नीतियों में सुधार के साथ-साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आगम को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये :—

(i) प्राथमिकता वाले विविध उद्योगों में विदेशी इक्विटी धारिता की सीमा 40% से बढ़ाकर 51% कर दी गई। ऐसी विदेशी इक्विटी भागीदारी को अब भारतीय रिजर्व बैंक का स्वतः अनुमोदन प्राप्त है।

(ii) गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों में निवेश की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बना दिया गया है। बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय फर्मों से समझौता करने तथा इस सम्बन्ध में अपेक्षित अनुमति शीघ्र प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ० आई० पी० बी०) की स्थापना की गई। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड 51% से अधिक विदेशी इक्विटी भागीदारी वाले अलग-अलग मामलों पर भी विचार करता है।

(iii) प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी आयात, अन्तर्देशीय बिक्री के 5% तक तथा निर्यात बिक्री के 8% तक अथवा एक करोड़ रुपये तक की एक मुश्त राशि के भुगतान हेतु रायल्टी की अदायगी स्वतः अनुमोदित मानी जाएगी।

1.21 सरकार द्वारा अगस्त, 1991 में लघु, अति-लघु एवं ग्रामीण उद्यमों के उन्नयन एवं उन्हें सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण कदम उठाये गये, जो इस प्रकार हैं :—

(i) अति लघु इकाइयों के सम्बन्ध में संयंत्र एवं मशीनरी पर निवेश की सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया।

(ii) इन उद्योगों की, पूंजी बाजार तक पहुंच की व्यवस्था करने तथा आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लघु उद्योगों की कुल शेयरधारिता की 24% तक की इक्विटी भागीदारी के लिए अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गई।

(iii) लघु क्षेत्र के लिए जोखिम पूंजी की मात्रा में वृद्धि के लिए एक लिमिटेड भागीदारी अधिनियम पेश किया जाएगा।

(iv) लघु उद्योगों को किए जाने वाले भुगतान में विलम्ब की समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के माध्यम से फेक्टरिंग सर्विसिज की स्थापना की जाएगी।

(v) 10 लाख रुपये तक की परियोजनाओं को 15% तक इक्विटी सहायता के लिए राष्ट्रीय इक्विटी कोष योजना के दायरे को विस्तृत किया गया।

(vi) सिंगल विण्डो ऋण योजना को व्यापक बनाया गया ताकि इसके अन्तर्गत 10 लाख रुपये तक की कार्यशील पूंजी वाली 20 लाख रुपये की परियोजनाओं को भी शामिल किया जा सके।

(vii) राज्य वित्तीय निगमों एवं राज्य लघु उद्योग विकास निगमों के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले मिश्रित ऋण व्यावसायिक बैंकों द्वारा भी दिए जाने की व्यवस्था की गई।

व्यापार-नीति

1.22 विदेश व्यापार पर नियमनों एवं लाइसेंस नियंत्रण की मात्रा को कम करने के साथ-साथ निर्यात में वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से व्यापार नीति में नई पहल कदमियां की गई। 4 जुलाई, 1991 को व्यापार नीति में किए गए महत्वपूर्ण सुधार निम्नानुसार हैं :—

(i) रिप्लेनिशमेंट लाइसेंसों के स्थान पर एक्जिम स्क्रिप्स नामक एक नया प्रलोभ शुरू किया गया और उसे निर्यात के मूल्य के आधार पर अथवा निर्यात से हुई निवल विदेशी मुद्रा अर्जन के आधार पर, कुछ ऐसे विशेष उत्पादों को छोड़कर जो कि अतिरिक्त 10% बिन्दुओं की श्रेणी में आते हैं, पोस पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 30% की मूल दर पर जारी किया गया। एक्जिम स्क्रिप्स को मुक्त रूप में बेचा-खरीदा जाना था तथा इन्हें, निर्यात बिक्री की वसूली के बाद ही जारी किया जाना था। (रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता लागू करने के साथ एक्जिम स्क्रिप को पहली मार्च, 1992 से वापस ले लिया गया।)

(ii) ड्यूटी मुक्त दरों पर निर्यातकों द्वारा आयातित सामग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से निर्यात हेतु अग्रिम लाइसेंस प्रणाली को सुगम बनाया गया। कुछ विशिष्ट प्रभाव क्षेत्रों जैसे वस्त्र, चमड़े की वस्तुएं और इंजीनियरिंग उद्योगों के मामले में सामान्य मुद्रा क्षेत्र को निर्यात हेतु हस्तान्तरणीय अग्रिम लाइसेंस सम्बन्धी एक नई प्रणाली लागू की गई।

(iii) जिन मामलों में पूंजीगत माल का आयात विदेशी इक्विटी के अन्तर्गत हो अथवा वे संयंत्र एवं उपकरण के मूल्य के 25% परन्तु 2 करोड़ रुपये की सीमा के अन्दर हों, वहां पूंजीगत माल के आयात के लिए अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया।

(iv) एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (ई०पी०जेड) तथा शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयां सम्बन्धी योजना को, ई० पी० जेड के विकास आयुक्त को और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करके सुदृढ़ बनाया गया।

(v) आयात एवं निर्यात की जाने वाली अनेकों ऐसी मदें जो कि विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र की एजेन्सियों के माध्यम से आयातित निर्यातित होती थीं उन्हें अब इस व्यवस्था से मुक्त कर दिया गया।

(vi) निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयोजन हेतु 51% की विदेशी इक्विटी से व्यापार केन्द्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

(vii) निर्यातकों को, अनुमोदित बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते खोलने तथा विदेशी ऋण जुटाने, ऐसे खातों से निर्यात सम्बन्धी आयातों हेतु भुगतान और ऐसे खातों में निर्यात से हुई बिक्री को जमा करने की अनुमति दी गई।

राजकोषीय सुधार

1.23 1991-92 में राजकोषीय प्रबन्ध का केन्द्र-बिन्दु देश के समक्ष विद्यमान अभूतपूर्व राजकोषीय संकट की चुनौतियों का सामना करना था। केन्द्र सरकार का 1991-92 का बजट राजकोषीय असंतुलन को ठीक करने की दिशा में अनिवार्य रूप से पहला कदम था। बजट में राजकोषीय घाटे को 1990-91 के संशोधित प्राक्कलन में सकल घरेलू उत्पाद के 8.4% से कम करके उसे 1991-92 में 6.5% से अधिक न होने देने का प्रावधान किया गया। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने, राजस्व में वृद्धि करने, कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों के हिस्से में कमी की प्रवृत्ति को रोकने, विशिष्ट खपत को रोकने, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने, औद्योगिक क्षेत्रों, विशेषकर निर्यातोन्मुख उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को बेहतर बनाने के लिए उपाय किये गये। कुछ नीतिगत महत्वपूर्ण उपायों में उर्वरक उप सहायता में कमी करना, निर्यात हेतु नकद प्रतिपूरक सहायता को समाप्त करना, कुछ चुने हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 20% सरकारी इक्विटी को विनिवेशित करके म्युचुअल फंड्स को सौंपना, मोटर स्पिरिट की कीमतों में 20% की वृद्धि करना और दरों में समायोजन करना आदि शामिल हैं।

सरकारी क्षेत्र में सुधार

1.24 1990-91 में सरकारी क्षेत्र के काम-काज की स्थिति में तेजी से गिरावट आई तथा समस्त गैर विभागीय केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निवल लाभ (कर-पश्चात) जो कि 1989-90 में 3,789 करोड़ रुपए तक था, घटकर 2,368 करोड़ रुपए रह गया। चूंकि 1991-92 के दौरान भी काम-काज की स्थिति खराब ही रही अतः यह आवश्यक हो गया कि उत्पादकता और लाभप्रदता में महत्वपूर्ण सुधार लाया जाए। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता कम कर दी गयी तथा उनसे कहा गया कि वे अपने परिचालनों में वित्तीय अनुशासन बनाये रखें।

1.25 वर्ष के दौरान, सरकार ने विकास के लिए गैर-मुद्रास्फीतिय वित्त जुटाने के उद्देश्य से सरकारी वित्तीय संस्थानों और पारस्परिक निधियों के माध्यम से सरकारी क्षेत्र की इक्विटी के एक हिस्से को आम जनता के बीच सीमित रूप से विनिवेशित किया। इस बात को स्वीकार करते हुए कि सरकारी क्षेत्र की अनेक इकाइयों की गम्भीर समस्या उनकी रुग्णता है, सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 को संशोधित किया ताकि इसके अधिकार क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की इकाइयां भी आ जाएं।

वित्तीय नीति

1.26 वित्तीय क्षेत्र हमारे आर्थिक क्रियाकलापों का केन्द्र बिन्दु है और इसके स्वास्थ्य से सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। 14 अगस्त, 1991 को श्री एम० नरसिम्हम् की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा इसके कामकाज की समीक्षा की गई। इस समिति ने

एक समेकित पैकेज की सिफारिश की है जिसका उद्देश्य पोर्टफोलियो गुणवत्ता में सुधार लाने, परिचालन में अधिकाधिक लचीलापन लाने, कामकाज में स्वायत्तता प्रदान करने और विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ वित्तीय सेवा उद्योग में कार्य-क्षमता, प्रतिस्पर्द्धा उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाना है। वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य में सुधार के लिए समिति द्वारा सुझाए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

— मृदुल आर्थिक स्थिरता के अनुकूल स्तर तक राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार के निर्णय के अनुरूप सांविधिक नकदी निधि अनुपात (एस० एल० आर०) में कमी-एस० एल० आर० को पांच वर्षों की अवधि के दौरान क्रमबद्ध रूप से कम करके 25% कर दिया जाए;

— प्रारक्षित नकदी अनुपात (सी० आर० आर०) में कमी;

— ब्याज दर की संरचना को युक्तिसंगत बनाना तथा सरकारी उधारों के लिए बाजार निर्धारित दरों को क्रमिक रूप से स्वीकार करना;

— पूंजी की पर्याप्तता, आय की मान्यता, लेखांकन एवं वित्तीय प्रावधान सम्बन्धी नीतियों के मानदण्डों का अनुपालन;

— परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण निधि स्थापित करके बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के तुलन पत्रों को सुस्पष्ट बनाने के लिए संस्थानात्मक व्यवस्था;

— बैंकिंग प्रणाली की संरचना को चार स्तरीय व्यापक पद्धति अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, राष्ट्रीय बैंक, स्थानीय बैंक तथा ग्रामीण बैंक के रूप में विकसित किया जाए;

— भविष्य में बैंकों का राष्ट्रीयकरण न किया जाए और न ही निजी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना पर कोई रोक लगाई जाए;

— न्यूनतम निर्धारित पूंजी और पारस्परिकता की अपेक्षाओं को बरकरार रखने की शर्त के अधीन विदेशी बैंकों से सम्बन्धित नीति को और अधिक उदार बनाया जाए।

मुद्रा एवं ऋण नीति

1.27 वर्ष के दौरान, मुद्रा एवं ऋण सम्बन्धी नीति उच्च मुद्रास्फीति एवं भुगतान-संतुलन की कठिन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित की गई। आयात को नियंत्रित करने तथा अर्थव्यवस्था की कुल मांग में कमी लाने के प्रयासों में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 1991-92 की प्रथम छमाही में मुद्रा सम्बन्धी उपायों का एक नया पैकेज प्रारम्भ किया। दिनांक 3 जुलाई, 1991 से बैंक दर में एक प्रतिशत की वृद्धि कर के उसे 10% से 11% कर दिया गया। तदनुरूप, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए जाने वाले ऋणों की अन्य सभी दरों को भी, जो कि विशेष रूप से बैंक दर से जुड़ी हैं; जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, एक प्रतिशत बिन्दु तक बढ़ा दिया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक अपने उधार परिचालनों का वित्तपोषण अपने संसाधनों से ही करें तथा उन्हें वैकल्पिक बचत उपकरणों के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धा के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से, 4 जुलाई, 1991 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सावधि निक्षेप दरों में समग्र रूप से एक प्रतिशत बिन्दु की वृद्धि की गई। इसके अतिरिक्त दो लाख रुपए की सीमा से अधिक की उधार दरों को बढ़ाकर 17% (न्यूनतम) से 18.5% (न्यूनतम) कर दिया गया। मुद्रा बाजार को उदार बनाने के उपायों में बैंकों द्वारा निक्षेप प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रतिशत सीमा को बैंकों के कुल निक्षेप के 3% से बढ़ाकर 5% करना शामिल है। वाणिज्यिक पत्र (सी० पी०) जारी करने से सम्बन्धित दिशानिर्देशों को भी उदार बनाया गया।

1.28 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1991-92 की अन्तिम छमाही के व्यस्त दौर में घोषित ऋण नीति में बैंक दर 11% से बढ़ाकर 12% कर दी गई जिसके फलस्वरूप 9 अक्तूबर, 1991 से समग्र रूप से उधार दरें 1.5% तक बढ़ा दी गई जो कि दीर्घकालीन ऋणों एवं कार्यशील पूंजी दोनों के लिए पहले लागू 10% से 18.5% के मुकाबले न्यूनतम 11.5% से 20% (ब्याजकर को छोड़कर) के बीच कर दी गई। 24 माह तक की अवधि के सावधि निक्षेपों पर ब्याज दरें और अधिक बढ़ा दी गई तथा लदान-पूर्व एवं लदान-पश्च उधार पर ब्याज दर को भी बढ़ा दिया गया। 9 अक्तूबर, 1991 से खाद्य ऋण के पुनर्वित्तपोषण की सुविधाएं, वैकल्पिक वित्तपोषण, 182 दिनों के खजाना बिल पुनर्वित्तपोषण और विवेकानुसार पुनर्वित्तपोषण सुविधाएं समाप्त कर दी गई। उपभोक्ता वस्तुओं, भू-सम्पदाओं, शेयरों एवं डिबेन्चरों पर अग्रिमों और गैर अग्रता क्षेत्र वाले अन्य व्यक्तिगत ऋणों हेतु उधार पर भी पाबन्दी लगा दी गई।

1.29 1991-92 में लागू उधार नियंत्रण के अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं—(क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निवल मांग एवं सावधि देयताओं की वृद्धि पर 3 मई, 1991 की स्थिति से 10% वृद्धि शील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात निर्धारित करना, (ख) 9 मई से 30 सितम्बर, 1991 तक एक करोड़ रुपए तथा उससे अधिक राशि उधार लेने वाले बड़े ऋणियों की प्रभावी आहरण शक्ति को परिसीमित करना तथा (ग) संवेदनशील मूल्य वाली आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल/धान, कपास एवं दालों के लिए बैंक अग्रिमों के कतिपय ऋण नियंत्रणों के दायरे को विस्तृत/कम करना। मार्च-अप्रैल, 1991 में आयात के लिए बैंक से प्राप्त बिल पर निर्धारित न्यूनतम नकद मार्जिन की उच्चतर सीमा में, विदेशी मुद्रा भण्डार में क्रमिक सुधार होने तथा आवश्यक आयातों के लिए निर्यातकों की सहायता के उद्देश्य से, कमी आई।

1.30 1991-92 की प्रथम छमाही में अपनाई गई भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति के फलस्वरूप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निवल मांग एवं सावधि देयताओं के सांविधिक नकदी निधि अनुपात (एस० एल० आर०) तथा प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सी० आर० आर०) क्रमशः 38.5% एवं 15% पर अपरिवर्तित रहे। केन्द्र सरकार के सकल राजकोषीय घाटे में प्रत्याशित गिरावट को देखते हुए तथा नरसिम्हम् समिति की सिफारिशों (ऊपर पैरा 1.26 में उल्लिखित) को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया कि दिनांक 3 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार बकाया निवल मांग एवं सावधि देयताओं (अनिवासी देयताओं को छोड़कर) के स्तर तक सांविधिक नकदी निधि अनुपात 38.5% पर स्थिर रहेगा तथा निवल मांग एवं सावधि देयताओं में 3 अप्रैल, 1992 के स्तर से अधिक होने पर सांविधिक नकदी निधि अनुपात 30% होगा। अनिवासी देयताओं के सम्बन्ध में 30% का सांविधिक नकदी निधि अनुपात अपरिवर्तित रहेगा।

1.31 भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होने तथा मुद्रास्फीति के दबावों में कमी के संकेत को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने दो लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमाओं पर 2 मार्च, 1992 से उधार-दर में एक प्रतिशत बिन्दु की कमी करके उसे 20% (न्यूनतम) से 19% (न्यूनतम) करने का निर्णय लिया। इसके अलावा अमरीकी डालर की ब्याज दरों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि 2 मार्च, 1992 से निर्यातकों को 6.5% (पहले के 8.5% के स्थान पर) की दर से लदान-पश्च निर्यात उधार अमरीकी डालरों में प्रदान किया जाएगा तथा बैंकों को 7.5% (पहले के 9.5% के स्थान पर) 133⅓% तक पुनर्वित्तपोषण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

पर्यावरण सम्बन्धी नीति

1.32 कतिपय विकासात्मक गतिविधियों के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर भू-क्षरण, जल एवं वायु प्रदूषण के कारण पर्यावरण के अपकर्षण से वातावरण पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ये न केवल वनों, वनस्पतियों, आर्द्र भूमि, नदियों, झीलों इत्यादि को ही नष्ट कर रहे थे, बल्कि पशुओं और मानव दोनों प्रकार के प्राणियों के स्वास्थ्य एवं अस्तित्व को भी प्रभावित कर रहे थे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति बढ़ती जागरूकता को ध्यान में रखते हुए नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और विद्यमान इकाइयों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण सहित समस्त विकासात्मक कार्यों के लिए अनिवार्यत: पर्यावरण सम्बन्धी अनुमोदन की आवश्यकता होगी जो कि पहले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, पन बिजली एवं ताप बिजली परियोजनाओं और कुछेक जोखिमपूर्ण उद्योगों के लिए अपेक्षित था।

1.33 जल एवं वायु संरक्षण अधिनियमों तथा जोखिमपूर्ण अपशिष्ट संचालन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सभी उद्योगों के लिए पर्यावरणीय अंकेक्षण को अनिवार्य बना दिया गया है। वर्ष 1993 से, प्रत्येक औद्योगिक इकाई द्वारा 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु पर्यावरणीय अंकेक्षण रिपोर्ट, प्रतिवर्ष 15 मई को या उससे पूर्व सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(घ) निवेश वातावरण

1.34 निवेश वातावरण उत्साहवर्धक बना रहा। आशय पत्रों, एस० आई० ए० पंजीकरणों, डी० जी० टी० डी० पंजीकरणों और औद्योगिक उद्यम ज्ञापन भरने की संशोधित पद्धति से यह पता चलता है कि अप्रैल से दिसम्बर, 1991 के दौरान निवेश के लिए इच्छुक आवेदकों की कुल संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2,763 की तुलना में बढ़कर 4,699 हो गई। अप्रैल से दिसम्बर, 1991 के दौरान गैर-सरकारी कम्पनियों को अनुमोदित 7,309 करोड़ रुपए के नये पूंजी निर्गम पिछले वर्ष की इसी अवधि में 4,604 करोड़ रुपए की तुलना में 59% अधिक रहे। वास्तविक निर्गम भी 44% बढ़ गए जो कि औद्योगिक उत्पादन में मंदी के रुख के बावजूद पूंजी बाजार के प्रति उच्च आशावादी दृष्टिकोण के द्योतक हैं। पूंजीगत माल (मुख्य) समिति द्वारा 1991-92 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान पूंजीगत माल के आयात हेतु दिए गए कुल अनुमोदनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि में दिए गए अनुमोदनों के मूल्य की तुलना में 14.4% की वृद्धि परिलक्षित हुई।

1.35 कैलेण्डर वर्ष 1991 के दौरान अनुमोदित 534.11 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश कुल मिलाकर 1990 में अनुमोदित 128.32 करोड़ रुपए के निवेशों से चार गुणा अधिक थे। अगस्त से दिसम्बर, 1991 की अवधि के दौरान मंजूर 412.79 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश, 1990 की इसी अवधि में अनुमोदित 45 करोड़ रुपए से नौ गुणा अधिक थे। नीति-पश्च अवधि के दौरान अनुमोदित विदेशी सहयोग की कुल संख्या 634 थी जबकि 1990 की इसी अवधि में यह संख्या 239 थी।

1.36 सेण्टर फार मॉनिटरिंग इण्डियन इकॉनामी (सी० एम० आई० ई०) द्वारा किए गए वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 2600 परियोजनाओं के लिए कुल 3,93,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। उद्योगवार खनन एवं विनिर्माण क्षेत्रों में कुल 2,44,382 करोड़ रुपए के निवेश में से 31,680 करोड़ रुपए अर्थात् 13% खनन परियोजनाओं के लिए तथा शेष 2,12,702 करोड़ रुपए अर्थात् 87% विनिर्माण परियोजनाओं हेतु है।

(ङ) पूंजी बाजार

1.37 अप्रैल-दिसम्बर, 1991 में पूंजी बाजार ने काफी अच्छा कार्य किया। इस अवधि के दौरान, नये पूंजी निर्गमों के लिए प्रदान किए गए अनुमोदन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कुल मिलाकर 33% अधिक रहे। नये पूंजी निर्गमों की एक उल्लेखनीय विशेषता यह रही कि पोर्टफोलियो संयोजन में डिबेन्चरों के पक्ष में प्रत्यक्ष बदलाव दृष्टिगोचर हुआ। इस अवधि के दौरान गैर-सरकारी कम्पनियों को अनुमोदित नये निर्गमों में डिबेन्चरों का अंश, पिछले वर्ष की इसी अवधि के 56% की तुलना में 65% रहा। जनवरी तथा फरवरी 1992 में स्टॉक एक्सचेंजों में बजट पूर्व असामान्य उछाल के कारण मार्च, 1992 के दौरान खरीदारी उन्मादपूर्ण स्थिति तक पहुंच गई। अत: 1992 की पहली तिमाही के दौरान इकॉनामिक टाइम्स साधारण शेयर मूल्य सूचकांक में 105% की वृद्धि हुई। इन व्यापारिक स्थितियों में बहुत से स्क्रिप्स के मूल्य-यहां तक कि घाटा उठा रही अनेक कम्पनियों के स्क्रिप्स के मूल्य भी अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गए और इनमें अधिकांश में सिर्फ वृद्धि ही हुई। वर्ष, 1991-92 में पूरे वर्ष के दौरान कुल पूंजी निर्गम 13,193 करोड़ रुपए (अनन्तिम) के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया, जो कि वर्ष 1990-91 के दौरान 9,687 करोड़ रुपए की तुलना में 36% अधिक है जिसमें वर्ष 1991-92 के पूंजी निर्गमों में केन्द्र सरकार के उपक्रमों द्वारा पारस्परिक निधियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों आदि को निजी रूप से आबंटित किए गए 5,722 करोड़ रुपए के बांड भी शामिल हैं। मार्च 1992 के अन्त की स्थिति के अनुसार 317 कम्पनियों का दृढ़ निश्चय है कि वे निकट भविष्य में पूंजी बाजार में प्रवेश करके लगभग 10,581 करोड़ रुपए के शेयर एवं डिबेन्चर जारी करेंगी।

1.38 वर्ष के दौरान, भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने पूंजी बाजार के बारे में महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय किए, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

— निजी एवं संयुक्त क्षेत्रों में पारस्परिक निधियों को प्रारम्भ करने की अनुमति दी गई;

— भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पोर्टफोलियो निवेश योजना के अधीन अनिवासी भारतीयों एवं विदेशी निगमित निकायों द्वारा भारतीय कम्पनियों के शेयरों/डिबेन्चरों के अधिग्रहण की सीमा 5% से बढ़ाकर 24% कर दी गई;

— भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड को सांविधिक निकाय बनाया गया तथा प्रतिभूतियों में निवेशकों की सुरक्षा, पूंजी बाजार के विकास में संवर्धन तथा स्टॉक एक्सचेंजों के कार्यों को नियंत्रित करने की शक्तियां प्रदान की गई;

— निवेशक सुरक्षा के उपाय के रूप में स्टॉक एक्सचेंजों को उप-दलालों के पंजीकरण की योजना आरम्भ करने के निदेश दिए गए;

— सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा छमाही आधार पर अधिकाधिक वित्तीय सूचनाएं प्रदान करने के लिए सूचीकरण करार में संशोधन किया गया;

— सूचीबद्ध शेयरों की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज विभिन्न एक्सचेंजों में "मार्किट मेकर्स" योजना तैयार करेंगे;

— कर-मुक्त बांडों को छोड़कर अन्य डिबेन्चरों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों पर ब्याज दर पर लगे सभी प्रतिबन्ध हटा दिए गए। उपर्युक्त प्रलेखों पर ब्याज दर, ब्याज की आन्तरिक शक्तियों द्वारा स्वयं तय की जाएगी, लेकिन कम्पनियों को ऐसे प्रलेख जारी करने से पूर्व साख-निर्धारण करवाना होगा;

— सार्वजनिक निर्गमों के आवेदन पत्र के प्रविवरण प्रपत्र को संशोधित किया गया और प्रविवरण प्रपत्र की मुख्य विशेषताओं से सम्बन्धित एक ज्ञापन तैयार किया गया;

— निवेशकों के नए पूंजी निर्गमों में आवेदन राशि के रूप में इस्तेमाल के लिए "स्टॉक इन्वेस्ट" नामक एक नवीन वित्तीय प्रलेख शुरू किया गया।

1.39 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा (स्व०) श्री एम० जे० फेरवानी की अध्यक्षता में नए स्टॉक एक्सचेंजों की स्थापना के लिए नीति निर्धारित करने हेतु एक अध्ययन समूह का गठन किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज मार्किट पद्धति, सैण्ट्रल डिपॉजिटरी ट्रस्ट फॉर सिक्यूरिटीज़ तथा विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में हुए लेन-देन के सम्बन्ध में नेशनल क्लियरिंग एण्ड सैटलमेंट सिस्टम्स की स्थापना के अतिरिक्त न्यू बम्बई में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की सिफारिश की गई। इस अध्ययन समूह की सिफारिशों को सरकार ने सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है।

(ख) विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन

1.40 भारत के विदेश व्यापार को वर्ष 1991-92 के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था में बृहत आर्थिक असन्तुलन एवं विश्वव्यापी प्रतिकूल आर्थिक परिदृश्य के कारण कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा। अप्रैल-जनवरी 1991-92 के दौरान सामान्य मुद्रा क्षेत्र में निर्यात का स्तर पिछले वर्ष की इसी अवधि के 12,089 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 12,780 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जिससे 5.72% की वृद्धि परिलक्षित हुई। रुपए के मामले में भी वर्ष 1990-91 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान सामान्य मुद्रा क्षेत्र के निर्यात 21,427 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1991-92 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान 30,914 करोड़ रुपए हो गए जिससे इसमें 44.28% की वृद्धि हुई। रुपया भुगतान क्षेत्र (आरपीए) में निर्यात, जो अप्रैल-मई, 1991 और अप्रैल-जून, 1991 में वर्ष 1990 की इसी अवधि की तुलना में क्रमश: 50.43% और 49.50% (दोनों डॉलर मुद्रा में) कम थे, वर्ष 1991-92 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान 1990-91 की इसी अवधि की तुलना में डॉलर में 42.33% और रुपयों में 21.29% कम रहे। दूसरी ओर 1990-91 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान, आयात 20,249 मिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर से घटकर 1991-92 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान 15,929 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया जिससे इसमें 21.34% की कमी परिलक्षित हुई। वर्ष 1991-92 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान व्यापार घाटा, पिछले वर्ष की इसी अवधि के 1,628 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा 3,906 करोड़ रुपए की तुलना में 1,583 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा 3,831 करोड़ रुपए के स्तर से काफी कम रहा। वस्तुत: जनवरी, 1992 में निर्यात, आयात से थोड़ा ही अधिक रहा। जुलाई, 1991 से सरकार द्वारा किए गए नवीन प्रयासों से यह आशा है कि मध्यम से दीर्घ अवधि में निर्यात के सतत उच्च विकास के लिए आधार तैयार होगा।

1.41 चालू खाते में अत्यधिक घाटे और अनिवासी निक्षेपों एवं वाणिज्यिक उधारों में आई गिरावट के कारण भुगतान संतुलन के लिए अत्यन्त आवश्यक सहायता अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से तथा विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक व द्विपक्षीय दानकर्ताओं, विशेषकर जापान से शीघ्र संवितरण वाले ऋणों के रूप में प्राप्त हुई। विदेशी मुद्रा रिज़र्व (स्वर्ण व एसडीआर को छोड़कर), जो कि मार्च, 1991 के अन्त में 2,236 मिलियन अमरीकी डॉलर से कम होकर अगस्त, 1991 में 1,141 मिलियन अमरीकी डॉलर रह गया था, मार्च, 1992 के अन्त में बढ़कर 5,662 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

(ग) मूल्य स्थिति

1.42 समीक्षाधीन पूरे वर्ष में मूल्य स्थिति पर निरन्तर दबाव बना रहा। वर्ष के दौरान (15 फरवरी, 1992 तक), थोक मूल्य सूचकांक में 12.0% की वृद्धि हुई, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में रिकार्ड की गई वृद्धि के लगभग समान ही थी। वर्ष के दौरान (दिसम्बर, 1991 तक) औद्योगिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 11.9% की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 12.4% की वृद्धि हुई थी। मुद्रास्फीति पर निर्मित दबाव का एक मुख्य कारण, कई वर्षों से बड़े पैमाने पर निरन्तर राजकोषीय घाटा एवं मांग-वृद्धि है, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा आपूर्ति एवं नकद धन में अत्यधिक वृद्धि हुई। आपूर्ति सम्बन्धी कुछ कारणों से भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति दबाव में वृद्धि हुई।

संभावनाएं (1992-93)

1.43 नई पंचवर्षीय निर्यात-आयात नीति (1992—97) ने निषेधात्मक सूची को छोड़कर सभी मदों के मुक्त आयात की अनुमति देकर अलौह धातुओं सहित कच्चे माल की अनेक मदों को असरणीबद्ध करके तथा इसके अतिरिक्त निर्यात देयताओं के बदले पूंजीगत माल के आयात में छूट देकर उदारीकरण को और अधिक बढ़ावा दिया है। नई नीति की अन्य विशेषताएं हैं :—अग्रिम लाइसेंसों के अधीन शुल्क-मुक्त आयात के क्षेत्र को व्यापक बनाना, विहित निर्यात के लिए विशेष लाभ तथा 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों एवं मुक्त व्यापार तथा निर्यात संसाधित क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को अधिकाधिक प्रोत्साहन देना।

1.44 अर्थव्यवस्था में पहले ही से आरम्भ किए गए नीतिगत वार्षिक उपायों के अनुक्रम में 1992-93 के केन्द्रीय बजट में अर्थव्यवस्था को और अधिक उदार बनाने एवं उसमें खुलापन लाने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। चालू खाते में रुपए को आंशिक परिवर्तनीय (निर्यात आय का 60%) बनाया गया तथा एक्सिज़म स्क्रिप सुविधा समाप्त कर दी गई। अन्य प्रस्तावों में, बैंकों के वृद्धिशील निक्षेपों के लिए सांविधिक नकदी निधि अनुपात को 38.5% से घटाकर 30% करना, वाणिज्यिक अग्रिमों की ब्याज दर के न्यूनतम स्तर में 1% बिन्दु तक कमी करना, निजी क्षेत्र एवं संयुक्त क्षेत्र की पारस्परिक निधियों को आयकर से छूट देना, प्रीमियम निर्धारित करने सहित पूंजी निर्गमों पर लगे सरकारी नियंत्रण को समाप्त करना, पूंजीगत लाभ के कराधान की पुन: संरचना, शेयरों एवं डिबेन्चरों पर सम्पत्ति कर से छूट, राष्ट्रीय नवीकरण कोष हेतु विदेशी सहायता एजेन्सियों से 1,000 करोड़ रुपए के प्रावधान, आदि शामिल हैं।

1.45 मुद्रा स्फीति का मुकाबला करने तथा निकट भविष्य में मूल्य स्थिरता लाने के लिए अर्थव्यवस्था की आन्तरिक शक्ति, इसकी स्थिर खाद्य अर्थव्यवस्था, उच्चतर औद्योगिक विकास संभावना, अवस्थापना सुविधाओं के क्षेत्र में और बेहतर कार्यों, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में वृद्धि, संरचनात्मक सुधारों के प्रत्याशित अनुकूल प्रभाव तथा समग्र उत्पादकता एवं आर्थिक विकास की उदार नीतियों और इससे भी अधिक आन्तरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में बृहत आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार के पक्के और दृढ़ निश्चय में निहित है।

1.46 सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का कार्यनिष्पादन शानदार रहा। इसके बावजूद, केन्द्र में तेजी से बदल रही राजनीतिक परिस्थितियों के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना आरम्भ न हो सकी। यह योजना पहली अप्रैल, 1992 को आरम्भ हुई तथा 1990-91 और 1991-92 को अलग-अलग वार्षिक योजनाओं के रूप में माना गया। आठवीं योजना के निदेशात्मक पत्र "आठवीं योजना के लक्ष्य, प्रतिबल एवं बृहत आयाम" में सकल घरेलू उत्पाद की 5.6% औसत वार्षिक विकास दर की संभावना व्यक्त की गई है जो उक्त योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की औसत बचत दर 21.6% करके, विदेशों से सकल घरेलू उत्पाद के 1.4% की सीमा तक पूंजी जुटाकर और निर्यात में 13.6% वृद्धि करके प्राप्त की जाएगी।

1.47 भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की शुरूआत हुई है। एक ओर भुगतान संतुलन की समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों और विकसित राष्ट्रों की उदार सहायता से सफलतापूर्वक निपटा लिया गया है तो दूसरी ओर आर्थिक व व्यापार नीतियों में हुए आमूल परिवर्तन और वित्तीय क्षेत्र के प्रस्तावित सुधार से विकास एवं व्यक्तिगत पहल को नवीन उत्साह मिलने की संभावना है। विश्व बैंक के अध्ययन "विश्वव्यापी आर्थिक संभावनाएं और विकासशील राष्ट्र" में यह संभावना उचित ही व्यक्त की गई है कि भारत, बृहत आर्थिक सुधारों पर सतत बल देने के कारण, वर्ष की अन्तिम छमाही में 5% की वृद्धि दर प्राप्त कर सकेगा। एशियाई विकास बैंक ने भी अपनी वार्षिक संभावना रिपोर्ट में वर्ष 1992-93 में भारत और इस क्षेत्र के कुछ अन्य राष्ट्रों के लिए अच्छी संभावनाओं का पूर्वानुमान किया है।

---

2. परिचालन संसाधन एवं कार्य परिणाम

(क) परिचालन

समग्र परिचालन

2.01 परिचालन सम्बन्धी कठिन परिस्थितियों के बावजूद वर्ष 1991-92 के दौरान, भाऔविनि पिछले वर्ष की मंजूरियों के लगभग समान स्तर बनाए रखने तथा पिछले वर्ष किए गए संवितरणों से भी अधिक संवितरण करने में समर्थ रहा। भाऔविनि की विभिन्न सहायता योजनाओं के अन्तर्गत 608 परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर 2,869.21 करोड़ रुपए की समग्र मंजूरियां दी गईं जबकि वर्ष 1990-91 में 960 परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई राशि 2,965.06 करोड़ रुपए थी। वर्ष 1990-91 में संवितरित 1,574.75 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 1991-92 के दौरान कुल मिलाकर 1,605.18 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया।

2.02 यद्यपि भाऔविनि की स्थापना के बाद से ही परियोजना वित्तपोषण इसके कारोबार का मूलाधार रहा है, तथापि वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में इसने अपना कार्यारम्भ वस्तुत: वर्ष 1986-87 में किया। परियोजना वित्तपोषण और वित्तीय सेवाओं, दोनों क्षेत्रों में वर्ष 1991-92 में मंजूर एवं संवितरित सहायता का योजना-वार विस्तृत वर्गीकरण एवं 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार बकाया पोर्टफोलियो सहित योजना-वार संचयी आंकड़ों की स्थिति सारणी-2 में दी गई है।

2.03 संचयी रूप से, भाऔविनि द्वारा मार्च, 1992 के अन्त तक इसकी विभिन्न योजनाओं के अधीन 4,167 परियोजनाओं को कुल 13,963.29 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। 31 मार्च, 1992 तक 8,650.57 करोड़ रुपए का समग्र संवितरण किया गया, जिसमें से नकद संवितरण, अर्थात गारंटियों को छोड़कर संवितरण की राशि 8,459.22 करोड़ रुपए थी। संवितरण की गई कुल सहायता राशि मंजूर की गई कुल सहायता राशि का लगभग 62.0% रही। 31 मार्च, 1992 तक की स्थिति के अनुसार ऋणियों द्वारा पुनर्भुगतान की जाने वाली कुल निवल राशि 7,395.36 करोड़ रुपए थी।

सारणी 2 : मंजूर एवं संवितरित सहायता का योजना-वार वर्गीकरण

(करोड़ रुपये)

वित्तपोषण योजना	1991-92 (अप्रैल-मार्च)			31 मार्च, 1992 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. **परियोजना वित्त**						
— परियोजनाओं से सम्बन्धित	430	2,061.28 (71.8%)	1,254.42 (78.2%)	3,818	11,392.87 (81.6%)	7,345.65 (84.9%)
उप जोड़ (I)	430	2,061.28 (71.8%)	1,254.42 (78.2%)	3,818	11,392.87 (81.6%)	7,345.65 (84.9%)
II. **वित्तीय सेवायें**						
— उपस्कर वित्त	75	376.87 (13.1%)	124.14 (7.7%)	341	888.93 (6.4%)	485.01 (5.6%)
— उपस्कर लीजिंग	9	85.50 (3.0%)	32.95 (2.1%)	97	374.56 (2.7%)	241.42 (2.8%)
— उपस्कर उपार्जन	—	—	2.10 (0.1%)	27	35.95 (0.3%)	26.25 (0.3%)
— उपस्कर उधार	80	171.84 (6.0%)	123.03 (7.7%)	192	490.99 (3.5%)	331.09 (3.8%)
— पुर्तिकार-उधार	8	41.25 (1.4%)	4.97 (0.3%)	69	390.37 (2.8%)	18.88 (0.2%)
— क्रेता-उधार	15	50.02 (1.8%)	12.93 (0.8%)	51	155.63 (1.1%)	48.91 (0.6%)
— लीजिंग एवं किराया खरीद-संस्थाओं को वित्त	20	77.75 (2.7%)	50.44 (3.1%)	72	229.29 (1.6%)	153.09 (1.8%)
— किस्त ऋण	2	4.70 (0.2%)	0.20 (-)	2	4.70 (-)	0.20 (-)
उप जोड़ (II)	209	807.93 (28.2%)	350.76 (21.8%)	851	2,570.42 (18.4%)	1,304.92 (15.1%)
कुल जोड़ (I+II)	639	2,869.21 (100.0)	1,605.18 (100.0)	4,669	13,963.29 (100.0)	8,650.57 (100.0)

टिप्पणी : (1) * वास्तविक सहायता-प्राप्त परियोजनाएं वर्ष 1991-92 की 608 और 31 मार्च 1992 तक 4,167 थीं। कुछ परियोजनाओं ने एक से अधिक योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त की है।

(2) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ प्रतिशत के द्योतक हैं।

उद्योग-वार सहायता

2.04 वर्ष 1991-92 के दौरान भाऔविनि द्वारा मंजूर सहायता का उद्योग-वार विवरण एवं 31 मार्च, 1992 तक के योजना-वार संचयी आंकड़े सारणी-3 में दिए गए हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान जिन उद्योगों को भाऔविनि से समग्रत: उल्लेखनीय सहायता प्राप्त हुई, वे हैं—वस्त्र (16.8%), लोहा एवं इस्पात (14.4%), कृत्रिम रेसिन्स एवं प्लास्टिक (8.3%), बिजली एवं गैस (8.1%), रसायन एवं रसायन उत्पादन (7.7%), इलैक्ट्रॉनिक्स (6.3%), कागज (5.8%), चीनी (3.4%), खाद्य उत्पाद (3.3%), मशीनरी एवं उपांग (3.1%), सीमेंट (3.1%) एवं अन्य (19.7%)। वर्ष के दौरान दी गई सहायता का एक उल्लेखनीय पहलू यह था कि वस्त्र उद्योग की 110 इकाइयों को सहायता प्रदान की गई जो संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक थी, इसके बाद की संख्यानुसार स्थिति इस प्रकार है :—रसायन एवं रसायन उत्पाद (65), लोहा एवं इस्पात (51), खाद्य उत्पाद (36), इलैक्ट्रॉनिक्स (34), चीनी (32), होटल एवं पर्यटन सम्बन्धी क्रियाकलाप (30), मशीनरी एवं उपांग (21), लीजिंग एवं किराया खरीद संस्थाएं (21), विविध अधातु खनिज उत्पाद (21), परिवहन उपस्कर (21), सीमेंट (18), कृत्रिम रेसिन्स एवं प्लास्टिक सामान (17), कागज एवं कागज उत्पाद (17), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (13), उर्वरक (10), बिजली मशीनरी एवं उपकरण (10), इत्यादि।

सारणी 3 : सहायता का उद्योग-वार विवरण

(करोड़ रुपये)

उद्योग	1991-92 (अप्रैल-मार्च)			31 मार्च, 1992 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि (रु०)	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि (रु०)	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चीनी						
—सहकारिताएं	12	27.36	0.9	230	408.40	2.9
— अन्य	20	72.05	2.5	110	281.79	2.0
विविध खाद्य उत्पाद	36	93.51	3.3	139	321.65	2.3
वस्त्र	110	481.02	16.8	755	1625.31	11.6
जूट	1	2.24	0.1	42	58.64	0.4
रसायन						
— मूल रसायन	38	121.65	4.2	210	702.01	5.0
— उर्वरक व कीटनाशक	10	64.72	2.3	80	613.97	4.4
— कृत्रिम रेशे	9	54.29	1.9	73	833.62	6.0
— कृत्रिम रेजिन्स, प्लास्टिक सामान एवं उत्पाद	17	238.03	8.3	133	784.26	5.6
— अन्य रसायन व रसायन उत्पाद	27	100.07	3.5	212	573.23	4.1
सीमेंट व सीमेंट उत्पाद	18	88.01	3.1	158	874.74	6.3
कागज व कागज उत्पाद	17	165.14	5.8	132	513.03	3.7
रबड़ उत्पाद	9	35.59	1.2	56	235.74	1.7
लोहा व इस्पात	51	413.13	14.4	277	1374.15	9.9
मशीनरी व उपांग	21	89.27	3.1	250	752.71	5.4
परिवहन उपस्कर व पुर्जे	21	37.85	1.3	167	513.03	3.7
इलेक्ट्रानिक्स	34	180.52	6.3	197	730.73	5.2
बिजली मशीनरी व उपस्कर	10	7.07	0.3	126	274.20	2.0
धातु उत्पाद	5	6.72	0.2	119	239.11	1.7
अलौह धातु	7	31.49	1.1	49	145.59	1.0
विविध अधातु खनिज उत्पाद	21	48.91	1.7	118	291.80	2.1
गैस व बिजली	6	232.20	8.1	29	537.42	3.9
होटल और पर्यटन सम्बन्धी क्रियाकलाप	30	48.48	1.7	152	279.26	2.0
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	13	27.22	0.9	33	88.49	0.6
मत्स्य पालन	1	6.03	0.2	2	17.51	0.1
खनन	5	17.24	0.6	37	140.02	1.0
लीजिंग	21	78.65	2.7	72	290.19	1.6
अन्य उद्योग	38	100.75	3.5	209	522.69	3.8
जोड़	608	2869.21	100.0	4167	13,963.29	100.0

2.05 उत्पादों के उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, वर्ष 1991-92 के दौरान मंजूर की गई सहायता एवं 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार संचयी सहायता का उद्योगवार विवरण सारणी-4 में दिया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1991-92 में भाऔविनि द्वारा पूंजीगत माल उद्योगों, मध्यवर्ती माल उद्योगों तथा सेवा उद्योगों में प्रदत्त सहायता में कोई वृद्धि परिलक्षित नहीं हुई। तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में, मूलभूत उद्योगों तथा उपभोक्ता माल उद्योगों को दी गई सहायता क्रमशः 15.1% तथा 44.5% अधिक रही।

सारणी 4 : उत्पादों के उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार सहायता का उद्योग-वार वितरण

(करोड़ रुपये)

उद्योग	1991-92 (अप्रैल-मार्च)			31 मार्च, 1992 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि (रु०)	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि (रु०)	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मूल उद्योग						
(अर्थात मूल धातु उद्योग, मूल औद्योगिक रसायन, उर्वरक, सीमेंट, खनन, शक्ति जनन, आदि)	135 (209)	968.44 (841.46)	33.8 (28.4)	840 (795)	4,387.90 (3,548.67)	31.4 (31.1)
पूंजी माल उद्योग						
(अर्थात मशीनरी व उपांग, बिजली मशीनरी और उपकरण, परिवहन उपस्कर, आदि)	86 (161)	314.71 (444.60)	11.0 (15.0)	740 (718)	2,270.67 (2,005.86)	16.3 (17.6)
मध्यवर्ती माल उद्योग						
(अर्थात रसायन उत्पाद, धातु उत्पाद, अधातु खनिज उत्पाद, पटसन, टायर एवं ट्यूब, आदि)	96 (183)	523.38 (877.04)	18.2 (29.6)	794 (773)	3,245.29 (2,822.92)	23.3 (24.7)
उपभोक्ता माल उद्योग						
(अर्थात चीनी, अन्य खाद्य उत्पाद, सूती/ऊनी वस्त्र, कागज और अन्य विविध उद्योग)	225 (312)	899.33 (622.36)	31.3 (21.0)	1,521 (1,424)	3,412.51 (2,549.48)	24.4 (22.3)
सेवा उद्योग						
(अर्थात होटल, चिकित्सा सेवाएं, जहाजरानी, आदि)	66 (95)	163.35 (179.60)	5.7 (6.0)	272 (248)	646.92 (496.03)	4.6 (4.3)
जोड़	608 (960)	2,869.21 (2,965.06)	100.0 (100.0)	4,167 (3,958)	13,963.29 (11,422.96)	100.0 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष 1990-91 और संचयी 31 मार्च, 1991 के हैं।

राज्य-वार सहायता

2.06 वर्ष 1991-92 में तथा 31 मार्च, 1992 तक संचयी आधार पर भाआवित्रि की सहायता का राज्य-वार ब्योरा सारणी-5 में दिया गया है। वर्ष के दौरान, मात्रा-वार आधार पर भाआवित्रि की सहायता में प्रथम छह स्थान महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु एवं मध्य प्रदेश राज्यों को प्राप्त हुए जबकि परियोजना के संख्या-वार प्रथम छह स्थान अवरोही क्रमानुसार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात एवं पंजाब को प्राप्त हुए।

2.07 भाआवित्रि की समग्रत: कुल मंजूर की गई सहायता पोर्टफोलियो में 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार संचयी रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य प्रथम पांच स्थानों पर बने रहे। इसके पश्चात क्रमानुसार मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा एवं उड़ीसा राज्यों का स्थान रहा।

सारणी 5 : सहायता का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार प्रसार

(करोड़ रुपये)

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	1991-92 (अप्रैल-मार्च)			31 मार्च, 1992 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि (रु०)	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि (रु०)	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आन्ध्र प्रदेश	64	144.53	5.0	391	1,237.60	8.9
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	1	0.16	—
असम	3	17.98	0.6	39	116.58	0.8
बिहार	2	6.38	0.2	85	193.11	1.4
गोवा	6	15.90	0.6	30	76.91	0.6
गुजरात	52	341.45	11.9	377	1.756.26	12.6
हरियाणा	29	80.44	2.8	187	449.64	3.2
हिमाचल प्रदेश	15	100.71	3.5	56	263.09	1.9
जम्मू-कश्मीर	1	9.02	0.3	21	40.67	0.3
कर्नाटक	25	80.90	2.8	257	580.22	4.2
केरल	10	16.97	0.6	100	167.93	1.2
मध्य-प्रदेश	35	184.26	6.4	197	803.68	5.7
महाराष्ट्र	93	436.16	15.2	729	2,500.88	17.9
मणिपुर	—	—	—	1	2.45	—
मेघालय	1	0.13	—	6	7.96	0.1
नागालैंड	—	—	—	4	2.60	—
उड़ीसा	10	40.39	1.4	79	370.88	2.7
पंजाब	38	136.68	4.8	203	720.13	5.2
राजस्थान	36	146.21	5.1	183	743.71	5.3
सिक्किम	1	0.06	—	3	2.96	—
तमिलनाडु	71	196.82	6.9	417	984.30	7.0
त्रिपुरा	—	—	—	3	4.41	—
उत्तर-प्रदेश	72	387.49	13.5	442	1,737.69	12.4
पश्चिम बंगाल	26	432.57	15.1	224	791.93	5.7
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	1	1.42	—
चंडीगढ़	2	1.27	0.1	7	16.61	0.1
दादरा एवं नगर हवेली	1	0.70	—	11	18.98	0.1
दमन एवं दीव	1	0.68	—	5	6.47	0.1
दिल्ली	13	87.34	3.0	75	292.88	2.1
पांडिचेरी	1	4.17	0.2	33	71.18	0.5
जोड़	608	2,869.21	100.0	4,167	1,3963.29	100.0

क्षेत्र-वार सहायता

2.08 अपने चार्टर के अनुसार, भाऔविनि या तो सहकारी या निगमित क्षेत्रों की औद्योगिक परियोजनाओं का वित्तपोषण कर सकता है। वर्ष 1991-92 में और संचयी आधार पर 31 मार्च, 1992 तक परियोजनाओं को मंजूर तथा संवितरित वित्तीय सहायता का क्षेत्र-वार वर्गीकरण सारणी-6 में दिया गया है।

2.09 1991-92 के दौरान सहकारी क्षेत्र की 29 परियोजनाओं को 76.74 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई जो कुल सहायता का 2.7% है। वर्ष के दौरान वित्तपोषित औद्योगिक सहकारिताओं में 12 चीनी सहकारिताएं, 7 वस्त्र सहकारिताएं, तथा मूलभूत औद्योगिकी रसायन और कागज एवं कागज उत्पाद से संबंधित 10 अन्य सहकारिताएं शामिल थीं।

सारणी 6 : मंजूर एवं संवितरित सहायता का क्षेत्र-वार वर्गीकरण

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	(1991-92) (अप्रैल-मार्च)			31 मार्च, 1992 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. सहकारी	29	76.74 (2.7%)	62.15 (3.9%)	360	714.68 (5.1%)	537.83 (6.2%)
उप जोड़ (I)	29	76.74 (2.7%)	62.15 (3.9%)	360	714.68 (5.1%)	537.83 (6.2%)
II. निगमित						
— निजी	519	2,316.44 (80.7%)	1,344.95 (83.8%)	3,174	10,673.27 (76.4%)	6,497.42 (75.1%)
— सरकारी	17	145.62 (5.1%)	40.36 (2.5%)	322	985.88 (7.1%)	641.55 (7.4%)
— संयुक्त	43	330.41 (11.5%)	157.72 (9.8%)	311	1,589.46 (11.4%)	973.77 (11.3%)
उप जोड़ (II)	579	2,792.47 (97.3%)	1,543.03 (96.1%)	3807	13,248.61 (94.9%)	8,112.74 (93.8%)
कुल जोड़ (I + II)	608	2,869.21 (100.0)	1,605.18 (100.0)	4167	13,963.29 (100.0)	8,650.7 (100.0%)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिये गये आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक है।

2.10 31 मार्च, 1992 तक भाऔविनि ने संचयी आधार पर 360 औद्योगिक सहकारिताओं को 714.68 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की, जिसमें से 537.83 करोड़ रुपए की सहायता पहले ही संवितरित की जा चुकी थी। यद्यपि पिछले वर्षों की भांति महाराष्ट्र का स्थान ही सर्वोपरि रहा, तथापि, भाऔविनि के लिए यह संतोष का विषय है कि सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को निगम द्वारा दिए गए प्रोत्साहन और प्राथमिकता के कारण लगभग सभी राज्यों में सहकारिता आन्दोलन में गतिशीलता आई है। जिन 360 औद्योगिक सहकारिताओं को सहायता मंजूर की गई उनमें से 230 चीनी सहकारिताएं, 101 वस्त्र सहकारिताएं तथा 29 अन्य विविध सहकारिताएं हैं।

2.11 निगमित क्षेत्र में निजी क्षेत्र, इसे प्रदत्त विशेष दायित्व के कारण भाऔविनि से मिलने वाली वित्तीय सहायता का सबसे बड़ा लाभ भोगी रहा है तथा निजी क्षेत्र की 519 परियोजनाओं के लिए उसे 2,316.44 करोड़ रुपए (कुल 80.7%) की सहायता प्रदान की गई। वर्ष 1991-92 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की 17 परियोजनाओं को (सरकारी बजट के समर्थन के अन्तर्गत न आने वाली) 145.62 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई, जो कुल सहायता का 5.1% थी। जहां तक संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं का सवाल है, वर्ष 1991-92 के दौरान संयुक्त क्षेत्र की 43 परियोजनाओं को 330.41 करोड़ रुपए (जो कुल सहायता का 11.5% है) की सहायता मंजूर की गई। इस प्रकार, वर्ष के दौरान, निगमित क्षेत्र की 579 परियोजनाओं को, जिनमें निजी, सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल हैं, कुल मिलाकर 2,792.47 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई। संचयी रूप से 3,807 परियोजनाओं को कुल मिलाकर 13,248.61 करोड़ रुपए (कुल का 94.9%) की सहायता दी गई जिसमें से 8,112.74 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके थे।

पिछड़े क्षेत्रों तथा उद्योग-रहित जिलों को वित्तीय सहायता

2.12 वर्ष के दौरान, केन्द्रीय रूप से अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की 285 परियोजनाओं को भाऔविनि की सहायता 1,397.19 करोड़ रुपये रही। वर्ष 1991-92 में, केन्द्रीय रूप से अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की परियोजनाओं की समग्र सहायता का अंश मंजूर की गई कुल सहायता का 48.7% था। विगत वर्ष यह सहायता कुल मंजूर सहायता का 47.4% थी।

2.13 श्रेणी 'क', 'ख' और 'ग' के अन्तर्गत पिछड़े जिलों/क्षेत्रों का वर्गीकरण करने की विद्यमान योजना के अनुसार श्रेणी 'क' (उद्योग-रहित/विशेष क्षेत्र जिले) में स्थित 67 परियोजनाओं को 336.40 करोड़ रुपए, श्रेणी 'ख' जिलों/क्षेत्रों में स्थित 113 परियोजनाओं को 515.56 करोड़ रुपए और श्रेणी 'ग' जिलों/क्षेत्रों की 105 परियोजनाओं को 545.23 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई।

2.14 संचयी रूप से 31 मार्च, 1992 तक भाऔविनि ने अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थित 1,899 परियोजनाओं को कुल मिलाकर 6,722.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की, जो भाऔविनि की समग्र निवल संचयी मंजूरियों का 48.1% थी। इन मंजूरियों से 31 मार्च, 1992 तक 4,266.94 करोड़ रुपए का संवितरण किया जा चुका था।

परियोजना वित्त

2.15 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परियोजना वित्त मंजूरियों की राशि 430 परियोजनाओं के लिए 2,061.28 करोड़ रुपए थी। इसी प्रकार, परियोजना वित्त के लिए किए गए संवितरण की राशि 1,254.42 करोड़ रुपए थी। 1991-92 के दौरान परियोजना वित्त के अन्तर्गत मंजूरियां विगत वर्ष की मंजूरियों की तुलना में कुछ कम रहीं जबकि संवितरण पिछले वर्ष के मुकाबले 8.3% अधिक था। परियोजना वित्त का सुविधावार वर्गीकरण सारणी-7 में दिया गया है।

सारणी 7 : परियोजना वित्त का सुविधा-वार वर्गीकरण

(करोड़ रुपये)

सुविधा	(1991-92)(अप्रैल-मार्च)		31 मार्च 1992 तक संचयी	
	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
परियोजना वित्त				
— रुपया ऋण	1,391.89 (67.5%)	876.75 (69.9%)	8,088.20 (71.0%)	5,652.85 (76.9%)
— विदेशी मुद्रा ऋण	180.60 (8.8%)	283.04 (22.6%)	2001.49 (17.6%)	1305.76 (17.8%)
— हामीदारी तथा प्रत्यक्ष अभिदान	135.53 (6.6%)	30.61 (2.4%)	744.69 (6.5%)	195.69 (2.7%)
— गारंटियां				
— स्थगित अदायगियों हेतु	232.22 (11.2%)	64.02 (5.1%)	362.96 (3.2%)	141.18 (1.9%)
— विदेशी ऋणों हेतु	121.04 (5.9%)	— —	195.53 (1.7%)	50.17 (0.7%)
जोड़	2,061.28 (100.0)	1,254.42 (100.0)	11.392.87 (100.0)	7,345.65 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं।

2.16 वर्ष के दौरान, 1,391.89 करोड़ रुपए के रुपया ऋण की मंजूरी प्रदान की गई जबकि 1990-91 में 1,469.02 करोड़ रुपए के रुपया ऋण की मंजूरी दी गई थी। परन्तु, वर्ष के दौरान रुपया ऋण के लिए किए गए 876.75 करोड़ रुपए के संवितरण 1990-91 में हुए 858.65 करोड़ रुपए के रुपया ऋण संवितरणों के मुकाबले 2.1% अधिक थे।

2.17 वर्ष के दौरान, विदेशी मुद्रा ऋण मंजूरियां 180.60 करोड़ रुपए थीं जबकि विगत वर्ष में ये 552.19 करोड़ रुपए थीं। परन्तु वर्ष के दौरान किए गए 283.04 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा ऋण संवितरण, 1990-91 में किए गए 233.25 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा ऋण संवितरणों से 21.3% अधिक थे।

2.18 वर्ष के दौरान, परियोजना वित्त के अन्तर्गत कुल मंजूरियों और संवितरणों में रुपया ऋण के अंश क्रमशः 67.5% तथा 69.4% रहे। वर्ष के दौरान, परियोजना वित्त के अधीन विदेशी मुद्रा की मंजूरियों और संवितरणों के अंश क्रमशः 8.8% तथा 22.6% रहे।

2.19 हामीदारी तथा प्रत्यक्ष अभिदान के सम्बन्ध में भाऔविनि द्वारा 1990-91 में प्रदत्त 141.06 करोड़ रुपए की मंजूरियों की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 135.53 करोड़ रुपए की मंजूरियां दी गई। वर्ष के दौरान, परियोजना वित्त की कुल मंजूरियों में हामीदारी तथा प्रत्यक्ष अभिदान का अंश 6.6% रहा। 72 संस्थाओं को कुल मिलाकर 81.96 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयरों की तथा 10 संस्थाओं को 37.29 करोड़ रुपए के डिबेन्चरों की हामीदारी की सुविधाएं प्रदान की गई। प्रत्यक्ष अभिदान के अन्तर्गत दी गई मंजूरियां 16.28 करोड़ रुपए की थीं जिनमें इक्विटी शेयरों (2.86 करोड़ रुपए) के 13 मामले, अधिमान शेयरों (0.40 करोड़ रुपए) के 2 मामले तथा डिबेन्चर के (13.02 करोड़ रुपए) 17 मामले सम्मिलित थे।

2.20 वर्ष के दौरान, मशीनरी एवं उपस्कर के विदेशी संभरकों को 232.22 करोड़ रुपए तक की आस्थगित भुगतान गारंटी की सुविधा 15 मामलों में मंजूर की गई। कुल 121.04 करोड़ रुपए के विदेशी ऋण के 6 मामलों में भी गारंटी प्रदान करने की सहमति दी गई। वर्ष के दौरान परियोजना वित्त मंजूरियों के अधीन आस्थगित भुगतान एवं विदेशी ऋण, दोनों ही गारंटियों का अंश कुल मिलाकर 17.1% रहा।

सहायता का प्रयोजन-वार वर्गीकरण

2.21. भाऔविनि द्वारा वर्ष 1991-92 में मंजूर की गई कुल परियोजना वित्त सहायता में से 120 नई परियोजनाओं को 1,122.69 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई। इन 120 नई परियोजनाओं में से 3 परियोजनाओं के मामले में पूंजीगत परिव्यय 3.00 करोड़ रुपए तक था, 9 परियोजनाएं अलग-अलग 3.00 करोड़ रुपए और 5.00 करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय के बीच थी, 29 परियोजनाएं ऐसी थी जिनमें पूंजीगत परिव्यय 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच था, 29 परियोजनाओं का पूंजीगत परिव्यय 10 करोड़ रुपए से लेकर 20 करोड़ रुपए तक था और 50 परियोजनाएं ऐसी थीं, जिनका पूंजीगत परिव्यय प्रति परियोजना 20 करोड़ रुपए से अधिक था।

2.22 विद्यमान 310 परियोजनाओं को स्वीकृत 938.59 करोड़ रुपए की सहायता में से 41 परियोजनाओं को अपने विस्तार और विशाखन कार्यक्रमों के लिए 264.96 करोड़ रुपए, 72 परियोजनाओं को अपने आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए 166.68 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई। इसके अतिरिक्त 197 परियोजनाएं ऐसी थी, जिन्हें उपस्कर अथवा परियोजना अधिव्यय को संतुलित करने आदि की लागत को पूरा करने के लिए 506.95 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई।

परियोजना वित्त के अधीन भाऔविनि की सहायता के विशेष पहलू (1991-92)

2.23 1991-92 में परियोजना वित्त के अधीन भाऔविनि की सहायता के कुछ विशेष पहलू इस प्रकार थे :—

— सहायता प्राप्त 120 नई परियोजनाओं में से 8 परियोजनाएं प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित की गई थीं। इन्हें 27.80 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई और इसमें वस्त्र, प्लास्टिक उत्पाद, चमड़े की वस्तुएं, सीमेंट, परिवहन उपस्कर, आदि जैसे अनेक विविध उद्योग शामिल थे।

— निगमित क्षेत्र के अस्पतालों और बहुआयामी स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भाऔविनि की सहायता योजना के अधीन 13 अस्पतालों को 27.22 करोड़ रुपए की सहायता।

— 30 होटल तथा पर्यटन से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए 48.48 करोड़ रुपए की सहायता।

— महत्वपूर्ण निर्यात दायित्व वाली 41 निर्यातोन्मुख परियोजनाओं को 411.22 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता।

— वर्ष के दौरान, ऐसी 37 परियोजनाओं को 472.52 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई, जिनमें विदेशी सहयोग तथा/अथवा विदेशों से प्रौद्योगिकी अन्तरण किया गया था। देश-वार सहयोग इस प्रकार थे : जर्मनी-9, जापान-6, संयुक्त राज्य अमेरिका-4, इटली-3, यूनाइटिड किंग्डम-3, ताईवान-1, फ्रांस-2, बेल्जियम-2, दक्षिण कोरिया-1, स्वीडन-2, हॉलैण्ड-1, कनाडा-1, पुर्तगाल-1 तथा रूस-1 ।

— दो ऐसी परियोजनाओं को कुल मिलाकर 10.95 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई जिन के अन्तर्गत देश में कुछ उत्पादों के विनिर्माण के लिए सर्वप्रथम परिकल्पना की गई थी।

वित्तीय सेवाएं

मर्चेंट बैंकिंग

2.24 भाऔविनि ने वर्ष 1986-87 में मर्चेंट बैंकिंग एवं समवर्गीय सेवाओं के क्षेत्र में प्रवेश किया था। यद्यपि भाऔविनि ने इस क्षेत्र में देर से कदम रखा, फिर भी छः वर्ष की अवधि में भाऔविनि का मर्चेंट बैंकिंग एवं समवर्गीय सेवाएं विभाग, वित्तीय सेवाओं के अधीन, उपस्कर लीजिंग, उपस्कर उपार्जन, उपस्कर उधार, पूर्तिकार उधार, क्रेता उधार, लीजिंग एवं किराया खरीद संस्थाओं का वित्तपोषण, आदि, जैसी अनेक योजनाएं आरम्भ करने के अतिरिक्त निधि-आधारित तथा गैर-निधि आधारित, दोनों ही क्रियाकलापों का विस्तार करके अपने को सुप्रतिष्ठित करने में सफल रहा। वर्ष के दौरान 'किस्त उधार योजना' नामक एक नई योजना आरम्भ की गई जिसका उद्देश्य औद्योगिक उपयोग हेतु प्राप्त किए जाने वाले उपस्कर के लिए इच्छुक भावी ऋणियों को विविध प्रकार की मिश्रित सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मर्चेंट बैंकिंग एवं समवर्गीय सेवाएं विभाग ने परियोजना परामर्श, ऋण सामूहिकीकरण तथा डिबेन्चर न्यासिता से सम्बन्धित दत्त कार्यों आदि के क्षेत्र में भी अपने क्रियाकलापों को गहन किया।

2.25 वर्ष के दौरान, मर्चेंट बैंकिंग एवं समवर्गीय सेवाएं विभाग ने अपने मुम्बई स्थित ब्यूरो कार्यालय सहित, 117 मर्चेंट बैंकिंग दत्त कार्यों को हाथ में लिया, जिनमें से 56 निर्गम प्रबन्ध सेवाओं, 41 परियोजना परामर्श/मूल्यांकन तथा 20 डिबेन्चर न्यासिता से सम्बन्धित थे। वर्ष के दौरान, निर्गम प्रबन्ध के लिए सौंपे गए कार्यों से, 597 करोड़ रुपए की निधि जुटाने में सहायता मिली। संचयी रूप से, भाऔविनि के मर्चेंट बैंकिंग एवं समवर्गीय सेवाएं विभाग ने जुलाई, 1986 में अपनी शुरूआत से लेकर 31 मार्च, 1992 तक 185 सार्वजनिक निर्गमों सहित 365 दत्त कार्य पूरे किए जिनसे 1,988.49 करोड़ रुपए की निधि जुटाने में सफलता मिली।

उपस्कर वित्त

2.26 वर्ष के दौरान, उपस्कर वित्त योजना के अधीन 75 इकाइयों को कुल मिलाकर 376.87 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मंजूर की गई जो कि पिछले वर्ष 94 इकाइयों को मंजूर की गई 204.65 करोड़ रुपए की ऋण सहायता से 84.2% अधिक थी। इस योजना के अधीन भाऔविनि ने संचयी रूप से 341 इकाइयों को 888.93 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की थी जिसमें से 31 मार्च, 1992 तक 485.01 करोड़ रुपए (मंजूरियों का 54.6%) की राशि का संवितरण किया गया।

उपस्कर लीजिंग

2.27 भाऔविनि द्वारा इसकी वित्तीय सेवाओं के अधीन प्रदान की जा रही उपस्कर लीजिंग सुविधा में वित्तीय लीज (मास्टर लीज सहित), सामूहिक लीज, बिक्री एवं लीज वापसी व्यवस्था शामिल है। वर्ष के दौरान 85.50 करोड़ रुपए की लागत से लीज पर उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए 9 मामलों को अन्तिम रूप दिया गया। संचयी रूप से, 31 मार्च, 1992 तक उपस्कर लीजिंग के अधीन 374.56 करोड़ रुपए की समग्र मंजूरियां दी गई जिनमें से 241.49 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया।

उपस्कर उपार्जन

2.28 उपस्कर उपार्जन योजना से सम्बन्धित बिक्री कर समस्या के कारण, 1991-92 में मंजूरी के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। समग्र रूप से, 31 मार्च, 1992 तक उपस्कर उपार्जन योजना के अधीन भाऔविनि की मंजूरियां 35.95 करोड़ रुपए थी, जिसके अंतर्गत 26.25 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया।

उपस्कर उधार

2.29 भाऔविनि द्वारा उपस्कर उधार योजना, 28 जुलाई, 1989 से आरम्भ की गई। उपस्कर उधार योजना के अधीन, वर्ष 1991-92 में 80 विद्यमान औद्योगिक इकाइयों का कुल मिलाकर 171.84 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जबकि पिछले वर्ष 80 इकाइयों को 171.15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। संचयी रूप से, 31 मार्च, 1992 तक उपस्कर उधार योजना के अधीन समग्र मंजूरियां 490.99 करोड़ रुपए की थी जिनमें से 331.09 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया था।

किस्त उधार योजना

2.30 विभिन्न उधार योजनाओं के अधीन सुविधाएं प्राप्त कर रहे ऋणियों को एक अन्य विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक उपयोग के लिए उपस्कर प्राप्ति हेतु नवम्बर, 1991 में किस्त उधार योजना आरम्भ की गई। चूंकि इस योजना में भुगतान अवधि के सम्बन्ध में ज्यादा लचीलापन, ब्याज परिगणन में सुगमता तथा प्राप्त सुविधाओं के लिए ऋण लेने वालों को 4 वर्ष की अल्पावधि में 36/48 समान मासिक किस्तों में पुनर्अदायगी का विकल्प उपलब्ध है, अत: 31 मार्च, 1992 तक 2 औद्योगिक इकाइयों को 4.70 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई जिसके अन्तर्गत 20 लाख रुपए का संवितरण किया गया।

पूर्तिकार उधार

2.31 पूर्तिकार उधार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान 8 उपस्कर विनिर्माता इकाइयों को 41.25 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया। संचयी रूप से, 31 मार्च 1992 तक पूर्तिकार उधार योजना के अन्तर्गत 69 उपस्कर विनिर्माता इकाइयों को 390.37 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई जिसके अन्तर्गत 18.88 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया।

क्रेता उधार

2.32 क्रेता उधार योजना जो जुलाई, 1989 में आरम्भ की गई थी, के अन्तर्गत वर्ष के दौरान 15 औद्योगिक इकाइयों को कुल मिलाकर 50.02 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई। संचयी रूप से, 31 मार्च, 1992 तक इस योजना के अन्तर्गत 155.63 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया जिसमें से संवितरण की गई राशि समग्रत: 48.91 करोड़ रुपए थी।

लीजिंग और किराया खरीद संस्थाओं का वित्तपोषण

2.33 भाऔविनि पहले की ही भांति लीजिंग और किराया खरीद संस्थाओं को चयनात्मक आधार पर सहायता प्रदान करता रहा। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 20 लीजिंग एवं किराया खरीद संस्थाओं को ही 77.75 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई। 31 मार्च, 1992 तक भाऔविनि ने संचयी आधार पर 72 लीजिंग संस्थाओं को 229.29 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की थी, जिनमें से कुल मिलाकर 153.09 करोड़ रुपए के संवितरण किए गए।

आवेदनों पर कार्रवाई

2.34 परियोजना वित्त के अधीन भाऔविनि ने 1991-92 के दौरान, या तो स्वयं, या संयुक्त वित्तपोषण के आधार पर 483 पात्र संस्थाओं से कुल मिलाकर 10,521.25 करोड़ रुपए के आवेदनों पर (उपस्कर वित्त योजना के अधीन आवेदनों सहित) विचार किया। कुल मिलाकर 111.76 करोड़ रुपए की सहायता के लिए 11 संस्थाओं के आवेदनों को या तो आवेदकों द्वारा वापस ले लिया गया, अथवा प्रगति के अभाव या प्रस्तावित परियोजना के व्यवहार्य न होने के कारण उन्हें बन्द मान लिया गया। मार्च, 1992 के अंत तक 383.13 करोड़ रुपए की कुल सहायता के लिए भाऔविनि के अग्रणी दायित्व में 14 संस्थाओं के (4 संयुक्त वित्तपोषण के आधार पर) आवेदन विचाराधीन थे, और उनके सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई चल रही थी। 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के दौरान 458 अन्य संस्थाओं के आवेदनों के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई, 97.05% मामलों को पूरी सूचना एवं आंकड़ों की प्राप्ति की तारीख से, चार माह से भी कम अवधि में निपटा दिया गया।

2.35 भाऔविनि ने वित्तीय सेवाओं के अधीन अपनी योजना के सम्बन्ध में 480.90 करोड़ रुपए की कुल सहायता के लिए 169 संस्थाओं के सहायता के आवेदनों पर कार्रवाई की। इनमें से 132 संस्थाओं के आवेदनों पर भाऔविनि की वित्तीय सेवाओं के अन्तर्गत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अधीन सहायता मंजूर की गई। 29 संस्थाओं के मामलों में, पात्रता की कमी के कारण और/अथवा अन्य सम्बन्धित पहलुओं के कारण यह मान लिया गया है कि उन्होंने अपने आवेदन वापस ले लिए हैं। मार्च, 1992 के अन्त तक 20.94 करोड़ रुपए की कुल सहायता के लिए 8 संस्थाओं के आवेदन भाऔविनि के विचाराधीन थे।

नई, विस्तार और विशाखन

परियोजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान

2.36 वर्ष 1991-92 में भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित 161 नई एवं विस्तार/विशाखन परियोजनाओं के अध्ययन से यह पता चला है कि इस

अवधि के दौरान भाऔविनि की सहायता विविध एवं व्यापक उद्योगों में महत्वपूर्ण क्षमता सृजित करने में समर्थ हो सकेगी। आशा है कि वर्ष के दौरान, वित्तपोषित उपर्युक्त परियोजनाओं से परोक्ष रोजगार तथा अन्य सामाजिक आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि के अतिरिक्त, लगभग 38,859 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इन परियोजनाओं का वार्षिक उत्पादन मूल्य 8,973.97 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। प्रवर्धित सकल मूल्य लगभग 4,485.50 करोड़ रुपए होने की सम्भावना है जो देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में इन परियोजनाओं का योगदान माना जा सकता है। इससे सम्बन्धित विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-II** में दिया गया है।

भाऔविनि द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं की वित्तपोषण प्रवृत्ति (1991-92)

2.37 342 परियोजनाओं की वित्तपोषण प्रवृत्ति पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार (ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें परियोजना लागत आदि में पूर्णतः अधिव्यय राशि के वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त सहायता मंजूर की गई हो) भाऔविनि के 1991-92 के परिचालनों से पता चलता है कि भाऔविनि की सहायता 16,378.75 करोड़ रुपए के निवेश जुटाने में समर्थ होगी, जिसका विवरण **परिशिष्ट-III** में दिया गया है।

जनहित में प्रदान की गई मंजूरियां

2.38 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं था, जिसमें औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा 26(2) की व्यवस्थाओं के अनुसार निदेशक (को) के हितबद्ध होने के कारण भाऔविनि ने, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्थाओं के साथ कारोबार का संव्यवहार) विनियम, 1982 की शर्तों के अधीन जन हित में किसी प्रकार की सहायता मंजूर की।

पूंजी बाजार परिचालन निवेश पोर्टफोलियो

2.39 भाऔविनि के निवेश पोर्टफोलियो में (क) हामीदारी दायित्वों के अनुसरण में शेयरों के अधिग्रहण, (ख) जिन मामलों में सहमति हुई है, उनके शेयरों में प्रत्यक्ष अभिदान, (ग) संपरिवर्तनीयता मार्गनिर्देशों का प्रयोग, (घ) बोनस शेयर निर्गम, (ङ) आधिकारिक शेयरों में अभिदान, (च) डिबेन्चरों के संपरिवर्तनीय भाग के संपरिवर्तन तथा (छ) रुग्ण/संभाव्य रुग्ण मामलों के सम्बन्ध में अतिदेय ब्याज का शेयरों/डिबेन्चरों में संपरिवर्तन होने के कारण वित्तपोषित संस्थाओं में किए गए निवेश शामिल हैं। भाऔविनि, निवेश संस्थान न होने के कारण, अपने निवेशों को यथासम्भव एक निर्धारित समय के अन्दर ही द्रव्यता हेतु प्राप्त करने का प्रयास करता है। जिन मामलों में कम्पनियां स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, और जहां प्रतिभूतियों का व्यापार होता रहता है उन मामलों में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के स्टॉक/शेयर पैनल पर प्रतिष्ठित दलालों के माध्यम से खुले बाजार में छोटी-छोटी मात्रा में बिक्री की जाती है। कभी-कभी सरकारी मार्गनिर्देशों के अधीन भारतीय यूनिट ट्रस्ट/पारस्परिक निधियों को बड़ी मात्रा में भी बिक्री की जाती है।

2.40 वर्ष के दौरान, बाजार में ऐसी संस्थाओं के 42 निर्गम जारी किए गए जिनके शेयर व डिबेन्चरों की कुल मिलाकर 35.80 करोड़ रुपए की हामीदारी भाऔविनि द्वारा की गई थी। भाऔविनि के हामीदारी दायित्वों के अनुसरण में किसी भी शेयर या डिबेन्चर का न्यागमन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, भाऔविनि ने प्रत्यक्ष अभिदानों से सम्बन्धित मंजूरियों के आधार पर 67 कम्पनियों के लिए 7.80 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयरों, 1.50 करोड़ रुपए के अधिमान शेयरों एवं 10.77 करोड़ रुपए के डिबेन्चरों में अभिदान किया।

2.41 वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने 30.61 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर/डिबेन्चर लिए, तथा 16.56 करोड़ रुपए के अंकित मूल्य के अपने निवेशों की बिक्री की, जिससे इन निवेशों की बिक्री पर 147.76 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। वर्ष 1991-92 के दौरान, इक्विटी शेयरों से लाभांश के रूप में 8.61 करोड़ रुपए का राजस्व तथा पूंजी लाभ के रूप में 147.76 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इक्विटी शेयरों (पूंजी लाभ सहित) पर वर्ष के दौरान औसत प्रतिलाभ 8.92% रहा। मार्च, 1992 के अन्त तक भाऔविनि के निवेशों का प्रमुख भाग संघटक-वार इस प्रकार था—इक्विटी शेयरों में 78.4% (132.98 करोड़ रुपए), अधिमान शेयरों में 4.2% (7.17 करोड़ रुपए) एवं डिबेन्चरों में 17.4% (29.40 करोड़ रुपए)।

पुनर्स्थापन कार्यक्रम

2.42 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की धारा 15 के प्रावधानों के अधीन, भाऔविनि के अग्रणी दायित्व में 102 रुग्ण इकाइयां औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत की गई। इसके अतिरिक्त, 3 गैर-अग्रणी मामलों में तथा 15 ऐसी संस्थाओं, जिनमें कोई भी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सम्मिलित नहीं था, के लिए भाऔविनि को परिचालन एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया, इस प्रकार ऐसे मामलों की कुल संख्या 120 हो गई। 31 मार्च, 1992 तक भाऔविनि 81 मामलों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका था जिसमें से 8 रिपोर्ट वर्ष के दौरान प्रस्तुत की गई। इन 81 मामलों में से 59 मामलों में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अन्तिम निर्णय ले लिया गया जिनमें से 44 मामलों में पुनर्स्थापन योजना को मंजूरी तथा 15 मामलों में परिसमापन आदेश जारी किए गए। शेष 22 मामलों में, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा विभिन्न स्तरों पर सुनवाइयां चल रही थीं, और उनके सम्बन्ध में अभी निर्णय लिया जाना था। कुल मिलाकर, वर्ष के दौरान, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा, भाऔविनि के अग्रणी दायित्व वाले 56 मामलों में तथा भाऔविनि के गैर-अग्रणी/गैर-वित्तपोषित 10 मामलों, जिनमें इसे परिचालन एजेन्सी नियुक्त किया गया था, के सम्बन्ध में 89 सुनवाइयां की गईं।

2.43 इनके अतिरिक्त, चार ऐसे मामलों में, भाऔविनि द्वारा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के तत्वावधान में, सम्भाव्यता अध्ययन/पुनरुद्धार योजनाएं बनाई गईं, जिनमें निगम परिचालन एजेन्सी के रूप में काम नहीं कर रहा था। कुछ गैर-वित्तपोषित रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए भी योजनाओं की समीक्षा करने/उन्हें नया रूप देने में भाऔविनि की सुविज्ञता औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को उपलब्ध करवाई गई।

2.44 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की परिधि से बाहर के मामलों में, अर्थात रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत न आने वाले मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, सम्बन्धित

वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों के निकट सहयोग से बनाए गए मार्गनिर्देशों की पृष्ठभूमि में पुनर्स्थापन पैकेज निर्मित एवं अभिकल्पित किए गए। रुग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में जिन पुनर्स्थापन उपायों की सिफारिश की गई है उनका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है तथा उनमें आधुनिकीकरण, विस्तार, विशाखन, संतुलन आदि शामिल हैं। अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके अग्रणी दायित्व वाले मामलों में किए जा रहे पुनर्स्थापन प्रयासों में भी भाऔविनि सक्रिय सहयोग करता रहा।

2.45 रिपोर्ट की अवधि के दौरान, भाऔविनि जिन रुग्ण इकाइयों की देखभाल कर रहा था उनमें से कुछ इकाइयों की स्थिति में काफी सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त, भाऔविनि द्वारा कुछ प्रस्तावों की समीक्षा की जा रही थी। भाऔविनि के अग्रणी दायित्व के कुछ मामलों में समझौतों द्वारा निपटान की प्रक्रिया जारी थी।

कमजोर औद्योगिक इकाइयों को उत्पाद राहत

2.46 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भारत सरकार द्वारा 17 अक्तूबर, 1989 से कमजोर औद्योगिक इकाइयों के लिए उत्पाद राहत योजना लागू करने के बारे में उल्लेख किया गया था। भारत सरकार की अधिकार प्राप्त समिति, भाऔविनि के अग्रणी दायित्व वाले 16 मामलों में अब तक 38.85 करोड़ रुपए का कुल उत्पाद ऋण मंजूर कर चुकी है जिसमें से वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा 16.70 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।

(ख) परिचालन गतिविधियां
प्रवर्तक अंशदान एवं ऋण इक्विटी अनुपात

2.47 एक तरफ उधारों की लागत में वृद्धि, संस्थानों को उनके ऋण प्रदान करने के कार्यों से प्राप्त लाभ मार्जिन में कमी तथा बढ़ती हुई संसाधन सम्बन्धी कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में और भारत सरकार द्वारा घोषित उदारीकरण विनियमन और नई आर्थिक नीतियों के परिप्रेक्ष्य में भाऔविनि सहित वित्तीय संस्थानों ने प्रवर्तकों के अंशदान एवं ऋण इक्विटी अनुपात मानदण्डों में निम्नानुसार संशोधन किए हैं :—

— प्रवर्तक का न्यूनतम अंशदान परियोजना लागत का 25% होगा जिसमें प्रमुख प्रवर्तक का अंशदान परियोजना लागत के 15% से कम नहीं होना चाहिए;

— प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित 10 करोड़ रुपए तक की परियोजना लागत वाली पहली परियोजना के मामले में प्रवर्तक अंशदान अपेक्षाकृत कम यानी 20% तक स्वीकार्य होगा जिसमें प्रमुख प्रवर्तक का अंशदान 10% से कम नहीं होगा;

— बड़े आकार की परियोजनाओं (अर्थात 200 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाएं), में प्रवर्तक का न्यूनतम अंशदान अधिमानतः 20% होगा, जिसमें प्रमुख प्रवर्तक का अंशदान परियोजना लागत के 12.5% से कम नहीं होगा;

— बड़ी परियोजनाओं को छोड़कर, जिनमें ऋण इक्विटी अनुपात 2:1 तक जा सकता है, ऋण इक्विटी अनुपात का मानदण्ड संशोधित तौर पर 2:1 से 1.5:1 होगा।

संशोधित ब्याज दर संरचना

2.48 भाऔविनि ने अन्य सावधि ऋण-दाता संस्थानों के साथ मिलकर परियोजना वित्तपोषण के अन्तर्गत 14%-15% की द्विस्तरीय ब्याज दर संरचना को बदलकर उसके स्थान पर 18% से लेकर 20% बैंड प्रतिवर्ष तक की अत्यधिक लचीली ब्याज दर संरचना लागू की जो ऋणियों की साख की अवधारणा पर आधारित होगी। उपर्युक्त बैंड के अन्तर्गत ब्याज की विशेष दर लागू करने के लिए, भाऔविनि अपने ऋणियों को एक विस्तृत ऋण जोखिम मूल्यांकन पद्धति द्वारा श्रेणीबद्ध करता है। संशोधित ब्याज दर वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1991 द्वारा लागू ब्याज कर सहित है।

संपरिवर्तनीयता विकल्प में छूट

2.49 सरकार द्वारा जारी संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुसरण में, भाऔविनि सहित वित्तीय संस्थानों द्वारा 22 अगस्त, 1991 से निगमित क्षेत्र में नई परियोजनाओं को स्थापित करने या विद्यमान परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि के लिए औद्योगिक संस्थाओं के डिबेन्चरों में सावधि ऋण/प्रत्यक्ष अभिदान के रूप में मंजूर की गई वित्तीय सहायता पर संपरिवर्तन विकल्प लागू नहीं होगा। तथापि, संपरिवर्तन विकल्प, संस्थानात्मक देय राशियों में चूक की स्थिति में तथा पुनर्स्थापन सहायता के मामले में अथवा लागत अधिव्यय को पूरा करने हेतु दी गई अतिरिक्त सहायता के मामले में पूर्ववत लागू रहेगा। उपर्युक्त स्थितियों एवं कुप्रबन्ध को छोड़कर, 22 अगस्त, 1991 से पूर्व निष्पादित ऋण करारों के सम्बन्ध में, यदि ऋणी 15 अगस्त, 1991 को एवं उसके पश्चात बकाया ऋण पर 16 अगस्त, 1991 से 20% वार्षिक दर से ब्याज के भुगतान के लिए सहमत हो तो, निर्धारित संपरिवर्तन विकल्प में छूट दी जा सकती है।

2.50 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्रदत्त मंजूरियों के सम्बन्ध में विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार 90 मामलों में संपरिवर्तनीयता की शर्त लागू की गई। समीक्षाधीन अवधि में केवल 12 मामलों में संपरिवर्तनीयता अधिकार का प्रयोग किया गया और 19 मामलों में इसे छोड़ दिया गया। संपरिवर्तनीयता सम्बन्धी मार्गनिर्देशों के प्रारम्भ से लेकर अब तक संचयी रूप से भाऔविनि ने 1,741 मामलों में संपरिवर्तनीयता की शर्त लगाई है और 143 मामलों में संपरिवर्तन-विकल्प का प्रयोग किया तथा 573 मामलों में, सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विकल्प के प्रयोग से छूट प्रदान की गई।

निर्यात प्रोत्साहन योजना

2.51 ऊपर पैरा 2.48 में उल्लिखित लचीली ब्याज-दर संरचना के प्रावधान के पश्चात भाऔविनि सहित अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत ब्याज-दर में दी जाने वाली छूट तथा निर्यात कार्य पर आधारित प्रोत्साहनों को 16 अगस्त, 1991 से समाप्त कर दिया गया। इससे पहले इस योजना के अन्तर्गत पहली अप्रैल, 1991 को अथवा उसके बाद तथा 15 अगस्त, 1991 तक निष्पादित ऋणों के मामलों में पात्र इकाइयों को ब्याज-दर में दी जाने वाली छूट न्यूनतम 12% प्रतिवर्ष की शर्त के अधीन थी।

बाजार मूल्यांकन अध्ययन

2.52 निवेश सम्बन्धी निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान 16 बाजार मूल्यांकन अध्ययन किए गए। इस सम्बन्ध में सीमेंट, इलैक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, कास्टिक सोडा व क्लोरीन कैपरोलेक्टम, रॉकवूल स्पॉंज आयरन, कनटिनयूअस कास्टिंग रिफैक्ट्रीज, कागज इत्यादि से सम्बन्धित 6 उद्योग अध्ययनों का उल्लेख किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त, औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण एवं प्रदूषण-नियंत्रण, नई कताई इकाइयों की स्थापना की गुंजाइश, डेनिम फैब्रिक्स के लिए निर्यात बाजार की सम्भावनाओं, सोलवेण्ट एक्सट्रेक्शन इकाइयों हेतु कच्चे माल की उपलब्धता तथा भारत में औषधीय उद्योग की सम्भावनाओं के लिए भी अध्ययन किए गए। इनमें से कुछ अध्ययन भाऔवि बैंक तथा भाऔसानिनि के साथ मिलकर संयुक्त रूप से किए गए।

नामित निदेशक

2.53 नामित निदेशकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में, भाऔविनि द्वारा सरकारी एवं संस्थानात्मक मार्गनिर्देशों का निरन्तर अनुपालन किया जाता रहा, जिसके अनुसार भाऔविनि ने 985 वित्तपोषित संस्थाओं के बोर्डों में 380 नामित निदेशक नियुक्त किए, जिनमें से 172 शासकीय और 208 गैर-शासकीय थे। भाऔविनि में गठित नामित निदेशक कक्ष के प्रधान एक महाप्रबन्धक हैं तथा उनकी सहायता के लिए उक्त कक्ष में अन्य अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधान कार्यालय के तीन वरिष्ठ कार्यपालकों, भाऔविनि के प्रत्येक क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय से एक-एक अधिकारी को नामित निदेशक कक्ष के सदस्य के रूप में नामजद किया गया है ताकि वे कक्ष को सौंपे गए विभिन्न कार्यों को पूरा कर सकें।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय

2.54 स्थायी समन्वय समिति मंच के सुझावों तथा भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैंक) द्वारा समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों के अनुरूप बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय और अधिक सक्रिय बना रहा। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साझे ग्राहकों के बारे में, पारस्परिक आधार पर सूचना के आदान-प्रदान की प्रणाली और भी गहन हुई।

सरकार से पारस्परिक सम्पर्क

2.55 भाऔविनि ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के साथ पारस्परिक सम्पर्क तथा विचारों का आदान-प्रदान जारी रखा। इसने समय-समय पर भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्यकारी दलों में प्रतिनिधित्व भी किया। भाऔविनि, चीनी विकास निधि तथा जूट आधुनिकीकरण निधि के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करता रहा।

(ग) संसाधन और वित्तीय प्रबन्ध

रुपया संसाधन जुटाना

2.56 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के दौरान भाऔविनि द्वारा 1,563.89 करोड़ रुपए (66.37 करोड़ रुपए के प्रारंभिक रुपया रोकड़ शेष को छोड़कर) के कुल रुपया संसाधन जुटाए गए। संसाधन जुटाने की दृष्टि से, 1991-92 का वर्ष कुल मिलाकर एक कठिन वर्ष रहा, संसाधन जुटाने की दुष्कर स्थिति में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसे सहयोगी संस्थानों द्वारा तथा वायु सेना सामूहिक बीमा सोसायटी, अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक, इत्यादि जैसे संस्थानों द्वारा उपलब्ध करवाई गई रुपया निधि सहायता आशा की किरण बनकर उभरी। भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई समग्र सहायता भी मददगार और उत्साहवर्धक थी परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 अक्तूबर 1991 से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया।

2.57 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, देश के अन्तर्गत जुटाए गए रुपया संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

— 31 मई, 1991 तक कुल मिलाकर 7.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त शेयर पूंजी का जुटाया जाना।

— आरक्षित निधियों में 68.62 करोड़ रुपए की वृद्धि।

— (क) ऋणियों द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान तथा (ख) निवेशों की बिक्री/विमोचन से कुल मिलाकर 425.40 करोड़ रुपए की प्राप्तियों में वृद्धि।

— तीन सार्वजनिक बांड निर्गमों (19 सितम्बर, 1991, 13 जनवरी, 1992 तथा 3 मार्च, 1992 को जारी की गई क्रमशः 59वीं, 60वीं तथा 61वीं सिरीज़) द्वारा कुल मिलाकर 440 करोड़ रुपए के रुपया संसाधनों में वृद्धि।

— 565.89 करोड़ रुपए के सकल रुपया उधार जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (150.00 करोड़ रुपए), भारतीय जीवन बीमा निगम (200 करोड़ रुपए), भारतीय यूनिट ट्रस्ट (200 करोड़ रुपए), वायु सेना सामूहिक बीमा सोसायटी, अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक, इत्यादि (15.89 करोड़ रुपये), से लिए गए। इन उधारों पर ब्याज की दर 14.5% से 17.5% के बीच थी।

— भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर कार्यशील पूंजी निधि, सीमा, जिसे 31.10.1991 से निलम्बित कर दिया गया, का अधिकतम लाभ उठाना।

— भारत सरकार से ब्याज अन्तरजन्य निधियों के अधीन 13.26 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई राशि की प्राप्ति।

रुपया संसाधनों का उपयोग

2.58 रुपया संसाधनों का उपयोग, मंजूर सहायता के 1,225.79 करोड़ रुपए का नकद संवितरण करने, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 38.40 करोड़ रुपए के ऋणों की पुनः अदायगी करने, केन्द्रीय सरकार को 0.88 करोड़ रुपए के ऋणों की पुनः अदायगी करने, 25.43 करोड़ रुपए के लाभांश की अदायगी करने, 27.50 करोड़ रुपए की कर देयता के भुगतान एवं प्रावधान के लिए तथा 164.14 करोड़ रुपए अन्य कार्यों के लिए, किया गया। वर्ष के अन्त में नकद शेष 268.48 करोड़ रुपए था।

विदेशी मुद्रा संसाधन
जुटाना

2.59 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने बर्लिनर हैण्डेलसंड फ्रेंकफर्टर बैंक, जर्मनी से 50 मिलियन जर्मन मार्क तथा क्रेडिट सूईस, स्विटजरलैण्ड से 10 मिलियन स्विस फ्रांक के निर्यात ऋण के लिए करार निष्पादित किए।

2.60 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के समापन पर भाऔविनि के समग्र विदेशी मुद्रा संसाधनों की स्थिति इस प्रकार थी—

— जर्मन मार्क में 25 ऋण श्रृंखलाओं के अधीन क्रेदितांस्तल्त-फर-वाइडरफबाऊ जर्मनी से कुल मिलाकर 408 मिलियन जर्मन मार्क, का उधार,

— अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से विदेशी मुद्रा में जुटाए गए 814.324 मिलियन अमरीकी डालर के समकक्ष संचयी उधार,

— इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन लि०, फिनलैंड की फिनिश निधि से 30 मिलियन फिन मार्क की ऋण श्रृंखला,

— एशियाई विकास बैंक (ए०डी०बी०) से 150 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला,

— बर्लिनर हैण्डेलसंड फ्रेंकफर्टर बैंक, जर्मनी से 50 मिलियन जर्मन मार्क तथा क्रेडिट सूईस, स्विटजरलैण्ड से 10 मिलियन स्विस फ्रांक का निर्यात ऋण।

विदेशी मुद्रा स्रोतों का उपयोग

2.61 उपर्युक्त विदेशी मुद्रा संसाधनों में से भाऔविनि, 31 मार्च, 1992 तक 2,242.40 करोड़ रुपए के समकक्ष विदेशी मुद्रा में उप-ऋण देने के लिए वचनबद्ध था। 31 मार्च, 1992 तक विदेशी मुद्रा उप-ऋणों का वास्तविक संवितरण 1,379.42 करोड़ रुपए के बराबर था, जिसमें से वर्ष 1991-92 के दौरान ही 315.72 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया।

2.62 वर्ष के दौरान, विदेशी मुद्रा में लिए गए वास्तविक उधार कुल 181.03 करोड़ रुपए के समकक्ष थे, और विदेशी मुद्रा ऋणों की पुन: अदायगी 96 करोड़ रुपए के समकक्ष थी। 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार निवल बकाया विदेशी मुद्रा ऋण 2,528.22 करोड़ रुपए के थे, जबकि 31 मार्च, 1991 (किन्तु 31 मार्च, 1992 को लागू दर से पुनर्मूल्यांकित आधार पर) को ये 1,720.46 करोड़ रुपए के थे।

विनियम जोखिम प्रबन्ध
योजना

2.63 विदेशी विनिमय जोखिमों से विदेशी मुद्रा के ऋणियों के हितों की रक्षा करने तथा ऐसी हित रक्षा की लागत को उनमें साम्यिक रूप में विभाजित करने के लिए पहली अप्रैल, 1989 से आरम्भ में केवल दो वर्षों के लिए विनिमय जोखिम प्रबन्ध योजना (ईआरएएस) शुरू की गई जिसकी अवधि बाद में बढ़ा दी गई। वर्ष के दौरान, प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए के विनिमय में लगातार अवमूल्यन तथा उधार की लागतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, योजना के अधीन 23% से 26% के बीच की संयुक्त लागत बैण्ड की चार बार समीक्षा की गई तथा बैण्ड के अधीन लागू ब्याज दर को पहली अप्रैल, 1991 से 31 अक्तूबर, 1991 तक की अवधि हेतु 20% से बढ़ाकर 23% प्रतिवर्ष, पहली नवम्बर, 1991 से 31 जनवरी, 1992 तक की अवधि के लिए 24% तथा पहली फरवरी, 1992 से 30 अप्रैल,1992 (ब्याज-कर सहित) तक की अवधि हेतु, 26% कर दिया गया।

निधियों के स्रोत और उपयोग
(संचयी)

2.64 भाऔविनि की स्थापना से लेकर 31 मार्च, 1992 तक इसके कुल संसाधन 10,937.27 करोड़ रुपए के थे, जिनमें इसकी शेयर पूंजी, आन्तरिक जनन, बाह्य वाणिज्यिक उधार, विदेशी ऋण, सरकार एवं अन्य संस्थानों से उधार और बाजार से जुटाए गए उधार शामिल हैं। इनका उपयोग 7,079.80 करोड़ रुपए के रुपया संवितरणों, 1,379.42 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा संवितरणों और, निवेश, बांडों के विमोचन, सरकार तथा भारतीय वित्तीय संस्थानों को पुन: अदायगी, विदेशी मुद्रा ऋणों की पुन: अदायगी, लाभांश की अदायगी, अन्य उपयोगों तथा कर प्रावधान के लिए किया गया।

राष्ट्रीय राजकोष में अंशदान

2.65 औविनि अधिनियम, 1948 की धारा 40 के अनुसरण में, भाऔविनि को गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र की किसी भी अन्य कम्पनी के समान ही अपनी आय, लाभों एवं अर्जनों पर आयकर (अधिकर, यदि कोई हो) देना पड़ता है। आयकर अधिनियम, 1961 भी, कर योग्य आय की गणना करने के प्रयोजन से, भाऔविनि और अन्य किसी कम्पनी में सिवाय इसके कोई अन्तर नहीं करता कि आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कुल आय में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कटौतियां अनुमेय हैं—

— जब तक विशेष आरक्षित निधि में जमा की गई राशि, प्रदत्त शेयर पूंजी (आरक्षित निधि की जितनी राशि को पूंजीगत स्वरूप दिया गया है, उसे छोड़कर) के दुगुने से अधिक नहीं होती, धारा 36(1)(viii) के अधीन कुल आय की 40% सीमा तक विशेष आरक्षित निधि, और

— अधिनियम की धारा 80 एम की व्यवस्थाओं के अनुसार अन्य देशीय कम्पनियों से लाभांशों के रूप में प्राप्त आय के केवल 60% की सीमा तक अन्तर-कम्पनी लाभांश।

2.66 भाऔविनि अपने अस्तित्व के 44 वर्षों के दौरान 218.35 करोड़ रुपए की राशि तो कर के रूप में राजकोष में अदा कर चुका है जो उसकी 142.50 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई प्रदत्त पूंजी के डेढ़ गुणा के लगभग है।

बकाया एवं अतिदेय

2.67 मार्च, 1992 के अन्त तक, भाऔविनि की बकाया ऋण सहायता पोर्टफोलियो 2,875 संस्थाओं के सम्बन्ध में रुपए थी 6,832.36 करोड़ रुपए थी। कुल अतिदेय राशि 277.80 करोड़ रुपए थी (जो 179.44 करोड़ रुपए के मूलधन तथा 98.36 करोड़ रुपए के ब्याज के बराबर है)। 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार ये अतिदेय राशियां भाऔविनि के कुल बकाया ऋण फोर्टफोलियो के लगभग 4.1% थीं।

(घ) लेखे और लेखा-परीक्षण

लेखा विवरण

2.68 भाऔविनि का लेखा-विवरण अन्त में दिया गया है, जिसमें 31 मार्च, 1992 की स्थिति के तुलन-पत्र, 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखों के साथ-साथ पिछले वर्ष के आंकड़े भी दिए गए हैं। तथापि, भाऔविनि के कार्य-परिणामों और वित्तीय स्थिति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं।

कार्य परिणाम

2.69 भाऔविनि के 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के कार्य परिणामों में 121.75 करोड़ रुपए का कर-पूर्व लाभ दिखाया गया है, जबकि 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष के दौरान यह 102.33 करोड़ रुपए था। इस प्रकार इसमें 18.98% की वृद्धि परिलक्षित होती है। वर्ष के दौरान, कराधान के लिए 27.50 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के पश्चात् निवल लाभ 94.25 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वर्ष निवल लाभ 78.08 करोड़ रुपए था। इस प्रकार इसमें 20.7% की वृद्धि हुई।

विनियोजन

2.70 भाऔविनि के निदेशक बोर्ड द्वारा निवल लाभ में से किए गए विनियोजन का विवरण सारणी-8 में दिया गया है।

2.71 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने अपनी आरक्षित राशि में 68.62 करोड़ रुपए की राशि अन्तरित की, जिसमें सामान्य आरक्षित निधि, हितकारी आरक्षित निधि तथा विशेष आरक्षित निधि शामिल हैं। यह पिछले वर्ष की आरक्षित राशि में अन्तरित राशि से 14.1% अधिक थी।

सारणी—8 निवल लाभ का विनियोजन

(करोड़ रुपये)

	इस वर्ष 1991-92	पिछला वर्ष 1990-91
(1)	(2)	(3)
	रु०	रु०
निवल लाभ	**94.25**	**78.08**
विनियोजन		
निम्नलिखित को अन्तरित—		
(क) सामान्य आरक्षित निधि	28.99	17.91
(ख) हितकारी आरक्षित निधि	1.00	1.50
(ग) विशेष रिजर्व (आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन)	38.63	40.74
कर्मचारी कल्याण निधि को आवंटन	0.20	0.20
लाभांश की अदायगी	25.43	17.73
जोड़	94.25	78.08

लाभांश

2.72 संतोषजनक कार्य-परिणामों को ध्यान में रखते हुए भाऔविनि के निदेशक बोर्ड ने शेयरों पर, पिछले वर्ष घोषित 16% लाभांश की तुलना में वर्ष 1991-92 के लिए 18% वार्षिक लाभांश अदा करने का अनुमोदन किया है।

कार्य-परिणामों की प्रवृत्ति

2.73 भाऔविनि के कार्य परिणामों की प्रवृत्ति का समग्र मूल्यांकन सारणी-9 में दिए गए पांच वर्षों के संक्षिप्त आंकड़ों के आधार पर किया जा सकता है।

सारणी 9 : पांच वर्षों के दौरान भाऔविनि के कार्य परिणाम

(करोड़ रुपये)

विवरण	30 जून को समाप्त वर्ष		31 मार्च को समाप्त वर्ष		
	1988	1989(*)	1990	1991	1992
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ऋणों, अग्रिमों, निक्षेपों और अन्य वित्तीय सहायता पर ब्याज (घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण एवं अन्य प्रावधान)	285.30	277.77	462.95	591.48	671.13
अन्य आय	**9.36**	**11.26**	**12.93**	**22.44**	**163.85**
कुल आय	294.66	289.03	475.88	613.92	834.98
घटाएं/उधारों की लागत	**212.10**	**213.62**	**357.95**	**475.47**	**662.94**
निवल आय	82.56	75.41	117.93	138.45	172.04
व्यय					
— कार्मिक व्यय	6.12	5.02	8.55	12.41	10.99
— निवेशों पर हानि	0.02	0.31	0.18	0.18	4.19
— निदेशकों तथा समिति सदस्यों के शुल्क तथा व्यय	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04
— अन्य व्यय एवं अनुदान	4.51	3.70	10.23	9.48	5.75
— मूल्यह्रास	3.00	5.81	8.80	14.01	29.32
कर-पूर्व लाभ	68.88	60.55	90.14	102.33	121.75
कराधान	16.22	10.02	22.70	24.25	27.50
निवल लाभ	52.66	50.53	67.44	78.08	94.25
लाभांश (दर)	12.0%	13.0%	14.0%	16.0%	18.0%

(*) 1989 के आंकड़े 9 माह (जुलाई—मार्च) के हैं।

2.74 उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में—

— निवल आय, कर-पूर्व लाभ तथा निवल लाभ में क्रमश: 24.3% , 18.9% तथा 20.7% की वृद्धि हुई।

— उधारों की लागत में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद, 1991-92 में कर-पूर्व लाभ निवल आय के प्रतिशत के रूप में 70.8% रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 73.9% था।

— 1991-92 में निवल आय के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ 54.7% था जबकि पिछले वर्ष यह 56.4% था।

— सकल परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में वर्ष 1991-92 के दौरान कार्मिक व्यय 0.13% रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 0.19% था।

वित्तीय स्थिति

2.75 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार भाऔविनि की परिसम्पत्तियों और देयताओं की स्थिति सहित पिछले पांच वर्षों की वित्तीय स्थिति, जैसा कि भाऔविनि के तुलन-पत्र से स्पष्ट है, सारणी-१० में दी गई है।

सारणी 10 : पांच वर्षों के दौरान भाऔविनि की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की स्थिति

(करोड़ रुपए)

विवरण	30 जून को समाप्त वर्ष		31 मार्च को समाप्त वर्ष		
	1988	1989(*)	1990	1991	1992
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परिसम्पत्तियां					
नकद व बैंक शेष	193.38	140.93	46.80	66.37	268.48
निवेश					
—सहायता प्राप्त संस्थाओं में	96.53	111.75	141.99	159.23	169.55
—अन्य संस्थाओं में	6.50	20.10	27.00	31.91	34.94
सहायता प्राप्त संस्थाओं को ऋण	2,733.21	3,372.53	4,179.04	5,362.21	6,787.83
स्थिर तथा अन्य परिसम्पत्तियां	221.45	309.61	510.84	777.77	1,021.08
स्वीकृतियों के लिए ग्राहक देयताएं	22.92	32.51	39.84	93.56	180.55
	3,273.99	3,987.43	4,945.51	6,491.05	8,462.43
देयताएं और शेयरधारी निधि					
शेयर पूंजी	70.00	82.50	100.00	135.00	142.50
रिजर्व तथा आरक्षित निधि	225.62	270.94	327.42	389.45	461.32
उधार					
(क) बांड	2,083.80	2,314.70	2,851.39	3,105.23	3,648.58
(ख) सरकार तथा भाऔवि बैंक से	70.73	67.85	60.09	270.04	393.96
(ग) जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम व इसकी आनुषांगिक इकाइयों से			100.00	350.00	550.00
(घ) विदेशी मुद्राओं में	611.15	988.60	1,005.95	1,497.27	2,190.70
अन्य चालू देयताएं और प्रावधान	179.87	216.88	439.11	619.63	840.02
निर्धारित निधियां	9.90	13.45	21.71	30.87	54.80
स्वीकृतियों पर देयता	22.92	32.51	39.84	93.56	180.55
	3,273.99	3,987.43	4,945.51	6,491.05	8,462.43
ऋण : इक्विटी	9.3:1	9.5:1	9.4:1	9.9:1	11.2:1
निवल मूल्य : निवल लाभ	5.6:1	7.0:1	6.3:1	6.7:1	6.4:1

(*) 1989 के आंकड़े 9 माह (जुलाई—मार्च) के हैं।

2.76 भाऔविनि के वर्ष 1991-92 के तुलन-पत्र के आधार पर इसकी कुछ उल्लेखनीय वित्तीय उपलब्धियां संक्षेप में इस प्रकार हैं :—

* वर्ष के दौरान, भाऔविनि के निवेश पोर्टफोलियो में 6.7% की वृद्धि।

* वर्ष के दौरान, भाऔविनि के ऋण पोर्टफोलियो (बकाया राशियां) में 23.6% की वृद्धि।

* वर्ष के दौरान, भाऔविनि की शेयर पूंजी, आरक्षित राशि, आरक्षित निधि के निवल मूल्य में 15.1% की वृद्धि।

* मार्च, 1992 के अन्त में, भाऔविनि का ऋण-इक्विटी अनुपात 11.2:1 था।

* मार्च, 1992 के अन्त में, भाऔविनि का निवल लाभ इसके निवल मूल्य का 15.6% था।

* मार्च, 1992 के अन्त में, निवल परिसम्पत्तियों तथा निवल मूल्य का अनुपात 14.0:1 था।

* मार्च, 1992 के अन्त में, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार परिकलित पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.79% था।

* अचल तथा अन्य परिसम्पत्तियों में 31.3% की वृद्धि।

* आरक्षित राशि और आरक्षित निधियां, प्रदत्त शेयर पूंजी की 3.2% गुना थीं।

लेखांकन नीतियां

2.77 भाऔविनि द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा लेखों का रूप ग्रहण करने वाली टिप्पणियां, अनुसूची—17 में दी गई हैं तथा यह 31 मार्च, 1992 की स्थिति के तुलन-पत्र का भाग है।

सांविधिक लेखा-परीक्षा

2.78 वर्ष 1991-92 के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षक, मैसर्स लोढा एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल, 14-गवर्नमेंट पैलेस ईस्ट, कलकत्ता और मैसर्स सुमेर बंसल एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल, 36-नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली थे। मैसर्स लोढा एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल को 29 जून, 1991 को हुई भाऔविनि के शेयरधारियों की वार्षिक महासभा में भाऔविनि के शेयरधारियों (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भिन्न) द्वारा औविनि अधिनियम, 1948 की धारा 34 के अधीन लेखा-परीक्षकों के रूप में चुना गया। मैसर्स सुमेर बंसल एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल को औविनि अधिनियम, 1948 की धारा 34(1) के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा भाऔविनि के लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया। औविनि अधिनियम, 1948 की धारा 34(3) की व्यवस्थाओं के अनुसार 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के लेखा विवरणों से पहले दी गई है।

कर लेखा-परीक्षा

2.79 इसके अतिरिक्त, कर लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 कख की व्यवस्थाओं के अनुसरण में मैसर्स सुमेर बंसल एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल, 36-नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली वर्ष 1991-92 के लिए भाऔविनि के कर लेखा-परीक्षक थे।

---

3. प्रवर्तन सेवाएं

प्रवर्तन सेवाएं—एक सिंहावलोकन

3.01 भाऔविनि की प्रवर्तन सम्बन्धी भूमिका ने विगत कुछ वर्षों में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। भाऔविनि इस दिशा में प्रयत्नशील रहा है कि वह अपनी संस्थानात्मक संरचना अथवा विस्तार सेवाओं में व्याप्त अन्तरालों का पता लगाए तथा अपने संसाधनों एवं क्षमता के अनुरूप यथासंभव गैर-वित्तीय निवेश के प्रावधान को प्रोत्साहित करे। प्रवर्तन सेवाओं के क्षेत्र में विशेष रूप से बनाई गई प्रवर्तन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को समर्थन प्रदान करने एवं उन्हें गतिशील बनाने, सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध कराने, उद्यमीयता विकास, प्रबन्ध विकास, श्रम विकास, ग्रामीण विकास एवं इनसे सम्बन्धित क्रियाकलापों, जोखिम पूंजी, उद्यम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त, पर्यटन एवं पर्यटन से सम्बन्धित क्रियाकलापों, पूंजी बाजार के विकास, विज्ञान पार्कों, अनुसंधान एवं विकास तथा सम्बन्धित अनुसंधानोन्मुख क्रियाकलापों की व्यवस्था करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

3.02 वर्ष 1991-92 के दौरान, भाऔविनि द्वारा विभिन्न प्रवर्तन कार्यों के लिए उपयोग की गई कुल राशि 940.30 लाख रुपए रही। 31 मार्च, 1992 तक भाऔविनि ने अपनी विभिन्न प्रवर्तन योजनाओं के लिए कुल मिलाकर 5,561.67 लाख रुपए का उपयोग किया। सारणी 11 और 12 में भाऔविनि द्वारा प्रवर्तन सेवाओं के लिए उपयोग की गई राशि और इसके निधिकरण का ब्यौरा दिया गया है।

सारणी 11 : प्रवर्तन सेवाओं पर भाऔविनि द्वारा उपयोग की गई राशि

(लाख रुपये)

भाऔविनि द्वारा सहायता प्रदान की गई सेवाओं का स्वरूप	1991-92 (अप्रैल-मार्च) राशि/रुपये		31 मार्च 1992 तक संचयी राशि/रुपये	
(1)		(2)		(3)
(i) प्रवर्तन योजनाएं				
— उप-सहायता	92.07		521.83	
— ऋण-सहायता	—		23.50	
— उद्यमी विकास कार्यक्रम योजना	0.71	92.78	3.26	548.59
(ii) औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण				9.63
(iii) तकनीकी सलाहकारी संगठनों के लिए सहायता				
— तकनीकी सलाहकारी संगठन	1.89		79.88	
— औद्योगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका	—	1.89	0.43	80.31
(iv) उद्यमीयता विकास के लिए सहायता				
— उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों की लागत में हिस्सेदारी	17.07		106.43	
— भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान को सहायता	—		93.00	
— उद्यमीयता विकास संस्थानों को सहायता	8.26	25.33	28.51	227.94
(v) प्रबन्ध विकास संस्थान की प्रबन्ध विकास गतिविधियों के लिए मदद		75.65		1,190.43
(vi) जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम के माध्यम से जोखिम पूंजी सहायता के लिए मदद		160.00		2,123.23
(vii) भारतीय प्रतिभूति और वित्तियम बोर्ड के लिए सहायता		—		250.00
(viii) ओ०टी०सी० एक्सचेंज आफ इंडिया लि० के लिए सहायता		24.00		64.00
(ix) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि के लिए सहायता		—		205.00
(x) आई-टेक कन्सोरटियम इंडिया लि० के लिए सहायता		—		100.00
(xi) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों को सहायता		8.75		43.03
(xii) श्रम विकास संस्थान के लिए सहायता		115.08		115.08
(xiii) भारतीय निवेश सूचना एवं साख निर्धारण अभिकरण लि० के लिए सहायता		91.00		91.00
(xiv) ए ब गृह वित्त लि० के लिए सहायता		50.00		50.00
(xv) इंडस-वेंचर मैनेजमेन्ट कम्पनी लि० के लिए सहायता		20.00		20.00
(xvi) जोखिम पूंजी निधि के लिए सहायता (जो पूं० प्रौ० वि० निगम द्वारा संचालित)		250.00		250.00

सारणी 11 : प्रवर्तन सेवाओं पर भाऔविनि द्वारा उपयोग की गई राशि—(क्रमशः)

(लाख रुपये)

(1)		(2)		(3)
(xvii) अनुसंधान आदि का प्रवर्तन				
— भाऔविनि पीठें	1.70		39.16	
— विशेष अनुसंधान अध्ययन रिपोर्ट आदि	—		10.63	
— इण्डियन इकनामिक जनरल को सहायता	—		0.15	
— भाऔविनि अनुसंधान फैलोशिप	0.87	2.57	1.07	51.01
(xviii) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों के लिए सहायता				
— ग्रामीण विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिपादन	—			
— गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील राष्ट्रों के लिए अनुसंधान और सूचना व्यवस्था	—		11.00	
— विश्व आर्थिक कांग्रेस	—		4.00	
— इण्डियन इकोनोमैट्रिक सोसायटी	—		0.50	
— लघु और मध्यम उद्योग विश्व सम्मेलन	—		1.00	
— भारतीय आर्थिक संगठन	0.25		0.45	
— अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद्	2.50	2.75	7.50	25.45
(xix) विशेष संगठनों को सहायता				
— गहरा कुआं परियोजना के लिए मुनिगुडा, उड़ीसा के नई आशा ग्रामीण कुष्ट रोग न्यास	—		0.21	
— धारवाड़ (कर्नाटक) के बहु-आयामी विकास अनुसंधान केन्द्र	—		14.00	
— नई दिल्ली का पालिसी ग्रुप (गैर-लाभ अर्जक अनुसंधान संगठन)	—		5.50	
— राष्ट्रीय पब्लिक वित्त तथा नीति संस्थान को सहायता	—		0.50	
— विकास कार्यों के लिए व्यावसायिक सहायता	—		10.00	
— शारीरिक औषधियां व पुनर्स्थापन का भारतीय संगठन	—		0.10	
— औद्योगिक विकास में अध्ययनों का संस्थान	2.50		5.00	
— लंदन स्कूल ऑफ इकनोमिक्स एण्ड पौलिटिकल साइन्स को छात्रवृत्ति निधि में योगदान	5.00		5.00	
— उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र	10.00		10.00	
— समीक्षा ट्रस्ट को अर्थशास्त्र व समाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए सहायता	3.00	20.50	3.00	53.31
(xx) पुनश्चर्या कार्यक्रम और राज्य-स्तरीय संस्थानों को सहायता	—			4.30
(xxi) अन्य (परियोजना के प्रत्यक्ष वित्त के लिए प्रयुक्त)	—			59.36
जोड़		940.30		5,561.67

सारणी 12 : भाऔविनि की प्रवर्तन सेवाओं के लिए वित्तीय स्रोत

(लाख रुपये)

निधि	1991-92 (अप्रैल-मार्च) राशि/रुपये	31 मार्च 1992 तक संचयी राशि/रुपये
(1)	(2)	(3)
हितकारी आरक्षित निधि		
(औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32ख के अधीन भाऔविनि के लाभों से बनाई गई)	77.64	1,188.03
ब्याज अन्तर-जन्य निधियां		
(भाऔविनि, क्रेडितांस्तल्स फर वाईडरफबाउ, भारत सरकार और जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार के बीच हुए करारों की शर्तों के अधीन के एफ० डब्ल्यू ऋणों के लिए भाऔविनि द्वारा अदा किए गए ब्याज में से भारत सरकार से प्राप्त धन की द्योतक है)	862.66	4,373.64
जोड़	940.30	5,561.67

प्रवर्तन योजनाएं

3.03 इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण और लघु उद्योगों की विशेष भूमिका है तथा यह रोजगारोन्मुख औद्योगिक विकास के लिए हमारी राष्ट्रीय रणनीति का एक अंतरंग हिस्सा है, भाऔविनि स्वत: 14 प्रवर्तन योजनाओं का परिचालन कर रहा है, जिनमें से आठ सलाहकारी उप-सहायता योजनाएं हैं, चार ब्याज उप-सहायता योजनाएं हैं तथा निर्विष्ट क्षेत्रों में दो उद्यमीयता विकास योजनाएं हैं। सलाहकारी शुल्क उप-सहायता योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को तकनीकी सलाहकारी संगठनों के माध्यम से सलाहकारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ब्याज उप-सहायता योजनाएं, बेरोजगार युवक-युवतियों, महिला उद्यमियों के स्व-विकास एवं स्व-नियोजन के लिए काम करने, गुणवत्ता नियंत्रण सम्बन्धी उपायों को अपनाने, देश में उपलब्ध प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं। उद्यमीयता विकास योजनाओं के अन्तर्गत स्व-नियोजन के अवसरों के लिए पुन: प्रशिक्षण की प्रक्रिया द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र, पर्यटन से सम्बन्धित अन्य कार्यकलापों में स्व-नियोजन को प्रोत्साहन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

3.04 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, गोवा राज्य में पर्यटन एवं पर्यटन सम्बन्धी क्रियाकलापों में उद्यमीयता विकास के लिए लागू की गई प्रोत्साहन योजना को हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में भी शुरू किया गया तथा छंटनी अथवा रुग्ण औद्योगिक इकाई आदि के विवेकसंगत पुनर्गठन के फलस्वरूप जो कर्मचारी बेरोजगार हो गए, उन्हें स्व-रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने की योजना को मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान राज्य में भी लागू किया गया। इसके अतिरिक्त लघु, अति लघु एवं ग्रामीण उद्यमों को संवर्धित करने एवं उन्हें सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अगस्त, 1991 में भारत सरकार द्वारा घोषित नीतिगत उपायों के अनुसार कतिपय विद्यमान प्रवर्तन योजनाओं में संशोधन किया गया। वर्ष 1991-92 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल मिलाकर 92.77 लाख रुपए की उप-सहायता संवितरित की गई तथा मार्च, 1992 के अंत तक संचयी रूप से 548.59 लाख रुपए की उप-सहायता संवितरित की गई, जिनका विवरण सारणी-13 में दिया गया है।

तकनीकी सलाहकारी सेवाओं के लिए उप-सहायता

3.05 भाऔविनि सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा राज्य स्तरीय संस्थानों और बैंकों के सहयोग से स्थापित तकनीकी सलाहकारी संगठन विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करने, उद्यमियों की पहचान करने एवं उन्हें प्रशिक्षण देने तथा कतिपय विशिष्ट कार्य, यथा औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण, ऊर्जा अंकेक्षण, ऊर्जा संरक्षण आदि करते रहे। 18 तकनीकी सलाहकारी संगठनों (कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित एक तकनीकी सलाहकारी संगठन सहित) में से पांच तकनीकी सलाहकारी संगठनों अर्थात् हिमाचल सलाहकारी संगठन लि०, शिमला (हिमकॉन), राजस्थान सलाहकारी लि०, जयपुर (राजकॉन), मध्य प्रदेश सलाहकारी संगठन लि०, भोपाल (एमपीकॉन), उत्तर भारत सलाहकारी संगठन लि०, चंडीगढ़ (निटकॉन) तथा हरियाणा-दिल्ली औद्योगिक सलाहकारी संगठन लि०, दिल्ली (हार्डीकॉन) भाऔविनि के अग्रणी दायित्व हैं। वर्ष 1991-92 (अप्रैल—मार्च) के दौरान तथा 31 मार्च, 1992 तक संचयी रूप से इन पांच तकनीकी सलाहकारी संगठनों के परिचालनों का ब्यौरा सारणी-14 में दिया गया है।

सारणी 13 : भाऔविनि द्वारा इसकी विभिन्न प्रवर्तन योजनाओं के अधीन संवितरित उप-सहायता

(लाख रुपये)

प्रवर्तन योजनाओं के नाम	1991-92 (अप्रैल—मार्च) राशि रु०	31 मार्च, 1992 तक संचयी राशि रु०
(1)	(2)	(3)
— व्यवहार्यता अध्ययन, आदि की लागत को पूरा करने के लिए ग्रामीण कुटीर, अति लघु और लघु क्षेत्र, छोटे उद्यमियों को उप-सहायता योजना	45.91	327.44
— पशु पालन, डेरी उद्योग, मुर्गीपालन, मछली पकड़ने से सम्बद्ध उद्योगों को सलाहकारी उप-सहायता योजना	17.26	34.06
— कृषि, बागवानी, रेशम उत्पादन तथा मत्स्य पालन में लगे हुए या इनसे सम्बद्ध उद्योगों की सलाहकारी उप-सहायता योजना	14.83	31.26
— सहायक और लघु क्षेत्र के उद्योगों के प्रवर्तन के लिए उप-सहायता योजना	2.16	20.81
— बाजार अनुसंधान/सर्वेक्षण की लागत को पूरा करने के लिए नए उद्यमियों को उप-सहायता योजना	2.10	18.29
— ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उप-सहायता योजना	—	0.35
— लघु क्षेत्र की इकाइयों को बाजार सहायता उपलब्ध कराने के लिए उप-सहायता योजना	0.60	2.10
— अति लघु और लघु क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए उप-सहायता योजना	—	13.81
— अति लघु, लघु और सहायक इकाइयों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उप-सहायता योजना	0.05	4.80
— ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों तथा ऊर्जा संरक्षण उपायों के उपयोग हेतु सलाहकारी उप-सहायता योजना	1.00	1.92
— बेरोजगार युवा व्यक्तियों स्व-विकास और के स्व-नियोजन के लिए ब्याज उप-सहायता योजना	1.31	3.51
— महिला उद्यमियों के लिए ब्याज उप-सहायता योजना	6.85	18.04
— देशी तकनीक को ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज उप-सहायता योजना	—	45.35
— लघु क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज उप-सहायता योजना	—	0.09
— इन-हाऊस अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के द्वारा प्रौद्योगिकी विकास के लिए सहायता योजना	—	23.50
— पर्यटन तथा पर्यटन संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमी विकास सहायता योजना	0.54	1.94
— रुग्ण इकाइयों में विनियोजन एवं छंटनी के फलस्वरूप बेरोजगार लोगों में स्व-नियोजन प्रोत्साहित करने हेतु सहायता योजना	0.17	1.32
जोड़ :	92.78	548.59

सारणी 14 : भाऔविनि द्वारा प्रवर्तित तकनीकी सलाहकारी संगठनों की प्रगति का सार

दत्त कार्यों की प्रकृति	पूरे किए गए दत्तकार्यों की संख्या				
	हिमकोन	राजकोन	एमपीकोन	निटकोन	हरदिकोन
I. निवेश-पूर्व सलाहकारी दत्त कार्य					
— व्यवहार्यता, व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन/परियोजन रिपोर्ट, आदि	286 (2,337)	229 (1,824)	727 (3,854)	28 (498)	139 (529)
— औद्योगिक सम्भावना/क्षेत्र विकास सर्वेक्षण	— (6)	2 (36)	4 (39)	— (—)	— (—)
— बाजार सर्वेक्षण	1 (22)	— (—)	2 (45)	7 (30)	5 (27)
— परियोजना रूपरेखा	40 (339)	12 (85)	9 (928)	195 (980)	31 (713)
— प्रारम्भिक तथ्य-निरूपण अध्ययन	— (5)	— (—)	3 (22)	— (—)	— (—)
— मूल्यांकन	— (1)	— (—)	— (16)	— (8)	2 (17)
— अन्य	5 (134)	3 (45)	23 (321)	2 (60)	22 (58)
उप-जोड़ (I)	332 (2,844)	246 (1,990)	768 (5,235)	232 (1,576)	199 (1,344)
II. निवेश-पश्चात सलाहकारी दत्तकार्य					
— निदानात्मक अध्ययन	1 (22)	7 (66)	3 (42)	185 (344)	6 (76)
— रुग्ण इकाइयों का पुनर्स्थापन	3 (31)	— (—)	— (—)	11 (43)	— (—)
— अन्य	— (6)	3 (40)	— (16)	7 (26)	3 (40)
उप-जोड़ (II)	4 (59)	10 (106)	3 (58)	203 (413)	9 (116)
कुल जोड़ (I+II)	336 (2,903)	256 (2,096)	771 (5,293)	437 (1,989)	208 (1,460)
III. उद्यमीयता विकास कार्यक्रम					
— कार्यक्रमों की संख्या	14 (71)	11 (51)	41 (274)	16 (68)	7 (20)
— उद्यमियों की संख्या	361 (1,545)	272 (901)	1,184 (6,826)	337 (1,376)	165 (500)

कोष्ठकों में दी गई संख्या 31-3-1992 तक की संचयी संख्या दर्शाती है।

3.06 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने तकनीकी सलाहकारी संगठनों की सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, उनकी निगमित योजनाओं को तैयार करने के लिए समुचित अवधारणा निर्मित करने एवं उसमें सहायता प्रदान करने पर विशेष जोर दिया। इस संदर्भ में, भाऔविनि ने अपने अग्रणी दायित्व में कार्यरत तकनीकी सलाहकारी संगठनों के अध्यक्षों एवं प्रबन्ध निदेशकों का 12 अक्तूबर, 1991 को एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें सर्वसम्मति से यह सहमति हुई कि तकनीकी सलाहकारी संगठनों को प्रवर्तन कार्य करने के अलावा अपने परिचालनों में वाणिज्यिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्हें राज्य योजनाओं, राज्य की औद्योगिक नीतियों एवं कार्यक्रमों आदि के साथ सम्पर्क बनाए रखना चाहिए और तदनुसार कार्य-क्षेत्रों का चयन करना चाहिए।

3.07 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भाऔविबैंक, भाऔसानिनि एवं भाऔविनि द्वारा प्रायोजित सभी तकनीकी सलाहकारी संगठनों की कार्य-प्रणाली की समीक्षा करने तथा जीवन्त सलाहकारी संगठनों के रूप में उनके उन्नयन हेतु एवं उन्हें पुनर्जीवित करने के बारे में सुझाव देने के लिए उपर्युक्त प्रायोजकों द्वारा एक कार्यदल के गठन का उल्लेख किया गया था। उक्त कार्य दल ने तकनीकी सलाहकारी संगठनों की कार्य-प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया तथा अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया।

औद्योगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका

3.08 औद्योगिक इकाइयों के उपयोग के लिए विनिर्धीकरण तथा विशिष्ट परामर्शी सेवाओं से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से भाऔविबैंक के अग्रणी दायित्व में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने औद्योगिक सलाहकारों के रोस्टर के रख-रखाव का काम जारी रखा। वर्ष के दौरान, 53 नये परामर्शदाताओं को उक्त रोस्टर में सूचीबद्ध किया गया, जिससे 31 मार्च, 1992 को परामर्शदाताओं की कुल संख्या 1453 हो गई।

उद्यमीयता विकास के लिए सहायता

3.09 नवीन उद्यमियों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भाऔविनि ने (क) विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित उद्यमीयता विकास कार्यक्रम की लागत में भागीदारी, (ख) भाऔविनि सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा स्थापित एवं प्रायोजित शीर्ष स्तर के संगठन भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान को सहायता देकर तथा, (ग) राज्य स्तर पर उद्यमीयता विकास संस्थानों की स्थापना में सहायता देकर देश में उद्यमीयता विकास आन्दोलन को पहले की ही भांति निरन्तर अपनी सक्रिय सहायता प्रदान की। वर्ष के दौरान, भाऔविबैंक एवं भाऔसानिनि के साथ मिलकर भाऔविनि ने 282 उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की जिनमें से 82 उद्यमीयता विकास कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एण्ड टी) उद्यमियों के लिए आयोजित किए गए। मार्च, 1992 के अन्त तक भाऔविबैंक एवं भाऔसानिनि के साथ मिलकर, भाऔविनि ने 2,007 उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों को निधिक सहायता उपलब्ध कराई, जिससे 58,130 भावी उद्यमी लाभान्वित हुए।

3.10 भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान (भाउविस), जिसने 31 मार्च, 1992 को अपने क्रियाकलापों के 9 वर्ष पूरे कर लिए, उद्यमीयता विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों में संलग्न संस्थानों को व्यावसायिक सहायता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक राष्ट्रीय संसाधन संगठन के रूप में कार्य करता रहा। वर्ष के दौरान, भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने विभिन्न राज्यों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों के संकाय सदस्यों हेतु 4 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक नेशनल एक्रेडिटेड ट्रेनर्स कोर्स, गैर-सरकारी/स्वयं सेवी संगठन हेतु ग्रामीण उद्यमीयता विकास पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों हेतु एक कौशल विकास कार्यक्रम, विद्यमान उद्यमियों हेतु कार्य-निष्पादन में सुधार सम्बन्धी एक कार्यक्रम, उद्यमियों के पुत्रों/पुत्रियों हेतु उद्यमीयता की निरन्तरता के सम्बन्ध में उत्तराधिकार योजना पर तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने राष्ट्रमंडल के विकासशील देशों हेतु भी एक उद्यमीय प्रशिक्षक प्रेरक कार्यक्रम, विकासशील देशों हेतु औद्योगिक परियोजना तैयार करने तथा मूल्यांकन करने पर दो कार्यक्रम तथा मारीशस के वर्तमान उद्यमियों हेतु एक पुनश्चर्या कार्यक्रम का आयोजन किया।

3.11 राज्य स्तर पर उद्यमीयता विकास क्रियाकलापों को संस्थानात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में भाऔविनि सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों एवं बैंकों की सहायता से उद्यमीयता विकास संस्थान (उविस) की स्थापना की गई, जो सफलतापूर्वक अपने दायित्वों को निभा रहे हैं। ये सभी संस्थान/केन्द्र देश में उद्यमियों के विकास तथा देश के उद्योगीकरण की गति को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

प्रबन्ध विकास के लिए सहायता

3.12 भाऔविनि ने प्रबन्ध विकास संस्थान के माध्यम से प्रबन्ध में व्यावसायिक दक्षता लाने तथा बैंकिंग एवं उद्योग में कार्यरत प्रबन्धकों के प्रबन्धकीय कौशल के उन्नयन हेतु अपनी सहायता को जारी रखा। 1973 में प्रायोजित प्रबन्ध विकास संस्थान ने वर्ष के दौरान 1135 भागीदारों के लिए 23 सेवाकालीन आन्तरिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न क्षेत्रों में 49 प्रबन्ध विकास कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम, निगमित पुनर्संयोजन कार्यशैली एवं नीतियों पर एक उच्च स्तरीय कार्यशाला, विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबन्ध पर दो कार्यक्रम, समन्वित वित्तीय प्रबन्ध पर एक कार्यक्रम, सार्वभौमिक प्रतिस्पर्द्धा हेतु प्रबन्धकीय कार्यक्षमता में सुधार के लिए एक कार्यशाला, भी शामिल थी। अनुसंधान के क्षेत्र में प्रबन्ध विकास संस्थान ने कुछ चुने हुए भारतीय संगठनों में मानव संसाधन विकास प्रणाली के तुलनात्मक अध्ययन का कार्य प्रारम्भ किया तथा भारत स्थित हावर्ड एलामनी एसोसिएशन के सौजन्य से प्रबन्ध शिक्षा अध्ययन कार्यक्रम चलाया। अन्य विभिन्न अनुसंधान परियोजनाएं जैसे भारतीय प्रबन्ध की विभिन्न शैलियों का अध्ययन, भारतीय नेतृत्व-शैली का आचरण, इसके विविध आयाम एवं परिणाम आदि भी पूरी की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की निधिक सहायता से प्रबन्ध विकास संस्थान ने भारतीय औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड अध्ययन भी आरम्भ किया है। प्रबन्ध विकास संस्थान ने भारत सरकार द्वारा प्रायोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा/ग्रुप 'क' के सरकारी अधिकारियों तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में उच्चतम पदों पर कार्य करने की क्षमता रखने वाले कार्यपालकों के लिए 15 माह का राष्ट्रीय प्रबन्ध कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक संचालित किया। चतुर्थ राष्ट्रीय प्रबन्ध कार्यक्रम भी पहली जुलाई, 1991 को आरम्भ हुआ, जिसमें 30 भागीदार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

श्रम विकास हेतु सहायता

3.13 उद्योग एवं सामान्यत: औद्योगिक विकास से जुड़े संगठनों में कामगारों को प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने तथा ऐसे विशिष्ट उद्योगों, जिनमें प्रौद्योगिक परिवर्तनों के अनुसार विशेष कौशल एवं दृष्टिकोण अपेक्षित हो, के कामगारों के पुन: प्रशिक्षण एवं पुनश्चर्या के लिए भाऔविनि ने वर्ष के दौरान जयपुर, राजस्थान में श्रम विकास संस्थान नामक एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान स्थापित किया। राष्ट्रीय श्रम विकास संस्थान एक गैर-लाभकारी आधुनिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संगठन है, जिसे सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत 31 जनवरी, 1992 को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया। इसका उद्देश्य श्रमिकों में सामाजिक-आर्थिक समस्याओं तथा जिन संस्थानों में वे काम करते हैं उनके प्रति जिम्मेदारी और उद्योग में कामगारों के रूप में उनके अधिकारों एवं दायित्वों के लिए अधिकाधिक जागरूकता उत्पन्न करना है। यह संगठन अत्यन्त प्रबुद्ध सदस्यों एवं बेहतर प्रशिक्षित अधिकारियों के सहयोग से सुदृढ़, सुसंगठित तथा अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदार कामगारों की सहकारिताएं विकसित करने में सहायता प्रदान करेगा।

ग्रामीण विकास और उससे सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिए सहायता

3.14 आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों तथा सामान्य सुख सुविधा से वंचित लोगों के उत्थान हेतु उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में गरीबी कम करने के कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भाऔविनि ने अप्रैल, 1990 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि, नामक एक प्रतिष्ठान की स्थापना की थी, जो कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत एक गैर-लाभकारी, गैर राजनीतिक एवं धर्मनिरपेक्ष संस्थान है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि, जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में है, ग्रामीण एवं शहरी निर्धनों के आर्थिक विकास के लिए कार्यरत विभिन्न संगठनों एवं संस्थानों को वित्तीय एवं मानव संसाधन सम्बन्धी सहायता प्रदान करता है।

3.15 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि ने भाऔविनि द्वारा प्रदत्त 2.05 करोड़ रुपए की निकाय निधि (बाद में दिसम्बर, 1990 में भाऔविबैंक द्वारा 4.00 करोड़ रुपए अंशदान) से जुलाई, 1990 में अपना कार्य प्रारम्भ किया था। इस निधि ने 31 मार्च, 1992 तक 49 गैर-सरकारी संगठनों को कुल मिलाकर 107.56 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की थी, जिसमें से 52.31 लाख रुपए की राशि संवितरित की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं के लिए स्वत: भी कार्यक्रम शुरू किया तथा ग्रामीण विकास के लिए अन्य विशिष्ट व्यावसायिक एजेंसियों को निधि की ओर से काम करने के लिए प्राधिकृत किया जिसके लिए 16 लाख रुपए की कुल राशि की मंजूरी दी गई, जिनमें 6.46 लाख रुपए की राशि संवितरित की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि ने भुवनेश्वर और पटना में अपने कार्यालय खोलकर अब अपने क्रियाकलापों को उड़ीसा, बिहार, मध्यप्रदेश के अस्तर क्षेत्र तथा उत्तरी आन्ध्र प्रदेश, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में भी प्रारम्भ करने की योजना बनाई है।

जोखिम पूंजी, उद्यम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त के लिए सहायता

3.16 भाऔविनि जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त के लिए जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड, जो भाऔविनि द्वारा वर्ष 1976 में प्रवर्तित पूर्ववर्ती जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की उत्तराधिकारी संस्था है, के माध्यम से सहायता प्रदान करता रहा। वर्ष के दौरान, 15 मध्यम आकार की परियोजनाओं के लिए 304 लाख रुपए की जोखिम पूंजी सहायता मंजूर की गई। 1976 में जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की स्थापना से 31 मार्च, 1992 तक संचयी रूप से 226 मध्यम आकार वाली औद्योगिक इकाइयों को 3,086.73 लाख रुपए की कुल जोखिम पूंजी सहायता मंजूर की गई। इन मंजूरियों में से 2,782.73 लाख रुपए का संवितरण किया गया, जिसमें से 343.00 लाख रुपए का संवितरण 1991-92 से सम्बन्धित है। प्रौद्योगिकी वित्त एवं विकास योजना के अधीन वर्ष के दौरान 4 परियोजनाओं को 187 लाख रुपए मंजूर किए गए तथा संचयी रूप से 23 परियोजनाओं को 1,304.60 लाख रुपए मंजूर किए गए। इन मंजूरियों में से 762 लाख रुपए के संवितरण किए गए, जिनमें से 226.35 लाख रुपए का संवितरण 1991-92 से सम्बन्धित है।

उद्यमी पूंजी

3.17 नवीन उत्पाद/प्रौद्योगिकी/सेवाओं वाले अत्यधिक लाभप्रद उद्यमों, जिनका लक्ष्य भावी या नए बाजार बनाना हो, को उद्यम पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की उद्यम पूंजी यूनिट-III (वेकॉस III-1991) नामक एक योजना के रूप में जुलाई, 1991 में 30 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि (भाऔविनि द्वारा 20 करोड़ रुपए के अंशदान सहित, जिसमें 10 करोड़ रुपए का विश्व बैंक ऋण शामिल है) बनाई गई जिसकी व्यवस्था जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० द्वारा की जाएगी। 31 मार्च 1992 तक जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० द्वारा 10 परियोजनाओं को 939.00 लाख रुपए की राशि पहले ही मंजूर की जा चुकी थी, जिसमें से 209 लाख रुपए संवितरित किए जा चुके थे।

3.18 31 मार्च, 1992 तक भाऔविनि ने जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० को ब्याज पर ऋण देने के अलावा अपनी हितकारी आरक्षित निधि एवं ब्याज अन्तरजन्य निधियों में से वेकॉस III योजना हेतु भारतीय यूनिट ट्रस्ट के लिए 250 लाख रुपए देने के अतिरिक्त 2,123.23 लाख रुपए संवितरित किए। भाऔविनि ने अपनी सामान्य निधियों में से जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० की शेयर पूंजी में भी 600 लाख रुपए तक का अंशदान किया है।

3.19 वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने इंडस वेंचर मैनेजमेंट कम्पनी द्वारा संचालित 2,100 लाख रुपए की इंडस वेंचर पूंजी निधि की शेयर पूंजी में 100 लाख रुपए की सीमा तक अपनी सहमत हिस्सेदारी के भाग 20 लाख रुपए का अंशदान किया। आरम्भ में इंडस वेंचर पूंजी निधि, जो 1992-93 के शुरू में कार्य आरम्भ कर देगी, में से विशिष्ट रसायन, स्वास्थ्य देखरेख सम्बन्धी उत्पाद, इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्प्यूटर के क्षेत्रों से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता हेतु विचार किया जाएगा।

पर्यटन एवं पर्यटन सम्बन्धी कार्यों के लिए सहायता

3.20 पर्यटन के लिए भाऔवित्रनि की सहायता, पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओं में भाऔवित्रनि की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी तथा अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं एवं कुछ चुने हुए बैंकों के साथ मिलकर वर्ष 1989 में भाऔवित्रनि द्वारा प्रायोजित भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि०, को प्रदत्त सहायता के रूप में जारी रही। भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि० ने अपने क्रियाकलापों के तीसरे वर्ष के दौरान सावधि रुपया ऋण, लीजिंग वित्त एवं इक्विटी पूंजी में प्रत्यक्ष अभिदान के रूप में 42 परियोजनाओं को कुल 103.46 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की, जिसमें से 48.28 करोड़ रुपए संवितरित किए गए। 31 मार्च, 1992 तक संचयी मंजूरियों एवं संवितरण क्रमशः 241.22 करोड़ रुपए एवं 100.27 करोड़ रुपए रहे।

3.21 उपर्युक्त संचयी सहायता में उन 53 परियोजनाओं के लिए दी गई 85.25 करोड़ रुपए की मंजूरियां भी शामिल हैं, जो पर्यटन के क्षेत्र में पहली बार प्रवेश करने वाले उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित की गई (1991-92 के दौरान 16 परियोजनाओं को 30.95 करोड़ रुपए की मंजूरियां प्रदान की गई)। मंजूर सहायता में, पिछड़े क्षेत्र में स्थित 19 परियोजनाएं भी शामिल हैं जिनके लिए कुल मंजूर सहायता 32.73 करोड़ रुपए (1991-92 के दौरान 4 परियोजनाओं को 11.89 करोड़ रुपए) थी। भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि० द्वारा अब तक दी गई सहायता से 8,289 होटल के कमरों (1991-92 के दौरान 2,434 कमरों) की वृद्धि होगी एवं 15,904 व्यक्तियों को (1991-92 के दौरान 4,471 व्यक्तियों को) प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इससे पर्यटन परियोजनाओं में 811.43 करोड़ रुपए के कुल निवेश (1991-92 में 280 करोड़ रुपए) होगा। आवास तथा आतिथ्य से सम्बन्धित परम्परागत पर्यटन परियोजनाओं के अतिरिक्त भारतीय पर्यटन वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई सहायता के फलस्वरूप गैर-परम्परागत परियोजनाओं, जैसे मनोरंजन पार्क, किराए पर कार उपलब्ध कराने सम्बन्धी सेवा, अन्तर्देशीय जल यातायात के लिए नौका सेवा, हवाई यात्री सुविधा केन्द्र आदि को पहली बार भारतीय पर्यटन वित्त निगम ने इस योग्य बनाया कि वे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों से सहायता प्राप्त कर सकें।

पूंजी बाजार के विकास के लिए सहायता

3.22 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में, भाऔवित्रनि द्वारा कुछ चुने हुए निवेश संस्थानों एवं बैंकों के सहयोग से प्रायोजित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में 16 जनवरी, 1991 को एक अन्य साख निर्धारण एजेन्सी अर्थात् भारतीय निवेश सूचना एवं साख निर्धारण एजेन्सी लि० (इकरा) की स्थापना के बारे में उल्लेख किया गया था। भारतीय निवेश सूचना एवं साख निर्धारण एजेन्सी लि० ने पहली सितम्बर, 1991 से कार्य आरम्भ कर दिया है। इसके लिए भाऔवित्रनि ने 3.50 करोड़ रुपए की कुल प्रदत्त पूंजी में 91.00 लाख रुपए का अंशदान किया। भारतीय निवेश सूचना एवं साख निर्धारण एजेन्सी लि० 31 मार्च, 1992 तक 39 ऋण प्रलेखों की रेटिंग कर चुकी है, जिनमें 25 गैर परिवर्तनीय/अंशतः परिवर्तनीय डिबेन्चर, 11 सावधि जमा कार्यक्रम तथा 2,191.70 लाख रुपए के ऋण यात्रा वाली वित्तीय सेवा कम्पनियों के 3 वाणिज्यिक पेपर कार्यक्रम शामिल हैं। रेटिंग के लिए प्रदत्त 39 कार्यों में से 27 को स्वीकार किया जा चुका है और कम्पनियों द्वारा उनका प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय निवेश सूचना एवं साख निर्धारण एजेन्सी लि० ने दो नई सेवाएं यथा-ऋण मूल्यांकन सेवा एवं सामान्य मूल्यांकन सेवा भी आरम्भ की है।

3.23 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भाऔवित्रनि सहित अन्य संस्थानों, पारस्परिक निधियों एवं बैंकों के सहयोग से भारतीय यूनिट ट्रस्ट एवं भाऔसानिनि द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत 25 सितम्बर, 1990 को कम्पनी के रूप में प्रवर्तित किए गए प्रथम ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इण्डिया (ओटीसीईआई) की स्थापना का उल्लेख किया गया था। वर्ष के दौरान, भाऔवित्रनि ने अपनी ब्याज अन्तरजन्य निधियों में से 24 लाख रुपए के अपने अतिरिक्त हिस्से का अंशदान किया, जिससे इसका कुल अंशदान 64 लाख रुपए हो गया जो ओटीसीईआई की 8 करोड़ रुपए की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 8 प्रतिशत है। ओटीसीईआई ने अपने उपनियमों और विनियमों को अन्तिम रूप दे दिया है तथा अपना कार्य आरम्भ करने के लिए पूंजी निर्गम नियंत्रक की अनुमति प्राप्त कर ली है।

आवास विकास एवं वित्त के लिए सहायता

3.24 भाऔवित्रनि द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम आवास वित्त लि०, साधारण बीमा निगम गृह वित्त लि० एवं ए०बी० होम्स फाइनेंस लि० में भागीदारी के माध्यम से आवास विकास एवं वित्त के लिए सहायता प्रदान की जाती है। भाऔवित्रनि ने, वर्ष के दौरान, ए०बी० होम्स फाइनेंस लि० को ब्याज अन्तरजन्य निधियों में से 50 लाख रुपए का अंशदान किया, जो इसकी 10 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी का 5 प्रतिशत है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों को सहायता

3.25 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निरन्तर पारस्परिक संवाद विकसित करने तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमियों की नई श्रेणी तैयार करने के उद्देश्य से भाऔवित्रनि सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, पहले से ही प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और तकनीकी/शोध संस्थानों द्वारा स्थापित विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों (एसटीईपीएस) को सहायता प्रदान करता रहा है। भाऔवित्रनि, अब तक, रांची (बिहार), अम्बई (महाराष्ट्र), तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु), कानपुर (उत्तर प्रदेश), मैसूर (कर्नाटक), लुधियाना (पंजाब), भोपाल (मध्य प्रदेश) एवं खड़गपुर (पश्चिमी बंगाल) में आठ विज्ञान एवं उद्यमी पार्कों (स्टेप) हेतु निधियां जुटाने में भागीदारी कर चुका है। यद्यपि बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-स्टेप (बिट-स्टेप) रांची (बिहार) के सिवाय, अन्य सभी वित्तपोषित स्टेप्स की परियोजनाएं वर्ष के दौरान कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में थीं, सभी स्टेप विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों के बीच उद्यमीयता विकास से सम्बद्ध रहे। वर्ष के दौरान, भाऔवित्रनि ने गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेप, लुधियाना एवं श्री जयचाम राजेन्द्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग स्टेप, मैसूर को उनकी परियोजनाओं की पूंजी लागत को अंशतः पूरा करने के लिए अनुदान के रूप में क्रमशः 5.00 लाख रुपए तथा 3.75 लाख रुपए की निधिक सहायता प्रदान की।

अनुसंधान तथा अनुसंधानोन्मुखी गतिविधियों के लिए सहायता

(i) भाऔविनि पीठें

3.26 औद्योगिक प्रबन्ध, वित्तीय प्रबन्ध, औद्योगिक वित्त, क्षेत्रीय अर्थ-व्यवस्था और विकास बैंकिंग के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भाऔविनि ने छः पीठों की स्थापना की है, जो भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद में और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुवाहाटी तथा मद्रास विश्वविद्यालयों में हैं।

3.27 वर्ष के दौरान, 4 अक्तूबर, 1991 को बम्बई विश्वविद्यालय में डा० आर० एस० सबनीस ने 'केन्द्रीय बैंकों की स्वायत्तता--कुछ विचार' विषय पर भाऔविनि सार्वजनिक व्याख्यान दिया। कलकत्ता, गुवाहाटी एवं दिल्ली विश्वविद्यालयों तथा भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद की पीठें पूरे वर्ष रिक्त रहीं, परन्तु मद्रास विश्वविद्यालय में भाऔविनि पीठ के प्रोफेसर डा० एन० पी० श्रीनिवासन के मार्ग-दर्शन में विकास बैंकिंग एवं वित्तीय प्रबन्ध के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य जारी रहा।

(ii) भाऔविनि अनुसंधान अध्येतावृत्तियां

3.28 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में विकास बैंकिंग, उद्यमीयता विकास, उद्यम, उद्यम-प्रबन्ध, श्रम-प्रबन्ध, पर्यटन एवं पर्यटन सम्बन्धी क्रियाकलापों का प्रबन्ध, वित्तीय सेवाओं का प्रबन्ध, निवेश विश्लेषण, फोर्ट फोलियो प्रबंध परिसम्पत्तियों और देयताओं का प्रबन्ध आदि से सम्बन्धित क्षेत्रों में डाक्टरेट डिग्री हेतु अनुसंधान करने के लिए भाऔविनि अनुसंधान अध्येतावृत्तियों की नई योजना शुरू करने के बारे में उल्लेख किया गया था। यह योजना पहली सितम्बर, 1991 से लागू हो गई है। 26 विश्वविद्यालयों/संस्थानों के कुल 30 प्रत्याशियों ने उक्त अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन किया, जिसमें से निम्नलिखित विषयों पर चार अध्येतावृत्तियां प्रदान की गईं:—

— हिमाचल प्रदेश में अन्तरक्षेत्रीय सम्पर्क के माध्यम से संगठित विनिर्माण क्षेत्र की विकासात्मक भूमिका।

— भारत के निगमित क्षेत्र में उद्यम-पूंजी की उभरती हुई प्रवृत्तियां।

— पंजाब में अल्पावधि परियोजना वित्तपोषण तथा फैक्टरिंग सेवाओं की व्यवहार्यता।

— भारत में शेयर मूल्यों को प्रभावित करने वाले पहलू।

3.29 उपर्युक्त के अतिरिक्त, भाऔविनि द्वारा राष्ट्रीय उद्यमीयता तथा लघु कारोबार विकास संस्थान में उद्यमीयता विकास से सम्बन्धित क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए दो अध्येतावृत्तियां प्रारम्भ की गईं।

(iii) अन्य अनुसंधानोन्मुख संगठनों को सहायता

3.30 वर्ष के दौरान, उपभोक्ता शिक्षा अनुसंधान केन्द्र, समीक्षा ट्रस्ट, इन्स्टीट्यूट फार स्टडीज इन इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट, द इण्डियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इण्टरनेशनल इकॉनोमिक रिलेशन्स तथा लंदन स्कूल आफ इकॉनोमिक्स एण्ड पॉलिटिकल साइंस स्कॉलरशिप फण्ड को सहायता प्रदान की गई ताकि ये संगठन अपने अनुसंधानोन्मुख क्रियाकलापों को बढ़ा सकें।

---

4. आन्तरिक मामले

निदेशक बोर्ड

4.01 वर्ष के दौरान, निदेशक बोर्ड की बारह बैठकें हुईं, जिनमें से ग्यारह बैठकें नई दिल्ली में तथा एक बैठक बम्बई में हुई।

4.02 वर्ष के दौरान, भाऔविनि के बोर्ड के निर्वाचित एवं नामित निदेशकों के गठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 30 सितम्बर, 1991 को आयोजित भाऔविनि के शेयरधरियों की विशेष महासभा की बैठक में श्री एम० एन० गोइपोरिया, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, श्री के० पी० नरसिम्हन, प्रबन्ध निदेशक (अब अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत), भारतीय जीवन बीमा निगम (भाजीबीनि) तथा श्री डी० एम० पटेल, अध्यक्ष, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, को क्रमशः अनुसूचित बैंकों, बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों एवं इसी प्रकार के अन्य वित्तीय संस्थानों तथा सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाऔविनि के निदेशक के रूप में पुनर्निर्वाचित किया गया।

अन्तर-संस्थानात्मक तथा राज्य-स्तरीय समन्वय

4.03 संस्थानों के प्रधानों की अनौपचारिक बैठकों तथा वरिष्ठ कार्यपालक बैठकों (व०का०बै), वरिष्ठ विधिक कार्यपालक बैठकों (व०वि०का०बै०) तथा क्षेत्रीय कार्यपालक बैठकों (क्षे०का०बै०) के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थानों के बीच अन्तर-संस्थानात्मक समन्वय बनाए रखा गया। वर्ष के दौरान 21 वरिष्ठ कार्यपालक बैठकें, 5 वरिष्ठ विधिक कार्यपालक बैठकें तथा 15 क्षेत्रीय कार्यपालक बैठकें आयोजित की गईं। इनके अतिरिक्त प्रवर्तन क्रियाकलापों के क्षेत्र में अन्तर-संस्थानात्मक समन्वय बनाए रखने के उद्देश्य से वरिष्ठ कार्यपालकों की एक बैठक आयोजित की गई।

4.04 राज्य स्तर पर भाऔविनि के क्षेत्रीय/शाखा/अन्य कार्यालयों के प्रधानों ने राज्य स्तरीय समितियों तथा राज्य स्तरीय अन्य मंचों की विभिन्न बैठकों में भाग लेकर आपसी समन्वय बनाए रखा। वर्ष के दौरान भाऔविनि की राज्य सलाहकारी समिति की एक बैठक भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित की गई।

विदेशी एजेंसियों से विचार विनिमय

4.05 भाऔविनि ने विदेशों के विकास वित्तीय संस्थानों (विविसं) तथा विश्व बाजार में कार्यरत अन्तरर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ निरन्तर घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखा। उनके अनेक उच्चाधिकारियों ने भाऔविनि का दौरा किया, और भारत में निवेश के अवसरों एवं पारस्परिक हित से संबंधित मामलों के बारे में विचार-विमर्श किया। भाऔविनि ने क्रेदितांस्तल्त-फर-वाइडरफबाउ (के०एफ०डब्ल्यू०), एशियाई विकास बैंक (ए०डी०बी०) तथा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डिवलपमेंट (विश्व बैंक) के दलों का साथ लाभदायक विचार-विमर्श किए।

संगठनात्मक गतिविधियां

4.06 वर्ष के दौरान श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, महाप्रबन्धक को पहली अगस्त, 1991 से कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया।

4.07 प्रबन्ध सूचना पद्धति, प्रशिक्षण, अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग सहित अभिलेखों के रख-रखाव, कम्प्यूटरीकरण, अशक्तता लाभ, स्टाफ कल्याण, पुस्तकालय आदि से सम्बद्ध विषयों की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने और उनकी देख-रेख के लिए गठित भाऔविनि के अधिकारियों की विभिन्न समितियां भाऔविनि के क्रियाकलापों से संबंधित क्षेत्रों में पहले की ही भांति संतोषजनक ढंग से कार्य करती रहीं। कारोबार संबंधी कार्यनीति तय करने तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए प्रधान कार्यालय के प्रमुख कार्यपालकों के साथ क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों के प्रधानों की अगस्त, 1991 एवं जनवरी, 1992 में कारोबार नीति की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग की दो बैठकें आयोजित की गईं।

4.08 भाऔविनि क्रमिक रूप से कार्य के विकेन्द्रीकरण और प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों, दोनों के कार्यपालकों को प्राधिकारों के प्रत्यायोजन की अपनी नीति पर अमल करता रहा।

कार्मिक

4.09 मार्च, 1992 के अंत तक, भाऔविनि में कार्मिकों (क्षेत्रीय, शाखा और अन्य कार्यालयों के स्टाफ सहित) की कुल संख्या 1153 थी जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 185, भूतपूर्व सैनिक 35, और शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या 17 थी। उक्त तारीख तक महिला कर्मचारियों की संख्या 189 थी।

मानव संसाधन विकास

4.10 मानव संसाधन विकास के लिए गठित संचालन समिति (प्रशिक्षण) के समग्र दिशा-निर्देश और पथ-प्रदर्शन में पहले की ही भांति मानव संसाधन विकास पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाता रहा। आर्थिक सुधारों के सूत्रपात के फलस्वरूप तथा वित्तीय संस्थानों के क्रियाकलापों में भी उदारता एवं विनियमन की नीति को समाविष्ट किए जाने के पश्चात् निगम के आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस प्रकार गतिशील बनाया गया कि उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्यपालकों तथा स्टाफ के सदस्यों को अपेक्षित दृष्टिकोण एवं व्यावसायिक कुशलता प्रदान की जा सके। आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत जिन महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया उनमें विदेशी मुद्रा परिचालन, वित्तीय सेवाओं का विपणन, पोर्टफोलियो प्रबन्ध, लेखांकन नीति एवं कार्य-विधि, परिसम्पत्तियों एवं देयताओं इत्यादि को शामिल किया है। भाऔविनि के विभिन्न क्रियाकलापों के कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ पर्सनल कम्प्यूटरों पर कार्यारम्भ प्रशिक्षण सत्र पर विशेष बल दिया गया जिसमें इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशनों का उपयोग किया गया।

4.11 वर्ष के दौरान अलग-अलग अवधि के 82 आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से 36 कार्यक्रम प्रधान कार्यालय में, 25 बम्बई प्रशिक्षण केन्द्र में, 18 पटना प्रशिक्षण केन्द्र में तथा 3 हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित किए गए। कुल मिलाकर 212 दिनों के इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न स्तरों के 1249 भागीदारों (इनमें से कुछ एक से अधिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए) ने भाग लिया।

4.12 आन्तरिक प्रशिक्षण के पूरक कार्यक्रम के रूप में तथा अन्य संस्थानों/संगठनों के विद्वानों एवं शिक्षाविदों के साथ विचार-विनिमय के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रबन्ध विकास के लिए भाऔविनि द्वारा प्रायोजित संस्थान प्रबन्ध विकास संस्थान सहित देश के प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा आयोजित 59 बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्टाफ के 78 सदस्यों ने भाग लिया। कारोबार विकास के दायरे को बढ़ाने के प्रयोजन से प्रधान कार्यालय में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर तीन दिन का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बूज एलेन एंड हैमिल्टन के श्री डब्ल्यू० हॉवर्थ, विश्व बैंक के सलाहकार ने जुलाई, 1991 में प्रधान कार्यालय में क्रेडिट एसेट रिव्यू और नीतिगत नियोजन पर दो दिन की एक संगोष्ठी का संचालन किया।

4.13 भाऔविनि में विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करने के बारे में सरकारी दिशा-निर्देशों पर भाऔविनि निरन्तर अमल करता रहा। वर्ष के दौरान इस प्रकार 17 भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

4.14 रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिए वाणिज्यिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की योजना के अधीन भाऔविनि ने अपने पुनर्स्थापन वित्त विभाग में, वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के तीन कार्यपालकों को कार्योन्मुखी व्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाई। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्वावधान में डिवलपमेंट बैंक आफ घाना के एक अधिकारी को पुनर्स्थापन वित्त विभाग में कार्योन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग तथा संप्रेषण प्रणाली

4.15 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भाऔविनि के प्रधान कार्यालय में आईसीआईएम 6040 मेनफ्रेम, यूनिक्स वातावरण में संचालित ईएसपीएल मिनी सिस्टम्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिन्टर सहित पर्सनल कम्प्यूटर, वर्कनेट-II, यूनिक्स वातावरण में मल्टी-यूजर्स मोड में कार्य करने वाली

कम्प्यूटरीकृत टेलेक्स प्रणाली तथा पीसी फैक्स प्रणाली और भाओविनि के सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में पर्सनल कम्प्यूटरों सहित ईएसपीएल मिनी सिस्टम्स, प्रिन्टरों, डम्ब टर्मिनलों, इत्यादि को स्थापित करने का उल्लेख किया गया था। वर्ष के दौरान, अपेक्षाकृत अधिक अधिकारियों को डेस्क स्तर पर कम्प्यूटर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निगम के प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों तथा क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में डॉट मैट्रिक्स प्रिन्टर्स सहित 142 पर्सनल कम्प्यूटर लगाए गए। हिन्दी में विभिन्न निर्गम रिपोर्ट तैयार करने तथा हिन्दी में ही आगम आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए उपर्युक्त में से 78 पर्सनल कम्प्यूटरों में जिस्ट कार्ड लगाए गए।

4.16 रुपया ऋण लेखांकन, सामान्य वित्तीय लेखांकन, विदेशी मुद्रा ऋण लेखांकन आदि क्षेत्रों में पहले से लगाए गए सॉफ्टवेयर पैकेजों की देख-रेख करने एवं उन्हें अद्यतन बनाए रखने के अतिरिक्त वर्ष के दौरान वित्तीय सेवाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अधीन सहायता हेतु प्राप्त आवेदनों की स्थिति की तथा इन वित्तीय सेवाओं के अधीन की गई मंजूरियों एवं संवितरणों के सम्बन्ध में सूचना की मानिटरिंग करने के उद्देश्य से चूकों, बकाया राशियों तथा वचनबद्धताओं एवं वित्तीय सेवा सूचना प्रणाली से संबंधित प्रबन्ध सूचना प्रणाली के क्षेत्रों में नए एप्लिकेशन पैकेज विकसित किए गए। इसके अलावा निवेश पोर्टफोलियो तथा प्रबन्ध लेखांकन प्रणाली में 'ऑन लाइन' सुविधा की भी व्यवस्था करने के लिए इन्हें परिशोधित किया गया ताकि यह प्रयोक्ता के लिए और अधिक सुविधाजनक हो सके जिसे प्रयोक्ता स्वत: परिचालित कर सके।

4.17 जैसा कि गत वर्ष की रिपोर्ट में बताया गया था, सी एम सी लिमिटेड को प्रदत्त संविदा के अनुसरण में उसने कम्प्यूटर प्रणाली के नेटवर्किंग पर अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी है तथा जिन स्थानों पर 'बैकनेट' सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन स्थानों में स्थित भाओविनि के कार्यालयों में इस प्रणाली को प्रारम्भिक रूप से जोड़ने के लिए सम्प्रेषण माध्यम के मूलाधार के रूप में बैकनेट व्यवस्था की सिफारिश की है। जिन स्थानों पर बैकनेट सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन सभी स्थानों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने भाओविनि को उक्त सुविधा प्रदान करने पर सहमति प्रकट की है।

स्टाफ के लिए कल्याण कार्य

4.18 भाओविनि के स्टाफ कल्याण कार्यों में सामाजिक सुरक्षा, आवास एवं चिकित्सा सुविधाएं पहले की ही भांति मुख्य आधार बनी रहीं। विभिन्न प्रकार के स्टाफ कल्याण कार्यों, जैसे कि उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद एवं बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु ऋण सुविधाएं, भाओविनि के विभिन्न कार्यालयों के मनोरंजन क्लबों को शैक्षणिक दौरों, इनडोर-आउटडोर खेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं स्टाफ कालोनियों के निवासी कल्याण संघ आदि द्वारा आयोजित समारोहों के अनुदान के लिए स्टाफ कल्याण निधि संसाधनों की मुख्य स्रोत बनी रही।

सामुदायिक कल्याण

4.19 भाओविनि ने वर्ष के दौरान कैन्सर सेंटर एंड वेलफेयर होम, कलकत्ता को कैन्सर के मरीजों के उपचार हेतु अतिरिक्त कोबाल्ट मशीन की स्थापना-लागत को अंशत: पूरा करने के लिए पांच लाख रुपए का अंशदान दिया। भाओविनि ने उत्तरकाशी क्षेत्र के भूकम्प पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में दो लाख रुपए का अंशदान दिया। भाओविनि के अधिकारियों एवं स्टाफ ने भी इन भूकम्प पीड़ितों की मदद के लिए 1.43 लाख रुपए का अंशदान किया। भाओविनि ने अवेहीं पब्लिक चैरिटेबल (शैक्षणिक) ट्रस्ट, अम्बई, जो कि ज्ञान का विस्तार करने, जागरूकता पैदा करने और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार लाने तथा अन्य सामुदायिक कल्याण कार्यों में लगा हुआ है, को 50,000 रुपए का अंशदान दिया।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

4.20 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भाओविनि द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा भाओविनि के शासकीय कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। हिन्दी में विभिन्न शिक्षण कार्यक्रमों, विशेषकर हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया, ताकि भाओविनि के कर्मचारी अपना शासकीय कार्य हिन्दी में कर सकें। हिन्दी प्रशिक्षण के लिए बनाए गए समयबद्ध कार्यक्रम के परिणामस्वरूप निगम ने अपने टाइपिस्टों को हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वर्ष 1991-92 के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को हिन्दी में टिप्पण एवं प्रारूपण का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त अम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालयों एवं बंगलौर, अहमदाबाद और भोपाल शाखा कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

4.21 प्रधान कार्यालय सहित निगम के प्रत्येक क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियां, राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन पर निरन्तर निगरानी रखती रहीं और सम्बन्धित कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय सुझाती रहीं। नोडल प्वाइंट की बैठकों, जिनमें प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों एवं प्रभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए। भाओविनि के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों ने पहले ही की भांति भारत के विभिन्न नगरों में गठित नगर स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

4.22 विगत वर्षों की भांति ही समीक्षाधीन वर्ष में भी राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले सभी दस्तावेज, यथा-प्रशासन परिपत्र, परिचालन परिपत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञापन तथा सामान्य आदेश आदि द्विभाषिक रूप में जारी किए गए। कम्प्यूटर पर हिन्दी में काम को बढ़ाने के लिए प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों/प्रभागों को तथा सभी क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों को 'अक्षर' सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए गए। कम्प्यूटर पर हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रयोक्ता के लाभ हेतु कम्प्यूटर पर हिन्दी में काम करने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया जिसके अन्तर्गत अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। निगम के अधिकांश कार्यालयों में द्विभाषिक टेलेक्स पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं।

4.23 भाऔविनि ने 14 एवं 15 दिसम्बर, 1991 को जयपुर में आयोजित तृतीय अखिल भारतीय बैंक राजभाषा सम्मेलन में भी भाग लिया। इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में भाऔविनि को उक्त प्रदर्शनी में प्रदर्शित अपने हिन्दी प्रकाशनों के लिए प्रशंसा-पत्र प्रदान किया गया। विकास बैंकिंग तथा इससे सम्बन्धित विषयों पर हिन्दी माध्यम से अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भाऔविनि ने हिन्दी फैलोशिप प्रदान करने का निर्णय लिया जिसके अन्तर्गत मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों में विकास बैंकिंग, उद्यमीयता विकास, वित्तीय सेवा प्रबन्ध, निवेश विश्लेषण आदि से सम्बन्धित अनुसंधान क्षेत्रों में हिन्दी माध्यम से डॉक्टरेट अनुसंधान उपाधि के लिए कार्य कर रहे अनुसंधानकर्ताओं को फैलोशिप प्रदान की जाएगी।

आन्तरिक लेखा-परीक्षा

4.24 प्रधान कार्यालय के आन्तरिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग, जो कार्यपालक निदेशक के माध्यम से अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है, ने भाऔविनि के राजस्व का पूर्ण एवं सही लेखांकन, संसाधनों, का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया और उत्पादकता एवं कार्यक्षमता में सुधार लाने पर विशेष जोर देते हुए निगम की कार्य पद्धति एवं कार्य प्रक्रिया की प्रभावकारिता के बारे में प्रबन्धन को सूचना दी। वर्ष के दौरान, आन्तरिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग ने वित्तीय सेवाओं सहित ऋणों एवं अग्रिमों से प्राप्त आय के शत-प्रतिशत सत्यापन के अतिरिक्त संवितरणों, वसूलियों, संवितरण के पश्चात अनुवर्तन, बीमा एवं विधिक प्रलेखन आदि कार्यों का भी निष्पादन किया। पूरे वर्ष के दौरान आन्तरिक लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग ने लेखा-परीक्षा के प्रेक्षणों एवं विधि लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के आधार पर की गई उपचारात्मक कार्रवाईयों के अनुपालन पर निरन्तर गम्भीरतापूर्वक ध्यान रखा। विधि लेखा परीक्षा, जिसमें विधिक दस्तावेजों के वास्तविक सत्यापन, ऋण प्रलेखों की प्रसंविदाओं के अनुसार प्रतिभूति प्रावधानों की समीक्षा, बकाया कानूनी कार्यों की स्थिति का अनुवर्तन आदि शामिल है, को भी पिछले कुछ वर्षों से आन्तरिक लेखा-परीक्षा में एकीकृत कर दिया गया है।

42वीं वार्षिक रिपोर्ट (1989-90) के लिए रजत शील्ड

4.25 दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली ने, वर्ष के दौरान बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से प्राप्त प्रविष्टियों में से भाऔविनि की 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष की 42वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा को सर्वोत्तम पाया तथा भाऔविनि को रजत शील्ड प्रदान की। यह तीसरा अवसर है जबकि भाऔविनि को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व भाऔविनि को वर्ष 1984-85 और 1986-87 की वार्षिक रिपोर्टों के लिए रजत शील्ड प्राप्त हुई थी।

आभार

4.26 भाऔविनि का निदेशक बोर्ड भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, निदेशालयों, विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों, सहयोगी पूंजीगत-वित्त तथा मर्चेण्ट बैंकिंग संगठनों, विभिन्न राज्य सरकारों, राज्य स्तर के विभिन्न वित्तीय एवं विकास संगठनों, आदि से प्राप्त सहायता, सहयोग, सलाह, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है।

4.27 निदेशक बोर्ड विदेशों में स्थित विभिन्न विकास वित्तीय संस्थानों, विशेष रूप से विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, क्रेडितांस्टाल्ट-फर-वाइडरफबाऊ, जर्मनी, एशिया एवं प्रशान्त के विकास वित्तीय संस्थानों के संघ और विदेश स्थित अनेक सम्पर्ककर्ता बैंकों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग समुदाय के सदस्यों द्वारा भाऔविनि को प्राप्त निरन्तर सहयोग के लिए भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता है।

4.28 निदेशक बोर्ड, निगम के विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों तथा स्टाफ के सभी सदस्यों द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निष्ठा एवं समर्पण भाव से की गई सेवाओं के लिए उनकी सहर्ष सराहना करता है।

पी० जे० नायक
प्रभारी अध्यक्ष

परिशिष्ट-I

1991-92 के दौरान चुने हुए उद्योगों की स्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग का विवरण

(कोष्ठकों में दिए गये आंकड़े इकाइयों की संख्या के द्योतक हैं)

क्रम सं० उत्पाद	माप इकाई	1991-92 में स्थापित क्षमता और उत्पादन					
		सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध में			निगम की वित्तपोषित संस्थाओं के सम्बन्ध में		
		स्थापित क्षमता और इकाइयों की संख्या	1991-92 में अनुमानित उत्पादन	प्रतिशत क्षमता उपयोग	स्थापित क्षमता और इकाइयों की संख्या	1991-92 में अनुमानित उत्पादन	प्रतिशत क्षमता उपयोग
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. चीनी	लाख टन	101.18 (408)	117.50*	116.13	11.92 (80)	8.75	73.40
2. सूती धागा (मिल क्षेत्र)		27.34 मिलियन तकुए (824)	1782.00 मिलियन कि०ग्रा०	78.00	4.66 मिलियन तकुए (194)	321.33 मिलियन कि०ग्रा०	—
3. सूती वस्त्र (मिल क्षेत्र)		1.78 (285) लाख खड्डियां	2371.00 मिलियन मीटर	60.00	0.14 (23) लाख खड्डियां	292.28 मिलियन मीटर	—
4. पटसन वस्त्र	लाख टन	17.00 (73)	.2.99	76.41	1.36 (4)	0.91	66.91

* उत्पादन अक्तूबर 1991 से 30 अप्रैल 1992 तक की अवधि का है
अन्य उत्पादों के लिए उत्पादन आंकड़े अप्रैल 1991 से मार्च 1992 के हैं।

परिशिष्ट-I (क्रमशः)

(कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े इकाइयों की संख्या के द्योतक हैं)

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. कागज और गत्ता	लाख टन	32.84 (327)	19.65	59.83	8.87 (33)	8.78	98.99
6. रेयन पल्प	लाख टन	1.96 (5)	2.00	102.04	0.72 (1)	0.48	66.67
7. अखबारी कागज	लाख टन	3.13 (5)	2.88	92.01	0.75 (1)	0.71	94.67
8. प्लाईवुड	मिलियन वर्ग मी०	122.44 (61)	63.00	51.45	65.70 (4)	46.36	70.56
9. सीमेंट	मिलियन टन	62.00 N.A.	53.10	85.64	33.86 (60)	29.10	85.94
10. नाइट्रोजन उर्वरक	लाख टन	81.48 (47)	73.00	89.59	24.27 (6)	28.60	117.84
11. फॉस्फेटिक उर्वरक	लाख टन	28.44 (20)	25.70	90.36	1.98 (3)	2.30	116.16
12. कास्टिक सोडा	लाख टन	11.38 (40)	10.23	89.45	3.25 (8)	2.97	91.38
13. सोडा एश	लाख टन	15.57 (7)	13.28	85.29	1.72 (3)	1.61	93.60
14. कैल्सियम कार्बाइड	लाख टन	2.19 (7)	0.91	41.55	0.39 (2)	0.27	69.23
15. एसिटिक एनहाइड्राइड	हजार टन	54.70 (15)	26.40	48.26	7.80 (2)	6.40	82.05
16. एसिटिक एसिड	लाख टन	1.40 (21)	0.90	64.28	0.09 (2)	0.05	55.55
17. कार्बन ब्लैक	लाख टन	1.74 (7)	1.25	71.84	0.72 (3)	0.50	69.44
18. तरल क्लोरीन	लाख टन	5.85 (29)	4.02	68.72	1.32 (5)	0.82	62.12
19. नायलोन फिलामेंट धागा	हजार टन	97.60 (14)	29.89	30.62	20.14 (5)	13.25	65.78
20. नायलोन टायर कॉर्ड	हजार टन	32.17 (N.A.)	41.67	129.53	17.10 (3)	16.64	97.31
21. पॉलिएस्टर फिलामेंट धागा	हजार टन	286.04 (21)	201.50	70.44	105.12 (10)	81.81	77.82
22. पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर	हजार टन	230.06 (10)	132.50	57.59	20.00 (1)	15.04	75.20
23. विस्कोस स्टेपल फाइबर	हजार टन	170.05 (3)	156.56	92.06	24.00 (1)	28.69	119.54
24. विस्कोस फिलामेंट धागा	हजार टन	68.86 (7)	52.16	75.75 (2)	20.50	14.54	70.93
25. ऑटो टायर	लाख संख्या	318.18 (27)	215.00	67.57	62.09 (6)	58.23	93.78
26. ऑटो ट्यूबें	लाख संख्या	200.73 (29)	155.00	77.22	52.64 (5)	43.61	82.85
27. रबर गर्भनिरोधक	मिलियन संख्या	1193.00 (6)	1078.80	90.43	608.00 (1)	582.00	95.72
28. पुनर्प्रयोग की गई रबर	हजार टन	52.30 (11)	55.69	106.48	7.96 (2)	4.49	56.41
29. खालों से तैयार चमड़ा	लाख संख्या	106.68 (42)	72.03	67.52	7.00 (2)	2.19	31.28
30. त्वचा से तैयार चमड़े के जूते	लाख संख्या	462.49 (44)	176.00	38.05	9.60 (3)	0.95	9.89
31. कांच की शीटें	मिलियन वर्ग मी०	51.80 (9)	42.00	81.08	13.60 (1)	9.32	68.53
32. फाइबर ग्लास	हजार टन	5.29 (3)	4.80	90.73	1.27 (1)	0.92	72.44
33. कांच की बोतलों और विविध कांच का सामान	लाख टन	6.56 (27)	6.87	104.73	1.83 (3)	0.97	53.00
34. कृत्रिम डिटर्जेण्ट	हजार टन	440.00 (23)	272.15	61.85	26.70 (2)	16.18	60.60
35. साबुन	हजार टन	435.40 (53)	469.78	107.90	0.92 (1)	0.53	57.61

परिशिष्ट-I (समाप्त:)

(कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े इकाइयों की संख्या के द्योतक हैं)

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36. फैटी एसिड	हजार टन	210.65 (25)	147.76	70.15	31.66 (2)	8.19	25.87
37. रिफ्रेक्ट्रीज	लाख संख्या	16.70 (71)	11.80	70.66	3.69 (7)	2.37	64.23
38. सिरेमिक टाइल्स	लाख टन	4.37 (24)	2.73	62.47	0.78 (4)	0.73	93.59
39. विस्फोटक	हजार टन	235.00 (22)	150.00	63.83	27.15 (3)	16.27	59.93
40. ऑक्सीजन	एमसीएम	227.86 (192)	180.00	78.99	86.46 (5)	59.68	69.02
41. घड़ियां	मिलियन संख्या	14.78 (13)	12.00	81.19	2.00 (1)	0.83	41.50
42. बिक्री योग्य स्टील (मुख्य संयंत्र)	लाख टन	116.70 (6)	100.60	86.20	21.00 (1)	20.50	97.62
43. स्टील इंगोट्स/बिलेटस	लाख टन	62.42 (175)	51.38	82.31	6.69 (15)	4.12	61.58
44. स्टील गढ़ाई	लाख टन	4.72 (105)	1.72	36.44	0.16 (3)	0.04	25.00
45. स्टील ढलाई	लाख टन	3.53 (120)	2.63	74.50	0.47 (5)	0.33	70.21
46. शीत कृत इस्पात पत्तियां	लाख टन	18.50 (62)	11.50	62.16	1.21 (5)	0.98	80.99
47. स्पॉन्ज आयरन	लाख टन	14.00 (6)	10.00	71.42	1.00 (1)	0.90	90.00
48. दुपहिये	लाख संख्या	32.00 (24)	15.22	47.56	4.56 (5)	1.69	37.06
49. वाणिज्यिक वाहन	लाख संख्या	2.65 (13)	1.41	53.21	1.42 *(6)	1.43	100.70
50. कारें	लाख संख्या	2.25 (5)	1.62	72.00	0.55 (1)	0.47	85.45
51. वी बेल्ट्स	लाख संख्या	244.10 (16)	156.00	63.91	12.00 (1)	11.97	99.75
52. कन्वेयर बेल्ट्स	हजार टन	11.36 (8)	17.58	154.75	2.40 (1)	2.97	123.75
53. जी० एल० एस० लैम्पस	मिलियन संख्या	287.31 (19)	193.67	67.41	15.90 (2)	9.30	58.50
54. फ्लोरेसेन्ट ट्यूबें	मिलियन संख्या	789.85 (20)	645.74	81.75	2.40 (1)	4.30	179.17
55. पावर एवं वितरण ट्रांसफार्मर्स	मिलियन किलोवाट्स	40.44 (32)	11.86	29.33	4.50 (1)	3.70	82.22
56. इलैक्ट्रिकल पंखे	लाख संख्या	47.92 (21)	18.23	38.04	3.00 (1)	1.36	45.33
57. ट्रेक्टर	हजार संख्या	243.00 (20)	140.00	57.61	0.30 (1)	0.36	120.00
58. पावर टिलर्स	हजार संख्या	9.00 (3)	6.30	70.00	2.00 (1)	1.20	60.00
59. होटल	लाख संख्या@	174.00 (736)	104.75	60.20	6.85 (13)	4.27	62.34

@ कालम 4 और 7 तथा 5 और 8 में क्रमश: किराये के लिए खाली कमरों तथा भरे हुए कमरों की संख्या दी गई है।

परिशिष्ट-II

1991-92 (अप्रैल-मार्च) के दौरान भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित नई, विस्तार एवं विशाखन परियोजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान

(करोड़ रुपए)

उद्योग	परियोजनाएं (सं०)	कुल पूंजी लागत (रु०)	संभावित प्रत्यक्ष रोजगार (सं०)	उत्पाद मूल्य (रु०)	सकल मूल्य वृद्धि (रु०)	क्षमता प्रति वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चीनी	5	175.45	3103	152.41	54.03	12,500 टन गन्ना पेराई प्रतिदिन
खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग	22	193.92	2559	741.21	138.18	7050 टन प्रोसेस्ड चिकन, 2560 टन सीफूड, 10,800 टन पशु चारा, 48,675 टन वनस्पति, 81,705 टन तेल का परिशोधन, 100 टन चावल की भूसी का तेल, 8.01,000 टन सोयाबीन और 3.35.000 टन रेपसीड की प्रोसेसिंग
वस्त्र	31	825.97	11,197	823.99	304.98	1869 टन टेरी टॉवल, 4,57,372 तकुए 1.440 रोटर्स, 2.60.36.000 मीटर कपड़ा, 45.60 लाख मीटर सूटिंग, 1091 मीट्रिक टन टैक्सचराईज्ड यार्न, 139 लाख मीटर सिन्थेटिक यार्न, 300 लाख मीटर नैरो वूवन इलास्टिक टेप्स, 72 लाख लेवल
कागज एवं कागज उत्पाद	3	644.63	950	291.48	147.04	56.000 टन लिखाई/छपाई के कागज, 15,000 टन स्पेशलिटी कागज और 50.000 टन अखबारी कागज
रसायन एवं रसायन उत्पाद	15	682.98	3479	582.40	291.46	33.000 टन कास्टिक सोडा, 16,500 टन फॉस्फेरिक एसिड, 3600 टन बेन्जीन, 1,800 टन एनिलिन, 4900 टन एसिटलडिहाईड, 4000 टन वीएसए, 5200 टन वीएटी, रिएक्टिव एसिड, 1.875 टन प्रत्येक इथाईल एसिटी एसिटेट और मिथाईल आर्टो एसिटेट, 26,400 टन सल्फ्यूरिक एसिड, 910 टन लिक्वर ग्रेड नाइट्रोसैलुल, इंजेक्टिबल तरल की 70 लाख बोतलें, 20.800 टन इबुप्रोफेन, 1.000 एमएमयू पेन्सिलिन "जी", 6.000 टन पारा एण्ड आर्थो नाइट्रोबेन्जीनी, 93 टन थोक ड्रग्स, 1500 टन हेक्सामिन, इन्ट्राविनस फ्लूइड की 140 लाख बोतलें।
कृत्रिम रेशे	3	138.65	589	154.66	53.31	400 टन मल्टी फिलामेंट यार्न, 17000 टन पार्शियली ओरिएन्टिड यार्न, 1824 टन पोलिप्रोपिलिन मल्टी फिलामेंट यार्न
सिन्थेटिक्स रेसिन्स एवं प्लास्टिक उत्पाद	8	3,254.24	2,988	1,801.78	1,268.60	3.000 टन एडहेसिव टेप, 107.72 टन मोल्डिड पोलि टेट्रा फ्लूरो एथिलिन, 10,550 टन रिजिड पीवीसी फिल्म, 1380 टन मोल्डिड लगेज और 480 टन मोल्डिड प्लास्टिक क्रेट्स और कंटेनर्स
रबड़ उत्पाद	1	4.60	756	25.28	7.44	65,000 बाइसिकल/रिक्शा टायर व ट्यूब प्रतिदिन
सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	6	175.75	941	112.59	73.35	10.97 लाख टन सीमेंट

परिशिष्ट-II

(करोड़ रुपए)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
विविध अधातु खनिज	7	60.69	1076	73.30	42.80	2.99 वर्ग मीटर ग्रेनाइट स्लेब टाइल, 12 लाख सिरेमिक ट्रांसफर शीटें, 12.57 वर्ग मीटर कोटिड एब्रेसिव्स, 1.33 लाख वर्ग मीटर पोलिश्ड ग्रेनाइट
लोहा एवं इस्पात	12	4821.00	3497	2889.81	1304.16	9,000 टन कार्बन फैरो क्रोम, 15,000 टन प्रीसिशन स्टील ट्यूबें, 18.50 लाख टन हाट रोल्ड कायल्स, 75,000 टन कार्बन अलॉय स्टील सीमलैस ट्यूबें, 34,200 टन वायर रोड्स और छड़ें, 10.30 लाख टन स्पॉंज आयरन, 2.85 लाख टन पिग आयरन।
मशीनरी एवं उपांग	2	17.47	287	30.81	13.33	35.3 लाख बॉल/टेपर बियरिंग्स वाटर/एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांटों का विनिर्माण
इलैक्ट्रिकल मशीनरी	2	19.80	247	18.98	7.70	40 लाख फ्लूरोसेंट ट्यूबें, 175 लाख जी एल एस लैम्प
इलैक्ट्रानिक उपस्कर	9	295.60	1416	251.27	142.48	20,000 फैक्स मशीनें, 50,000 लाइनों वाले इपीएबीएक्स सिस्टम, 120 लाख माइक्रो फ्लोपी डिस्केट्स, 80 लाख फैलसेफ गैस डिस्चार्ज ट्यूबें व मॉड्यूल्स, 120 लाख पेचड डिस्क्स, 24 लाख डिस्क कवर, 12,360 लाख अल्यूमिनियम केन्स व टेब्स, 3.45 लाख वर्ग मीटर लो वोल्टेज फॉयल्स, 500 पल्स कोड माड्यूलेशन इन्स्ट्रूमेंट।
परिवहन उपस्कर	7	72.48	1104	115.69	43.24	एलसीवी के लिए 15,00 टन प्रैस्ड फोर्ज्ड कनेक्टिंग रॉड्स, 325 टन ट्रांसमिशन व इंजिन गियर्स एवं शाफ्ट्स, 1.5 लाख क्रैंक शाफ्ट, 19,300 टन टेपर्ड पैराबोलिक स्प्रिंग्स, 2,400 लाख कॉयल स्प्रिंग्स, 600 टन स्टेबिलाइजर बार, 4680 टन सिलेण्डर ब्लाक व सिलेण्डर स्टील कास्टिंग्स, दुपहिया वाहनों के लिए 22.80 लाख फोर्जिंग्स, 4400 टन आटोमोबाइल कम्पोनेन्ट।
अलौह धातु	2	95.16	393	166.32	33.19	1953 टन कॉपर उत्पाद, 3000 टन अल्यूमिनियम अलॉय और 30,000 टन अल्यूमिनियम उत्पाद
होटल एवं पर्यटन	11	125.66	1,873	54.71	40.61	740 कमरे (तीन सितारा), 85 सूट्स, 75 कमरे (चार सितारा), 150 कमरे (पांच सितारा)
अस्पताल	5	70.29	986	27.70	19.65	300 बिस्तर वाला अस्पताल, 100 बिस्तर कैंसर के उपचारार्थ, एक आधुनिक निदान केन्द्र की स्थापना, मैग्नेटिक रिजोनेन्स इमेजिंग उपस्कर लगाना
विद्युत	1	1,888.75	100	528.26	442.42	500 मेगावाट थर्मल पावर
चमड़ा	5	23.47	777	71.92	20.59	18.3 लाख फुटवीयर/जूतों के जोड़े, 7.92 वर्ग मीटर लेमिनेटिड चमड़ा
अन्य	4	79.05	541	59.40	36.94	14,010 टन प्लेन प्रिलैमिनेटिड पार्टीकल बोर्ड, कम्प्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर, 88.5 लाख कार्बोनेटिड शीतल पेय के क्रेट।
जोड़	161	13,665.61	38,859	8,973.97	4,485.50	

परिशिष्ट III

भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की वित्तपोषण प्रवृत्ति 1991-92 (अप्रैल-मार्च)

(करोड़ रुपये)

वित्तपोषण प्रवृत्ति	नई परियोजनाएं	विस्तार/विशाखन परियोजनाएं	आधुनिकीकरण परियोजनाएं	पुनर्स्थापन, संतुलन उपस्कर आदि के लिए सहायता	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परियोजनाओं की संख्या	120	41	72	109	342
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
I. प्रवर्तक अंशदान					
— शेयर पूंजी	753.95	29.56	9.66	22.70	815.87
	(6.3)	(1.8)	(0.6)	(2.3)	(5.0)
— अप्रतिभूत गौण ऋण	9.37	9.87	17.69	7.84	44.77
	(0.1)	(0.6)	(1.0)	(0.8)	(0.3)
— आंतरिक प्रोद्भूत, आदि	452.02	216.03	163.78	210.46	1,042.29
	(3.8)	(13.1)	(9.5)	(21.4)	(6.4)
II. दीर्घकालीन, ऋण प्रदान करने वाले संस्थान अर्थात भाऔविनि, भाऔविबैंक, भाऔसानिनि, एवं भाऔपुबैंक द्वारा सहायता					
— ऋण तथा अग्रिम	2,832.69	725.75	551.76	545.03	4,655.23
	(23.6)	(44.0)	(31.9)	(55.4)	(28.4)
— इक्विटी सहायता	188.74	69.93	5.01	1.00	264.68
	(1.6)	(4.2)	(0.3)	(0.1)	(1.6)
III. निवेश संस्थानों अर्थात जीबीनि, साबीनि और भायूट, द्वारा सहायता					
— ऋण तथा अग्रिम	622.43	76.50	84.80	49.20	832.93
	(5.2)	(4.6)	(4.9)	(5.0)	(5.1)
— इक्विटी सहायता	393.40	24.40	1.60	6.46	425.86
	(3.3)	(1.5)	(0.1)	(0.6)	(2.6)
IV. बैंकों द्वारा सहायता					
— दीर्घकालीन वित्त	976.11	41.45	16.30	21.50	1,055.36
	(8.1)	(2.5)	(1.0)	(2.2)	(6.4)
— इक्विटी सहायता	1,469.08	47.69	10.93	6.77	1,534.47
	(12.2)	(2.9)	(0.6)	(0.7)	(9.3)

परिशिष्ट III
(करोड़ रुपये)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
V. राज्य स्तरीय संस्थानों द्वारा सहायता					
— दीर्घकालीन वित्त	2.68	—	—	—	2.68
	(—)				(—)
— इक्विटी सहायता	242.60	0.94	—	0.81	244.35
	(2.0)	(0.1)	—	(0.1)	(1.5)
VI. अधिकारिक निर्गम	1,629.21	404.11	144.26	93.37	2,270.95
	(13.5)	(24.5)	(8.3)	(9.5)	(13.9)
VII. आस्थगित भुगतान	1,252.20	—	215.00	2.35	1,469.55
	(10.4)	—	(12.4)	(0.2)	(9.0)
VIII. विदेशी संस्थानों से ऋण	1,068.96	—	487.50	—	1,556.46
	(8.9)	—	(28.2)	—	(9.5)
IX. अन्य	122.29	3.65	21.56	15.80	163.30
	(1.0)	(0.2)	(1.2)	(1.7)	(1.0)
जोड़ :	12,015.73	1,649.88	1,729.85	983.29	16,378.75
Total :	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

टिप्पणियाँ : 1. इक्विटी सहायता में हामीदारियां एवं प्रत्यक्ष अभिदान सम्मिलित है।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक है।

3. उपरोक्त में अधिव्यय को पूरा करने तथा वित्तीय सेवाओं के मामले (उपस्कर वित्त को छोड़ कर) शामिल नहीं है।

वार्षिक लेखे
1991-92

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

सेवा में,
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयरधारी

हमने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 31 मार्च, 1992 के संलग्न तुलन-पत्र और निगम के 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों का लेखा-परीक्षण किया है, और शेयरधारियों को निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं :—

1. तुलन-पत्र और लेखे, लेखा-पुस्तकों के साथ तालमेल में हैं।

2. हमारे द्वारा मांगी गई आवश्यक सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमें दिए गए हैं और वे संतोषजनक पाए गए हैं।

3. हमारे विचार से और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तुलन-पत्र और तुलन-पत्र पर दी गई लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां पूर्ण और निष्कपट हैं, इसमें सभी सम्बन्धित जानकारी दी गई है तथा यह औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 और निगम के नियमों के अनुसार तैयार किया गया है और इससे निगम के कार्यों के सच्चे और सही रूप का पता चलता है।

लाहा एण्ड कम्पनी **सुमेर बन्सल एण्ड कम्पनी**

सनदी लेखापाल

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 1992

31 मार्च, 1992 को तुलन-पत्र

विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 1992 को लाख रुपये	31 मार्च, 1991 को लाख रुपये
परिसम्पत्तियां			
रोकड़ और बैंक शेष	1	26.848.16	6.637.33
वित्तपोषित संस्थाओं में निवेश (लागत पर)	2	16.955.05	15.923.15
अन्य संस्थाओं में निवेश (लागत पर)	—	3.494.52	3.191.28
वित्तपोषित संस्थाओं को ऋण	3	6.78.782.89	5.36.220.49
स्थिर परिसम्पत्तियां	4	25.555.53	18,105.20
अन्य परिसम्पत्तियां	5	76.552.16	59.671.65
स्वीकृतियों के लिए ग्राहक देयता (विलोम प्रविष्टि पर)	—	18.055.09	9.355.45
जोड़		8.46.243.40	6.49,104.55
देयताएं और शेयरधारी निधि			
शेयर पूंजी	6	14.250.00	13.500.00
रिजर्व और आरक्षित निधियां	7	46.131.72	38.945.25
दीर्घकालीन ऋण	8	6.78.325.00	5.22,253.98
चालू देयताएं तथा व्यवस्थाएं	9	84.001.10	61,963.31
निर्दिष्ट निधियां	10	5.480.49	3,086.56
स्वीकृतियों पर देयताएं (विलोम प्रविष्टि पर)	—	18.055.09	9.355.45
जोड़		8.46.243.40	6,49,104.55
लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां	17		

उपयुक्त अनुसूचियां तुलन-पत्र का भाग है।

हरिश्चंद्र शर्मा कार्यपालक निदेशक	पी० जे० नायक अध्यक्ष	वी० आर० पंचमुखी एन० आर० कृष्णन	एस० एच० खान पी० एल० करिहालू निदेशक	बी० डी० शाह राशिद जिलानी	एस० एस० कदम डी० एम० पटेल

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

नई दिल्ली : 29 मई 1992 — लोढ़ा एण्ड कम्पनी — सुमेर बन्सल एण्ड कम्पनी

सनदी लेखापाल

31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

विवरण	अनुसूची	31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च 1991 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
ऋणों, अग्रिमों, निक्षेपों से ब्याज और अन्य वित्तीय सहायता से आय (अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों और सामान्य तथा आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए घटाकर)	11	67,113.52	59,147.47
अन्य परिचालनों से आय	12	16,384.73	2,244.07
कुल आय		83,498.25	61,391.54
ऋणों की लागत	13	66,294.56	47,546.76
जोड़		17,203.69	13,844.78
कार्मिक व्यय	14	1,098.66	1,240.89
निदेशकों और समिति सदस्यों की फीस, आदि	—	4.07	4.14
किराया, अनुरक्षण तथा मूल्यह्रास	15	3,206.38	1,675.81
अन्य व्यय	16	714.91	686.44
प्रबन्ध विकास संस्थान को अनुदान	—	5.00	5.00
कराधान के लिए व्यवस्था	—	2,750.00	2,424.87
जोड़		7,779.02	6,037.15
लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां	17		

ऊपर लिखित अनुसूचियां लाभ-हानि लेखा का भाग है।

विवरण	31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
समायोजन :		
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अधीन सामान्य आरक्षित निधि	2,898.80	1,790.60
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि	3,863.00	4,074.00
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 ख के अधीन हितकारी आरक्षित निधि	100.00	150.00
कर्मचारी कल्याण निधि	20.00	20.00
लाभांश	2,542.87	1,773.03
	9,424.67	7,807.63

हरिश्चंद्र शर्मा कार्यपालक निदेशक	पी० जे० नायक अध्यक्ष	वी० आर० पंचमुखी एन० आर० कृष्णन	एस० एच० खान पी० एल० करिहालू निदेशक	बी० ए० शाह राशिद जिलानी	एस० एस० कदम डी० एम० पटेल

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

नई दिल्ली : 29 मई, 1992 — लोढ़ा एण्ड कम्पनी — सुमेर बन्मल एण्ड कम्पनी

सनदी लेखापाल

अनुसूची 1

रोकड़ और बैंक शेष

विवरण	31 मार्च, 1992 को लाख रुपये	31 मार्च, 1991 को लाख रुपये
रोकड़ और बैंक शेष		
— हाथ में नकदी/टिकटें	1.14	1.29
— हाथ में वसूली हेतु प्रस्तुत चैक/ड्राफ्ट	3,728.33	961.08
भारत के बैंकों में शेष		
— चालू खातों में (टिप्पणी सं० 7 देखें)	7,011.95	4,745.40
— अल्पावधि जमा में	12,793.85	54.00
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
— चालू खातों में	1,706.33	701.85
— अल्पावधि जमा में	1,606.56	173.71
जोड़	26,848.16	6,637.33

अनुसूची 2

वित्तपोषित संस्थाओं में निवेश
(लागत पर)

लाख रुपये

विवरण	धारा के अन्तर्गत*			31 मार्च, 1992 को	31 मार्च, 1991 को
	23 (घ)	23 (च)	23 (झ)		
(i) इक्विटी शेयर	5,092.42	5,336.55	2,460.26	12,889.23	13,055.14
(ii) अधिमान शेयर	214.43	273.74	229.03	717.20	569.73
(iii) डिबेंचर	1,059.89	1,714.80	137.12	2,911.81	1,799.03
(iv) शेयर और डिबेंचरों पर आवेदन राशि	—	436.81	—	436.81	499.25
31 मार्च, 1992 को जोड़	6,366.74	7,761.90	2,826.41	16,955.05	15,923.15
31 मार्च, 1991 को जोड़	6,710.91	6,557.75	2,654.49	15,923.15	
कथित निवेश					
बही मूल्य				8,118.95	7,691.61
बाजार मूल्य				59,818.65	28,803.02
अकथित निवेश उन निवेशों सहित जिनके लिए चालू दरें उपलब्ध नहीं हैं					
— बही मूल्य				8,399.29	7,732.29
— विश्लेषित मूल्य				4,453.90	3,708.41

* औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 से सम्बन्धित है।

अनुसूची 3

वित्तपोषित संस्थाओं को ऋण

(अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को घटाकर)

विवरण	31 मार्च, 1992 को लाख रुपये	31 मार्च, 1991 को लाख रुपये
(i) भारतीय रुपयों में	4.94.292.40	4.23.043.28
(i) विदेशी मुद्रा में	1.84.490.49	1.13,177.21
जोड़ :	6.78.782.89	5.36,220.49
टिप्पणियां		
(i) संस्थाओं द्वारा देय ऋण, जिनमें निगम के निदेशक (नामितों को छोड़कर), निदेशक की हैसियत से हितबद्ध हैं।	शून्य	शून्य
(ii) वर्ष के दौरान उन संस्थाओं को संवितरित ऋण की कुल राशि, जिनमें निगम के निदेशक (नामित को छोड़कर), निदेशक की हैसियत से हितबद्ध हैं।	शून्य	शून्य
(iii) उन संस्थाओं से मूलधन अथवा ब्याज किस्तों की कुल अतिदेय राशि जिनमें निगम के निदेशक (नामित को छोड़कर), निदेशक की हैसियत से हितबद्ध हैं।	शून्य	शून्य

अनुसूची 4

स्थिर परिसम्पत्तियां

विवरण	31 मार्च, 1992 को		निवल मूल्य	
	मूल्य लागत लाख रुपए	मूल्यह्रास लाख रुपए	31 मार्च, 1992 को लाख रुपए	31 मार्च, 1991 को लाख रुपए
— फ्रीहोल्ड भूमि तथा भवन	2.087.85	385.66	1,702.19	1,186.89
— पट्टे पर भूमि तथा भवन	5,777.65	355.66	5.421.99	5,260.31
— फर्नीचर तथा फिटिंग	233.71	83.85	149.86	138.08
— कार्यालय उपस्कर कम्प्यूटर सहित	591.27	355.06	236.21	173.50
— बिजली के संस्थापन	190.93	98.81	92.12	98.36
— वाहन	19.31	16.54	2.77	4.22
— पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियां-संयंत्र एवं मशीनरी	22,210.09	5,131.20	17,078.89	9,974.17
उप जोड़	31,110.81	6,426.78	24,684.03	16,835.53
— पूंजीगत खर्चों के लिए अग्रिम	871.50		871.50	1,269.67
जोड़	31,982.31	6.426.78	25,555.53	18,105.20
— 31 मार्च, 1991 को	21,528.16	3.422.96	18,105.20	

अनुसूची 5 अन्य परिसम्पत्तियां

विवरण	31 मार्च, 1992 को लाख रुपये	31 मार्च, 1991 को लाख रुपये
प्रोद्भूत ब्याज, परन्तु देय नहीं	13,752.73	10,090.53
वित्तीय सेवा योजनाओं के अन्तर्गत मशीनरी संभरकों को अग्रिम	8,677.42	20,672.90
जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड को अग्रिम	1,273.14	1,035.60
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेन्स कारपोरेशन लि० को अग्रिम	7,246.38	7,246.38
इनफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि० को अग्रिम	2,717.39	2,717.39
कर्मचारियों को अग्रिम	350.24	289.45
जमा राशियां	34.25	96.16
विनिमय अन्तर उचन्त खाता (निवल) (नोट संख्या 6 देखें)	2,348.25	551.62
अग्रिम आयकर, स्रोत बिन्दु पर काटे गये कर सहित	3,929.10	5,500.43
अन्य परिसम्पत्तियां	36,223.26	11,471.19
जोड़	76,552.16	59,671.65

अनुसूची 6 शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 1992 को लाख रुपये	31 मार्च, 1991 को लाख रुपये
अधिकृत		
प्रत्येक पांच हजार रुपये के 5,00,000 शेयर	25,000.00	25,000.00
जारी और अभिदत्त		
प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 2,85,000 शेयर (पिछले वर्ष 2,85,000)	14,250.00	14,250.00

(औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन की पुनर्अदायगी और न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा गारण्टी प्राप्त)

प्रदत्त

(i) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर	500.00	500.00
(ii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपए के 4,000 शेयर (द्वितीय सिरीज)	200.00	200.00
(iii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपए के 2,692 शेयर (तृतीय सिरीज)	134.60	134.60
(iv) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपए के 3,308 शेयर (चतुर्थ सिरीज)	165.40	165.40
(v) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपए के 10,000 शेयर (पांचवीं सिरीज)	500.00	500.00
(vi) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5,000 शेयर (छठी सिरीज)	250.00	250.00
(vii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5,000 शेयर (सातवीं सिरीज)	250.00	250.00
(viii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (आठवीं सिरीज)	500.00	500.00
(ix) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (नौवीं सिरीज)	500.00	500.00
(x) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 20,000 शेयर (दसवीं सिरीज)	1000.00	1000.00
(xi) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 20,000 शेयर (ग्यारहवीं सिरीज)	1000.00	1000.00
(xii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 25,000 शेयर (बारहवीं सिरीज)	1,250.00	1,250.00
(xiii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 25,000 शेयर (तेरहवीं सिरीज)	1,250.00	1,250.00
(xiv) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 25,000 शेयर (चौदहवीं सिरीज)	1,250.00	1,250.00
(xv) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 50,000 शेयर (पन्द्रहवीं सिरीज)	2,500.00	2,500.00
(xvi) प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 60,000 शेयर (सोलहवीं सिरीज) (रुपये 3750 राशि) पूर्णतया प्रदत्त	3000.00	2,250.00
जोड़	14,250.00	13,500.00

अनुसूची 7 **रिज़र्व और आरक्षित निधियां**

विवरण	31 मार्च 1992 को लाख रुपये	31 मार्च 1991 को लाख रुपये
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अधीन सामान्य आरक्षित निधि	17,541.91	14,643.11
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32क के अधीन आरक्षित निधि	100.00	100.00
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32ख के अधीन हितकारी आरक्षित निधि	373.97	351.61
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि	26,366.11	22,503.11
क्रिडिटान्स्टाल्ट-फर-वाइडरफबाऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से विशेष अनुदान	1,749.73	1,347.42
जोड़	46,131.72	38,945.25

अनुसूची 8 **दीर्घकालीन ऋण**

विवरण	31 मार्च 1992 को लाख रुपये	31 मार्च 1991 को लाख रुपये
बांड (अप्रतिभूत-औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 के अधीन जारी—भारत सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त)		
(a) 6¼% बांड	7,810.00	7,810.00
(b) 7¼% बांड	10,050.22	10,050.22
(c) 7½% बांड	10,995.00	10,995.00
(d) 8¼% बांड	7,975.00	7,975.00
(e) 8¾% बांड	8,004.80	8,004.80
(f) 9% बांड	19,701.00	19,701.00
(g) 9.75% बांड	32,269.13	32,269.13
(h) 11% बांड	69,548.00	69,548.00
(i) 11.5% बांड	1,67,602.00	1,23,602.00
(j) 7.6% बांड (येन मुद्रा)	9,321.15	6,382.98
(k) 6.9% बांड (येन मुद्रा)	9,831.14	7,092.20
(l) 6.3% बांड (येन मुद्रा)	11,750.88	7,092.20
	3,64,858.32	3,10,522.53
उधार (अनारक्षित)		
(क) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 (4) के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से	35,245.00	24,085.00
(ख) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा (4) के अधीन भारतीय जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम व उसकी सहायक इकाइयों से	55,000.00	35,000.00
(ग) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21(4) के अधीन भारत सरकार से	1.60	21.32
(घ) क्रिडिटान्स्टाल्ट-फर-वाइडरफबाऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से	1,300.63	1,146.76
(ङ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जारी किए गये विदेशी बांडों से प्राप्त राशि में से विदेशी मुद्रा में	2,849.00	1,751.31
(च) विदेशी ऋणदाता संस्थानों से विदेशी मुद्राओं में	2,19,070.45	1,49,727.06
जोड़	6,78,325.00	5,22,253.98

अनुसूची 9 चालू देयताएं और प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 1992 को लाख रुपये	31 मार्च, 1991 को लाख रुपये
(क) चालू देयताएं		
भारतीय रिजर्व बैंक से अल्पावधि उधार (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 (3) (ख) के अन्तर्गत)	—	4,400.00
फुटकर लेनदार	7,479.78	6,048.99
प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं		
(क) बांडों पर	8,781.58	7,964.08
(ख) सरकार से उधार	2.93	3.44
(ग) विदेशी ऋण संस्थानों से उधार	4,599.27	2,854.45
(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्यों से उधार	3,130.43	1,697.37
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 22 की शर्तों के अनुसार जमा राशि	51,278.50	29,690.00
अग्रिम पावतियां	448.33	379.57
दावा न किया गया लाभांश	0.30	0.50
विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों पर लगाए गए ब्याज में से उप-ऋणियों को लौटाई जाने वाली राशि/भारत सरकार को देय राशि	2,426.68	1,938.45
जोड़ (क)	78,147.80	54,976.85
(ख) प्रावधान		
उचंत खाते में डाली गई राशियां		
(क) ब्याज	268.60	312.02
(ख) वचनबद्धता प्रभार	—	0.05
(ग) प्रासंगिक प्रभार	—	2.38
करोधान के लिए प्रावधान	3,041.83	4,898.97
लाभांश के लिए प्रावधान	2,542.87	1,773.04
जोड़ (ख)	5,853.30	6,986.46
जोड़ (क) + (ख)	84,001.10	61,963.31

अनुसूची 10 निधारित निधि

विवरण	31 मार्च, 1992 को लाख रुपये	31 मार्च 1991 को लाख रुपये
औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि	1,731.60	1,517.46
विशेष जूट विकास निधि	220.47	207.61
कर्मचारी कल्याण निधि	237.32	211.81
विनिमय जोखिम प्रबन्ध निधि (नोट संख्या 6 देखें)	3,291.10	1,149.68
जोड़	5,480.49	3,086.56

अनुसूची 11 ऋणों, अग्रिमों, निक्षेपों से ब्याज और अन्य वित्तीय सहायता से आय

विवरण	31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च 1991 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
ब्याज आय	53,174.27	50,845.33
अल्पावधि तथा अन्य जमा पर ब्याज	1,391.50	1,360.30
वचनबद्धता प्रभार तथा अप-फ्रण्ट फीस	1,756.84	1,799.41
पट्टा किराया	6,799.32	3,611.73
स्थायी प्रभार	3,991.59	1,530.70
जोड़	67,113.52	59,147.47

अनुसूची 12 अन्य परिचालनों से आय

विवरण	31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
कारोबार सेवा शुल्क	658.23	544.06
लाभांश	861.07	576.48
निवेशों की बिक्री से लाभ	14,775.71	1,056.89
विविध आय	89.72	66.64
जोड़	16,384.73	2,244.07

अनुसूची 13 ऋणों की लागत

विवरण	31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च 1991 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
बांडों और उधारों पर ब्याज	65,513.14	46,824.24
विनिमय जोखिम प्रबन्ध निधि पर ब्याज	263.04	102.66
लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों पर वचनबद्धता प्रभार	129.11	59.15
बांड जारी करने की लागत	389.27	560.71
जोड़	66,294.56	47,546.76

अनुसूची 14 कार्मिक व्यय

विवरण	31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
वेतन एवं भत्ते	1,015.78	1,177.29
कर्मचारी कल्याण निधि व्यय	3.56	4.24
अन्य कार्मिक व्यय	79.32	59.36
जोड़	1,098.66	1,240.89

अनुसूची 15 किराया, रखरखाव तथा मूल्यह्रास

विवरण	31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
किराया, कर, बीमा और रोशनी	186.70	196.71
मरम्मत एवं रखरखाव	87.30	78.56
स्थाई परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास	2,932.38	1,400.54
जोड़	3,206.38	1,675.81

अनुसूची 16 अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
लेखा परीक्षण शुल्क	1.55	1.55
यात्रा व विराम व्यय	43.79	51.70
संचार व्यय	70.62	73.29
मुद्रण, लेखन-सामग्री और विज्ञापन	52.39	57.47
निवेशों पर हानि	419.56	206.24
अन्य व्यय	127.00	296.19
जोड़	714.91	686.44

अनुसूची 17

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

(क) उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

1. संलग्न वित्तीय विवरण पिछली लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। लेखांकन नीतियों का सुसंगत रूप से अनुपालन किया जा रहा है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो :—

2. राजस्व मद्दता

(क) ब्याज, वचनबद्धता प्रभारों, कमीशन आदि के रूप में आय का गणन, उन मामलों को छोड़कर जिनमें निगम द्वारा वसूली की संभावना नगण्य मानी गई है अथवा ऋणियों ने निरन्तर दो वर्ष से अधिक चूकें हों, प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है। ऐसे मामलों में आय की गणना, उसकी प्राप्ति होते ही की जाती है तथा उसका समायोजन निरन्तर अपनाई जा रही नीति के अनुसार किया जाता है। ऋण करार के निष्पादित होने तक, राशि की प्राप्ति होने पर ही वचनबद्धता प्रभारों का आय के रूप में गणन किया जाता है। सीमांतक शुल्क का गणन राशि प्राप्त होने पर ही किया जाता है।

(ख) जिन मामलों में निगम ने न्यायालय से आदेश प्राप्त किए हैं, उन ऋणों और अग्रिमों के सम्बन्ध में ब्याज का गणन ऐसी राशियों के प्राप्त होने के पश्चात ही किया जाता है।

(ग) लाभांश आय का गणन प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है।

(घ) पट्टेदार के साथ किए गए पट्टा करार में यथानिर्दिष्ट वचनबद्धता की तारीख से पट्टाकृत परिसम्पत्तियों के किराए का गणन किया जाता है और इससे पहले मशीनरी संभरकों को दिए गए अग्रिमों और /अथवा इस प्रयोजन के लिए किए गए व्यय, यदि कोई हों, पर वित्तीय प्रभारों की वसूली की जाती है।

3. निवेश

3.1 मूल्यांकन

केवल उन उपयुक्त मामलों को छोड़कर जिनमें लागत को अवलिखित किया जाता है और निवेश का उल्लेख अंकित मूल्य पर किया जाता है, निवेश का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है। अभिदान/शेयरों/डिबेंचरों के न्यागमन, आदि के अन्तर्गत प्राप्त सीमांतक शुल्क या हामीदारी कमीशन का समायोजन इसी मूल्यांकन के अन्तर्गत किया जाता है।

निवेशों के सकल बाजार मूल्य/विभाज्य मूल्य के संदर्भ में बही-मूल्य की तुलना सार्वभौमिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

3.2 लेन-देन

(क) निवेशों की बिक्री से लाभ अथवा हानि का परिमाप औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 से सम्बन्धित खण्ड के अंतर्गत धारित निवेश की औसत लागत के आधार पर किया जाता है।

(ख) अन्य स्वस्थ कम्पनियों, राष्ट्रीयकृत या परिसमापन कम्पनियों या नकारात्मक निवल मूल्य वाली कम्पनियों या उन कम्पनियों, जहां परिसम्पत्तियों की बिक्री होनी हो, के साथ विलयन किए जाने पर प्रस्तावित कम्पनियों के शेयरों के मूल्य में हानि, यदि कोई हो, का गणन उसके अन्तिम रूप से पता लगाने/निर्धारित किए जाने पर किया जाता है।

4. विदेशी मुद्रा लेन-देन

(क) निम्नलिखित के शेष—

(i) निगम द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण (भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई अप्रयुक्त राशि को छोड़कर),

(ii) उनमें से उप-ऋणियों को प्रदान किए गए ऋण,

(iii) बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों में शेष, और

(iv) विदेशी मुद्रा में दी गई गारंटियों के संबंध में प्रासंगिक देयताओं की अभिव्यक्ति

31 मार्च, 1992 को प्रचलित दरों के आधार पर भारतीय मुद्रा में किए गए हैं।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई विदेशी मुद्रा उधार की बकाया राशि का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियम दर पर उसके पास राशि रखने की तारीख से किया गया है।

प्रत्येक ऋण के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव होने के कारण हुए लाभ, यदि कोई हों, का गणन तभी किया जाता है, जब विदेशी साख संस्थानों को ऋण की पूरी अदायगी कर दी गई हो, और उन ऋणों में से वित्तपोषित संस्थाओं को दिए गए ऋण पूर्ण रूप से वसूल कर लिए गए हों। इस प्रकार के उतार-चढ़ाव से हुई हानि का, यदि कोई हो, तभी गणन किया जाता है, जब उसे ऋण का भुगतान कर दिया गया हो।

(ग) निम्नलिखित से सम्बन्धित विनिमय अन्तर—

(i) विदेशी मुद्रा ऋणों की वसूली और पुनर्भुगतान,

(ii) वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा शेष का संपरिवर्तन, और

(iii) बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों के परिचालन,

से सम्बन्धित विनिमय अन्तर का गणन विनिमय अन्तर उच्चन्त खाते में किया जाता है। विनिमय से हुई हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में पूर्ववर्ती वर्षों में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अंशदान को भी उक्त खाते में जमा किया जाता है।

(घ) विनिमय जोखिम प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत उप-ऋणियों को मंजूर किए गए विदेशी मुद्रा ऋणों की शेष राशियाँ उनके संवितरण के समय प्रचलित दर पर रुपया समकक्ष में अभिव्यक्त की जाती हैं। उधारों की पुनर्अदायगी के समय विनिमय उतार-चढ़ाव के सम्बन्ध में घाटे/आधिक्य को विनिमय जोखिम प्रबन्ध निधि से पूरा किया जाएगा। विनिमय जोखिम प्रबन्ध निधि में किसी प्रकार के घाटे या आधिक्य की अदायगी या प्रतिपूर्ति भारत सरकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के माध्यम से करेगी।

5. स्थिर परिसम्पत्तियां

(क) स्थिर परिसम्पत्तियों का गणन उनकी मूल लागतों पर, मूल्य-ह्रास को घटाकर, किया जाता है।

(ख) पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों का परिसम्पत्तियों के पट्टे की मूल अवधि पर या इन परिसम्पत्तियों से संबंधित आयकर मूल्यह्रास दरों के सम्बन्ध में निर्धारित पूर्ण वर्षों की संख्या पर, जो भी कम हो, परिवर्धन के माह से यथानुपात आधार पर सरल विधि से मूल्यह्रास किया जाता है।

(ग) अन्य परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास अवलिखित मूल्य पद्धति द्वारा किया जाता है (आयकर अधिनियम, 1961 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार)।

6. कर्मचारी हित

बीमांकिक आधार पर 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार निर्धारित उपदान सम्बन्धी देयता के लिए व्यवस्था की गई है और यह पूर्णतः निधिकृत है।

7. पूर्व-अवधि समायोजन

कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सभी पूर्व-अवधि समायोजनों को, जिसमें वर्ष के दौरान निश्चित एवं निर्धारित समायोजन भी शामिल है, लेखे के संगत शीर्षों में गणन कर लिया गया है।

(ख) लेखे का भाग टिप्पणियाँ

(कोष्ठकों में 31 मार्च, 1991 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े हैं)

1. निगम, तुलन-पत्र में दर्शायी गई देयताओं के अतिरिक्त निम्नलिखित के संबंध में प्रासंगिक रूप से उत्तरदायी है—

(क) बकाया हामीदारी संविदा (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (घ) के अधीन) 648.50 लाख रुपये (121.25 लाख रुपये),

(ख) निवेश के रूप में अंशत: प्रदत्त शेयरों/डिबेंचरों के लिए अयाचित राशि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 20, धारा 23 (घ) तथा धारा 23 (च) के अधीन) 363.66 लाख रुपये (2153.99 लाख रुपये),

(ग) लगभग 4933.75 लाख रुपये (3722.66 लाख रुपये) (प्रदत्त निवल अग्रिम) के पूंजी लेखे पर संविदाओं की अनुमानित राशि निष्पादित की जानी है।

(घ) आयकर प्राधिकरण द्वारा की गई 234.77 लाख रुपए (231.00 लाख रुपए) के आयकर की मांग, जिसके लिए निगम/विभाग ने कुछ मामलों के सम्बन्ध में अपील/संदर्भ दायर कर रखे हैं।

2. फुटकर लेनदारों में 1249.26 लाख रुपये (1262.49 लाख रुपये) की राशि उन बांडों से संबंधित है, जो परिपक्व हो गए हैं, किन्तु जिनका दावा नहीं किया गया है अथवा अदा नहीं किए गए हैं।

3. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (घ) और 23 (च) के अधीन निवेशों में 64.75 लाख रुपये की राशि (213.53 लाख रुपये) जो कुछ कम्पनियों की शेयर पूंजी में निवेश की गई है और जिन्होंने या तो परिसमापन कर दिया है अथवा जो "रुग्ण" हैं और उनका स्वस्थ कम्पनियों के साथ समामेलन का प्रस्ताव है।

4. 31 मार्च, 1992 तक हितकारी आरक्षित निधि तथा भारत सरकार से प्राप्त विशेष अनुदान में से 386.42 लाख रुपए (201.42 लाख रुपये) का आंशिक उपयोग निगम के प्रवर्तन कार्यों के रूप में कुछ तकनीकी सलाहकारी और अन्य संगठनों की शेयर पूंजी में अभिदान कर के किया गया है। अत: इस राशि के निगम का "निवेशों" में गणन नहीं किया गया है।

5. (क) रुग्ण इकाइयों सहित कतिपय वित्तपोषित इकाइयों के लिए जहां कहीं भी पुनर्स्थापन/पुनरुद्धार योजनाएं बनाई गई हैं, या बनायी जा रही हैं या कार्यान्वियन के अधीन हैं और ऐसी योजनाओं के आधार पर इकाइयां व्यवहार्य पाई गई हैं, वहां दिए गए ऋण और अग्रिम अच्छे समझे गए हैं चाहे प्रतिभूति का मूल्य कुछ भी क्यों न हो।

(ख) कुछ संस्थाओं और राज्य/केन्द्र सरकार के उपक्रमों को दिए गए ऋणों/अग्रिमों के जिनके लिए केन्द्र राज्य सरकार द्वारा गारंटियां दी गई हैं, अच्छा समझा गया है चाहे प्रतिभूतियों का मूल्य कुछ भी हो, या गारंटियों को पालन करने के लिए कहा गया हो।

(ग) तुलन-पत्र की तारीख को कुछ कम्पनियों से शोध्य समझे गये बकाया ऋणों एवं अग्रिमों के रूप में कुल मिलाकर 2,751.25 लाख रुपये (2,154.00 लाख रुपये) की राशि शामिल थी, जिसके लिए केन्द्र/राज्य सरकार से वचनबद्धताएं प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त तुलन-पत्र की तारीख को 112.78 लाख रुपये (35.11 लाख रुपये) की राशि कुछ कम्पनियों पर बकाया थी जिसकी देयताएं उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अवरुद्ध कर दी गई हैं। अभी यह निर्धारित करना सम्भव नहीं हो पाया है कि मुआवजे में से अथवा गारण्टी-कर्त्ताओं से उक्त निर्धारण के पश्चात ही इस सम्बन्ध में प्रावधान, यदि कोई हो, किये जायेंगे।

6. विनिमय उचन्त खाते में जो अन्तर आया है, उसमें विनिमय जोखिम प्रबन्ध योजना के अधीन कुछ विदेशी मुद्राओं की दरों में 20,506.95 लाख रुपये का अन्तर भी शामिल है तथा विनिमय सम्बन्धी उतार-चढ़ाव के कारण उक्त योजना के अनुसार विनिमय जोखिम प्रबन्ध निधि खाते में 3,291.10 लाख रुपये के क्रेडिट शेष और उस पर प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं, 753.65 लाख रुपये के ब्याज एवं विनिमय प्रीमियम का उसमें समायोजन करने के पश्चात 31.03.1992 को 16,462.20 लाख रुपये की निवल राशि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्य है।

7. भारत के बैंकों के चालू खातों में निगम की सहमति से केन्द्रीय और/अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में/भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों में बैंकरों द्वारा निवेश किए गए 1,350.00 लाख रुपए (शून्य लाख रुपए) तथा भारतीय रिजर्व बैंक की बिल पुनर्भुनाई योजना के अन्तर्गत बिलों के रूप में 5,450.00 लाख रुपए (500.00 लाख रुपए) की राशि शामिल है।

8. निगम द्वारा अधिग्रहण किए गए कुछ परिसरों से सम्बन्ध में हस्तांतरण की औपचारिकताएं पूरी किए जाने की प्रक्रिया जारी है।

9. निगम ने चालू वर्ष के दौरान ब्याज, वचनबद्धता प्रभारों, कमीशन, आदि से सम्बन्धित अपनी राजस्व मान्यता की नीति के भावी प्रभाव की समीक्षा की है तथा यह निर्णय किया है कि ऋणियों द्वारा तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए लगातार चूक करने पर राजस्व को मान्यता न देने की पूर्ववर्ती प्रथा के स्थान पर लगातार दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए चूक के मामले में पहली अप्रैल, 1991 को/अथवा, उसके बाद ब्याज, वचनबद्धता प्रभारों, कमीशन आदि से होने वाली आय की मान्यता को समाप्त किया जाए। नीति में किये गये इस परिवर्तन के फलस्वरूप इस वर्ष ब्याज, वचनबद्धता प्रभार, कमीशन आदि से आय एवं लाभ 52.80 करोड़ रुपये कम रहा।

10. निवेश के रूप में धारित शेयरों की बिक्री से हुए लाभ को निगम ने चालू वर्ष के दौरान आयकर के उद्देश्य से "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के अधीन आय के रूप में गिना है। तदनुसार, निगम के उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के दौरान कराधान हेतु व्यवस्था की गई है और अतिरिक्त देयता, यदि कोई आवश्यक हुई तो उसके अन्तिम निर्धारण के समय प्रदान की जाएगी।

11. विनिमय उचन्त खाते के शेष का समायोजन कार्य चल रहा है और पारिणामिक राजस्व प्रभावों, यदि कोई हों, जो कि पूर्ण होने पर प्रभावी किए जाएंगे, सहित आवश्यक समायोजन की शर्तों के अधीन है।

12. स्थिर परिसम्पत्तियों के सकल ब्लाक को परिवर्द्धनों एवं विलोपनों के समायोजन के बाद प्रदर्शित किया गया है तथा इनके सम्बन्ध में अलग से कोई घोषणा नहीं की गई है।

13. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनर्व्यवस्थित/पुन: समूहीकरण किया गया है।

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

44TH ANNUAL REPORT

1991-92

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS UNDER SECTION 35 OF THE INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION ACT, 1948

New Delhi-110001, the 3rd July, 1992

1. *OPERATIONAL ENVIRONMENT AND OUTLOOK*

1.01 The Board of Directors of IFCI have pleasure in presenting the 44th Annual Report on the operation of IFCI together with audited Statement of Accounts for the financial year ended the 31st March, 1992.

1.02 The year 1991-92 witnessed momentous change in the World and in India. As a backdrop to the operations, performance and working results of IFCI in 1991-92, it may be useful to take a synoptic view of the Global Economic Scene and the operating economic and industrial environment that prevailed in India during the year under report, and the outlook for the future.

(A) Global Economic Scene

1.03 The World economy weakened for the third consecutive year in 1991. After a modest growth of 1.5% in 1990, world output declined by 0.3% in 1991 in all regions. Output fell or stagnated in most developed market economies and plunged in Eastern Europe and erstwhile Soviet Union, which now has disintegrated into Russia and 11 Republics and rechristened as the Commonwealth of Independent States. Among the developing countries, especially in Latin America and Africa, output barely kept pace with the growth in population. In West Asia, the Gulf War in January/ February 1991, led to massive loss of life and property.

1.04 Economic growth in 1991, according to a recent United Nations study, also slowed down in Sri Lanka and Bangladesh, where it was down to 3% but in Pakistan it stayed around 5%. In South and East Asia as a whole, the growth slowed down from 6.3% to 5.4%. However, the Republic of Korea recorded a growth of 9% and Thailand 8%. But in the Philippines, a combination of factors including natural disasters brought the growth to a near halt. In China, the growth in agricultural production remained below 2% with devastating floods causing heavy damage to the infrastructure. But industrial production in China increased by 14% in the first three quarters of last year over the corresponding period in the previous year, giving it an overall economic growth rate of 6%.

1.05 The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) in its Trade and Development Report 1991, says that most regions will experience a healthier economic performance in 1992 though in varying degrees. East Asia is expected to perform better while highly trade-oriented countries would continue to suffer from reduced export demand and domestic capacity constraints. In South Asian countries the full effects of the Gulf crisis, including higher import bills for oil, a decline in remittances from overseas workers and lower tourist revenues, will be felt in 1992. China is likely to maintain its economic growth, but would have problems relating to stockpiling of finished goods and mounting bad debts of state enterprises.

1.06 The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) expects European growth in 1992 to be 2% as against 1.2% in 1991. According to OECD, growth in the World's largest economy, the United States, in 1992 is expected to be 2.2% and recovery from recession might be weak and fragile. Inflation is estimated to drop to 3.6% in 1992 from 4% in 1991 and current account deficit is estimated to be smaller than in the 1980s.

1.07 Japan's growth is likely to fall sharply to 2.4% in 1992 from almost twice that rate in 1991 but rebound to 3.5% in 1993. Its trade and balance of payments surpluses, which fell steadily from 1986 to 1990, are expected to rise. Consumer price inflation is likely to fall to 2.5% in 1992 from 3.25% last year.

1.08 Despite the challenge facing the World economy, the prospects for 1992 and 1993 appear to be good. UNCTAD forecasts better economic performance in 1992 compared to 1991 in most regions. OECD says that global commerce will revive in the next two years as developing economies recover slowly from the current slump. An agreement at General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) could give the process an added boost, but currently appears doubtful.

(B) Indian Economy—1991-92

1.09 In India, the year 1991-92 began with an economic crisis of unprecedented dimensions. The fallout of the Gulf War and the uncertain situation at the Centre resulting in change in Government brought about a critical Balance of Payments position leading

to a lowering of India's credit rating in world financial markets. The growth of the economy slowed down substantially, partly because of a slow down in agriculture and partly because of a deceleration in industrial growth. Foreign currency assets had declined to Rs. 2,383 crores (US dollars 1.1 billion) at the end of June, 1991 and the annual rate of inflation reached a peak of 16.7% in the fourth week of August, 1991. The provisional estimates of various macro-economic variables indicate that the Indian economy is expected to register a growth of Gross National Product (GNP) at around 2.5% in 1991-92 as compared to a growth of 5.8% registered in 1990-91. Table-1 presents some of the important economic indicators of the Indian economy.

TABLE 1—SELECTED ECONOMIC INDICATORS

	Item	Unit	(Period April-March) 1989-90	1990-91*	1991-92**	% change over previous year 1990-91	1991-92
1.	Gross National Product: (at factor cost) At current prices	Rs. crore	3,92,524	4,15,290	4,25,670	5.8	2.5
2.	Per capita Gross National Product (current prices)	Rupees	4,749	4,919	4,943	3.6	0.4
3.	Agricultural Production Index Triennium ending 1979-82=100		142.4	147.0	146.3	3.2	(—)0.5
4.	Industrial Production	Index-Base 1980-81=100	196.4	213.1	211.2	8.5	(—)0.9
5.	Electricity Generation (Utilities only)	Billion kwh	245.4	264.2	286.7	7.8	8.5
6.	Exports	Rs. crore	27,681	32,553	43,828	17.6	34.6
7.	Imports	Rs. crore	35,416	43,193	47,797	22.0	10.7
8.	Trade Deficit	Rs. crore	7,735	10,640	3,969	37.6	(—)62.7
9.	Foreign Exchange Reserves	Rs. crore	5,787	4,388	14,578	(—)24.2	232.2
10.	Wholesale Price Index (Average)	Base 1981-82=100	171.1	191.8	216.4	12.1	12.8
11.	Consumer Price Index (Industrial workers) (March)	Base 1982=100	177.0	201.0	229.0	13.6	13.9
12.	Production of selected industries						
	(a) Coal (excluding lignite)	Million tonnes	200.9	211.6	229.0	5.2	8.3
	(b) Petroleum crude	Million tonnes	34.1	33.0	30.4	(—)3.2	(—)7.8
	(c) Finished steel	Million tonnes	13.0	13.4	14.5	3.1	8.2
	(d) Fertiliser	Million tonnes	8.5	9.0	9.9	5.9	10.0
	(e) Cement	Million tonnes	45.8	48.4	53.1	5.7	9.7
13.	Revenue earning goods traffic by railways	Million tonnes	310.0	318.4	338.0	2.7	6.2
14.	Cargo handled at major ports	Million tonnes	148.1	152.6	160.0	3.0	4.8
15.	Money supply (M^2)	Rs. crore	2,30,950	2,65,436	3,17,196	14.9	19.5
16.	Bank Credit	Rs. crore	1,01,453	1,16,301	1,24,788	14.6	7.3
17.	Aggregate deposits of Commercial Banks	Rs. crore	1,66,959	1,92,542	2,30,458	15.3	19.7

Source: Economic Survey, 1991-92
Centre for Monitoring Indian Economic (CMIE)
*Provisional figures
**Estimates/Provisional

Agricultural Sector

1.10 The target for production of foodgrains during 1991-92 was fixed at 182.50 million tonnes. Even though the monsoon during 1991 turned out to be a normal one, its weakening for quite some time from middle of June, 1991 and subsequent erratic behaviour until the end of August, 1991, adversely affected agricultural operations, particularly in the north and north-western part of India. The aggregate production of foodgrains expected at 171 million tonnes during 1991-92 would show a decline of 3% over the previous year. The production of non-foodgrains as a group is expected to show a modest increase of 1.7% during 1991-92 over 1990-91. The overall agricultural production is thus expected to show a fall in the range of 0.5% to 1% during 1991-92 as compared to a rise of 3.2% in 1990-91.

Industrial Sector

(i) Major Sectors

1.11 There was a decline in industrial production during the year under review. The General Index of Industrial Production (IIP) has shown a decline of 0.4% during April-February, 1992 compared with a significant growth of 8.5% in the corresponding period of last

year. This downturn was attributed to a decline of 2% in the manufacturing sector, in contrast to an increase of 9.6% in the corresponding period last year. Though growth was stagnant in the mining and quarrying sector, the electricity sector recorded a higher growth rate of 8.3%, against 7.4% in the corresponding period last year.

1.12 Within the manufacturing sector, while two industry groups, viz., beverages and tobacco products and non-metallic mineral products, recorded accelerated growth, six groups of industries, viz., food products, cotton textiles, jute, hemp and mesta products, paper and paper products, chemical and chemical products and basic metals & alloys recorded decelerated growth. Nine industry groups, viz., textile products, wood & wood products, leather & fur products, rubber, plastic, petroleum & coal products, metal products & parts, machinery & machine tools, electrical machinery & appliances, transport equipment, etc., recorded a decline.

(ii) Major Industries

1.13 Production of saleable steel by the integrated steel plants at 10.06 million tonnes was 8.1% higher than the 9.31 lakhs tonnes produced in the corresponding period of the previous year. Production of cement at 53.1 million tonnes recorded a growth of 9.7% compared with 5.7% in the corresponding period of last year. The bulk of the increase has come from the large plants in the private sector which contributed more than 80% of total cement production. Production of fertilisers (nitrogenous and phosphate) was placed at 9.87 million tonnes compared to 9.05 million tonnes during the previous year, depicting a growth of 9.1%. While there was a deceleration in the production of nitrogenous fertilisers, production of phosphatic fertilizers showed an increasing trend.

1.14 While production of caustic soda at 10.18 lakh tonnes was 3.6% higher than the 9.83 lakh tonnes produced during the previous year, trends in soda ash production had been erratic and the industry was faced with excess capacity, low demand and stock-piling. As a result, the cumulative soda ash production at 13.28 lakh tonnes was 6.2% lower than the 14.16 lakh tonnes produced during the previous year.

1.15 Production of cotton and blended yarn at 1,781.6 million kgs. turned out to be 0.8% lower than the 1,795.2 million kgs. produced in the previous year. Production of mill-made fabric continued to register substantial decline and at 2370.7 million metres was 8.5% lower than 2,590.9 million metres produced during the previous year. Sugar production at 127 lakh tonnes was 7.1% higher than at 118.6 lakh tonnes produced during the previous year. The automotive industry was adversely affected by devaluation, increased cost of imports, credit squeeze, etc., which had pushed up the price of vehicles. Consequently, the production of automotive vehicles during 1991-92 would register a fall as compared to that of 1990-91.

1.16 Insofar as capacity utilisation is concerned, capital goods and consumer durables were particularly affected. Capital goods industries suffered primarily from a decline in Government investment. The consumer durable sector was adversely affected by high cost of imported inputs following the exchange rate adjustment in July, 1991 and the non-availability of imports owing to severe import compression. *Appendix-I* to this Report gives the installed capacity, production and capacity utilisation percentage of 59 selected industrial products for the year 1991-92 and in relation thereto, the corresponding data relating to 529 assisted concerns by IFCI based on the performance report received from them.

(iii) Infrastructure

1.17 The performance of infrastructure sectors showed mixed trends. During the year, coal production and despatches increased by 8.3% and 10.5% respectively. However, pithead stocks rose by 21% re-emphasising the need for faster loading and movement arrangements. Power generation increased by 8.5%. Thermal and nuclear power generation increased by 11.1% and hydel generation by 1.4%. The average plant load factor improved from 53.8% to 55.3%. The production of crude oil declined from 33.03 million tonnes to 30.44 million tonnes. Total refinery crude throughput declined by 0.35 million tonnes and capacity utilisation of refineries by 1.8%. The consumption of petroleum products declined by 1.5% over the same period last year. The freight traffic carried by the railways increased by 6.2% over that of the previous year.

(C) Policy Reforms

1.18 In tune with the sweeping changes and developments that took place in many parts of the World, the new Government which assumed office in June, 1991, moved rapidly to implement a programme of macro-economic stabilisation to restore viability to the balance of payments and to bring inflation under control. It also undertook a far reaching programme of structural reform, which included bold initiatives in industrial and trade policies aimed at improving the efficiency of the economy and increasing its international competitiveness.

Industrial Policy

1.19 The new industrial policy of July 24, 1991 sought substantially to deregulate industry so as to

promote the growth of a more efficient and competitive industrial economy. The central elements of the industrial policy reforms were as follows :—

(i) Industrial licensing was abolished for all projects except in 18 industries where strategic or environmental concerns are paramount or where industries produce goods with exceptionally high import content.

(ii) The Monopolies & Retrictive Trade Practices Act (MRTP Act) was amended to eliminate the need for prior approval by large companies for capacity expansion or diversification.

(iii) The requirement of phased manufacturing programmes was discontinued for all new projects.

(iv) Areas reserved for the public sector were narrowed down to 8 areas involving strategic and security concerns, and greater participation by private sector was permitted in core and basic industries.

(v) Government clearance for the location of projects was dispensed with except in the case of 23 cities with a population of more than one million.

(vi) The mandatory convertibility clause which enabled financial institutions to convert a part of term loans into equity for new projects was dispensed with in August, 1991.

(vii) To provide a safety net to workers in sick and non-viable enterprises, and to finance their retraining and redeployment as well as ensuring that the costs of technological change and modernisation of industry would not be borne by workers, a National Renewal Fund has been set up with a corpus of Rs. 200 crores.

1.20 Alongwith a reform of industrial policies, the following measures were taken to facilitate the inflow of direct foreign investment :—

(i) The limit of foreign equity holding was raised from 40% to 51% in a wide range of priority industries. Such foreign equity participation now has automatic approval of the Reserve Bank of India (RBI).

(ii) The procedures for investment in non-priority industries have been streamlined. The Foreign Investment Promotion Board (FIPB) has been established to negotiate with large international firms and to expedite the clearances required. The FIPB also considers individual cases involving foreign equity participation over 51%.

(iii) Technology imports for priority industries are automatically approved for royalty payments upto 5% of domestic sales and 8% of exports sales or for lumpsum payments of Rs. 1 crore.

1.21 Major policy measures for promoting and strengthening small, tiny and village enterprises were initiated by the Government of India in August, 1991, as under :—

(i) Ceiling on investment in plant and machinery in respect of tiny units was raised from Rs. 2 lakhs to Rs. 5 lakhs.

(ii) To provide access to the capital market and to encourage modernisation and technological upgradation other industrial undertakings were allowed equity participation upto 24% of the total shareholding of the small-scale industries.

(iii) A Limited Partnership Act would be introduced to enhance the supply of risk capital to the small-scale sector.

(iv) Factoring services would be set up through the Small Industries Development Bank of India to solve the problem of delayed payments to small industries.

(v) The scope of the National Equity Fund Scheme was widened to cover projects upto Rs. 10 lakhs for equity support upto 15%.

(vi) The single-window loan scheme was enlarged to cover projects upto Rs. 20 lakhs with working capital margins upto Rs. 10 lakhs.

(vii) The composite loan available through State Financial Corporations and State Small Industries Development Corporations were channelised through commercial banks also.

Trade Policy

1.22 New initiatives were taken in trade policy to create an environment which would provide a stimulus to export while at the same time reducing the degree of regulations and licensing control on foreign trade.

The important trade policy reforms introduced on 4th July, 1991 were as follows :—

(i) The replenishment licenses were replaced by a new instrument called Exim scrip and were issued on the basis of value of exports or net foreign exchange earnings from exports, at the basic rate of 30% of f.o.b. value except for certain products which were entitled to an additional 10 percentage points. Exim scrips were to be freely tradeable and were to be issued only after export proceeds had been realised.

(Exim scrip was withdrawn from 1st March, 1992, with the introduction of Partial Convertibility of the Rupee).

(ii) The Advance Licensing system for exports was simplified so as to improve exporters' access to imported inputs at duty-free rates. A new system of transferable advance licences was introduced for exports to General Currency Area in selected thrust areas, viz., textiles, leather goods and engineering industries.

(iii) Clearances for import of capital goods were made automatic where capital goods imports were covered by foreign equity or where they were 25% of the value of plant and equipment, subject to a limit of Rs. 2 crores.

(iv) The Export Processing Zone (EPZ) and 100% Export-Oriented Units (EOUs) scheme was revamped by delegating more powers to the Development Commisssioner of the EPZs.

(v) A number of items of exports and imports which were being canalised through specified public sector agencies, were decanalised.

(vi) Permission was granted for setting up Trading Houses with 51% foreign equity for the purpose of promoting exports.

(vii) Exporters were allowed to open foreign currency accounts in approved banks and to raise external credits, pay for export-related imports from such accounts, and credit export proceeds to such accounts.

Fiscal Correction

1.23 The thrust of fiscal management in 1991-92 was to meet the challenges posed by the unparalleled fiscal crisis faced by the country. The Union Budget for 1991-92 was the essential first step in the direction of correcting the fiscal imbalance. The budget sought to reduce fiscal deficit from 8.4% of GDP in the revised estimates for 1990-91 to no more than 6.5% in 1991-92. Measures were adopted to contain Government expenditure and augment revenue, reverse the downward trend in the share of direct taxes in total tax revenue, curb conspicuous consumption, encourage indigenous industry and to improve the competitiveness of the industrial sector, particularly the export-oriented industries. The important policy initiatives comprised reduction in fertiliser subsidy, abolition of Cash Compensatory Support for export, disinvestment of 20% of Government equity in selected public sector undertakings to mutual funds, a 20% increase in the prices of motor spirit and adjustment of the rates.

Public Sector Reforms

1.24 The performance of the public sector deteriorated sharply in 1990-91 when the net profit (after tax) of all non-departmental central public sector enterprises declined to Rs. 2,368 crores from the level of Rs. 3,789 crores reached in 1989-90. Since the poor performance continued in 1991-92, it became imperative to take steps for sustained improvement in productivity and profitability. The budgetary support to public sector enterprises was scaled down and they were asked to maintain financial discipline in their operations.

1.25 During the year, the Government undertook a limited disinvestment of a part of public sector equity to the public through public financial institutions and mutual funds in order to raise non-inflationary finance for development. Recognising that sickness was a serious problem in many public sector units, the Government amended the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 to bring public sector undertakings also within its purview.

Financial Policy

1.26 The financial sector is at the centre of economic activity, its health affects the entire economy. Its performance was reviewed by a High Level Committee set up by the Government of India under the Chairmanship of Shri M. Narasimham on the 14th August, 1991. The Committee has recommended an integrated package aimed at enhancing efficiency, competitiveness, productivity and profitability of the financial services industry along with measures for improving portfolio quality, providing greater operational flexibility and functional autonomy and ensuring compliance with prudential norms. The measures suggested by the Committee for improving the health of the system include the following :—

— Reduction in Statutory Liquidity Ratio (SLR) in line with Government's decision to reduce the fiscal deficit to a level consistent with macro economic stability—SLR to be brought down in a phased manner to 25% over a period of 5 years,

— Reduction in Cash Reserve Ration (CRR);

— Rationalisation of interest rate structure and movement towards market determined rates for Government borrowings;

— Adherence to norms for capital adequacy, income recognition, accounting and provisioning policies;

— Institutional arrangement for cleaning up the balance sheets of the banks and Development Finance Institutions (DFIs) through creation of an Asset Reconstruction Fund;

— Structure of the banking system should evolve towards a broad pattern of 4 tiers, viz., international banks, national banks, local banks and rural banks;

— No further nationalisation of banks and no bar to new banks in the private sector;

— Policy regarding foreign banks be more liberal subject to the maintenance of minimum assigned capital and requirements of reciprocity.

Monetary and Credit Policy

1.27 During the year, monetary and credit policy was framed against the background of high inflation and a difficult balance of payments situation. In a bid to curb imports and reduce aggregate demand in the economy, the Reserve Bank of India (RBI) unveiled a package of monetary measures in the first half of the fiscal year 1991-92. With effect from July 3, 1991, the bank rate was raised by one percentage point from 10% to 11%. All other rates on credit from RBI, which were specifically linked to the bank rate, were correspondingly raised by one percentage point unless otherwise specified. With a view to ensuring that banks finance their lending operations out of their own resources and to enable them to compete with alternative savings instruments, effective from July 4, 1991, the scheduled commercial banks' term deposit rates were raised across-the-board by one percentage point. Lending rates on limits of over Rs. 2 lakhs were raised from 17% (minimum) to 18.5% (minimum). Measures to liberalise money market included raising percentage limits for the issue of Certificates of Deposits (CDs) by banks from 3% to 5% of the aggregate deposits of the bank. The guidelines for issue of Commercial Paper (CP) were also liberalised.

1.28 In the busy season credit policy, for the second half of 1991-92 announced by RBI, the bank rate was raised from 11% to 12%. Consequently, lending rates were raised across-the-board, effective from October 9, 1991 by 1.5 percentage point, which range both for term loans and working capital from a minimum of 11.5% to 20% (exclusive of interest tax) as against 10% to 18.5% prevailing earlier. While interest rates on term deposits for a period upto 24 months were raised upwards, interest rate on pre-shipment and post-shipment credit was also hiked. Effective October 9, 1991, refinancing facilities for food credit, stand-by refinancing, 182 days Treasury Bill refinance and discretionary refinance were withdrawn. A credit freeze on advances for consumer durables, real estate, shares and debentures and other non-priority sector personal loans was also imposed.

1.29 Among other measures of credit control introduced in 1991-92 were (a) 10% Incremental Cash Reserve Ratio on the increase in net demand and time liabilities of the scheduled commercial banks over May 3, 1991 level, (b) imposition of a ceiling on the effective drawing power of big borrowers with aggregate credit limits of Rs. 1 crore and above from May 9 to September 30, 1991 and (d) extension/tightening of selective credit controls on bank advances against price-sensitive essential commodities like wheat, rice, paddy, cotton and kapas and pulses. The higher minimum cash margin imposed on bank finance for imports in March-April, 1991 came to be reduced in stages with gradual improvement in foreign exchange reserves and also to help exporters in making necessary imports.

1.30 The Credit policy of RBI adopted in the first half of 1991-92 left Statutory Liquidity Ratio (SLR) and Cash Reserve Ratio (CRR) unchanged at 38.5% and 15% respectively of the net demand and time liabilities (DTL) of the scheduled commercial banks. Considering the anticipated decline in the gross fiscal deficit of the Central Government and keeping in view the recommendations of the Narasimham Committee (discussed in para 1.26 supra), RBI decided that upto the level of the outstanding net DTL (excluding non-resident liabilities) as on April 3, 1992 level, the SLR would remain frozen at 38.5% and for any increase in net DTL above the April 3, 1992 level, the SLR would be 30%.The SLR of 30% in respect of non-resident liabilities would remain unchanged.

1.31 With the improvement in the balance of payments situation and signs of abatement in the inflationary pressures, RBI has decided to reduce, effective March 2, 1992, the lending rate on credit limits of over Rs. 2 lakhs by one percentage point, from 20% (minimum) to 19% (minimum). Further in response to the changes in international markets in U.S. Dollar interest rates, RBI has decided that with effect from March 2, 1992, exporters would be provided post-shipment export credit denominated in U.S. dollars at a rate of 6.5% (instead of 8.5% earlier) and in turn banks would be provided refinance to the extent of 133⅓% at a rate of 7.5% (instead of 9.5% earlier).

Environmental Policy

1.32 Considerable adverse impact was caused due to degradation of the enviroment, with excessive soil erosion, water and air pollution because of certain developmental activities. These were not only destroying natural resources like forests, mangroves, wetlands, rivers, lakes, etc., but also affecting the health and survival of living beings—both animal and human. A part of growing consciousness for ecological preservatioin, all developmental activity including setting up of new industries and expansion or modernisation of existing ones would require mandatory environmental clearance, which was already required for central public sector undertakings, hydel and thermal power projects, and for certain hazardous industries.

1.33 An environmental audit has been made mandatory for all industries covered by the Water and Air Protection Acts as well as those covered by the Hazardous Wastes Handling Act. Every industrial unit is required to submit the environmental audit report for the financial year ending March 31, to the concerned State Pollution Control Board on or before the 15th of May every year, starting from 1993.

(d) Investment Climate

1.34 The investment climate continued to be encouraging. The aggregate indication of investment intentions as revealed by the Letters of Intent, SIA registrations, DGTD registrations and revised system of filing Industrial Entrepreneurs' Memoranda increased to 4,699 during April to December, 1991 as against 2,763 in the corresponding period of the previous year. Approvals for new capital issues granted to non-Government companies during April-December 1991 at Rs. 7,309 crores had shown an increase of 59% over Rs. 4,604 crores in the corresponding period of the previous year. Actual issues also increased by 44% indicating the highly optimistic outlook of the capital market in spite of a recessionary trend in industrial production. The overall approvals granted by the Capital Goods (Main) Committee for import of Capital goods during 1991-92 (April-February) showed a rise of 14.4% over the value of approvals granted in the corresponding period of the previous year.

1.35 Foreign investments approved in calendar year 1991 at Rs. 534.11 crores were more than four times the invesments aggregating Rs. 128.32 crores approved in 1990. Foreign investments approved during the period August to December, 1991, at Rs. 412.79 crores were more than nine times the investments worth Rs. 45 crores approved in the corresponding period in 1990. The total number of foreign collaboration approvals approved in the post-Policy period were 634 as compared to 239 in the corresponding period in 1990.

1.36 A total investment of Rs. 3,93,000 crores, spread over nearly 2,600 projects, has been under way, according to the annual survey by the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE). Industry-wise, the on-going investment in mining and manufacturing sectors, totalling Rs. 2,44,382 crores, the mining projects account for Rs. 31,680 crores or 13% and the rest Rs. 2,12,702 crores or 87%, is for manufacturing projects.

(e) Capital Market

1.37 The capital market has performed reasonably well in April-December, 1991. The overall approval for new capital issues during this period was 33% higher than that in the corresponding period of last year. A notable feature of new capital issues was a perceptible shift in favour of debentures in the portfolio composition. Debentures constituted 65% of the new issues approved for non-Government companies during this period as against 56% in the corresponding period of last year. The unusual pre-budget boom conditions in the stock exchange of January and February, 1992 culminated into near frenzied buying during the subsequent month of March, 1992. Thus, during the first quarter of 1992, the Economic Times Ordinary Share Price Index showed 105% rise. The prices of several scrips-including those of even many loss-incurring companies—reached phenomenal levels in these trading conditions and had mostly only upward direction. The total capital issues during the whole year of 1991-92 reached a new high of Rs. 13,193 crores (provisional) which was 36% higher than Rs. 9,687 crores raised during 1990-91. Included in the capital issues for 1991-92 were Rs. 5,722 crores worth of bond floatations by Central Government enterprises by way of private placement with mutual funds, banks, financial institutions, etc. As of March end, 1992, 317 companies had firm intentions to enter the capital market in near future with total share and debenture floatations of around Rs. 10,581 crores.

1.38 Some of the important policy measures on capital market taken by the Government of India and the Reserve Bank of India (RBI) during the year were :

— Setting up mutual funds in private and joint sectors were allowed;

— The ceiling on the acquisition of share/debentures of Indian companies by non-resident Indians (NRIs) and overseas corporate bodies (OCB) was raised by RBI under the portfolio investment scheme, from 5% to 24%.

— The Securities and Exchange Board of India (SEBI) was made a statutory body and vested

with powers to protect the interest of investors in securities and to promote the development of the capital market and to regulate the working of stock exchanges;

— As a measure of investor protection, the stock exchanges were directed to introduce a scheme of registration of sub-brokers;

— Listing Agreement was amended to provide for greater disclosure of financial information on a half-yearly basis by the listed companies;

— To improve the liquidity of listed shares, major stock exchanges to work out a scheme of "Market Makers" in the exchanges;

— All restrictions on interest rates on debentures and public sector bonds other than tax free bonds were removed. Interest rates on such instruments would be governmed by the market forces but the companies would be required to obtain a credit rating before floating these instruments.

— The format of the prospectus to accompany the application form for public issues was revised and a memorandum containing the salient features of the prospectus was prescribed.

— A new financial instrument, 'Stock-invest' was introduced to be used by the investors as application money for new capital issues.

1.39 A Study Group under the Chairmanship of (Late) Shri M. J. Pherwani was set up by the Ministry of Finance, Government of India, for evolving a policy for establishment of new Stock Exchanges, which, *inter-alia*, recommended the establishment of a National Stock Market System, Central Depository Trust for securities, a National Clearing and Settlement System in respect of transactions in various Stock Exchanges and the establishment of a National Stock Exchange at New Bombay. The recommendations of the Study Group have been accepted in principle by Government.

(f) Foreign Trade and Balance of Payments

1.40 During the year 1991-92, India's foreign trade faced a difficult situation due to macro-economic imbalances in the domestic economy and unfavourable global economic environment. During April-January 1991-92, exports to General Currency Area (GCA) rose to a level of US$ 12,780 million from US$ 12,089 million during the corresponding period of last year, thereby registering a growth of 5.72%. In rupee terms, exports to GCA increase from Rs. 21,427 crores during 1990-91 (April-January) to Rs. 30,914 crores during 1991-92 (April-January), thereby registering a growth of 44.28%. The exports to Rupee Payment Area (RPA) which were lower by 50.43% during April-May 1991 and by 49.50% during April-June, 1991 (both in dollar terms) as compared to corresponding period in 1990, were lower by 42.33% in dollar terms and by 21.29% in rupee terms during 1991-92 (April-January), as compared to the same period in 1990-91. On the other hand, imports have declined from a level of US$ 20,249 million during 1990-91 (April-January) to US$ to 15,929 million during 1991-92 (April-January), thereby registering a decline of 21.34%. The trade deficit during 1991-92 (April-January) at US$ 1,583 million or Rs. 3,831 crores was much lower than the level of US$ 1,6[illegible] million or Rs. 3,906 crores during the corresponding period of previous year. There was, in fact, a marginal surplus of exports over imports in the month of January, 1992. The new initiatives undertaken by the Government since July, 1991 are expected to lay the basis for a sustained high growth of exports over the medium to long term.

1.41 In the context of large current account deficit and the setback in non-resident deposits as well as commercial borrowing, the much needed support to balance of payments was provided by the accommodation from the International Monetary Fund (IMF) and quick disbursing loans from the World Bank, Asian Development Bank and bilateral donors, especially Japan. Foreign Exchange Reserves (excluding Gold & SDRs) which had declined from $ 2,236 million at the end of March, 1991 to $ 1,141 million at the end of August, 1991, had increased to $ 5,662 million by the end of March, 1992.

(g) Price Situation

1.42 The price situation continued to be under pressure throughout the year. The Wholesale Price Index (WPI) registered an increase of 12.0% during the year (upto 15th February 1992), almost same as recorded during the corresponding period last year. The Consumer Price Index (CPI) for industrial workers increased by 11.9% during the year (upto December, 1991) as against 12.4% in the corresponding period of the preceding year. The build-up of inflationary pressure was mainly attributable to excess demand arising from the large and persistent fiscal deficits over the years, resultig in excessive growth in money supply and a liquidity overhand. Some supply side factors also contributed to accentuating inflationary pressure in the economy.

Prospects (1992-93)

1.43 The new five-year Export-Import Policy (1992-97), gives a further push to liberalisation by freely allowing imports of all items except a negative list,

decanalising a large number of raw materials including non-ferrous metals and further liberalising import of capital goods against export obligation. Other features of the new policy are enlarging the scope of duty free imports under advance licences, special benefits for deemed exports and more incentives for 100% export-oriented units and those located in free trade as well as export processing zones.

1.44 In continuation with the economic policy measures already introduced in the economy, the Union Budget for 1992-93 took the next significant steps in further liberalising and opening up the economy. The rupee has been made partially convertible (60% of Export earnings) on current account and the exim scrip stands withdrawn. Other proposals include reduction in Statutory Liquidity Ratio (SLR) for banks from 38.5% to 30% on incremental deposits, reduction in the floor level of interest rate on commercial advances by 1 percentage point, exemption from income tax to private sector and joint sector mutual funds, lifting of Government control over capital issues including premium fixation, restructuring capital gains taxation, wealth tax exemption on shares and debentures, provision of Rs. 1,000 crores from external aid agencies for the National Renewal Fund, etc.

1.45 The inherent strength of the economy to combat inflation and bring about price stability in the near future lies in its stable food economy, higher industrial growth potential, fairly good performance of infrastructure sector, improvement in foreign exchange reserves, expectations of positive impact of structural reforms and liberalisation policies on the overall productivity and growth of the economy, and above all, the strong will and firm determination of the Government to reduce the macro-economic imbalances, both internal and external.

1.46 The performance of the Indian economy during the Seventh Five Year Plan was excellent. Nevertheless, the Eighth Five Year Plan could not take off due to the fast changing political developments at the Centre. It commenced on April 1, 1992 and 1990-91 and 1991-92 were treated as separate Annual Plans. The Eighth Plan's Directional Paper entitled "Objectives, Thrusts and Macro-Dimensions of the Eighth Plan" has projected an average annual growth rate of 5.6% of GDP which would be realised by achieving an average saving rate of 21.6% of GDP during the Plan, an inflow of capital from abroad to the extent of 1.4% of GDP, and a 13.6% growth in exports.

1.47 The Indian economy is on the threshold of a major transformation. While the balance of payments crisis has been successfully tackled with the generous help from international agencies and developed countries, the radical changes in economic and trade policies alongwith the proposed reform of the financial sector are expected to release new forces of growth and private initiative. In the World Bank Study entitled 'Global Economic Prospects and the Developing Countries', it is rightly predicted that India, with continued emphasis on macro-economic reforms, should be able to restore growth momentum, in the later half, of 5%, a year. The Asian Development Bank, in its annual outlook report, has also predicted good prospects for India and few other countries in the region during the year 1992-93.

2: Operations, Resources and Working Results

(a) Operations

Overall Operations

2.01 Despite a difficult operational environment during the year 1991-92, IFCI was able to achieve almost the same level of sanctions as the previous year, as well as exceed the disbursements made in the previous year. Overall sanctions of IFCI under its various schemes of assistance aggregated Rs. 2,869.21 crores in respect of 608 projects as against the sanctions of Rs. 2,965.06 crores for 960 projects in the year 1990-91. Total disbursements during the year 1991-92 aggregated Rs. 1,605.18 crores as against Rs. 1,574.75 crores in 1990-91.

2.02 While project finance has been the sheet anchor of IFCI's business right from its inception, its entry into the area of financial services began essentially in the year 1986-87. Table-2 gives the broad scheme-wise classification of assistance sanctioned and disbursed in 1991-92, both under project finance and financial services and, correspondingly, scheme-wise cumulative data as on the 31st March, 1992.

2.03 Cumulatively, the aggregate sanctions accorded by IFCI under its various schemes, upto the end of March, 1992, amounted to Rs. 13,963.29 crores to 4,167 projects. The overall disbursements upto the 31st March, 1992, were of the order of Rs. 8,650.57 crores, of which cash disbursements, i.e., disbursements excluding guarantees, were of the order of Rs. 8,459.22 crores. The total assistance disbursed formed about 62% of the total assistance sanctioned. The total outstanding assistance portfolio as on the 31st March, 1992, net of repayments by the borrowers, was Rs. 7,395.36 crores.

Table 2 : Scheme-wise Classification of Assistance Sanctioned and Disbursed

(Rs. Crores)

Scheme of Financing	(1991-92) (April-March)			Cumulative upto the 31st March, 1992		
	No. of Projects	Sanctions (Rs.)	Disburse-ments (Rs.)	No. of Projects	Sanctions (Rs.)	Disburse-ments (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Project Finance						
Related to Projects only	430	2,061.28 (71.8%)	1,254.42 (78.2%)	3,818	11,392.87 (81.6%)	7,345.65 (84.9%)
Sub-total (I)	430	2,061.28 (71.8%)	1,254.42 (78.2%)	3,818	11,392.87 (81.6%)	7,345.65 (84.9%)
II. Financial Services						
— Equipment Finance	75	376.87 (13.1%)	124.14 (7.7%)	341	888.93 (6.4%)	485.01 (5.6%)
— Equipment Leasing	9	85.50 (3.0%)	32.95 (2.1%)	97	374.56 (2.7%)	241.42 (2.8%)
— Equipment Procurement	—	—	2.10 (0.1%)	27	35.95 (0.3%)	26.25 (0.3%)
— Equipment Credit	80	171.84 (6.0%)	123.03 (7.7%)	192	490.99 (3.5%)	331.09 (3.8%)
— Suppliers' Credit	8	41.25 (1.4%)	4.97 (0.3%)	69	390.37 (2.8%)	18.88 (0.2%)
— Buyers' Credit	15	50.02 (1.8%)	12.93 (0.8%)	51	155.63 (1.1%)	48.91 (0.6%)
— Finance to Leasing and Hire	20	77.75	50.44	72	229.29	153.09
— Purchase concerns		(2.7%)	(3.1%)		(1.6%)	(1.8%)
Instalment Credit	2	4.70 (0.2%)	0.20 (—)	2	4.70 (—)	0.20 (—)
Sub-total (II)	209	807.93 (28.2%)	350.76 (21.8%)	851	2,570.42 (18.4%)	1,304.92 (15.1%)
Grand Total (I+II)	639	2,869.21 (100.0)	1,605.18 (100.0)	4,669	13,963.29 (100.0)	8,650.57 (100.0)

NOTE : *Actual No. of projects assisted during 1991-92 are 608 and as on the 31st March, 1992 are 4167. Some of the projects have received assistance under more than one scheme.

Industry-wise Assistance

2.04 Industry-wise coverage of overall assistance sanctioned by IFCI, during the year 1991-92 and cumulatively upto the 31st March, 1992 is given in Table-3. Industries which claimed a significant share in IFCI's assistance during 1991-92, were textiles (16.8%), iron & steel (14.4%), synthetic resins and plastics (8.3%), electricity & gas (8.1%), chemicals & chemical products (7.7%), electronics (6.3%), paper (5.8%), sugar (3.4%), food products (3.3%), machinery & accessories (3.1%), cement (3.1%), and others (19.7%). A noteworthy feature of assistance, during the year, was that number-wise, textiles with 110 units was on the top, followed by units relating to chemicals and chemical products (65), iron and steel (51), food products (36), electronics (34), sugar (32), hotel & tourism related activities (30), machinery & accessories (21), leasing and hire purchase concerns (21), misc. non-metallic mineral products (21), transport equipment (21), cement (18), synthetic resins and plastic materials (17), paper & paper products (17), medical & health services (13), fertilisers (10), electrical machinery & appliances (10), etc.

Table 3 : Industry-wise Coverage of Assistance

(Rs. Crores)

Industry	1991-92 (April-March)			Cumulative upto the 31st March, 1992		
	No. of Projects	Amount Sanctioned Rs.	% of the total	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	% of the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sugar						
—Co-operatives	12	27.36	0.9	230	408.40	2.9
—Others	20	72.05	2.5	110	281.79	2.0
Misc. Food Products	36	93.51	3.3	139	321.65	2.3
Textile	110	481.02	16.8	755	1625.31	11.6
Jute	1	2.24	0.1	42	58.64	0.4
Chemicals						
—Basic Chemicals	38	121.65	4.2	210	702.01	5.0
—Fertilizers & Pesticides	10	64.72	2.3	80	613.97	4.4
—Synthetic Fibres	9	54.29	1.9	73	833.62	6.0
—Synthetic Resins, Plastic Materials & Products	17	238.03	8.3	133	784.26	5.6
—Other Chemicals & Chemical Products	27	100.07	3.5	212	573.23	4.1
Cement & Cement Products	18	88.01	3.1	158	874.74	6.3
Paper & Paper Products	17	165.14	5.8	132	513.03	3.7
Rubber Products	9	35.59	1.2	56	235.74	1.7
Iron & Steel	51	413.13	14.4	277	1374.15	9.9
Machinery & Accessories	21	89.27	3.1	250	752.71	5.4
Transport Equipment & Parts	21	37.85	1.3	167	513.03	3.7
Electronics	34	180.52	6.3	197	730.73	5.2
Electrical Machinery & Appliances	10	7.07	0.3	126	274.20	2.0
Metal Products	5	6.72	0.2	119	239.11	1.7
Non-ferrous Metals	7	31.49	1.1	49	145.59	1.0
Misc. Non-metallic mineral products	21	48.91	1.7	118	291.80	2.1
Gas & Electricity	6	232.20	8.1	29	537.42	3.9
Hotel & Tourism related activities	30	48.48	1.7	152	279.26	2.0
Medical & Health-Services	13	27.22	0.9	33	88.49	0.6
Fishing	1	6.03	0.2	2	17.51	0.1
Mining	5	17.24	0.6	37	140.02	1.0
Leasing	21	78.65	2.7	72	290.19	1.6
Other Industries	38	100.75	3.5	209	522.69	3.8
Total	608	2869.21	100.0	4167	13,963.29	100.0

2.05 Industry-wise distribution of assistance sanctioned during 1991-92 as also cumulative assistance as on the 31st March, 1992, according to the use-based classification of products is given in Table-4. Compared with the previous year, capital goods industries, intermediate goods industries and service industries in IFCI's assistance portfolio did not show improvement in 1991-92. However, assistance to basic industries and consumer goods industries was higher by 15.1% and 44.5% respectively than that of the previous year.

Table 4 : Industry-wise Distribution of Assistance According to Use-based Classification of Products

(Rs. Crores)

Industry	1991-92 (April-March)			Cumulative upto the 31st March, 1992		
	No. of Projects	Amount Sanctioned Rs.	% of the total	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	% of the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Basic Industries (viz., basic metal industries, basic industrial chemicals, fertilizers, cement, mining, power generation, etc.)	135 (209)	968.44 (841.46)	33.8 (28.4)	840 (795)	4,387.90 (3,548.67)	31.4 (31.1)

(Rs. Crores)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Capital Goods Industries (viz., machinery and accessories, electrical machinery and appliances, transport equipment, etc.)	86 (161)	314.71 (444.60)	11.0 (15.0)	740 (718)	2,270.67 (2,005.86)	16.3 (17.6)
Intermediate Goods Industries (viz., chemical products, metal products, non-metallic mineral products, jute, tyres and tubes etc.)	96 (183)	523.38 (877.04)	18.2 (29.6)	794 (773)	3,245.29 (2,822.92)	23.3 (24.7)
Consumer Goods Industries (viz., sugar, other food products, cotton/woollen textiles, paper and other miscellaneous industries)	225 (312)	899.33 (622.36)	31.3 (21.0)	1,521 (1,424)	3,412.51 (2,549.48)	24.4 (22.3)
Service Industries (viz., hotels, medical services, shipping, etc.)	66 (95)	163.35 (179.60)	5.7 (6.0)	272 (248)	646.92 (496.03)	4.6 (4.3)
Total	608 (960)	2,869.21 (2,965.06)	100.0 (100.0)	4,167 (3,958)	13,963.29 (11,422.96)	100.0 (100.0)

NOTE : Figures in brackets relate to the previous year 1990-91 and as on the 31st March, 1991.

State-wise Assistance

2.06 The State-wise spread of IFCI's assistance in 1991-92 and cumulatively upto the 31st March, 1992 is set out in Table-5. During the year, quantum-wise, the States of Maharashtra, West Bengal, Uttar Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu and Madhya Pradesh claimed first six positions in IFCI's sanctioned assistance portfolio, though, the project number-wise, the first six positions were taken in descending order by Maharashtra, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat and Punjab.

Table 5 : State/Territory-wise Spread of Assistance

(Rs. Crores)

State/Union Territory	1991-92 (April-March)			Cumulative upto the 31st March, 1992		
	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	% of the total	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	% of the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Andhra Pradesh	64	144.53	5.0	391	1,237.60	8.9
Arunachal Pradesh	—	—	—	1	0.16	—
Assam	3	17.98	0.6	39	116.58	0.8
Bihar	2	6.38	0.2	85	193.11	1.4
Goa	6	15.90	0.6	30	76.91	0.6
Gujarat	52	341.45	11.9	377	1,756.26	12.6
Haryana	29	80.44	2.8	187	449.64	3.2
Himachal Pradesh	15	100.71	3.5	56	263.09	1.9
Jammu & Kashmir	1	9.02	0.3	21	40.67	0.3
Karnataka	25	80.90	2.8	257	580.22	4.2
Kerala	10	16.97	0.6	100	167.93	1.2
Madhya Pradesh	35	184.26	6.4	197	803.68	5.7
Maharashtra	93	436.16	15.2	729	2,500.88	17.9
Manipur	—	—	—	1	2.45	—
Meghalaya	1	0.13	—	6	7.96	0.1
Nagaland	—	—	—	4	2.60	—
Orissa	10	40.39	1.4	79	370.88	2.7
Punjab	38	138.68	4.8	203	720.13	5.2
Rajasthan	36	146.21	5.1	183	743.71	5.3
Sikkim	1	0.06	—	3	2.96	—
Tamilnadu	71	196.82	6.9	417	984.30	7.0
Tripura	—	—	—	3	4.41	—
Uttar Pradesh	72	387.49	13.5	442	1,737.69	12.4

(Rs. Crores)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
West Bengal	26	432.57	15.1	224	791.93	5.7
Andaman & Nicobar Islands	—	—	—	1	1.42	—
Chandigarh	2	1.27	0.1	7	16.61	0.1
Dadra & Nagar Haveli	1	0.70	—	11	18.98	0.1
Daman & Diu	1	0.68	—	5	6.47	0.1
Delhi	13	87.34	3.0	75	292.88	2.1
Pondicherry	1	4.17	0.2	33	71.18	0.5
Total	608	2,869.21	100.0	4,167	13,963.29	100.0

2.07 In the cumulative setting, the States of Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and Tamil Nadu continued to occupy the first five positions in IFCI's total cumulative sanctioned assistance portfolio as on the 31st March, 1992. The next in order were Madhya Pradesh, West Bengal, Rajasthan, Punjab, Karnataka, Haryana and Orissa.

Sector-wise Assistance

2.08 In terms of its Charter, IFCI is eligible to finance industrial projects either in the co-operative or in the corporate sectors. Table-6 gives the sector-wise classification of projects and assistance sanctioned as well as disbursed, both during 1991-92 and cumulatively upto the 31st March, 1992.

2.09 During 1991-92, assistance to the extent of Rs. 76.74 crores was sanctioned to 29 projects in the co-operative sector and formed 2.7% of the total assistance. The number of industrial co-operatives assisted during the year included 12 sugar co-operatives, 7 textile co-operatives, and 10 other co-operatives pertaining to basic industrial chemicals and paper & paper products.

Table 6 : Sector-wise Classification of Assistance Sanctioned and Disbursed

(Rs. Crores)

Sector	1991-92 (April-March)			Cumulative upto the 31st March, 1992		
	No. of Projects	Sanctions Rs.	Disbursements Rs.	No. of Projects	Sanctions Rs.	Disbursements Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Co-operative	29	76.74 (2.7%)	62.15 (3.9%)	360	714.68 (5.1%)	537.83 (6.2%)
Sub-total (I)	29	76.74 (2.7%)	62.15 (3.9%)	360	714.68 (5.1%)	537.83 (6.2%)
II. Corporate						
— Private	519	2,316.44 (80.7%)	1,344.95 (83.8%)	3,174	10,673.27 (76.4%)	6,497.42 (75.1%)
— Public	17	145.62 (5.1%)	40.36 (2.5%)	322	985.88 (7.1%)	641.55 (7.4%)
— Joint	43	330.41 (11.5%)	157.72 (9.8%)	311	1,589.46 (11.4%)	973.77 (11.3%)
Sub-total (II)	579	2,792.47 (97.3%)	1,543.03 (96.1%)	3807.	13,248.61 (94.9%)	8,112.74 (93.8%)
Grand Total (I+II)	608	2,869.21 (100.0)	1,605.18 (100.0)	4167	13,963.29 (100.0)	8,650.7 (100.0%)

2.10 Cumulatively upto the 31st March, 1992, IFCI had sanctioned assistance of Rs. 714.68 crores to 360 industrial co-operatives, against which Rs. 537.83 crores had already been disbursed. While Maharashtra continued to remain a forerunner, it is a matter of satisfaction for IFCI that through its support and priority

accorded to co-operative sector ventures, the co-operative movement has gathered momentum in almost all the States. Of the 360 industrial co-operatives, 230 are sugar co-operatives, 101 textile co-operatives and 29 other miscellaneous co-operatives.

2.11 In the **corporate sector,** the private sector, which has been the largest beneficiary of the financial assistance from IFCI, in view of the specific role assigned to it, claimed assistance of the order of Rs. 2,316.44 crores (80.7%) of the total for 519 projects. The assistance to 17 **public sector** projects (not covered by the budgetary support of Government), during the year, amounted to Rs. 145.62 crores and formed 5.1% of the total. With regard to the **joint sector** projects, the sanctions, during the year 1991-92, were of the order of Rs 330.41 crores (which constitute 11.5% of the total assistance) to only 43 joint sector projects. Thus, the overall assistance to the corporate sector, comprising private, public and joint sector projects, during the year, aggregated Rs. 2,792.47 crores to 579 projects. Cumulatively, that assistance aggregated Rs. 13,248.61 crores (94.9% of the total) to 3,807 projects, against which, the disbursements effected were of the order of Rs. 8,112.74 croes.

Assistance to Backward Areas and No-Industry Districts

2.12 During the year, IFCI's assistance to projects in Centrally notified backward districts/areas amounted to Rs. 1,397.19 crores in respect of 285 projects. The overall assistance to projects in Centrally notified backward districts/areas during 1991-92 constituted 48.7% of the total assistance sanctioned. Last year, that was 47.4% of the total assistance sanctioned.

2.13 As per the existing scheme of classification of backward districts/areas under category 'A' , 'B' and 'C', 67 projects located in category 'A' (No-Industry/ Special Region Districts) secured assistance of the order of Rs. 336.40 crores, 113 projects located in category 'B' districts/areas claimed assistance of the order of Rs. 515.56 crores, and 105 projects in category 'C' districts/areas had assistance amounting to Rs. 545.23 crores.

2.14 Cumulatively, upto the 31st Mrach, 1992, IFCI had sanctioned financial assistance aggregating Rs. 6,722.33 crores to 1,899 projects located in notified backward districts/areas, which constituted 48.1% of IFCI's overall net cumulative sanctions. The disbursements against these sanctions upto the 31st March, 1992, had been of the order of Rs. 4,266.94 crores.

Project Finance

2.15 The project finance sanctions for the year under report, amounted to Rs. 2,061.28 crores to 430 projects. So also, disbursements against project finance amounted to Rs. 1,254.42 crores. While under project finance sanctions in 1991-92 were slightly lower in comparison to that at the previous year, disbursements were higher by 8.3% in comparison to that of the previous year. Facility-wise classification of Project Finance is given in Table 7.

Table 7 : Facility-wise Classification of Project Finance

(Rs. Crores)

Facility	1991-92 (April-March)		Cumulative upto the 31st March, 1992	
	Sanctions (Rs.)	Disbursements (Rs.)	Sanctions (Rs.)	Disbursements (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Project Finance				
Rupee Loans	1,391.89	876.75	8,088.20	5,652.85
	(67.5%)	(69.9%)	(71.0%)	(76.9%)
Foreign Currency Loans	180.60	283.04	2001.49	1305.76
	(8.8%)	(22.6%)	(17.6%)	(17.8%)
Underwriting & Direct Subscription	135.53	30.61	744.69	195.69
	(6.6%)	(2.4%)	(6.5%)	(2.7%)
Guarantees				
—For Deferred Payments	232.22	64.02	362.96	141.18
	(11.2%)	(5.1%)	(3.2%)	(1.9%)
—For Foreign Loans	121.04		195.53	50.17
	(5.9%)		(1.7%)*	(0.7%)
Total	2,061.28	1,254.42	11,392.87	7,345.65
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

Note Figures in brackets indicate percentage to the total.

2.16 Rupee loan sanctions were at Rs. 1,391.89 crores, during the year, as compared to the rupee loan sanctions of the order of Rs. 1,469.02 crores in 1990-91. However, rupee loan disbursements, during the year, at Rs. 876.75 crores were higher by 2.1% when compared with the rupee loan disbursements of the order of Rs. 858.65 crores in 1990-91.

2.17 Foreign currency loan sanctions, during the year, amounted to Rs. 180.60 crores as against Rs. 552.19 crores in the preceding year. But foreign currency loan disbursements at Rs. 283.04 crores, during the year, were higher by 21.3% compared with the foreign currency loan disbursements of the order of Rs. 233.25 crores during 1990-91.

2.18 In the sanctions and disbursements under project finance, during the year, the rupee loans formed 67.5% and 69.4% of the total. The share of foreign currency loans both under sanctions and disbursements under project finance, during the year, worked out to 8.8% and 22.6% respectively.

2.19 During the year, sanctions of IFCI in terms of underwriting and direct subscriptions were at Rs. 135.53 crores as against Rs. 141.06 crores in 1990-91. In the total project finance sanctions, the share of underwriting and direct subscriptions, during the year, was just 6.6%. The facility of underwriting of equity shares was sanctioned to 72 concerns for an aggregate amount of Rs. 81.96 crores and debentures of 10 concerns to the extent of Rs. 37.29 crores. The sanctions relating to direct subscription were of the order of Rs. 16.28 crores comprised 13 cases of equity shares (Rs. 2.86 crores), 2 cases of preference shares (Rs. 0.40 crore) and 17 cases of debentures (Rs. 13.02 crores).

2.20 During the year, the facility of guaranteeing deferred payments to the extent of Rs. 232.22 crores to foreign suppliers of machinery and equipment was sanctioned in 15 cases. Guarantees were also agreed to be given in respect of foreign loans in 6 cases, aggregating Rs. 121.04 crores. In the project finance sanctions, the overall share of the guarantees for both deferred payments and foreign loans, during the year, worked to 17.1%.

Purpose-wise Classification of Assistance

2.21 Out of the total project finance assistance sanctioned by IFCI in 1991-92, Rs. 1,122.69 crores was claimed by 120 new projects. Of these 120 new projects, 3 projects had a capital outlay upto Rs. 3 crores; 9 projects individually had a capital outlay between Rs. 3 crores and Rs. 5 crores; 29 projects were in the capital outlay range of Rs. 5 crores to Rs. 10 crores; 29 projects had a capital outlay between Rs. 10 crores and Rs. 20 crores; and 50 projects were those where capital outlay per project was above Rs. 20 crores.

2.22 Out of the existing projects numbering 310 claiming an assistance of Rs. 938.59 crores, 41 projects claimed assistance of the order of Rs. 264.96 crores for their expansion and diversification programmes, 72 projects were sanctioned assistance of the order of Rs. 166.68 crores for their modernisation programmes, 197 projects were those which claimed assistance aggregating Rs. 506.95 crores for meeting the cost of either balancing equipment or project overrun, etc.

Special Features of IFCI's Assistance under Project Finance (1991-92)

2.23 Some of the special characteristics of IFCI's assistance under project finance in 1991-92 were as under :—

— Out of 120 new projects assisted, 8 projects were those, which were promoted by first generation entrepreneurs. These claimed assistance of the order of Rs. 27.80 crores and were spread over a number of diversified industries like textiles, plastic products, leather products, cement, transport equipment, etc.

— Assistance of the order of Rs. 27.22 crores was provided to 13 hospital units under IFCI's Scheme of Assistance to Corporate Hospitals and Multi-disciplinary Health Centres.

— Assistance of the order of Rs. 48.48 crores was provided to 30 hotel and other tourism related projects.

— Export-oriented projects with substantial export obligations totalled 41; the financial assistance being of the order of Rs. 411.22 crores.

— 37 projects sanctioned assistance, during the year, of the order of Rs. 472.52 crores were those which involved foreign collaboration and/or technology transfer from abroad. Country-wise collaborations were: Germany 9, Japan 6, USA 4, Italy 3, UK 3, Taiwan 1, France 2, Belgium 2, South Korea 1, Sweden 2, Holland 1, Canada 1, Portugal 1, and Russia 1.

— 2 projects claiming assistance aggregating Rs. 10.95 crores were such which envisaged manufacture of some of the products for the first time in the country.

Financial Services Merchant Banking

2.24 IFCI entered the area of financial services by starting merchant banking and allied services from the year 1986-87. Though a late entrant, within a span of six years, the Merchant Banking & Allied Services Depart-

ment (MBASD) of IFCI, was able to establish itself well by diversifying its activities, both fund based and non-fund based, apart from introducing a number of schemes under the financial services, like Equipment Leasing, Equipment Procurement, Equipment Credit, Suppliers' Credit, Buyers' Credit, Finance to Leasing and Hire Purchase Concern, etc. During the year, a new scheme called 'Instalment Credit Scheme' has been introduced to offer a varied mix to the prospective borrowers who intend to acquire equipment for industrial use. MBASD also intensified its activities in the area of project counselling, loan syndication and debenture trusteeship assignments, etc.

2.25 During the year, MBASD alongwith its Bureau at Bombay, handled 117 merchant banking assignments, of which 56 related to issue management services, 41 to project counselling/appraisal and 20 to Debenture Trusteeship. The issue management assignments helped, during the year, mobilisation of funds of the order of Rs. 597 crores. Cumulatively, IFCI's MBASD had handled, since inception in July, 1986 and upto the 31st March, 1992, as many as 365 assignments which included 185 public issues, helping in the mobilisation of the funds of the order of Rs. 1,988.49 crores.

Equipment Finance

2.26. Under Equipment Finance Scheme, loan assistance of the order of Rs. 376.87 crores was sanctioned to 75 units during the year, which was higher by 84.2% than the loan assistance aggregating Rs. 204.65 crores to 94 units sanctioned last year. Cumulatively, under this Scheme, IFCI had sanctioned assistance aggregating Rs. 888.93 crores to 341 units, against which a sum of Rs. 485.01 crores (54.6% of the sanctions), had been disbursed upto the 31st March, 1992.

Equipment Leasing

2.27 The equipment leasing facility being granted by IFCI under its financial services covers financial lease (including master lease), syndicated lease, sale and lease back arrangement. During the year, as many as 9 transactions for providing equipment on lease, costing Rs. 85.50 crores were finalised. Cumulatively, the overall sanctions under the Equipment Leasing upto the 31st March, 1992 amounted to Rs. 374.56 crores, against which disbursements made were of the order of Rs. 241.49 crores.

Equipment Procurement

2.28 Due to sales tax problem attached to the Equipment Procurement Scheme, no proposal came up for sanction in 1991-92. Overall, upto the 31st March, 1992, IFCI's sanctions under the Equipment Procurement Scheme amounted to Rs. 35.95 crores, against which disbursements had been of the order of Rs. 26.25 crores.

Equipment Credit

2.29 The Equipment Credit Scheme was introduced by IFCI with effect from the 28th July, 1989. Sanctions for the year 1991-92 under the Equipment Credit Scheme aggregated Rs. 171.84 crores to 80 existing industrial units as against the sanctions of Rs. 171.15 crores to 80 units in the preceding year. Cumulatively, the overall sanctions under the Equipment Credit Scheme upto the 31st March, 1992, amounted to Rs. 490.99 crores, against which disbursements had been made of the order of Rs. 331.09 crores.

Instalment Credit Scheme

2.30 Taking into account the need to provide alternative option to borrowers availing themselves of facilities under various credit schemes, Instalment Credit Scheme was introduced in November, 1991 for acquiring equipment for industrial use. Since the Scheme provided better flexibilities in regard to payment period, simplicity in interest calculations and the prospective borrower has the option of repayment of facilities availed of in 36/48 equated monthly instalments, in a short span of 4 years, assistance of the order of Rs. 4.70 crores was sanctioned to 2 industrial units against which Rs. 20 lakhs was disbursed by 31st March, 1992.

Suppliers' Credit

2.31 Under the Suppliers' Credit Scheme, the credit sanctioned, during the year 1991-92, was of the order of Rs. 41.25 crores to 8 equipment manufacturing units. Cumulatively, upto the 31st March, 1992, assistance under the Suppliers' Credit Scheme had been sanctioned to the extent of Rs. 390.37 crores to 69 equipment manufacturing units against which, the utilisation was to the extent of Rs. 18.88 crores only.

Buyers' Credit

2.32 Under the Buyers' Credit Scheme, which was introduced in July, 1989, an aggregate sum of Rs. 50.02 crores was sanctioned to 15 industrial units during the year. Cumulatively, upto the 31st March, 1992, credit sanctioned under the Scheme had been of the order of Rs. 155.63 crores, against which the disbursements made aggregated Rs. 48.91 crores.

Finance to Leasing and Hire Purchase Concerns

2.33 IFCI continued to assist leasing and hire purchase concerns on a selective basis. During the

year, assistance of the order of Rs. 77.75 crores was sanctioned to 20 leasing & hire purchase concerns. Cumulatively, upto the 31st March, 1992, IFCI had sanctioned assistance of the order of Rs. 229.29 crores to 72 leasing concerns, against which disbursements stood at Rs. 153.09 crores.

Flow of Applications

2.34 Under the project finance, IFCI handled during 1991-92, applications (inclusive of those under the Equipment Finance Scheme) from 483 eligible concerns for an aggregate assistance of Rs. 10,521.25 crores, either on its own or on joint financing basis. Applications from 11 concerns for an aggregate assistance of Rs. 111.76 crores were either withdrawn by the applicants or treated as closed for want of progress or lack of viability of the proposed projects. As at the close of March, 1992, applications from 14 concerns (4 on joint financing basis) under IFCI's lead for an aggregate assistance of Rs. 383.13 crores were pending, being at different stages of processing. Other applications from 458 concerns were sanctioned assistance during the year ended the 31st March, 1992; the disposal in 97.05% cases, having been made in less than four months' time from the date of receipt of complete information and data.

2.35 In respect of its schemes under the financial services, IFCI processed applications for assistance from 169 concerns for an aggregate assistance of Rs. 480.90 crores. Out of these, applications from 132 concerns were sanctioned assistance under variegated schemes encompassing financial services being provided by IFCI. Applications from 29 concerns were treated as withdrawn, because of lack of eligibility and/or other related factors, and, as at the end of March, 1992, applications from 8 concerns for aggregate assistance of Rs. 20.94 crores were pending with IFCI.

Direct Economic Contribution of New, Expansion and Diversification Projects

2.36 A study of 161 new and expansion/diversification projects assisted by IFCI in 1991-92, indicates that IFCI's assistance, during the year, would be able to create substantial capacities in a wide variety of industries. The aforesaid projects assisted during the year are expected to create direct employment opportunities for 38,859 persons, apart from indirect employment and growth of other social infrastructure. The value of annual output from these projects is estimated to be in the range of Rs. 8,973.97 crores. The gross value added is likely to be of the order of Rs. 4,485.50 crores, which accounts for the contribution of these projects to the Gross National Product (GNP) of the country. A detailed statement in this regard is annexed as Appendix-II.

Funding Pattern of Projects assisted by IFCI (1991-92)

2.37 IFCI's operations in 1991-92, according to a study made of the funding pattern of 342 projects (excluding cases of sanctions of additional assistance for financing purely overruns in the cost of projects, etc.), reveals that IFCI's assistance would be able to catalyse an investment of Rs. 16,378.75 crores, as per details given in Appendix-III.

Sanctions accorded in the Public Interest

2.38 During the year under report, there was no case, where because of Director (s) of IFCI being interested, in terms of Section 26(2) of the IFC Act, 1948 (as amended from time to time), IFCI sanctioned any assistance in public interest in terms of Industrial Finance Corporation (Transaction of Business with Specified Industrial Concerns) Regulations, 1982.

Capital Market Operations Investment Portfolio

2.39 IFCI's investment portfolio consists of investments made in the assisted concerns arising from (a) acquisition of shares pursuant to underwriting obligations, (b) direct subscriptions to shares, wherever agreed upon, (c) exercise of convertibility guidelines, (d) bonus share issues, (e) subscription to rights shares, (f) conversion of convertible portion of debentures, and (g) conversion of overdue interest into shares/debentures in the case of sick/potentially sick cases. IFCI, not being an Investment Institution, endeavours to liquify its investments, as far as possible, over a period of time. Sales are in small lots in the open market through empanelled stock/share brokers of recognised Stock Exchanges, wherever the companies are listed on the Stock Exchanges and where trading has been taking place normally. At times, sales have been made in bulk quantity to UTI/Mutual Funds, etc., within the Government Guidelines.

2.40 During the year, 42 issues of concerns whose shares and debentures had been underwritten by IFCI for Rs. 35.80 crores in aggregate were placed on the market. There was no devolution of shares and debentures on IFCI pursuant to its underwriting obligations. In addition, IFCI subscribed to equity shares of the order of Rs. 7.80 crores, preference shares of Rs. 1.50 crores and debentures of Rs. 10.77 crores in respect of 67 companies, against the sanctions relating to direct subscriptions.

2.41 During the year, IFCI acquired shares/debentures of the value of Rs. 30.61 crores and sold off its investments of the face value of Rs. 16.56 crores, making a profit on the sale of investments of order of Rs. 147.76 crores. The revenue from equity shares by way of dividend, during the year 1991-92, amounted to

Rs. 8.61 crores and by way of capital gains Rs. 147.76 crores. The average return on equity shares (inclusive of capital gains) worked out, for the year to 8.92%. Component-wise, a major portion of IFCI's investments as at the end of March, 1992, was 78.4% in equity shares (Rs. 132.98 crores), 4.2% in preference shares (Rs. 7.17 crores) and 17.4% in debentures (Rs. 29.40 crores).

Rehabilitation Programmes

2.42 In terms of provisions of Section 15 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, (SICA), 102 sick units under the lead of IFCI, were registered with the Board for Industrial & Financial Reconstruction (BIFR) as on the 31st March, 1992. In addition thereto, IFCI had been appointed as the Operating Agency in respect of 3 non-lead case as also 15 concerns where none of the all-India Financial Institutions were involved, making an aggregate of 120 cases. Upto the 31st March, 1992, IFCI had submitted reports in respect of 81 cases, of which 8 were submitted during the year. Of 81 cases, final decision had been taken by BIFR in 59 cases involving sanction of rehabilitation schemes in 44 cases and issue of opinion for winding up orders in 15 cases. In the remaining 22 cases, the hearings by BIFR were at different stages, and were yet to be concluded. In all, during the year, 89 hearings were held by BIFR in respect of 56 IFCI-lead cases and 10 Non-lead/Non-assisted cases in which IFCI had been appointed as Operating Agency.

2.43 These apart, in 4 cases, viability studies/revival plans had been worked out by IFCI under the aegis of BIFR, but not as Operating Agency. The expertise of IFCI was also made available to BIFR in scrutinising/reshaping the schemes for revival of certain non-assisted sick units as well.

2.44 In respect of non-BIFR cases, i.e., the cases not covered by the provisions of SICA, formulation and designing of rehabilitation packages were done in the background of guidelines evolved by the Reserve Bank of India in close collaboration with the involved Financial Institutions and Banks. The rehabilitation measures recommended/contemplated in respect of sick units covered a wide spectrum comprising modernisation, expansion, diversification, balancing, etc. IFCI also continued to be closely involved with the rehabilitation efforts made by other Financial Institutions in respect of their lead cases.

2.45 The period under report also witnessed turn around of a few units, which were under nursing programme of IFCI. In addition, certain proposals were being monitored by IFCI. A like number also involved negotiated settlement with IFCI in lead.

Excise Relief to Weak Industrial Units

2.46 A mention was made in the last year's Annual Report about the Government of India introducing a Scheme for Excise Relief to weak industrial units with effect from the 17th October, 1989. The Empowered Committee of the Government of India has so far sanctioned Excise Loan amounting to Rs. 38.85 crores to 16 IFCI lead cases, against which an aggregate sum of Rs. 16.70 crores had been released by the Central Government during the year.

(B) Operational Developments Promoters' Contribution and Debt Equity Ratio

2.47 In the context of increasing cost of borrowing, erosion in the profit margins available to the institutions on their lending operations and the emerging resource constraint on the one hand, and the changed scenario of liberalisation, deregulation and emerging economic policies announced by the Government of India, on the other, financial institutions including IFCI have revised the norms of promoters' contribution and Debt-Equity Ratio as under :—

- Minimum level of promoters' contribution shall be 25% of the project cost with 'core' promoters' contribution to be not less than 15% of the project cost;

- In case of first project promoted by first generation entrepreneurs with project cost upto Rs. 10 crores, a lower level of promoters' contribution of 20% with 'core' promoters' contribution being not less than 10% could be accepted;

- For large-sized projects (i.e. projects costing more than Rs. 200 crores), the minimum promoters' contribution shall preferably be 20%, with 'core' promoters' contribution of not less than 12.5% of the project cost;

- Debt-Equity ratio norm also stands revised from 2 : 1 to 1.5 : 1, except for large projects where the debt-equity ratio could go upto 2 : 1.

Revised Interest Rates Structure

2.48 IFCI alongwith other term lending institutions, replaced the two-tier interest rate structure of 14%-15% with a much more flexible interest rate structure under Project Financing, varying within a band of 18% to 20% per annum, depending upon the perceptions of the credit-worthiness of the borrowers. With a view to applying a specific rate of interest within the

aforesaid band, IFCI grade its borrowers through a comprehensive Credit Risk Evaluation System. The revised interest rates are inclusive of interest tax, revived by the Finance (No. 2) Act, 1991.

Relaxation in Convertibility Option

2.49 Pursuant to the revised Government guidelines, the financial assistance sanctioned by the financial institutions including IFCI with effect from the 22nd August, 1991 by way of term loan/direct subscription to debentures of industrial concerns in the corporate sector for setting up of new projects or for expansion of capacities of existing projects, are not subject to conversion option. However, the conversion option continued to be applicable in the event of default of the institutional dues as also in the case of rehabilitation assistance or additional assistance for meeting cost overruns. Barring the aforesaid instances and that of mismanagement, conversion option stipulated in respect of loan agreements executed prior to the 22nd August, 1991, could be waived subject to the borrower agreeing to pay interest @ 20% p.a. with effect from the 16th August, 1991, on the outstanding loan amount as on the 15th August, 1991 and thereafter.

2.50 In respect of sanctions accorded during the year under review, convertibility clause was stipulated as per extant guidelines in 90 cases. The convertibility right was exercised during the period under review in 12 cases only and waived in 19 cases. Cumulatively, since the introduction of convertibility guidelines, IFCI had stipulated the convertibility clause in 1,741 cases, exercised the convertibility option in 143 cases and waived the same, after taking into account the relevant factors, in 573 cases.

Export Incentive Scheme

2.51 Following the flexible interest rate structure referred to in para 2.48 supra, the rebate in interest rate and incentive based on export performance, known as Export Incentive Scheme, provided by the financial institutions including IFCI was discontinued with effect from the 16th August, 1991. Earlier, the rebate in interest rate available to eligible units under the scheme in respect of loans contracted on or after the 1st April, 1991 and upto the 15th August, 1991, was subject to a floor rate of 12% per annum.

Market Evaluation Studies

2.52 With a view to facilitating investment decisions, as many as 16 market evaluation studies were conducted during the year. Mention in this regard may be made of 6 industry studies relating to cement, electronics, plastics, caustic soda & chlorine, caprolactam, rockwool, sponge iron, continuous casting refractories, paper, etc. Beside these, studies were also conducted for energy conservation and pollution control in the industrial sector, scope for setting up new Spinning Units, export market prospects for Denim fabrics, raw material availability for solvent extraction units and the prospects for Pharmaceutical Industry in India. A few of these studies were conducted jointly with IDBI and ICICI.

Nominee Directors

2.53 Government and institutional guidelines with regard to the appointment of nominee directors continued to be observed by IFCI, in terms of which IFCI had appointed 380 nominee directors on the Boards of as many as 985 assisted concerns, of which 172 were officials and 208 non-officials. The Nominee Directors' Cell set up in IFCI is headed by a General Manager with other officers at the supporting level. Besides, three senior executives at Head Office, an officer from each of the Regional/Branch offices of IFCI has been designated as the members of the Nominee Directors' Cell for attending to the various tasks assigned to it.

Co-ordination with Banks and Financial Institutions

2.54 Co-ordination between Banks and Financial institutions continued to become more active in terms of the forum of Standing Co-ordination Committee and the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time. The system of exchange of information about common clients of banks and Financial Institutions on reciprocal basis also deepened further.

Interface with Government

2.55 IFCI continued to have interface as well as interaction with various Ministries and Departments of the Government of India. It was also represented on various Committees/Working Groups constituted by the Government of India, Reserve Bank of India and IDBI, from time to time. IFCI continued to act as the nodal agency for Sugar Development Fund and Jute Modernisation Fund.

(C) Resources and Financial Management Mobilisation of Rupee Resources

2.56 During the year ended the 31st March, 1992, the total rupee resources mobilisation by IFCI was Rs. 1,563.89 crores (excluding its opening rupee cash balance of Rs. 66.37 crores). The year 1991-92 remained, by and large, a difficult year in the matter of mobilisation of resources; the silver lining, in an otherwise sombre situation in the resource mobilisation was the rupee funds assistance provided by sister

institutions like IDBI, LIC, GIC, UTI as also the institutions like Air Force Group Insurance Society Ahmedabad District Co-operative Bank, etc. The overall support lent by the Government of India and the Reserve Bank of India (RBI) was also helpful as well as encouraging though RBI suspended the arrangement effective from 31st October, 1991.

2.57 Major highlights with regard to raising of rupee resources on the domestic front, during the year under report, were as under :

— Raising of additional share capital aggregating Rs. 7.50 crores on the 31st May, 1991.

— Accretion to reserves of the order of Rs. 68.62 crores.

— Increased receipts on account of (a) repayment of loans by borrowers and (b) sale/ redemption of investments, aggregating Rs. 425.40 crores.

— Augmentation of rupee resources by three public issue of bonds (59th, 60th and 61st Series made on the 19th September, 1991, the 13th January, 1992 and the 3rd March, 1992) in the aggregate sum of Rs. 440 crores.

— Rupee borrowing aggregating Rs. 565.89 crores raised from (a) IDBI (Rs. 150.00 crores), Life Insurance Corporation of India (Rs. 200 crores), Unit Trust of India (Rs. 200 crores), Air Force Group Insurance Society, Ahmedabad District Co-operative Bank etc., (Rs. 15.89 crores). The rate of interest on such borrowings was within the range of 14.5% to 17.5%.

— Availing to the extent possible, the working funds limit sanctioned by RBI which was suspended effective from 31-10-1991.

— Increased receipt of the order of Rs. 13.26 crores under Interest Differential Funds from the Government of India.

Utilisation of Rupee Resources

2.58 The utilisation of rupee resources was towards making cash disbursements of the order of Rs. 1,225.79 crores against the sanctioned assistance, repayment of loans to IDBI—Rs. 38.40 crores, repayment of loans to the Central Government—Rs. 0.88 crore, payment of dividend Rs. 25.43 crores, discharge of and provision for tax liability Rs. 27.50 crores and other uses aggregating Rs. 164.14 crores. The rupee cash balance as at the close of the year was Rs. 268.48 crores.

Mobilisation of Foreign Currency Resources

2.59 During the year under report, IFCI contracted Export Credit of DM 50 million from Berliner Handelsund Frankfurter Bank, Germany and Swiss Francs 10 million from Credit Suisse, Switzerland.

2.60 Overall subsisting foreign currency resources of IFCI, as at the close of the year ended the 31st March, 1992, consisted of—

— Borrowings from Kreditanstalt-fur-Widerauſbau (KfW) of Germany against 25 DM Lines of Credit aggregating DM 408 million;

— Cumulative borrowings in foreign currencies raised from the international capital market of the order of US $ 814.324 million;

— Credit Line from Finish Fund for Industrial Development Cooperation Ltd., Finland of the order of Fin Marka 30 million;

— Asian Development Bank (ADB) Line of Credit of US $ 150 million;

— Export Credits of DM 50 million from Berliner Handels-und Frankfurter Bank, Germany and Swiss Francs 10 million from Credit Suisse, Switzerland.

Utilisation of Foreign Currency Resources

2.61 Against the above foreign currency resources, IFCI had committed upto the 31st March, 1992 sub-loans in foreign currencies equivalent to Rs. 2,242.40 crores. The actual disbursement of foreign currency sub-loans upto the 31st March, 1992 had been equivalent to Rs. 1,379 crores, of which, the disbursements during the year 1991-92 alone were of the order of Rs. 315.72 crores.

2.62 During the year, the actual aggregate borrowings in foreign currencies were equivalent to Rs. 181.03 crores and the repayment of foreign currency borrowings was equivalent to Rs. 96 crores. The net outstanding borrowings in foreign currencies as on the 31st March, 1992 were of the order of Rs. 2,528.22 crores as against Rs. 1,720.46 crores (on revalued basis at the rate prevailing on the 31st March, 1992) as on the 31st March, 1991.

Exchange Risk Administration Scheme

2.63 With a view to providing a measure of protection to the borrowers of foreign currency loans against foreign exchange risks and distributing the cost of such protection equitably amongst them, the Exchange Risk

Administration Scheme (ERAS) was introduced with effect from the 1st April, 1989 initially for a period of two years and subsequently extended. During the year, taking into account the continued depreciation of the rupee against major foreign currencies and the increase in the borrowing costs, the composite cost band between 23% and 26% under the scheme, was reviewed four times; and the applicable interest rate within the band was raised from 20% to 23% p.a. for the period from the 1st April, 1991 to the 31st October, 1991, 24% for the period from the 1st November, 1991 to the 31st January, 1992 and 26% for the period from the 1st February, 1992 to the 30th April, 1992 (inclusive of Interest Tax).

Sources and Uses of Funds (Cumulative)

2.64 The aggragate resources of IFCI, since inception and upto the 31st March, 1992, amounting to Rs. 10,937.27 crores consisted of its share capital, internal generations, external commercial borrowings, foreign credits, borrowings from Government and other Institutions, and market borrowings. These had been utilised for rupee disbursements of the order of Rs. 7,079.80 crores, foreign currency disbursements of Rs. 1,379.42 crores, and investments, redemption of bonds, repayments to the Govt. and Indian Financial Institutions, foreign credit repayments, provision for payment of dividend, other uses and tax.

Contribution to National Exchequer

2.65 In terms of Section 40 of IFC Act, 1948, IFCI is liable to pay income tax (and super tax, if any) on its income, profits and gains like any other company in the private corporate sector. Even the Income Tax Act, 1961, does not make any distinction between IFCI and any other company for the purpose of computing taxable income except that the deductions are permissible under the Income Tax Act, 1961 out of the total income in respect of—

- Special Reserve credit in terms of Section 36(1)(viii) to the extent of 40% of the total income before making any deductions, so long as the amount so carried to such Reserve does not exceed twice the amount of the paid-up share capital (excluding the amount capitalised from reserves); and
- Inter-corporate dividends to the extent of only 60% of the income by way of dividends from other domestic companies in terms of Section 80M of the Act.

2.66 During the 44 years of its existence, IFCI has paid to the national exchequer, by way of tax, a sum of Rs. 218.35 crores, which works out approximately to one-and-a-half-times of its enhanced paid up share capital of Rs. 142.50 crores.

Outstanding and Overdues

2.67 The outstanding loan assistance portfolio of IFCI, as at the end of March, 1992, stood at Rs. 6,832.36 crores in relation to 2,875 concerns. The total overdue (comprising principal Rs. 179.44 crores and interest Rs. 98.36 crores) aggregated Rs. 277.80 crores. These overdue* formed about 4.1% of IFCI's total outstanding loans portfolio as on the 31st March, 1992.

(D) Accounts and Audit

Statement of Accounts

2.68 IFCI's Statements of Accounts comprising the Balance Sheet as at the 31st March, 1992 and the Profit & Loss Account for the year ended the 31st March, 1992 giving alongside the figures for the previous year are given at the end. The salient features of the working results and financial position of IFCI are, however, discussed below.

Working Results

2.69 The working results of IFCI for the year ended the 31st March, 1992 show a pre-tax profit of Rs. 121.75 crores as against Rs. 102.33 crores for the year ended the 31st March, 1991, portraying an increase of 18.98%. The net profit for the year, after providing Rs. 27.50 crores for taxation, works out to Rs. 94.25 crores, as against the last year's net profit of Rs. 78.08 crores showing an increase of 20.7%.

Appropriations

2.70 The appropriations out of the net profit made by the Board of Directors of IFCI are given in Table-8.

2.71 During the year ended the 31st March, 1992, IFCI has been able to transfer to its reserves a sum of Rs. 68.62 crores, towards its General Reserve Fund, Benevolent Reserve Fund and Special Reserve Fund. This is 14.1% higher than the amount transferred to reserves last year.

Table 8 : Appropriations of Net Profit

(Rs. Crores)

	This year (1991-92)	Previous year (1990-91)
(1)	(2)	(3)
Net profit	94.25	78.08
Appropriations		
Transferred to—		
(a) General Reserve Fund	28.99	17.91
(b) Benevolent Reserve Fund	1.00	1.50
(c) Special Reserve (under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961)	38.63	40.74
Allocation to the Staff Welfare Fund	0.20	0.20
Payment of Dividend	25.43	17.73
Total	94.25	78.08

Dividend

2.72 In view of the satisfactory working results, the Board of Directors of IFCI have approved the payment of dividend on shares at 18% for the year 1991-92 as against 16% declared last year.

Trends in Working Results

2.73 An overall assessment of the trends in the working results of IFCI can be had from the data for five years summarised in Table-9.

Table 9 : Working Results of IFCI for Five Years

(Rs. Crores)

Particulars	Year ended the 30th June		Year ended the 31st March		
	1988	1989(*)	1990	1991	1992
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Interest from Loans, Advances, Deposits & other financial assistance	285.30	277.77	462.95	591.48	671.13
(Less : Provisions for bad and doubtful debts and other provisions)	9.36	11.26	12.93	22.44	163.85
Other income					
Total income	294.66	289.03	475.88	613.92	834.98
Less :					
Cost of borrowings	212.10	213.62	357.95	475.47	662.94
Net Income	82.56	75.41	117.93	138.45	172.04
Expenditure					
— Personnel Expenses	6.12	5.02	8.55	12.41	10.99
— Loss of Investments	0.02	0.31	0.18	0.18	4.19
— Directors' and Committee Members' Fees & Expenses	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04
— Other Expenses and Grants	4.51	3.70	10.23	9.48	5.75
— Depreciation	3.00	5.81	8.80	14.01	29.32
Pre-tax Profit	68.88	60.55	90.14	102.33	121.75
Taxation	16.22	10.02	22.70	24.25	27.50
Net Profit	52.66	50.53	67.44	78.08	94.25
Dividend (Rate)	12.0%	13.0%	14.0%	16.0%	18.0%

(*) 1989 figures are for nine months only (July-March).

2.74 It would be observed from the above that in comparison with the previous year—

— Increase in the net income, pre-tax profit and net profit was 24.3%, 18.9% and 20.7% respectively.

— Inspite of a steep increase in cost of borrowings, pre-tax profit as percentage to net income was 70.8% in 1991-92 as against 73.9% last year.

— Net profit as percentage of net income was 54.7% in 1991-92 as against 56.4% last year.

— Personnel expenses in relation to total assets worked out to 0.13% during 1991-92 as against 0.19% last year.

Financial Position

2.75 The financial position as evidenced by the Balance Sheet of IFCI for the five years, inclusive of the position of assets and liabilities as at the 31st March, 1992 as indicated in Table-10.

Table 10 : Position of Assets and Liabilities of IFCI for Five Years

(Rs. Crores)

Particulars	As at the end of 30th June		As at the end of 31st March		
	1988	1989(*)	1990	1991	1992
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ASSETS					
Cash & Bank Balances	193.38	140.93	46.80	66.37	268.48
Investments					
— In Assisted Concerns	96.53	111.75	141.99	159.23	169.55
— In other Institutions	6.50	20.10	27.00	31.91	34.94
Loans to Assisted Concerns	2,733.21	3,372.53	4,179.04	5,362.21	6,787.83
Fixed & Other Assets	221.45	309.61	510.84	777.77	1,021.08
Customers' Liabilities for Acceptance	22.92	32.51	39.84	93.56	180.55
	3,273.99	3,987.43	4,945.51	6,491.05	8,462.43
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' FUNDS					
Share Capital	70.00	82.50	100.00	135.00	142.50
Reserve & Reserves Fund	225.62	270.94	327.42	389.45	461.32
Borrowings					
(a) Bonds	2,083.80	2,314.70	2,851.39	3,105.23	3,648.58
(b) From Govt. & IDBI	70.73	67.85	60.09	270.04	393.96
(c) From LIC, GIC & its subsidiaries	—	—	100.00	350.00	550.00
(d) In Foreign Currencies	611.15	988.60	1,005.95	1,497.27	2,190.70
Other Current Liabilities & Provisions	179.87	216.88	439.11	619.63	840.02
Earmarked Funds	9.90	13.45	21.71	30.87	54.80
Liability for Acceptance	22.92	32.51	39.84	93.56	180.55
	3,273.99	3,987.43	4,945.51	6,491.05	8,462.43
Debt : Equity	9.3 : 1	9.5 : 1	9.4 : 1	9.9 : 1	11.2 : 1
Net Worth : Net Profit	5.6 : 1	7.0 : 1	6.3 : 1	6.7 : 1	6.4 : 1

(*) 1989 figures relate to nine months only (July-March).

2.76 Some of the financial highlights based on the Balance Sheet for the year 1991-92 of IFCI can be stated in brief as under :

* Increase in the investment portfolio of IFCI, during the year, was 6.7%.

* Increase in the loans portfolio (outstandings) of IFCI during the year, was 23.6%.

* Increase in the net worth represented by share capital, reserves and reserve fund of IFCI, during the year, was 15.1%.

* The debt-equity ratio of IFCI, as at the end of March 1992 was 11.2 : 1.

* The net profit for the year was 15.6% of its net-worth as at the end of March, 1992.

* The ratio of total net assets to net worth as at the end of March, 1992 was 14.0 : 1.

* The Capital Adequacy Ratio calculated as per RBI guidelines was 12.79% as at the end of March, 1992.

* Increase in fixed and other assets was of the order of 31.3%.

* The Reserve and the Reserve Fund worked out to 3.2 times of the paid-up share capital.

Accounting policies

2.77 The significant accounting policies followed by IFCI and the notes forming part of accounts are given in Schedule 17 annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 31st March, 1992.

Statutory Audit

2.78 The statutory auditors for the year 1991-92 were M/s. Lodha & Co., Chartered Accountants, 14,

Government Palace East, Calcutta and M/s. Sumer Bansal & Co., Chartered Accountants, 36, Netaji Subhash Marg, Delhi. M/s. Lodha & Co., Chartered accountants, were elected as auditors under Section 34 of the IFC Act, 1948 by the Shareholders of IFCI (other than IDBI) at the Annual General Meeting of the shareholders of IFCI held on the 29th June, 1991. M/s. Sumer Bansal & Co., Chartered Accountants, were appointed as the auditors of IFCI by the IDBI in terms of Section 34(1) of the IFC Act, 1948. The reports of these Statutory Auditors in terms of Section 34(3) of the IFC Act, 1948 for the year ended the 31st March, 1992 are given before the Statement of Accounts for the year in this Report itself.

Tax Audit

2.79 In addition, for the purpose of tax audit, M/s. Sumer Bansal & Co., Chartered Accountants, 36, Netaji Subhash Marg, New Delhi, were the Tax Auditors of IFCI in terms of Section 44AB of the Income Tax Act, 1961 for the year 1991-92.

3. *Promotional Services*

Promotional Services—A Review

3.01 IFCI's promotional role has come to occupy a place of major significance over the years. It has been the endeavour of IFCI to identify the gaps in the institutional infrastructure, or extension services, and to provide as well as stimulate the provision of non-financial inputs to the extent possible, consistent with its resources and capability. The major thrust in the area of promotional services continued to be on providing support and momentum to the Village & Small Industries (VSI) sector through specially designed Promotional Schemes, provision of consultancy services. entrepreneurship development, management development, labour development, rural development and related activities, risk capital, venture capital and technology finance, tourism and tourism related activities, development of the capital market, science parks, research and development and related research-oriented activities.

3.02 During the year 1991-92, the total amount utilised by IFCI for the various promotional services was Rs. 940.30 lakhs. Cumulatively, upto the 31st March, 1992, IFCI had utilised Rs. 5,561.67 lakhs for its various promotional services. Tables 11 and 12 give the break-up of the utilisation and funding thereof.

Table 11—Amount Utilised by IFCI on Promotional Services

(Rs. lakhs)

	Nature of Services supported by IFCI	1991-92 (April-March) Amount Rs.		Cumulative upto 31st March, 1992 Rs.	
	(1)	(2)		(3)	
(i)	Promotional Schemes				
	— Subsidy	92.07		521.83	
	— Loan assistance	—		23.50	
	— EDP Schemes	0.71	92.78	3.26	548.59
(ii)	Industrial Potential Surveys	—	—	—	9.63
(iii)	Support for Technical Consultancy Services				
	— Technical Consultancy Organisations	1.89		79.88	
	— Directory of Industrial Consultants	—	1.89	0.43	80.31
(iv)	Support for Entrepreneurship Development				
	— Sharing of EDP costs	17.07		106.43	
	— Resources support to EDII	—		93.00	
	Resources support to IED's	8.26	25.33	28.51	227.94
(v)	Support for Management Development activities of MDI		75.65		1,190.43
(vi)	Support for Risk Capital Assistance through RCTC		160.00		2,123.23
(vii)	Support for Securities and Exchange Board of India		—		250.00
(viii)	Support for O.T.C. Exchange of India Ltd.		24.00		64.00

Table 11—Amount Utilised by IFCI on Promotional Services—*(Contd.)*

(Rs. lakhs)

	(1)	(2)		(3)	
(ix)	Support for Rastriya Gramin Vikas Nidhi (RGVN)		—		205.00
(x)	Support for Bio-Tech Consortium India Ltd.		—		100.00
(xi)	Support for Science and Technology Enterpreneurs' Parks (STEP's)		8.75		43.03
(xii)	Support for Institute of Labour Development		115.08		115.08
(xiii)	Support for Investment Information and credit Rating Agency		91.00		91.00
(xiv)	Support for AB Homes Finance Ltd.		50.00		50.00
(xv)	Support for Indus Venture Management Co. Ltd.		20.00		20.00
(xvi)	Support for Venture Capital Fund (Managed by RCTC)		250.00		250.00
(xvii)	Promotion of Research, etc.				
	— IFCI Chairs	1.70		39.16	
	— Special Research Studies	—		10.63	
	— Support to Indian Economic Journal	—		0.15	
	— IFCI Research Fellowship	0.87	2.57	1.07	51.01
(xviii)	Support for International Conferences and Seminars				
	— International Exposition on Rural Development (IERD)	—		1.00	
	— Research & Information Systems for Non-aligned & other Developing Countries	—		11.00	
	— World Economic Congress	—		4.00	
	— Indian Econometric Society	—		0.50	
	— World Assembly of Small and Medium Enterprises	—		1.00	
	— Indian Economic Association	0.25		0.45	
	— Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER)	2.50	2.75	7.50	25.45
(xix)	Support to special organisations				
	— Hope Rural Leprosy Trust, Muniguda, Orissa, for Deep Well Project	—		0.21	
	— Centre for Multi-Disciplinary Development Research (CMDR) Dharwar	—		14.00	
	— The Policy Group (A non-profit Research organisation) at New Delhi	—		5.50	
	— Support to National Institute of Public Finance and Policy	—		0.50	
	— Professional Assistance for Development Action	—		10.00	
	— Indian Association of Physical Medicine and Rehabilitation	—		0.10	
	— Institute for Studies in Industrial Development	2.50		5.00	
	— London School of economics and Political Science Scholarship Fund	5.00		5.00	
	— Consumer Education & Research Centre	10.00		10.00	
	— Sameeksha Trust—Research in Economics & Social Science	3.00	20.50	3.00	53.31
(xx)	Orientation Programmes and Assistance to State-level Institutions	—			4.30
(xxi)	Others (Utilised for direct financing of projects)	—			59.36
	TOTAL		940.30		5,561.67

Table 12 : Sources of Funds of IFCI's Promotional Services

(Rs. lakhs)

Fund	1991-92 (April-March) Amount Rs.	Cumulatively upto 31st March, 1992 Amount Rs.
(1)	(2)	(3)
Benevolent Reserve Fund (Created out of profits of IFCI under Section 32B of IFC Act, 1948)	77.64	1,188.03
Interest Differential Funds (Representing monies received from the Government of India out of interest paid by IFCI on KFW loans in terms of agreements amongst IFCI, Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW), Government of India and Government of Federal Republic of Germany)	862.66	4,373.64
Total	940.30	5,561.67

Promotional Schemes

3.03 Having regard to the fact, that the Village and Small Industries (VSI) have a special role in the Indian economy and form an integral part of the national strategy for employment-oriented industrial development, IFCI has been operating, on its own, 14 Promotional Schemes, eight of which are consultancy subsidy schemes, four interest subsidy schemes and two entrepreneurship development schemes is specified areas. The Consultancy Fee Subsidy Schemes provide subsidised consultancy services to industrial units in VSI sector through Technical Consultancy Organisations (TCOs). The Interest Subsidy Schemes provide encouragement to self-development and self-employment to unemployed youths, women entrepreneurs, adoption of quality control measures, harnessing the indigenously available tehnology, etc. The Entrepreneurship Development Schemes envisage giving impetus to self-employment in the small scale sector, in tourism-related and other activities by a process of retraining for self-employment avenues.

3.04 During the period under review, while the Scheme for Encouraging Entrepreneurship Development in Tourism and Tourism Related Activities applicable to the State of Goa was extended to the States of Himachal Pradesh and Rajasthan, the Scheme for Encouraging Self-Employment amongst Persons Rendered Jobless due to Retrenchment or Rationalisation in a Sick Industrial Unit, etc., was made applicable to the State of Rajasthan also, beside Madhya Pradesh. Further, some of the existing Promotional Schemes were modified in the light of the Policy Measures announced by the Government of India in August, 1991, for promoting and strengthening small, tiny and village enterprises. The overall subsidy disbursed under the various schemes amounted to Rs. 92.78 lakhs for the year 1991-92 and Rs. 548.59 lakhs cumulatively upto the end of March, 1992, as per the details given in Table 13.

Subsidy for Technical Consultancy Services

3.05 The Technical Consultancy Organisations (TCOs) sponsored by the all-India Financial Institutions, including IFCI, in association with State-level Institutions and Banks, continued to provide a variety of consultancy service, identification and training of entrepreneurs and undertaking specialised assignments, e.g., conservation, potential surveys, energy audit, energy conservation assignments, etc. Out of the 18TCOs (inclusive of the one set up by the Government of Karnataka), IFCI has lead responsibility in respect of five TCOs., viz. Himachal Consultancy Organisation Ltd., Shimla (HIMCON), Rajasthan Consultancy Organisation Ltd., Jaipur (RAJCON), Madhya Pradesh Consultancy Organisation Ltd., Bhopal (MPCON), North India Technical Consultancy Organisation Ltd., Chandigarh (NITCON) and Haryana-Delhi Industrial Consultants Ltd., Delhi (HARDICON). The operations of these five TCOs during the year 1991-92 (April-March) and cumulatively upto the 31st March, 1992, are given in Table-14.

Table 13 : Subsidy Disbursed by IFCI under its various Promotional Schemes

(Rs. lakhs)

Names of the Promotional Schemes	1991-92 (April—March) Amount Rs.	Cumulatively upto 31st March, 1992 Amount Rs.
(1)	(2)	(3)
— Scheme of Subsidy to Small Entrepreneurs in the Rural, Cottage, Tiny and Small Scale Sectors for Meeting Cost of Feasibility Studies etc.	45.91	327.44
— Scheme of Subsidy for Consultancy to Industries Relating to Animal Husbandy, Dairy Farming, Poultry Farming & Fishing etc.	17.26	34.06
— Scheme of Subsidy for Consultancy to Industries Based on or Related to Agriculture, Horticulture, Sericulture and Pisciculture etc.	14.83	31.26
— Scheme of Subsidy for Promotion of Ancillary and Small Scale Industries	2.16	20.81
— Scheme of Subsidy to New Entrepreneurs for Meeting Cost of Market Reseach/ Surveys	2.10	18.29
— Scheme of Subsidy for Control of Pollution in the Village and Small Industries Sector	—	0.35
— Scheme of Subsidy for Providing Marketing Assistance to Small Scale Units	0.60	2.10
— Scheme of Subsidy for revival of Sick Units in the Tiny and Small Scale Sectors	—	13.81

Table 13 : Subsidy Disbursed by IFCI under its various Promotional Schemes—*(Contd.)*

(Rs. lakhs)

(1)	(2)	(3)
— Scheme of Subsidy for implementing the Modernisation Programme of Tiny, Small Scale and Ancillary Units	0.05	4.80
— Scheme of Subsidy for Consultancy on Use of Non-conventional Sources of Energy and Energy Conservation Measures	1.00	1.92
— Scheme of Interest Subsidy for Self-Development and Self-Employment of Unemployed Young Persons	1.31	3.51
— Scheme of Interest Subsidy for Women Entrepreneures	6.85	18.04
— Scheme of Interest Subsidy for Encouraging the Adoption of Indigenous Technology	—	45.35
— Scheme of Interest Subsidy for Encouraging Quality Control Measures in Small Scale Sector	—	0.09
— Scheme of Assistance for Development of Technology through in-House R&D Efforts	—	23.50
— Scheme for Encouraging Entrepreneurship Development in Tourism and Tourism Related Activities	0.54	1.94
— Scheme for Encouraging Self-Employment amongst Persons Rendered jobless due to Retrenchment or Rationalisation in a Sick Industrial Unit in the Organised Sector Undergoing a Process of Rehabilitation/Revival	0.17	1.32
Total :	92.78	548.59

Table 14 : Summary of Operations of IFCI-Lead TCOs

Nature of assignments	No. of assignments completed				
(1)	HIMCON	RAJCON	MPCON	NITCON	HARDICON
I. Pre-investment Consultancy Assignments					
— Feasibility, Pre-feasibility Studies/Project Reports, etc.	286 (2,337)	229 (1,824)	727 (3,854)	28 (498)	139 (529)
— Industrial Potential/Area Development Surveys	— (6)	2 (36)	4 (39)	— (—)	— (—)
— Market Surveys	1 (22)	— (—)	2 (45)	7 (30)	5 (27)
— Project Profiles	40 (339)	12 (85)	9 (928)	195 (980)	31 (713)
— Preliminary Fact Finding Studies	— (5)	— (—)	3 (22)	— (—)	— (—)
— Appraisal	— (1)	— (—)	— (16)	— (8)	2 (17)
— Others	5 (134)	3 (45)	23 (321)	2 (60)	22 (58)
Sub-total (I)	332 (2,844)	246 (1,990)	768 (5,235)	232 (1,576)	199 (1,344)
II. Post-investment Consultancy Assignments					
— Diagnostic Studies	1 (22)	7 (66)	3 (42)	185 (344)	6 (76)
— Rehabilitation of Sick Units	3 (31)	— (—)	— (—)	11 (43)	— (—)
— Others	— (6)	3 (40)	— (16)	7 (26)	3 (40)
Sub-total (II)	4 (59)	10 (106)	3 (58)	203 (413)	9 (116)
Grand Total (I+II)	336 (2,903)	256 (2,096)	771 (5,293)	437 (1,989)	208 (1,460)
III. Entrepreneurship Development Programmes					
— No. of Programmes	14 (71)	11 (51)	41 (274)	16 (68)	7 (20)
— No. of Entrepreneurs	361 (1,545)	272 (901)	1,184 (6,826)	337 (1,376)	[illegible] ([illegible])

Figures in brackets Indicate cumulative upto 31-3-92.

3.06 IFCI's emphasis during the year under review has continued to be improvement in the quality of TCOs' services, building up proper perception and helping in the formulation of their corporate plans. In this context, IFCI organised a Conference of Chairmen and Managing Directors of IFCI lead TCOs on the 12th October, 1991, whereat it was the consensus that TCOs should adopt commercial attitude in their operations, beside doing promotional work. They should maintain linkages with State Plans, State's Industrial Policy and programmes, etc., and select thrust areas accordingly.

3.07 A mention was made in the last year's Annual Report about constitution of a Working Group by IDBI, ICICI and IFCI to review the functioning of all the TCOs sponsored by them and suggest measures for their upgradation and revitalisation as vibrant consultancy organisations. The Working Group has deliberated in detail upon the various aspects of TCOs' working and finalised its report.

Directory of Industrial Consultants

3.08 The all-India Financial Institutions under IDBI's lead, continued to maintain a Roster of Industrial Consultants for use of industrial units requiring diversified and specialised consultancy services. During the year, 53 new consultants were further enlisted, taking the total number of consultants to 1,453 as on the 31st March, 1992.

Support for Entrepreneurship Development

3.09 For encouraging growth of new entrepreneurs, IFCI continued its active support to entrepreneurship development movement in the country by (a) sharing the cost of Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) conducted by various agencies, (b) providing support to the Entrepreneurship Development Institute of India (EDII), an apex level organisation set up and sponsored by all-India Financial Institutions including IFCI and (c) helping in the establishment of Institutes of Entrepreneurship Development (IEDs) at the State level. During the year, IFCI alongwith IDBI and ICICI, supported 282 EDPs which included 82 EDPs for Science & Technology (S&T) entrepreneurs. With this, upto the end of March, 1992, IFCI alongwith IDBI and ICICI had provided funds support to 2,007 EDPs benefitting 58,130 potential entrepreneurs.

3.10 Entrepreneurship Development Institute of India (EDII), which completed 9 years of its operations on the 31st March, 1992, continued to function as a national resource organisation focussing its attention on providing professional support to institutions engaged in entrepreneurship development related activities. During the year, EDII, *inter-alia*, organised 4 Teachers' Training Programmes for faculty members of science & technology institutions in various States, a National Accredited Trainers' Course, a national workshop on Rural Entrepreneurship Development for non-Governmental/voluntary organisation, a Skill Development Programme for officers of banks and financial institutions, a Performance Improvement Programme for existing entrepreneurs, 3 programmes on Succession Planning in Entrepreneurial Continuity for sons/daughters of entrepreneurs. EDII also conducted an Entrepreneur Trainer-Motivators Programme for Commonwealth developing countries, two programmes on Industrial Project Preparation and Appraisal for developing countries and an orientation programme for existing entrepreneurs of Mauritius.

3.11 For institutionalising the entrepreneurship development activities at the State-level, Institutes of Entrepreneurship Development (IEDs) in Uttar Pradesh, Bihar, Orissa, Madhya Pradesh and Maharashtra established with the support of the all-India financial Institutions including IFCI, concerned State Governments and Banks, have been carrying on their activities successfully. All these Institutes/Centres have been playing a significant role in developing entrepreneurs and accelerating the industrialisation of the country.

Support for Management Development

3.12 IFCI's support to professionalisation of management and upgradation of managerial skills of practising managers in industry and banking continued through the Management Development Institute (MDI). Sponsored in 1973, MDI, conducted, during the year, 49 Management Development Programmes in various disciplines including 23 In-Company programmes benefitting 1,135 participants. These included a national programme on joint sector projects, a high-level workshop on Corporate Turnaround : Strategies & Policies, two programmes on Foreign Exchange Risks Management, a programme on Integrated Financial Management, a Workshop on improving managerial performance for global competitiveness. In the area of research, MDI undertook a comparative study of HRD System in selected Indian organisations and conducted a study of management education under the sponsorship of Harvard Alumni Association in India. Various other research projects, viz., Study of Styles in Indian Management, Leadership Behaviour in India, its Dimensions and Consequences, etc., were completed. A BIFR study has also been undertaken by MDI with the funding support from the Reserve Bank of India. MDI also completed successfully the third 15-month National Management Programme (NMP) sponsored by the Government of India for Government officers belonging to IAS/Group

'A' services as well as executives of public and private sector organisations having potential to acquire top positions. The fourth NMP with 30 participants was also started on the Ist July, 1991.

Support for Labour Development

3.13 With a view to providing training facilities for workers in industry and in organisations connected generally with industrial development and retraining and reorientation of workers in specific industries covering skills and attitudes to adjust to technological changes, IFCI has establishment during the year, a national level institute at Jaipur, Rajasthan, called the Institute of Labour Development (ILD). (ILD), a non-profit modern training and research organisation, was registered as a Society under the Societies Registration Act, 1860 on the 31st January, 1992. It aims at developing, among workers, a greater understanding of the socio-economic problems and their responsibilities towards their enterprises and their rights and obligations as workers in industry. It would help develop strong, united and more responsible workers' co-operatives through more enlightened member and better trained officials.

Support for Rural Development and Related Activities

3.14 With a view to supporting poverty alleviation programmes in the North-Eastern Region for the upliftment of the economically backward communities and other under-privileged groups, IFCI sponsored in April, 1990, a foundation named as Rashtriya Gramin Vikas Nidhi (RGVN) as a non-profit non-political and secular body registered under the Societies Registration Act, 1860. RGVN, with headquarters at Guwahati, provides financial and human resource support to various associations and institutions working for the economic betterment of the rural and urban poor.

3.15 RGVN, which became operational in July, 1990, with a Corpus Fund support of Rs. 2.05 crores from IFCI, (Rs. 4.00 crores was subsequently contributed by IDBI in December, 1990) had sanctioned, upto the 31st March, 1992, financial support aggregating Rs. 107.56 lakhs to 49 Non-Governmental Organisations (NGOs) against which a total sum of Rs. 52.31 lakhs has been disbursed. RGVN had also undertaken direct action poverty alleviation projects and also authorised other specialised professional agencies to work on its behalf for rural development in North-Eastern Region for which an aggregate sum of Rs. 16 lakhs stood sanctioned and a total amount of Rs. 6.46 lakhs was disbursed thereagainst. RGVN has now planned to extend its activites to the tribal belt of Orissa, Bihar, the Bastar region in Madhya Pradesh and North Andhra Pradesh, North Bihar and Eastern Uttar Pradesh by opening offices at Bhubaneswar and Patna.

Support to Risk Capital, Venture Capital and Technology Finance

3.16 Support to risk capital and technology finance continued to be extended by IFCI through the Risk Capital and Technology Finance Corporation Ltd. (RCTC)-a successor to the erstwhile Risk Capital Foundation (RCF) sponsored by IFCI in 1976. During the year, risk capital assistance of the order of Rs. 304 lakhs was sanctioned for 15 medium-sized projects. Cumulatively, since inception in 1976 and upto the 31st March, 1992, risk capital assistance aggregating Rs. 3,086.73 lakhs to 226 medium-sized industrial projects had been sanctioned. The disbursement against these sanctions had been of the order of Rs. 2,782.73 lakhs, of which disbursements amounting to Rs. 343 lakhs pertained to 1991-92. As regards sanctions under Technology Finance and Development Scheme, the same were of the order of Rs. 187 lakhs to 4 projects, during the year, and cumulatively, these were Rs. 1,304.60 lakhs in respect of 23 projects. The disbursements against these sanctions stood at Rs. 762 lakhs, of which Rs. 226.35 lakhs pertained to the year 1991-92.

Venture Capital

3.17 With a view to providing Venture Capital for potentially highly profitable ventures, involving innovative products/technology/services, aimed at futuristic or new markets, a Venture Capital Fund of Rs. 30 crores (including Rs. 20 crores to be contributed by IFCI including Rs. 10 crores out of a World Bank line of credit) to be managed by RCTC, was floated as a scheme of the Unit Trust of India (UTI), known as Venture Capital Unit Scheme-III, in July, 1991 (Vacaus III-1991). Upto the 31st March, 1992, an aggregare amount of Rs. 939.00 lakhs had already been sanctioned by RCTC to 10 projects against which Rs. 209 lakhs had been disbursed.

3.18 Upto the 31st March, 1992, IFCI had disbursed a sum of Rs. 2,123.23 lakhs to RCTC, besides Rs. 250 lakhs to UTI for Vacaus III Scheme, out of its Benevolent Reserve Fund and Interest Differential Funds, beside providing interest-bearing loans. IFCI has also subscribed to RCTC's share capital to the extent of Rs. 600 lakhs from its general funds.

3.19 During the year, IFCI also contributed Rs. 20 lakhs to the share capital of Indus Venture Capital Fund (IVCF) of the order of Rs. 2,100 lakhs floated by Indus Venture Management Company Ltd., against its agreed contribution of Rs. 100 lakhs. Initially project proposals pertaining to the areas of speciality chemicals, healthcare products, electronics & computers would be considered for financing out of IVCF which was poised to commence operations in early 1992-93.

Support for Tourism and Tourism related Activities

3.20 IFCI support for tourism continued through direct involvement in tourism-related projects and providing support to Tourism Finance Corporation of India Ltd. (TFCI), sponsored by IFCI, alongwith other all-India Financial Institutions and selected banks, in 1989. TFCI, in the third year of its operations, sanctioned financial assistance aggregating Rs. 103.46 crores to 42 projects by way of rupee term loans, leasing finance and direct subscription to equity capital against which Rs. 48.28 crores stood disbursed. Cumulative sanctions and disbursements upto the 31st March, 1992 were of the order of Rs. 241.22 crores and Rs. 100.27 crores respectively.

3.21 The above cumulative assistance includes sanctions of the order of Rs. 85.25 crores to 53 projects which were promoted by entrepreneurs entering the field of tourism for the first time (Rs. 30.95 crores to 16 projects during 1991-92). The sanctioned assistance also covers 19 projects located in backward areas for which the aggregate assistance sanctioned was of the order of Rs. 32.73 crores (Rs. 11.89 crores to 4 projects during 1991-92). The assistance from TFCI so far, would result in addition of 8,289 hotel rooms (2,434 rooms during 1991-92) and direct employment to 15,904 persons (4,471 persons during 1991-92). It would also catalyse total investment in tourism projects of Rs. 811.43 crores (Rs. 280 crores during 1991-92). Apart from the conventional tourism projects in the accommodation and hospitality segments, assistance sanctioned by TFCI has enabled non-conventional tourism projects like Amusement Parks, Car Rental services, Ferries for inland water transport, Air passenger facilitation centre, etc., to avail themselves of assistance from all-India Institutions for the first time.

Support for Development of Capital Market

3.22 A mention was made in last year's Annual Report about incorporation of another credit rating agency, viz., Investment Information and Credit Rating Agency of India Ltd. (ICRA) on the 16th January, 1991, as a public limited company, sponsored by IFCI, alongwith selected Investment Institutions and banks. ICRA had commenced operations since the Ist September, 1991. IFCI had contributed a sum of Rs. 91 lakhs in the total paid-up capital of Rs. 3.50 crores. Upto the 31st March, 1992, ICRA had rated 39 debt instruments, comprising 25 non-convertible/partly convertible debentures, 11 fixed deposit programmes and 3 commercial paper programmes of industrial as well as financial services companies involving debt volume of Rs. 2,191.70 lakhs. Out of the 39 ratings assigned, 27 had been accepted and were being used by the Companies. ICRA also launched two new services, viz., Credit Assessment Service and General Assessment Service.

3.23 In last year's Annual Report, mention was made of the incorporation of the first OTC Exchange of India Ltd. (OTCEI) on the 25th September, 1990 as a Company under Section 25 of the Companies Act, 1956, promoted by UTI and ICICI in association with other institutions including IFCI, mutual funds and banks. During the year, IFCI contributed, out of IDFs, its additional share of Rs. 24 Lakhs, taking the total contribution to Rs. 64 lakhs, which is 8% of the paid-up share capital of Rs. 8 crores of OTCEI. OTCEI has finalised its bye-laws and regulations and obtained clearance of the Controller of Capital Issues to start operations.

Support to Housing Development and Finance

3.24 Support to housing development and finance is provided by IFCI through participation in the LIC Housing Finance Ltd., GIC Grah Vitta Ltd, and AB Homes Finance Ltd. During the year, IFCI contributed Rs. 50 lakhs to AB Homes Finance Ltd., out of IDFs, being 5% share in its paid-up capital of Rs. 10 crores.

Support for Science & Technology Entrepreneurs' Parks

3.25 With a view to developing an on-going interaction between Science & Technology Institutions and industry and promoting a new class of Science & Technology entrepreneurs, the all-India Financial Institutions including IFCI, have been supporting Science & Technology Entrepreneurs' Parks (STEPs) set up by well established Engineering Colleges and Technical/Research Institutes. IFCI has, so far, participated in the funding of eight STEPs, one each at Ranchi (Bihar), Bombay (Maharashtra), Tiruchirapally (Tamil Nadu), Kanpur (U.P.), Mysore (Karnataka), Ludhiana (Punjab), Bhopal (Madhya Pradesh) and Kharagpur (West Bengal). While the projects of assisted STEPs, except that of the Birla Institute of Technology-STEP (BIT-STEP), Ranchi (Bihar), were under various stages of implementation, all the STEPs kept themselves involved with the entrepreneurship development amongst science & technology personnel. During the year, IFCI provided fund support to the extent of Rs. 5.00 lakhs and Rs. 3.75 lakhs to Guru Nanak Engineering College STEP, Ludhiana and Sri Jayachamarajendra College of Engineering STEP, Mysore, respectively, by way of grants towards meeting part of the capital cost of their projects.

Support for Research and Research-oriented Activities

(i) IFCI Chairs

3.26 For promoting research in the field of industrial management, financial management, industrial finance, regional economics and development banking, IFCI has created six chairs-one each at the Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIMA) and at the Universities of Delhi, Bombay, Calcutta, Guwahati and Madras.

3.27 During the year, IFCI Public Lecture on the subject of 'Autonomy of Central Banks : Some Reflections' was delivered by Dr. R.S. Sabnis at Bombay University on the 4th October, 1991. While the chairs at the Universities of Calcutta, Guwahati and Delhi as also at IIMA continued to remain vacant throughout the year, research work in various areas of development banking and financial management continued to be carried on under the guidance of IFCI Chair Professor Dr. N.P. Srinivasan at the University of Madras.

(ii) IFCI Research Fellowships

3.28 A mention was made in the last year's Annual Report about introduction of new scheme of IFCI Research Fellowships for carrying out research in areas related to development banking, entrepreneurship development, management of enterprises, management of labour, management of tourism and tourism related activities, management of financial services, investment analysis, portfolio management, assets and liabilities management, etc., leading to a Doctoral Degree. The Scheme became operational with effect from the Ist September, 1991. A total of 30 candidates from 26 universities/institutes applied out of which four fellowships have been awarded on the following topics :—

— Developmental Role of organised manufacturing sector through inter-Sectoral Linkages in Himachal Pradesh.

— Emerging trends of Venture Capital in the corporate sector in India.

— Short-term Project Financing and Feasibility of Factoring Services in Punjab.

— Factors affecting share prices in India.

3.29 In addition to the above, two fellowships were created by IFCI in the National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD) for carrying out research in areas related to entrepreneurship development.

(iii) Support to other Research-oriented Organisations

3.30 Assistance was also provided during the year, to the Consumer Education Research Centre, Sameeksha Trust, Institute for Studies in Industrial Development, the Indian Council for Research on International Economic Relations and the London School of Economics & Political Science Scholarship Fund to enable these organisations to further their research-oriented activities.

4. In-house Matters

Board of Directors

4.01 During the year, twelve meetings of the Board of Directors were held—eleven at New Delhi and one at Bombay.

4.02 No change has occurred, during the year, in the composition of elected and nominated directors on the Board of IFCI. At the Special General Meeting of the shareholders of IFCI convened on the 30th September, 1991, Shri M.N. Goiporia, Chairman, State Bank of India, Shri K.P. Narasimhan, Managing Director, (since elevated to the position of Chairman), Life Insurance Corporation of India (LIC) and Shri D.M. Patel, Chairman, Gujarat State Cooperative Bank Ltd., were re-elected as the Directors of IFCI representing scheduled banks, insurance companies, investment trusts and other like financial institutions and co-operative banks respectively.

Inter-Institutional and State level Co-ordination

4.03 Inter-Institutional co-ordination among the national level Financial Institutions continued to be maintained through the informal meetings of Heads of Institutions as well as the fora of Senior Executives' Meetings (SEMs), Senior Legal Executives' Meetings (SLEMs) and Regional Executives' Meetings (REMs). During the year, 21 SEMs, 5 SLEMs and 15 REMs were held. In addition, one meeting of the Senior Executives was held with the objective of achieving inter-institutional co-ordination in the sphere of promotional activities.

4.04 At the State-level, IFCI continued to maintain co-ordination by way of participation of the Heads of its Regional/Branch/Other Offices in various meetings of the State-level Committees and other State-level fora. A meeting of State Advisory Committee of IFCI was also held at Bhopal in Madhya Pradesh during the year.

Interface with External Agencies

4.05 IFCI continued to maintain close contacts and liaison with other Development Finance Institutions (DFIs) abroad as also the international banks operating in the world market. A number of dignitaries visited IFCI and held discussions about the investment opportunities in India and matters of mutual interest. IFCI also had fruitful discussions with the teams of Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KfW), Asian Development Bank (ADB) and the International Bank for Reconstruction and Development (World Bank).

Organisational Developments

4.06 During the year, Shri H.C. Sharma, General Manager, was elevated to the post of Executive Director, with effect from the 1st August, 1991.

4.07 Various committees of the officials of IFCI constituted to plan, execute and look into the aspects relating to management information system, training, record keeping including micro-filming of records, computerisation, disability, benefits, staff welfare, library etc., continued to function in the relevant areas of IFCI's operations satisfactorily. For formulating business strategy and monitoring performance for achieving set targets, two Business Policy Review & Monitoring Meetings of Heads of Regional and Branch Offices alongwith principal executives at Head Office were held in August, 1991 and January, 1992.

4.08 IFCI continued to follow its policy of gradual decentralisation of work and delegation of authority to the executives both at Head Office and Regional/ Branch Offices.

Personnel

4.09 As at the end of March, 1992, IFCI had a complement of 1,153 employees (inclusive of staff strength at Regional, Branch and other offices), including 185 in the category of scheduled castes/scheduled tribes, 35 ex-servicemen and 17 physically handicapped. The number of women employees was 189 as on the said date.

Human Resources Development

4.10 Human resources development continued to receive, as in the past, increasing attention under the overall direction and guidance of Steering Committee (Training). With the onset of economic reforms and following the policy of liberalisation and deregulation embracing the operations of Financial Institutions as well, the in-house training activity was geared to equip the executives and staff members with requisite attitudes and professional skills to meet the emerging challenges. The thrust areas covered by in-house training programmes included foreign currency operations, marketing of financial services, portfolio management, accounting policy and procedures, assets and liabilities management, etc. With computerisation of various activities in IFCI, a great deal of emphasis was placed on hands-on-sessions on personal computers using software applications developed by the Electronic Data Processing Department.

4.11 During the year, 82 in-house training programmes, of varying duration were conducted, out of which 36 programmes were held at Head Office, 25 at Bombay Training Centre, 18 at Patna Training Centre and 3 at Hyderabad Regional Office. In all, 1249 participants of different levels (some attending more than one programme) attended these in-house training programmes, spread over 212 days.

4.12 To supplement in-house training and also povide opportunities for interaction with professionals and academicians of other institutions/organisations, 78 staff members were deputed to 59 external training programmes organised by reputed institutions in the country, including the Management Development Institute (MDI)—an institution sponsored by IFCI for management development. With the objective of increasing the scope for business development, a three day programme on Portfolio Management was conducted at Head Office. A two-day Seminar on Credit Asset Review and Strategic Planning was conducted by Mr. W. Haworth of Booz Allen & Hamilton, consultant to the World Bank, in July 1991 at Head Office.

4.13 IFCI also continued to implement Government guidelines regarding pre-recruitment training to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates applying for jobs in IFCI. Seventeen programmes of this nature were conducted during the year.

4.14 Under the Reserve Bank of India's Scheme for coordination with commercial banks and financial institutions for rehabilitation of sick units, IFCI extended, during the year, on-the-job training facilities in its Rehabilitation Finance Department (RFD) to three executives of the commercial banks. Further, one officer from the Development Bank of Ghana was given on-the-job training for one month in RFD under

the auspices of United Nations Development Programme (UNDP).

Electronic Data Processing and Communication System

4.15 A mention was made in the last year's Annual Report about the working of the ICIM-6040 Maine Frame, ESPL Mini Systems operating in a UNIX environment, Personal computers alongwith Dot Matrix Printers, WORKNET-II, Computerised Telex Systems working in multi-user mode in UNIX environment and PC-FAX System at Head Office and also ESPL Mini Systems alongwith Personal Computers, Printers, Dumb Terminals, etc., at all Regional/Branch Offices of IFCI. During the year, to give desk level computing facilities to a larger number of officers, 142 Personal Computers with Dot Matrix Printers were installed in various Departments of the Head Office and also at the Regional/ Branch Offices. To generate various output reports in Hindi and also to provide input data in Hindi, 78 of the above Personal Computers were taken with GIST CARDS.

4.16 Besides maintaining and updating software packages already implemented in the areas of Rupee Loan Accounting, General Financial Accounting, Foreign Currency Loan Accounting, etc., new application packages were developed during the year in the areas of Management Information System pertaining to defaults, outstandings and commitments and Financial Services Information System, to monitor the status of applications received for assistance under various schemes of Financial Services and Information in regard to sanctions and disbur sements made under these Financial Services. Further, Investment Portfolio and Management Accounting System was modified to add 'ON-LINE' features so as to make it more user-friendly directly by the users.

4.17 As mentioned in the last year's Annual Report, pursuant to the contract awarded to CMC Ltd., it has submitted its final report on networking of computer systems and recommended 'Banknet' as the backbone communication media for the initial connectivity of the systems at IFCI's locations where 'Banknet' facilities are available. The Reserve Bank of India has agreed to provide 'Banknet' facilities to IFCI at all its locations wherever the same are available.

Staff Welfare

4.18 Social security, housing and medical facilities continued to be the main planks of IFCI's staff welfare activities. The Staff Welfare Fund continued to be the resource base for staff welfare activities of diversified nature, e.g., loan facility for purchase of consumer durables and higher education of children, grant to Recreation clubs at various offices of IFCI for education tours, Indoor-outdoor sports, cultural activities and celebrations by Staff Colonies' Residents Welfare Association, etc.

Community Welfare

4.19 During the year, IFCI contributed a sum of Rs. 5 lakhs to the Cancer Centre and Welfare Home, Calcutta for meeting a part of the cost of installation of additional cobalt machine for treatment of cancer patients. A sum of Rs. 2 lakhs was contributed by IFCI to the Prime Minister's Relief Fund for providing relief to the earthquake victims in the Uttarkashi region. The Officers and staff of IFCI also contributed a sum of Rs. 1.43 lakhs to help these victims. A sum of Rs. 50,000 was contributed by IFCI to Avehi Public Charitable (Educational) Trust, Bombay, which is engaged in spreading knowledge, creating awareness and promoting health, hygiene and other community welfare activities.

Progressive Use of Hindi

4.20 During the year under review, effective steps were taken by IFCI to implement the Official Language Policy of the Government of India as also to increase the progressive use of Hindi in the official work of IFCI. Special stress was laid on the various training programmes in Hindi, particularly Hindi Typing and Hindi Stenography training, so as to enable the employees of IFCI to do their official work in Hindi. As a result of the time-bound programme formulated for Hindi training, IFCI has achieved the target prescribed for the year 1991-92 for training in Hindi typing for its typists. With a view to providing practical knowledge of Noting and Drafting in Hindi to the employees and officers having working knowledge in Hindi, Hindi Workshops were conducted in Regional Offices at Bombay, Calcutta, Hyderabad and Branch Offices at Bangalore, Ahmedabad and Bhopal and also at Head Office.

4.21 The Official Language Implementation Committees (OLICs) constituted at each of the

Regional/Branch Offices of IFCI, including the one at Head Office, continued to monitor regularly the use of Hindi and suggested necessary measures to accelerate its use in the respective offices. Special efforts were made to encourage the progressive use of Hindi through the meetings of "Nodal Points" in which representatives of the various Departments/Divisions of the Head Office participated. As in the past, the Regional/Branch Offices of IFCI actively participated in the meetings of the Town-Level Official Language Implementation Committee constituted in the various towns of the country.

4.22 During the year, all documents issued under Section 3(3) of the Official Languages Act, viz., Administration Circulars, Operational Circulars, Office Orders, Notifications, Advertisements and General Orders, were issued in bilingual form. With a view to increasing the use of Hindi on Computer, "AKSHAR" Software was supplied to the various Departments/Divisions of Head Office as well as to all Regional and Branch Offices. For the users' benefit, a special drive was initiated to impart training for the use of Hindi on Computer and training programmes were conducted for the same. Bilingual telex facility has already been provided in most of the offices of IFCI.

4.23 IFCI also participated in the Third All-India Official Language Conference held at Jaipur on the 14th and 15th December, 1991. IFCI was awarded a commendation certificate for its Hindi publications displayed in the exhibition organised on this occasion. With a view to encouraging research work through Hindi medium in the area of Development Banking and topics relating to it, IFCI has decided to award a 'Hindi Fellowship', under which Fellowship will be provided to the research scholars registered with recognised universities for doctoral research degree through Hindi medium in the areas of research related to development banking, entrepreneurship development, management of financial services, investment analysis, etc.

Internal Audit

4.24 The Internal Audit & Inspections Department (IAID) at Head Office, having reporting responsibility through the Executive Director to the Chairman, has ensured complete and correct accounting of the revenues of IFCI, optimum utilisation of the resources, and giving the management a feed back about the effectiveness of the systems and procedures with specific focus on improving productivity and efficiency. During the year, IAID in addition to conducting 100% verification of the earnings from loans and advances, including financial services, covered operational areas like disbursements, recoveries, post-disbursement follow-up, insurance and legal documentation, etc. The compliance with the audit observations and corrective steps initiated on the basis of the findings of the statutory auditors continued to be closely watched by IAID throughout the year. The legal audit covering areas like physical verification of legal documents, review of security provisions as per covenants of the loan documents, monitoring of pending legal work, etc., has also been integrated with the internal audit for the last few years.

Silver Shield to the 42nd Annual Report (1989-90)

4.25 The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi, adjudged, during the year, the 42nd Annual Report and Accounts of IFCI for the year ended the 31st March, 1990, as the best among the entries received from the Banks and the Financial Institutions, and awarded a Silver Shield to IFCI. This is the third time that IFCI was honoured with this distinction. Earlier, IFCI's Annual Reports for the years 1984-85 and 1986-87 had bagged Silver Shields.

Acknowledgements

4.26 The Board of Directors of IFCI express their gratitude for the assistance, co-operation, advice, guidance and support received from the various Ministries, Directorates, Departments of the Government of India, the Reserve Bank of India, the Industrial Development Bank of India and other all-India Financial Institutions, Commercial Banks, fellow capital finance and merchant banking organisations, various State Governments, State-level financial and developmental organisations, etc.

4.27 The Board of Directors also acknowledge the continued co-operation received by IFCI from various Development Finance Institutions (DFIs) abroad, particularly, the assistance received from the World Bank, the Asian Development Bank, the Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau of Germany, the Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) and a host of correspondent banks abroad and other members of the international banking fraternity.

4.28 The Board of Directors are also pleased to place on record their appreciation of the sincere and devoted services rendered by the officers and staff at all levels in IFCI during the year.

P. J. Nayak
Chairman-In-Charge

Appendix-I

Statement showing the Installed Capacity, Production and Capacity Utilisation of Selected Industries in 1991-92

(Figures in brackets denote the number of units)

Sl. No.	Product	Unit of measurement	Installed capacity and production in 1991-92					
			For the country			For IFCI assisted reporting concerns		
			Installed capacity and No. of units	Estimated Production 1991-92 (April-March)	Capacity utilisation	Installed capacity and No. of units	Estimated Production 1991-92 (April-March)	Capacity utilisation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Sugar	Lakh tonnes	101.18 (408)	117.50*	116.13	11.92 (80)	8.75	73.40
2.	Cotton yarn (mill sector)		27.34 Million spindles (824)	1782.00 Million kg.	78.00	4.66 Million spindles (194)	321.33 Million kgs.	
3.	Cotton cloth (mill sector)		1.78 (285) Lakh looms	2371.00 Million metres	60.00	0.14 (23) Lakh looms	292.28 Million metres	
4.	Jute textiles	Lakh tonnes	17.00 (73)	12.99	76.41	1.36 (4)	0.91	66.91
5.	Paper and paper board	Lakh tonnes	32.84 (327)	19.65	59.83	8.87 (33)	8.78	98.99
6.	Rayon pulp	Lakh tonnes	1.96 (5)	2.00	102.04	0.72 (1)	0.48	66.67
7.	Newsprint	Lakh tonnes	3.13 (5)	2.88	92.01	0.75 (1)	0.71	94.67
8.	Plywood	Million sq. metres	122.44 (61)	63.00	51.45	65.70 (4)	46.36	70.56
9.	Cement	Million tonnes	62.00 N.A.	53.10	85.64	33.86 (60)	29.10	85.94
10.	Nitrogenous fertilisers	Lakh tonnes	81.48 (47)	73.00	89.59	24.27 (6)	28.60	117.84
11.	Phosphatic fertilisers	Lakh tonnes	28.44 (20)	25.70	90.36	1.98 (3)	2.30	116.16
12.	Caustic soda	Lakh tonnes	11.38 (40)	10.23	89.45	3.25 (8)	2.97	91.38
13.	Soda ash	Lakh tonnes	15.57 (7)	13.28	85.29	1.72 (3)	1.61	93.60
14.	Calcium carbide	Lakh tonnes	2.19 (7)	0.91	41.55	0.39 (2)	0.27	69.23
15.	Acetic Anhydride	Thousand tonnes	54.70 (15)	26.40	48.26	7.80 (2)	6.40	82.05
16.	Acetic acid	Lakh tonnes	1.40 (21)	0.90	64.28	0.09 (2)	0.05	55.55
17.	Carban black	Lakh tonnes	1.74 (7)	1.25	71.84	0.72 (3)	0.50	69.44
18.	Liquid chlorine	Lakh tonnes	5.85 (29)	4.02	68.72	1.32 (5)	0.82	62.12
19.	Nylon filament yarn	Thousand tonnes	97.60 (14)	29.89	30.62	20.14 (5)	13.25	65.78
20.	Nylon tyre cord	Thousand tonnes	32.17 (N.A.)	41.67	129.53	17.10 (3)	16.64	97.31
21.	Polyester filament yarn	Thousand tonnes	286.04 (21)	201.50	70.44	105.12 (10)	81.81	77.82
22.	Polyester staple fibre	Thousand tonnes	230.06 (10)	132.50	57.59	20.00 (1)	15.04	75.20

*Production data for other products pertains to period from April 1990 to March, 1991.

Appendix-I—(Contd.)

(Figures in brackets denote the number of units)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
23.	Viscose staple fibre	Thousand tonnes	170.05 (3)	156.56	92.06	24.00 (1)	28.69	119.54
24.	Viscose Filament Yarn	Thousand Tonnes	68.86 (7)	52.16	75.75 (2)	20.50	14.54	70.93
25.	Auto tyres	Lakh nos.	318.18 (27)	215.00	67.57	62.09 (6)	58.23	93.78
26.	Auto tubes	Lakh nos.	200.73 (29)	155.00	77.22	52.64 (5)	43.61	82.85
27.	Rubber contraceptives	Million pieces	1193.00 (6)	1078.80	90.43	608.00 (1)	582.00	95.72
28.	Reclaimed rubber	Lakh tonnes	52.30 (11)	55.69	106.48	7.96 (2)	4.49	56.41
29.	Finished leather from hides	Lakh pieces	106.68 (42)	72.03	67.52	7.00 (2)	2.19	31.28
30.	Leather Footwear	Lakh pieces	462.49 (44)	176.00	38.05	9.60 (3)	0.95	9.89
31.	Sheet glass	Million Sq. mtrs.	51.80 (9)	42.00	81.08	13.60 (1)	9.32	68.53
32.	Fibre glass	Thousand tonnes	5.29 (3)	4.80	90.73	1.27 (1)	0.92	72.44
33.	Glass bottles and misc. glassware	Lakh tonnes	6.56 (27)	6.87	104.73	1.83 (3)	0.97	53.00
34.	Synthetic detergents	Thousand tonnes	440.00 (23)	272.15	61.85	26.70 (2)	16.18	60.60
35.	Soap	Thousand tonnes	435.40 (53)	469.78	107.90	0.92 (1)	0.53	57.61
36.	Fatty acid	Thousand tonnes	210.65 (25)	147.76	70.15	31.66 (2)	8.19	25.87
37.	Refractories	Lakh nos.	16.70 (71)	11.80	70.66	3.69 (7)	2.37	64.23
38.	Ceramic tiles	Lakh tonnes	4.37 (24)	2.73	62.47	0.78 (4)	0.73	93.59
39.	Explosives	Thousand tonnes	235.00 (22)	150.00	63.83	27.15 (3)	16.27	59.93
40.	Oxygen	MCM	227.86 (192)	180.00	78.99	86.46 (5)	59.68	69.02
41.	Watches	Million nos.	14.78 (13)	12.00	81.19	2.00 (1)	0.83	41.50
42.	Saleble steel (Main plants)	Lakh tonnes	116.70 (6)	100.60	86.20	21.00 (1)	20.50	97.62
43.	Steel Ingots/billets	Lakh tonnes	62.42 (175)	51.38	82.31	6.69 (15)	4.12	61.58
44.	Steel forgings	Lakh tonnes	4.72 (105)	1.72	36.44	0.16 (3)	0.04	25.00
45.	Steel Castings	Lakh tonnes	3.53 (120)	2.63	74.50	0.47 (5)	0.33	70.21
46.	Cold rolled steel strips	Lakh tonnes	18.50 (62)	11.50	62.16	1.21 (5)	0.98	80.99
47.	Sponge iron	Lakh tonnes	14.00 (6)	10.00	71.42	1.00 (1)	0.90	90.00
48.	Two wheelers	Lakh nos.	32.00 (24)	15.22	47.56	4.56 (5)	1.69	37.06
49.	Commercial vehicles	Lakh nos.	2.65 (13)	1.41	53.21	1.42 *(6)	1.43	100.70
50.	Cars	Lakh nos.	2.25 (5)	1.62	72.00	0.55 (1)	0.47	85.45
51.	V Belts	Lakh nos.	244.10 (16)	156.00	63.91	12.00 (1)	11.97	99.75
52.	Conveyor Belts	Thousand tonnes	11.36 (8)	17.58	154.75	2.40 (1)	2.97	123.75
53.	G.L.S. Lamps	Million nos.	287.31 (19)	193.67	67.41	15.90 (2)	9.30	58.50

Appendix-I—(Contd.)

(Figures in brackets denote the number of units)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
54.	Fluorescent Tubes	Million nos.	789.85 (20)	645.74	81.75	2.40 (1)	4.30	179.17
55.	Power and distribution transformers	Million KVA	40.44 (32)	11.86	29.33	4.50 (1)	3.70	82.22
56.	Electrical fans	lakh nos.	47.92 (21)	18.23	38.04	3.00 (1)	1.36	45.33
57.	Tractors	Thousand nos.	243.00 (20)	140.00	57.61	0.30 (1)	0.36	120.00
58.	Power tillers	Thousand nos.	9.00 (3)	6.30	70.00	2.00 (1)	1.20	60.00
59.	Hotels	Lakh nos. @	174.00 (736)	104.75	60.20	6.85 (13)	4.27	62.34

@Figure in columns 4 & 7 and 5 & 8 refer to the number of lettable room days and the number of room days occupies respectively.

Appendix-II

Direct Economic Contribution of New, Expansion and Diversification Projects assisted by IFCI during 1991-92 (April-March).

(Rs. crores)

Industry	Projects (Nos)	Total Capital Cost (Rs.)	Expected Direct Employment (Nos.)	Value of output (Rs.)	Gross value added (Rs.)	Capacity per annum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sugar	5	175.45	3103	152.41	54.03	12,500 TCD of Sugarcane.
Food Processing	22	193.92	2559	741.21	138.18	7,050 tonnes of processed chickens, 2,560 tonnes of seafood, 10,800 tonnes of animal feeds, 48,675 tonnes of Vanaspati, 81,705 tonnes of oil refining, 100 tonnes of ricebran oil, processing of 801,000 tonnes of Soyabean and 3,35,000 tonnes of rapeseed.
Textiles	31	825.97	11,197	823.99	304.98	1869 Tonnes of Terry Towel, 4,57,372 Spindles, 1,440 Rotors 2,60,36,000 Metres of fabric, 45.60 lakh metres of Suiting, 1,091 MT of Texturised Yarn, 139 lakh metres of Synthetic Yarn, 300 lakh metres of narrow woven elastic tapes, 72 lakh nos. of labels.
Paper & Paper Products	3	644.63	950	291.48	147.04	56,000 tonnes of writing/printing paper, 15,000 tonnes of speciality paper and 50,000 tonnes of Newsprint.
Chemical & Chemical Products	15	682.98	3479	582.40	291.46	33,000 tonnes of caustic soda, 16,500 tonnes of phospharic acid, 3,600 tonnes of benezene, 1,800 tonnes of anilene, 4,900 tonnes of acetaldehyde, 4000 tonnes of VSA, 5200 tonnes of Vat, Reactive acid, 1,875 tonnes each of ethyl Aceto acetate and methyl Auto Acetate, 26,400 tonnes of sulphuric acid, 910 tonnes of liquor grade, nitrocellulose, 70 lakh bottles of injectible fluid, 20,800 tonnes of ibuprofen, 1,000 MMU of pencilin 'G', 6000 tonnes of para & ortho Nitrobenzene, 93 tonnes of Bulk Drug., 1500 tonnes of Hexamine, 140 lakh bottles of intravenous fluid.

Appendix-II—(Contd.)

(Rs. crores)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Synthetic fibres	3	138.65	589	154.66	53.31	400 tonnes of multi filament yarn, 17,000 tonnes of partially oriented yarn, 1824 tonnes of polypropylene multi filament yarn.
Synthetic Resins & Plastic Products	8	3,254.24	2,988	1,801.78	1,268.60	3,000 tonnes of adhesive tapes, 107.72 tonnes of moulded poly tetra fluoro ethylene, 10,550 tonnes of rigid PVC films, 1380 tonnes of moulded luggage and 480 tonnes of moulded plastic crates & containers.
Rubber Products	1	4.60	756	25.28	7.44	65,000 bicycle/rickshaw tyres & tubes per day
Cement and Cement Products	6	175.75	941	112.59	73.35	10.97 lakh tonnes of cement.
Miscellaneous Non-metallic Minerals	7	60.69	1076	73.30	42.80	2.99 square metres of granite slabs/tiles, 12 lakh ceramic transfer sheets, 12.57 square metres of coated abrasives, 1.33 lakh square metres of polished granite.
Iron & Steel	12	4821.00	3497	2889.81	1304.16	9,000 tonnes of carbon ferro chrome, 15,000 tonnes of precision steel tubes, 18.50 lakh tonnes of hot rolled coils, 75,000 tonnes of carbon alloy steel seamless tubes, 34,200 tonnes of wire rods & bars, 10.30 lakh tonnes of sponge iron, 2.85 lakh tonnes of pig iron.
Machineries and Accessories	2	17.47	287	30.81	13.33	35.3 lakh nos. ball/taper bearings, manufacture of water/effluent treatment plants.
Electrical Machinery	2	19.80	247	18.98	7.70	40 lakh fluorescent tubes, 175 lakh GLS Lamps.
Electronic Equipment	9	295.60	1416	251.27	142.48	20,000 nos. fax machines, 50,000 lines, EPABX systems, 120 lakh nos. micro floppy diskettes, 80 lakh nos failsafe gas discharge tubes & modules, 120 lakh nos. punched discs, 24 lakh nos. disc covers, 12,360 lakh pieces of aluminium cans & tabs, 3.45 lakh square metres of low voltage foils, 500 nos. pulse code, modulation instruments.
Transport Equipment	7	72.48	1104	115.69	43.24	1500 tonnes of pressed forged connecting rods for LCVs, 325 tonnes of transmission and engine gears & shafts, 1.5 lakh nos. of crank shafts, 19,300 tonnes of tapered parabolic springs, 2,400 lakh nos. coil springs, 600 tonnes f stabilizer bars, 4680 tonnes of cylinder block & cylinder stead castings, 22.80 lakh pieces of forgings for two wheelers, 4400 tonnes of automobile components.
Non-Ferrous Metals	2	95.16	393	166.32	33.19	1953 tonnes of copper products, 3000 tonnes of aluminium alloy and 30,000 tonnes of aluminium products.
Hotels & Tourism	11	125.66	1,873	54.71	40.61	740 rooms (3 star), 85 suits, 75 room (4 star), 150 rooms (5 star).
Hospitals	5	70.29	986	27.70	19.65	300 bed hospital, 100 bed for cancer treatment, establishment of a modern diagnostic centre, installation of magnetic resonance imaging equipment.
Electricity	1	1,888.75	100	528.26	442.42	500 MW thermal power.
Leather	5	23.47	777	71.92	20.59	18.3 lakh pairs of footwear/shoes, 7.92 square metres laminated leather.
Others	4	79.05	541	59.40	36.94	14,010 tonnes plain prelaminated particle boards, computer system software, 88.5 lakh crates of carbonated soft drinks.
Total	161	13,66.61	38,859	8,973.97	4,485.50	

Appendix-III

Funding Pattern of Projects Assisted by IFCI 1991-92 (April-March)

(Rs. crores)

	Financing Pattern	New Projects	Expansion/ diversification projects	Modernisation Projects	Assistance for rehabilitation balancing equipment, etc.	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Number of projects	120	41	72	109	342
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
I	Promotors contribution					
	— Share Capital	753.95	29.56	9.66	22.70	815.87
		(6.3)	(1.8)	(0.6)	(2.3)	(5.0)
	— Unsecured subordinated loans	9.37	9.87	17.69	7.84	44.77
		(0.1)	(0.6)	(1.0)	(0.8)	(0.3)
	— Internal accurals, etc.	452.02	216.03	163.78	210.46	1,042.29
		(3.8)	(13.1)	(9.5)	(21.4)	(6.4)
II.	Assistance by term lending institutions viz, IFCI, IDBI, ICICI & IRBI					
	— Loans & Advances	2,832.69	725.75	551.76	545.03	4,655.23
		(23.6)	(44.0)	(31.9)	(55.4)	(28.4)
	— Equity Support	188.74	69.93	5.01	1.00	264.68
		(1.6)	(4.2)	(0.3)	(0.1)	(1.6)
III.	Assistance by Investment Institutions, viz. LIC, GIC, & UTI					
	— Loans & Advances	622.43	76.50	84.80	49.20	832.93
		(5.2)	(4.6)	(4.9)	(5.0)	(5.1)
	— Equity Support	393.40	24.40	1.60	6.46	425.86
		(3.3)	(1.5)	(0.1)	(0.6)	(2.6)
IV.	Assistance by Banks					
	— Term Finance	976.11	41.45	16.30	21.50	1,055.36
		(8.1)	(2.5)	(1.0)	(2.2)	(6.4)
	— Equity Support	1,469.08	47.69	10.93	6.77	1,534.47
		(12.2)	(2.9)	(0.6)	(0.7)	(9.3)
V.	Assistance by State-level Institutions					
	— Term Finance	2.68	—	—	—	2.68
		(—)				(—)
	— Equity Support	242.60	0.94	—	0.81	244.35
		(2.0)	(0.1)	—	(0.1)	(1.5)
VI.	Rights Issues	1,629.21	404.11	144.26	93.37	2,270.95
		(13.5)	(24.5)	(8.3)	(9.5)	(13.9)
VII.	Deferred Payments	1,252.20	—	215.00	2.35	1,469.55
		(10.4)	—	(12.4)	(0.2)	(9.0)
VIII.	Loans from Foreign Institutions	1,068.96	—	487.50	—	1,556.46
		(8.9)	—	(28.2)	—	(9.5)
XI.	Others	122.29	3.65	21.56	15.80	163.30
		(1.0)	(0.2)	(1.2)	(1.7)	(1.0)
	Total	12,015.73	1,649.88	1,729.85	983.29	16,378.75
		(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

Notes : 1. Equity support includes underwriting assistance as also direct subscriptions.
2. Figures in brackets denote percentages to the total.
3. The above does not account for the cases of Overrun Finance and Financial Services (excluding Equipment Finance).

Annual Accounts 1991-92

AUDIT REPORT

To the Shareholders of the Industrial Finance Corporation of India

We have audited the attached Balance Sheet of the Industrial Finance Corporation of India as at the 31st March, 1992, and also the Accounts of the Corporation for the year ended the 31st March, 1992, and report to the shareholders as follows :—

1. The Balance Sheet and Accounts are in agreement with the books of account.

2. The necessary information and explanations called for by us have been given to us and have been found to be satisfactory.

3. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Balance Sheet, together with the Accounting Policies and notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Industrial Finance Corporation Act, 1948, and the Rules of the Corporation and exhibits a true and correct view of the state of affairs of the Corporation.

Lodha & Co. Sumer Bansal & Co.

Chartered Accountants

Place : New Delhi.
Dated : 29th May, 1992

BALANCE SHEET AS AT THE 31ST MARCH, 1992

Description	Schedule	As at the 31st March, 1992 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1991 Rs. Lakhs
ASSETS			
Cash and Bank Balances	1	26,848.16	6,637.33
Investments in Assisted Concerns (At cost)	2	16,955.05	15,923.15
Investments in other Institutions (At cost)	—	3,494.52	3,191.28
Loans to Assisted Concerns	3	6,78,782,89	5,36,220.49
Fixed Assets	4	25,555.53	18,105.20
Other Assets	5	76,552.16	59,671,65
Customers' Liability for Acceptance (As per contra)	—	18,055.09	9,355.45
Total		8,46,243,40	6,49,104.55
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' FUNDS			
Share Capital	6	14,250.00	13,500.00
Reserves and Reserve Funds	7	46,131.72	38,945.25
Long Term Borrowings	8	6,78,325.00	5,22,253.98
Current Liabilities and Provisions	9	84,001.10	61,963.31
Earmarked Funds	10	5,480.49	3,086.56
Liability on Acceptance (As per contra)	—	18,055.09	9,355.45
Total		8,46,243,40	6,49,104.55
Accounting Policies and Notes	17		
The schedules referred to above form part of Balance Sheet			

H.C. Sharma, Executive Director; P.J. Nayak, Chairman; V.R. Panchamukhi, N.R. Krishnan, S.H. Khan, P.L. Karihaloo, B.D. Shah, Rashid Jilani, S.S. Kadam, D.M. Patel, Directors

As per our Report of even date

New Delhi : 29th May 1992

Lodha & Co.

Sumer Bansal & CO.
Chartered Accountants

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1992

Description	Schedule	Year ended the 31st March, 1992 Rs. Lakhs	Year ended the 31st March, 1991 Rs. Lakhs
(1)	(2)	(3)	(4)
Interest from Loans, Advances, Deposits and Income from other Financial Assistance (Less provision for bad and doubtful debts and other usual and necessary provisions)	11	67,113.52	59,147.47
Income from other operations	12	16,384.73	2,244.07
Total Income		83,498.25	61,391.54
Cost of Borrowings	13	66,294.56	47,546.76
Total		17,203.69	13,844.78
Personnel Expenses	14	1,098.66	1,240.89
Directors' and Committee Members' Fees, etc.	—	4.07	4.14
Rental, Maintenance and Depreciation	15	3,206.38	1,675.81
Other Expenses	16	714.91	686.44
Grant to Management Development Institute	—	5.00	5.00
Provision for Taxation	—	2,750.00	2,424.87
Total		7,779.02	6,037.15
Net Profit (carried over)		9,424.67	7,807.63
Accounting policies and notes	17		
The Schedules referred to above form part of Profit & Loss Account.			
Appropriated to :			
General Reserve Fund under Section 32 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948		2,898.80	1,790.60
Special Reserve Fund under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		3,863.00	4,074.00
Benevolent Reserve Fund under Section 32B of the Industrial Finance Corporation Act, 1948		190.00	150.00
Staff Welfare Fund		20.00	20.00
Dividend		2,542.87	1,773.03
		9,424.67	7,807.63

H.C. Sharma, Executive Director; P.J. Nayak, Chairman; V.R. Panchamukhi, N.R. Krishnan, S.H. Khan, P.L. Karihaloo, B.D. Shah, Rashid Jilani, S.S. Kadam, D.M. Patel, Directors

New Delhi : 29th May, 1992

As per our Report of even date

Lodha & Co.
Sumer Bansal & Co.
Chartered Accountants

Schedule 1 **Cash and Bank Balances**

Description	As of the 31st March, 1992 Rs. Lakhs	As of the 31st March, 1991 Rs. Lakhs
Cash and Bank Balances		
— Cash/Stamps in Hand	1.14	1.29
— Cheques/Drafts in hand and lodged for collection	3,728.33	961.08
Balances with Banks in India		
— In Current Accounts (See Note No. 7)	7,011.95	4,745.40
— In Short Term Deposits	12,793.85	54.00
Balances with Banks outside India		
— In Current Accounts	1,706.33	701.85
— In Short Term Deposits	1,606.56	173.71
Total	26,848.16	6,637.33

Schedule 2 **Investment in Assisted Concerns**
(At cost)

Rs. Lakhs

Description	Under Section*			As at the 31st March, 1992	As at the 31st March, 1991
	23(d)	23(f)	23(i)		
(i) Equity Shares	5,092.42	5,336.55	2,460.26	12,889.23	13,055.14
(ii) Preference Shares	214.43	273.74	229.03	717.20	569.73
(iii) Debentures	1,059.89	1,714.80	137.12	2,911.81	1,799.03
(iv) Application money on Shares and Debentures	—	436.81	—	436.81	499.25
Total as at the 31st March, 1992	6,366.74	7,761.90	2,826.41	16,955.05	15,923.15
Total as at the 31st March, 1991	6,710.91	6,557.75	2,654.49	15,923.15	
Quoted Investments					
— Book Value				8,118.95	7,691.61
— Market Value				59,818.65	28,803.02
Unquoted Investments including Investments for which current quotations are not available					
— Book Value				8,399.29	7,732.29
— Break-up Value				4,453.90	3,708.41

*Relates to Industrial Finance Corporaton Act, 1948.

Schedule 3 **Loans to Assisted Concerns**

(Less Provision for bad & doubtful debts)

Description	As at the 31st March, 1992 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1991 Rs. Lakhs
(i) In Indian Rupees	4,94,292.40	4,23,043.28
(i) In Foreign Currencies	1,84,490.49	1,13,177.21
Total :	6,78,782.89	5,36,220.49

Notes

(i)	Debts due by concerns in which the Directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors.	Nil	Nil
(ii)	Total amount of loans disbursed during the year to concerns in which the Directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors.	Nil	Nil
(iii)	Total amount of instalments whether of Principal or Interest overdue by concerns in which the Directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors.	Nil	Nil

Schedule 4 **Fixed Assets**

Description	As at the 31st March, 1992		Net Value	
	Original Cost Rs. Lakhs	Depreciation to date Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1992 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1991 Rs. Lakhs
— Freehold Land and Buildings	2,087.85	385.66	1,702.19	1,186.89
— Leasehold Land and Buildings	5,777.65	355.66	5,421.99	5,260.31
— Furniture and Fixtures	233.71	83.85	149.86	138.08
— Office Equipments including Computers	591.27	355.06	236.21	173.50
— Electrical Installations	190.93	98.81	92.12	98.36
— Vehicles	19.31	16.54	2.77	4.22
— Leased Assets—Plant & Machinery	22,210.09	5,131.20	17,078.89	9,974.17
Sub-total	31,110.81	6,426.78	24,684.03	16,835.53
— Advances against Capital Expenditure	871.50		871.50	1,269.67
Total	31,982.31	6,426.78	25,555.53	18,105.20
— As at the 31st March, 1991	21,528.16	3,422.96	18,105.20	

Schedule 5 **Other Assets**

Description	As at the 31st March, 1992 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1991 Rs. Lakhs
Interest accrued but not due	13,752.73	10,090.53
Advances to Machinery Suppliers under various Financial Services Schemes	8,677.42	20,672.90
Advances to Risk Capital & Technology Finance Corporation Ltd.	1,273.14	1,035.60
Advances to Housing Development Finance Corporation Ltd.	7,246.38	7,246.38
Advances to Insfrastructure Leasing & Financial Services Ltd.	2,717.39	2,717.39
Advances to Employees	350.24	289.45
Deposits	34.25	96.16
Difference in Exchange Suspense Account (Net) (Refer Note No. 6)	2,348.25	551.62
Advance Income Tax including Tax deducted at source	3,929.10	5,500.43
Other Assets	36,223.26	11,471.19
Total	76,552.16	59,671.65

Schedule 6 **Share Capital**

Description	As at the 31st March, 1992 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1991 Rs. Lakhs
Authorised		
5,00,000 shares of Rs. 5,000/- each	25,000.00	25,000.00
Issued & Subscribed		
2,85,000 shares of Rs. 5,000/- each (Previous year 2,85,000)	14,250.00	14,250.00
(Guaranteed by Government of India as to the repayment of principal and payment of minimum annual dividend under Section 5 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948)		
Paid-up		
(i) 10,000 shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500.00	500.00
(ii) 4,000 (Second Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	200.00	200.00
(iii) 2,692 (Third Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	134.60	134.60
(iv) 3,308 (Fourth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	165.40	165.40
(v) 10,000 (Fifth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500.00	500.00
(vi) 5,000 (Sixth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	250.00	250.00
(vii) 5,000 (Seventh Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	250.00	250.00
(viii) 10,000 (Eighth Series) shres of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500.00	500.00
(ix) 10,000 (Ninth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500.00	500.00
(x) 20,000 (Tenth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1000.00	1000.00
(xi) 20,000 (Eleventh Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1000.00	1000.00

Schedule 6—*(Contd.)* **Share Capital**

Description	As at the 31st March, 1992 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1991 Rs. Lakhs
(xii) 25,000 (Twelfth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,250.00	1,250.00
(xiii) 25,000 (Thirteenth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,250.00	1,250.00
(xiv) 25,000 (Fourteenth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,250.00	1,250.00
(xv) 50,000 (Fifteenth Series)shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	2,500.00	2,500.00
(xvi) 60,000 (Sixteenth Series) shares of Rs. 5,000/- (Rs. 3,750) each fully paid-up	3,000.00	2,250.00
Total	14,250.00	13,500.00

Schedule 7 **Reserves and Reserve Funds**

Description	As at the 31st March, 1992 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1991 Rs. Lakhs
General Reserve under Section 32 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	17,541.91	14,643.11
Reserve Fund under Section 32 A of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	100.00	100.00
Benevolent Reserve Fund under Section 32B of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	373.97	351.61
Special Reserve Fund under Section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961	26,366.11	22,503.11
Specific Grant from Government of India in terms of agreement with Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau	1,749.73	1,347.42
Total	46,131.72	38,945.25

Schedule 8 **Long Term Borrowings**

Description	As at the 31st March, 1992 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1991 Rs. Lakhs
Bonds (Unsecured—Issued under Section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948—Guaranteed by the Goverment of India)		
(a) 6¼% Bonds	7,810.00	7,810.00
(b) 7¼% Bonds	10,050.22	10,050.22
(c) 7½% Bonds	10,995.00	10,995.00
(d) 8¼% Bonds	7,975.00	7,975.00
(e) 8¾% Bonds	8,004.80	8,004.80
(f) 9% Bonds	19,701.00	19,701.00
(g) 9.75% Bonds	32,269.13	32,269.13
(h) 11% Bonds	69,548.00	69,548.00
(i) 11.5% Bonds	1,67,602.00	1,23,602.00
(j) 7.6% Bonds (Yen Currency)	9,321.15	6,382.98
(k) 6.9% Bonds (Yen Currency)	9,831.14	7,092.20
(l) 6.3% Bonds (Yen Currency)	11,750.88	7,092.20
	3,64,858.32	3,10,522.53
Borrowings (Unsecured)		
(a) From Industrial Development Bank of India under Section 21(4) of the Industrial Corporation Act, 1948	35,245.00	24,085.00
(b) From Life Insurance Corporation of India and General Insurance Corporation of India and its subsidiaries, under Section 21(4) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	55,000.00	35,000.00
(c) From Government of India under Section 21(4) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	1.60	21.32
(d) From Government of India in terms of Agreement with Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau	1,300.63	1,146.76
(e) From Industrial Development Bank of India in Foreign Currency out of proceeds of their foreign bond issue	2,849.00	1,751.31
(f) From Foreign Lending Institutions in Foreign Currencies	2,19,070.45	1,49,727.06
Total	6,78,325.00	5,22,253.98

Schedule 9 **Current Liabilities and Provisions**

Description	As at the 31st March, 1992 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1991 Rs. Lakhs
(A) Current Liabilities		
Short term borrowings from Reserve bank of India under Section 21(3)(b) of Industrial Finance Corporation Act, 1948)	—	4,400.00
Sundry Creditors	7,479.78	6,048.99
Interest accrued but not due		
(a) On Bonds	8,781.58	7,964.08
(b) On Borrowings from Government	2.93	3.44
(c) On Borrowings from Foreign Credit Institutions	4,599.27	2,854.45
(d) On Borrowings from Industrial Development Bank of India and others	3,130.43	1,697.37
Deposits in terms of Section 22 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	51,278.50	29,690.00
Advance Receipts	448.33	379.57
Unclaimed Dividend	0.30	0.50
Amount refundable to sub-borrowers/payable to Government of India out of Interest on borrowings in Foreign Currency	2,426.68	1,938.45
Total (A)	78,147.80	54,976.85
(B) Provisions		
Amount held in suspense		
(a) Interest	268.60	312.02
(b) Commitment charges	—	0.05
(c) Incidental charges	—	2.38
Provision for taxation	3,041.83	4,898.97
Provision for dividend	2,542.87	1,773.04
Total (B)	5,853.30	6,986.46
Total (A)+(B)	84,001.10	61,963.31

Schedule 10 **Earmarked Funds**

Description	As at the 31st March, 1992 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1991 Rs. Lakhs
Industrial Finance Corporation Employees' Provide Fund	1,731.60	1,517.46
Special Jute Development Fund	220.47	207.61
Staff Welfare Fund	237.32	211.81
Exchange Risk Administration Fund (Refer Note No. 6)	3,291.10	1,149.68
Total	5,480.49	3,086.56

Schedule 11 **Interest from Loans, Advances, Deposits and Income from other Financial Assistance**

Description	Year Ended the 31st March, 1992 Rs. Lakhs	Year Ended the 31st March, 1991 Rs. Lakhs
Interest Income	53,174.27	50,845.33
Interest on Short term and other deposits	1,391.50	1,360.30
Commitment Charges and Up-Front Fee	1,756.84	1,799.41
Lease Rentals	6,799.32	3,611.73
Standing Charges	3,991.59	1,530.70
Total	67,113.52	59,147.47

Schedule 12 **Income from Other Operations**

Description	Year ended 31st March, 1992 Rs. Lakhs	Year ended 31st March, 1991 Rs. Lakhs
Business Service Fee	658.23	544.06
Dividend	861.07	576.48
Profit on Sale of Investments	14,775.71	1,056.89
Miscellaneous Income	89.72	66.64
Total	16,384.73	2,244.07

Schedule 13 **Cost of Borrowings**

Description	Year ended 31st March, 1992 Rs. Lakhs	Year ended 31st March, 1991 Rs. Lakhs
Interest on Bonds and Borrowings	65,513.14	46,824.24
Interest on Exchange Risk Administration Fund	263.04	102.66
Commitment Charges on Foreign Currency Loans availed	129.11	59.15
Cost of issue of Bonds	389.27	560.71
Total	66,294.56	47,546.76

Schedule 14 **Personnel Expenses**

Description	Year ended 31st March, 1992 Rs. Lakhs	Year ended 31st March, 1991 Rs. Lakhs
Salary and Allowances	1,015.78	1,177.29
Staff Welfare Fund Expenses	3.56	4.24
Other Personnel Expenses	79.32	59.36
Total	1,098.66	1,240.89

Schedule 15 **Rental, Maintenance and Depreciation**

Description	Year ended 31st March, 1992 Rs. Lakhs	Year ended 31st March, 1991 Rs. Lakhs
Rent, Taxes, Insurance and Lighting	186.70	196.71
Repairs & Maintenance	87.30	78.56
Depreciation on Fixed Assets	2,932.38	1,400.54
Total	3,206.38	1,675.81

Schedule 16 **Other Expenses**

Description	Year ended 31st March, 1992 Rs. Lakhs	Year ended 31st March, 1991 Rs. Lakhs
Audit Fees	1.55	1.55
Travelling and Halting Expenses	43.79	51.70
Communication Expenses	70.62	73.29
Printing, Stationery & Advertisement	52.39	57.47
Loss on Investment	419.56	206.24
Other Expenses	127.00	296.19
Total	714.91	686.44

Schedule 17

Accounting Policies and Notes

(A) Significant Accounting Policies

1. The accompanying financial statements have been prepared on the historical cost basis. Accounting policies are being followed consistently, unless otherwise stated.

2. **Revenue Recognition**

(a) Income by way of interest, commitment charges, commission, etc. is accounted for on accrual basis, except in cases where the possibility of recovery has been considered remote by the Corporation or borrowers have committed consecutive defaults for more than two years. Income in such cases is accounted for as and when received and appropriated as per the policy consistently followed. Till the conclusion of Loan Agreement, commitment charges are accounted for as income only on receipt of the amount.

Front-end fee is accounted for on receipt of the same.

(b) Interest on those loans and advances where Court orders have been obtained by the Corporation is accounted for only when such amounts are received.

(c) Dividend income is accounted for on accrual basis.

(d) Rental on leased assets is accounted for from the commencement date, as prescribed in the lease agreement entered with the Lessee and prior to that, financial charges are recovered on the advances made to machinery suppliers and/or expenses incurred for the purpose, if any.

3. **Investments**

3.1 Valuation :

Investments are valued at cost except in appropriate cases where the cost is written down and the investment is stated at book value. Front-end fee or under-writing commission received against subscription/development of shares, debentures, etc., are adjusted against the same.

Aggregate market value/break-up value of investments is compared to Book Value thereof on a global valuation basis.

3.2 Transactions :

(a) Gains or Losses on sale of investments are computed with respect to the Average cost of the investment held under the respective clause of Section 23 of Industrial Finance Corporation Act, 1948.

(b) Loss, if any, in the value of shares of companies proposed to be merged with other healthy companies, nationalised, in liquidation or companies with negative networth or where sales of assets is contemplated, is accounted for as and when finally determined.

4. **Exchange Transactions**

(a) The balance of —

(i) foreign currency loans/borrowings availed of by the Corporation (except the unutilised amount "parked" with RBI),

(ii) the loans granted to sub-borrowers therefrom,

(iii) the balances in foreign currency accounts with banks, and

(iv) contingent liabilities in respect of guarantee undertaken in foreign currency.

are expressed in Indian Currency at the prevailing rates as on 31st March, 1992.

(b) The outstanding amount of Foreign Currency borrowing lying parked with RBI are valued at the exchange rate fixed by RBI on the date of parking of fund.

Profit, if any, arising on account of fluctuations in foreign currency exchange rates is accounted for in respect of each line of credit only after the borrowings are fully repaid to the foreign lending institutions and the loans granted out of such borrowings to assisted concerns are fully recovered. Loss, if any, on account of such fluctuation in respect of each line of credit is accounted for as and when such line is fully repaid by the Corporation.

(c) Exchange differences relating to —

(i) the recovery and repayment of foreign currency loans,

(ii) conversion of year-end foreign currency balances, and

(iii) operations in the foreign currency accounts with Banks.

are accounted for in exchange suspense account. The contribution received from Central Government in earlier years in part reimbursement of exchange losses incurred, has also been credited to the said account.

(d) The balances of the Foreign Currency Loans granted to sub-borrowers under Exchange Risk Administration Scheme, are expressed in rupee equivalent of the rate prevailing at the time of its disbursement. The deficit/surplus in respect of exchange fluctuation at the time of repayment of the borrowings will be met from Exchange Risk Administration Fund. Any deficit or surplus in Exchange Risk Administration Fund will be paid by or reimbursed to the Government of India through Industrial Development Bank of India.

5. Fixed Assets

(a) Fixed assets have been accounted for at their historical costs less depreciation.

(b) Leased assets are depreciated on the Straight Line Method on pro rata basis with respect to month of addition over the primary period of lease of assets of the number of complete years determined with reference to the income tax depreciation rates relating to these assets, whichever is shorter.

(c) Other assets are depreciated by the Written Down Value Method (as per Income Tax Act, 1961 and the rules framed thereunder).

6. Staff Benefits

Gratuity Liability as actuarially determined as at 31st March, 1992 has been provided for and is fully funded.

7. Prior Period Adjustments

Considering the nature of business, all prior period adjustments, including those ascertained and determined during the year, have been accounted for under the respective heads of accounts.

(B) NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

(Figures in brackets relate to the previous year ended the 31st March, 1991).

1. The Corporation has contingent liabilities in respect of —

(a) Outstanding underwriting contracts [under Section 23(d) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948], Rs. 648.50 lakhs (Rs. 121.25 lakhs).

(b) Uncalled amount in respect of partly paid-up shares/debentures held as investment [under Section 20, Section23(d) and Section 23(f) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948] Rs. 363.66 lakhs (Rs. 2,153.99 lakhs).

(c) Estimated amount of contracts remaining to be excecuted on capital account (net of

advances paid) approximately Rs. 4,933.75 lakhs (Rs. 3,722.68 lakhs).

(d) Income Tax demands raised by the Income Tax Authorities amounting to Rs. 234.77 lakhs (Rs. 231.00 lakhs) against which the Corporation/Department has gone in appeal/reference on certain matters.

2. Sundry Creditors include Rs. 1,249.26 lakhs (Rs. 1,262.49 lakhs) in respect of Bonds which have matured but have remained unclaimed/unpaid.

3. Investments under Section 23(d) and 23(f) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 include Rs. 64.75 lakhs (Rs. 213.53 lakhs) in shares and debentures of certain Companies which are in the process of liquidation, nationalisation, amalgamation with other companies or finalisation of proceedings for sale of assets.

4. A sum of Rs. 386.42 lakhs (Rs. 201.42 lakhs) has been utilised upto the 31st March, 1992, partly out of Benevolent Reserve Fund and partly out of Specific Grant from Government of India for subscribing to the share capital in certain Technical Consultancy and other Organisations as part of the Promotional activities of the Corporation. Hence, these investments have not been included in the 'Investments' of the Corporation.

5. (a) Loans and Advances made to certain assisted concerns, including sick units, have been considered good, irrespective of value of security, wherever rehabilitation/revival schemes have been formulated or are in process of formulation or under implementation where units have been found to be viable, on the basis of such schemes.

(b) Loans and Advances made to certain concerns and guaranteed by Central/State Government and to Central/State Government undertakings have been considered good irrespective of the value of securities, including cases where guarantees have been invoked.

(c) Loans and advances considered good include an aggregate amount of Rs. 2,751.25 lakhs (Rs. 2,154.00 lakhs) which was due on the date of the Balance Sheet from certain companies the undertakings of which have been acquired by the Central/State Government. Besides, a sum of Rs. 112.78 lakhs (Rs. 35.11 lakhs) is due on the Balance Sheet date from certain companies whose liabilities have been frozen under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. It has not been possible to determine as to what portion of these amounts can be recovered either out of the compensation or from the guarantors and accordingly provisions, if any, against these shall be made on determination.

6. Difference in Exchange Suspense Account includes Rs. 20,506.95 lakhs on account of exchange fluctuations in rates of certain foreign currencies under the Exchange Risk Administration Scheme and as per the said Scheme, net amount of Rs. 16,462.20 lakhs as on the 31-3-1992 after adjusting therefrom the credit balance of Rs. 3,291.10 lakhs in Exchange Risk Administration Fund Account and interest and exchange premium of Rs. 753.65 lakhs accrued but not due on the same, is receivable from Government of India through Industrial Development Bank of India.

7. Balances with banks in India in Current Accounts include Rs. 1,350.00 lakhs (Rs. Nil lakhs) invested by bankers in Central and/or State Government Securities/units of Unit Trust of India with the concurrence of the Corporation and Rs. 5,450.00 lakhs (Rs. 500.00 lakhs) in bills under the Bills Rediscounting Scheme of Reserve Bank of India.

8. In respect of some of the premises acquired by the Corporation, formalities regarding conveyancing are in the process of completion.

9. The Corporation has prospectively reviewed its revenues recognition policy with regard to Interest, Commitment Charges, Commission, etc., during the current year and had decided to discontinue the recognition of such incomes accruing on/or after Ist April, 1991 in cases where the borrowers have committed consecutive defaults for a period exceeding two years as against the earlier practice of not recognising the same on consecutive defaults for a period exceeding three years. Consequent to this change in policy, income on account of interest, commitment charges, commission etc. and profit for the year is lower by Rs. 52.80 crores.

10. Profit on sale of shares, being held as investments, has been treated by the Corporation as income under the head "Capital Gains" for income tax purposes from the current year. Accordingly, the provision for taxation for the year has been made keeping the above stand of the Corporation in view

and further liability. if any required, shall be provided for as and when the same is finally determined.

11. The balance in foreign exchange suspense account is under reconciliation and is subject to necessary adjustments including consequential revenue impact, if any, which shall be effected on completion.

12. Gross Block of Fixed Assets has been stated after adjusting the additions and deletions and no separate disclosure as regard to these has been made.

13. Previous year's figures have been rearranged/ regrouped wherever necessary.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1992
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1992